

बौर सेवा मन्दिर दिल्ली



क्रम संख्या

कानून नं. १८८५/१९७१

संग्रह

मेरा जीवन प्रवाह

वियोगी हरि

सस्ता साहित्य मण्डल
नई दिल्ली

प्रकाशक
श्री मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

प्रथम बार : १९४८
मूल्य
साढ़े चार रुपए

सुदृक
अमरचन्द्र
राजहंस प्रेस, दिल्ली, १०-४८

दो शब्द

अपने कुछ मंस्मरणों, या जीवन-प्रवाह के कुछ बहेन-बिखरे जल-कणों को बाँधने का मैंने इन पृष्ठों में प्रयास किया है। जिन असंख्य जल-कणों ने मेरे प्रवाह को बनाया उनमें से किसे तो मामान्य कहा जाये, और किसे विशेष ? जल-कण तो मभी एक हैं। फिर भी, मुर-सरिता की सुति की जाती है; दूसरी महस्तों नटियों की उपेक्षा। और गटर से बहनेवाले प्रवाह को लोग धूणा की हृषि से देखते हैं। जल-कण उतरते तो मब ऊँचाई से ही हैं; पर अलग-अलग मंसर्ग, भिन्न-भिन्न प्रयोग या साधन जगत् में किसीको तो बन्दनीय बना देते हैं और किसीको निन्दनीय। किन्तु सबसे बड़ी संख्या तो उन जल-कणों की होती है, जो आदि से अन्ततक सदा उपेक्षित ही रहते हैं। उनपर किमकी हृषि जाती है ?

सदात्माओं की जीवन-कथाएँ सामने आई हैं, और दुरात्माओं की भी। पर जिन करोड़ों के कार्यक्रेत्र सदा जुद्र और सीमित रह, जिनके प्रवाह-पतित साधनों का मूल्य भी नहीं आँका गया, उनकी ओर कोई झाँकने भी नहीं जाता। स्वयं भी अपने विषय में उन्होंने मुँह नहीं खोला; हिम्मत भी नहीं पड़ी।

मुझ-जैसों को स्वभावतः सदा संकोच और भय रहा कि कहीं कोई यह न कह बैठे कि—“अच्छा ! ये जुद्र मानव भी अब ‘आत्म-कथाकारों’ की सूची में अपने नाम लिखाने जा रहे हैं ! यह इनकी धृष्टता और निर्लेजता नहीं तो क्या है ?”

तब, मैं इसे आत्म-कथा का नाम नहीं दूँगा। यह तो जीवन की कुछ साधारण-सी घटनाओं और अनुभूतियों की एक

मामूली अभिव्यंजना है। जीवन के सहज प्रवाह को मैंने उसके सहज रूप में ही देखा है, इसलिए इसमें न तो कोई गहरी जीवन-समीक्षा मिलेगी, और न कोई खास शोध या साधना ही।

लिख डालने का मन तो इसलिए हुआ कि ऐसी ही घटनाएँ शायद दूसरों के भी जीवन में घटी हों, अनुभूतियाँ भी शायद ऐसी ही हुई हों या आगे चलकर हों, तो मेरे जीवन-प्रवाह के उत्तार-चढ़ाव के साथ मिलान करना उनके लिए कदाचित् अच्छा ही होगा। तुलना का तो सदा आदर ही हुआ है। उपर्युक्त और उपमान को एक दूसरे से काफी मिला है। महत् और अल्प ने मिलकर कभी कुछ बोया नहीं। मानव-समाज को बड़ों से ही सब कुछ मिला हो ऐसी बात नहीं है, छोटों ने भी उसे बहुत कुछ दिया है। विनिमय जान में हुआ हा या अनजान में, उम्रके महत्व को कौन स्वीकार नहीं करेगा ?

जीवन को मैंने प्रवाह का रूपक देकर ग़लती नहीं की। प्रत्येक घटना भले ही अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हो, पर जीवन के साथ तो उसका 'एकरूपता' का ही मम्बन्ध है न ? प्रवाह का और काल का पृथक्करण कौन कर सकता है ? देखने-वाला भले ही जीवन को समय-समय पर आंशिक रूपों में देखता रहा हो—और मैंने भी स्थभावत् यही किया है, पर अपने आपमें तो जीवन का प्रवाह संपूर्णतया एक है अविच्छिन्न है। और अन्त में तो सारे ही प्रवाहों का प्रयास ज्ञात या अज्ञात रूप में उस महार्णव में अपने आपको मिला देने का है।

वियोगी हरि

विषय-सूची

१. वे तीर्थ-स्वरूप	१
२. मेरी जन्म-भूमि	३
३. नरक कहूँ या स्वर्ग ?	५४
४. विद्यार्थी-जीवन	८६
५. रंग में भंग	८०
६. नया मंसार	८८
७. फिर तीर्थ-यात्राएँ	८६
८. अब तो प्रयाग ही था	९५
९. साहित्य के पथ पर	९२
१०. ब्रज-साहित्य की ओर मुकाब	९४
११. मेरी कान्य-रचनाएँ	९७
१२. 'बीर-सतसहै'	१०४
१३. क्या इसे संन्यास कहूँ ?	१३
१४. गदा-काव्य	१००
१५. लेखन-इयवसाय	१०८
१६. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (१)	११५
१७. हिन्दी-माहित्य-सम्मेलन (२)	१२४
१८. विद्यार्थी	१३१
१९. अद्वांजलियाँ	१३८
२०. काशी के मंस्मरण	१४६
२१. कैसे उद्घाटन हो सकता है ?	१५६
२२. साहित्य का अध्ययन	१६६
२३. पन्ना में छह साल	१७७
२४. 'छत्रसाल-स्मारक'	१८८
२५. शिक्षा-विभाग में	१९१
२६. तूफान के सामने	२००

२७. एक-दो प्रसङ्ग और	२०७
२८. तीसरा पढाव	२१५
२९. धर्म-परिचय कहूँ ?	२२१
३०. अब ढगमगाया	२२६
३१. एक पुण्य कथा	२३७
३२. शास्त्र-ज्ञान के फेर में	२४३
३३. एक प्रकाश-किरण	२५१
३४. “संघं सरणं गच्छामि”	२५६
३५. ‘हरिजन-सेवक’	२६५
३६. अस्पृश्यता अभी कहाँ दूर हुई ?	२७३
३७. हरिजन-निवास	२७६
३८. दिल्ली के ये नरक !	२८८
३९. कछकते के बीमरस दृश्य	२९३
४०. नरक के साथ स्वर्ग-दर्शन भी !	३०१
४१. गढवाल में चार दिन	३०७
४२. उड़ीसा की पैदल यात्रा	३१३
४३. स्मरणीय प्रसङ्ग	३२०
४४. उद्योगशाला (१)	३२६
४५. उद्योगशाला (२)	३३५
४६. चौबीस बरस बाद	३४४
४७. खजुराहे के मनिदर	३४२
४८. सम्मेलन ने किर खींच किया	३६०
४९. मेरा अभिभाषण	३६७
५०. सिन्ध-प्रवास	३७६
५१. मेरा परिवार	३८४
५२. महापरिनिर्वाण	३९४
५३. सिंहावदोक्तन	४०७



१ :

वे तीर्थ स्वरूप

पुराना-सा वह कच्चा दरिद्र वर; सामने कंगूरेदार गड़ी का खाद्य-
पक्षा खड़हर। बिना जगत का खारा कुछाँ, और उसके ऊपर सुबह-शाम
एलिहारिनों की चखचख। बगड़ में छोटा-सा शिवाला, और उसके पिछ-
वारे सीताफल के पाँच-सात घने पत्तों के हरे-हरे माल। मोहसले की
कच्ची, मगर साक्ष सुधरी गली। वह सारा इश्य आज भी मेरी आँखों
में बैसा ही झूँझ रहा है। पाँच साल का या, तब की भी मुझे कुछ-कुछ
झुँझली-सी याद बनी हुई है।

मेरे नामा कंगूरेदार गड़ी की बड़ी रोचक कहानी सुनाया करते थे।
बाँदा के गोसाहंयों की गड़ी थी वह। गोसाहंयों का तब बहा चैभव था।
गड़ी के सामने उनके मस्त हाथों सूमा करते थे। गृह-युद के बाद ये
लोग बाँदा से छतरपुर चले आये थे। यहाँ इनके भारी राजसी ठाटबाट
थे। पर अब लो उन खंडहरों के अन्दर दिन में भी पैठते ढर लगता था।
रात को गड़ी के दूड़े कंगूरों पर उछलूँ बैठते थे। उनका भवावना
रोकन सुनकर मैं कौप जाता था। कुछाँ भी वह डरावना लगता था। वह
में कुछ कहा हुआ कि आँखें उसमें गिरने के लिए कट जा दौड़ों।
केवल एक शिवाला सुन्दर लगता था। जाकों में मोहसले भर के बख्ते

वहीं सद्वेर की भूप में खेलते और पढ़ते थे। शिवहारि को हम लोग देखा चाह से शिवजी का शक्ति किया करते थे। हस शिव-मन्दिर में तुलसी-कुल रामायण के मैने दो-तीन नवाङ्ग-पारायण भी किये थे।

और उस कच्चे घर के साथ तो मेरी कितनी ही मधुर स्मृतियाँ गुँथी हुई हैं। मोहल्ले में धनिकों के कई अच्छे पक्के मकान थे, एक-दो हवेलियाँ भी थीं। पर मेरे लिए तो वह कच्चा घर ही सब कुछ था। उस घर की एक-एक दीवार, छप्पर की एक-एक छकड़ी जैसे जीवन के अनेक संकेतों से भरी हुई थी। पूरे हक्कीस वर्षतक उस राममढ़ीया में मैने बहुत-कुछ पाया। वहीं खेला, वहीं खाया। हँसा भी वहीं, रोया भी वहीं। वहीं जनन देखे, और मरण भी देखा। मरण केवल अपने नाना का। उस मरण-दृश्य ने मुझे जो अनियता का अनुभव कराया वह अपूर्ण था। उससे पहले मृत्यु का मैने इतने समीप से दर्शन नहीं किया था। पर उसे मैं जीवन का स्वच्छ दर्शन क्यों न कहूँ?

त्योहार और उत्सव भी उस घर के खूब और बारबार याद आते हैं। तो दीवाली से शुरू कहूँ। माँ और मेरी मामी दशहरे से ही जाल मिट्टी से और फिर गोबर से चौतरे और दीवारें लीपने-पोतने जगती थीं। सफेद मिट्टी लेने शुरूखदान उनके साथ मैं भी जाया करता था। आँगन में गोबर के 'गोबद्ध'न देव' थाएं जाते, और अन्नकूट की पूजा होती। कार्तिक का नहान भी कभी भूलने का नहीं। मोहल्लेमर की स्त्रियाँ तरों की छाँह में ही तालाबों पर नहाने चढ़ी जाती थीं। 'दहीरा लैके आजाऊँ गी बड़े भोर' आदि उनके कार्तिक-नहान के गीत बड़े अुत्ति-मधुर होते थे। कई स्थानों पर रासजीवा भी होती थी। पूरा कार्तिक मास

दत्तात्रेय और उग्रसव में बीतता था। महाराजानित के दिन, सिंधारी नदी पर, वहे अहंकार के हम लोग पर्वस्नाम करने जाते थे। मैरी बानी संकानित पर बाणा मकार के पक्षाल बनाया करती थी। आशाह में औरतें गाँव के बाहर, देवी-देवतों के मंदिरों के आसपास, गक्कियाँ (बाटियाँ) खाने जातीं। साहौं (पके आम) वहाँ खूब चूसने को मिलती थीं। साथम की कज़ियों की सवारी भी धूमधाम से लिकलती थी। कृष्ण-जन्माष्टमी की झड़की हमारे घर पर सजाई जाती थी। गान्ध-वाय के साथ सात-आठ दिन हम लोग नन्दोत्सव मनाते थे। सुके याद हैं कि एक ऐसे ही उग्रसव पर मेरे डदार हृदय नाना ने भक्ति-विद्धुत होकर घर का बहुत सारा चाँदी का जेवर कीलन करनेवालों को दे दिया था। फिर राम-लीला के दिन आजाते। महीनों से मैं रामलीला की बाट जोहता था। 'जल-विहार' का मेज़ा वो हमारे यहाँ का दूर-दूरतक प्रसिद्ध था। मोहर्म भी खूब धूमधाम से मनाया जाता था। हमारे छतरपुर के ताज़िये मकाहूर थे, और अब भी हैं। ऊँकासिंह का अवरक्ष का ताज़िया कितना कला-पूर्ण बनता था! हिन्दू-मुसलमान के बीच तकावट का तथ काई सवाल ही नहीं था, और आब भी उधर यह छहर नहीं पहुँच पाया। एक-मूसरे के त्योहारों में हिन्दू और मुसलमान बड़े प्रेम से हिस्सा लेते थे। ताज़ियों के में मैं हम छोटे-छोटे बहे रेवियाँ और मसाला खाती रहते थे।

यह मेरे जन्मस्थान छतरपुर की बाब-कहानी है। छतरपुर बुन्देल-खण्ड की एक छोटी-सी रियासत थी। वहाँ, संवत् १९५२ की राम-महीने के दिन, एक शारीर बाहार-कुक्क में मेरा जन्म हुआ। उह या साल महीने का था कि पिता का स्वर्गासास होगया। बाबत-यात्रा मेरे

नाना पंडित अच्छेलाल तिवारी ने किया। मुझपर वह बहुत स्नेह करते थे। स्वभाव के कोई थे, पर जहाँतक मुझे याद पढ़ता है, मुझपर मेरे नाना कभी नाराज़ नहीं हुए। घर की स्थिति हमारी बहुत साधारण-सी थी, पर उनके वास्तव्य-स्नेह के कारण मुझे कभी किसी अभाव का अनुभव नहीं हुआ। मेरा बाल्यकाल सुख में ही बीता।

नाना को राज्य से १५) मासिक पेंशन मिलती थी। और, घर की कुल यही आय था। नाना अच्छे गुणी थे। सितार बड़ा बड़िया बजाते थे। सङ्गीतज्ञ भी डैंसे दरजे के थे। मुझे याद है, जब उन्होंने कदकते के मशहूर पखाचज्जी भृगुनाथ वर्मा को राज-दरबार में परास्त किया था। सितार पर तीन-चार गते, जब मैं नौ-दस बरस का था, मुझे भी सिखाई थीं। पर मेरा मन उसमें लगा नहीं। मेरे मामा पंडित भगवानदास तिवारी ने अच्छबत्ता उनसे सितार बजाना अच्छी तरह सीखा था। अन्यास मामाजी का हधर लूटा हुआ है, किर भी खासा बजा लेते हैं। जवानी के दिनों मे कुश्ती भी मेरे नाना अच्छी लड़ते थे। अपने ज़माने के कई नार्मी-गरामी पहलवानों को उन्होंने पछाड़ा था। बन्दूक और तख्तबार चलाने का भी उन्हे शौक था।। झाँसी में महारानी ज़मीबाई का अद्भुत पराक्रम उन्होंने अपनी आँखों देखा था। पढ़े-लिखे सुन बहुत मामूली थे, पर मुझे उन्होंने बड़े प्रेम से पढ़ाया।

पंडित अच्छेलाल तिवारी स्वभाव के काफ़ी क्रोधी थे, पर हृदय उनका बालकों के जैसा सरल व मधुर था। बड़े दयालु थे। किसीका हु-न्ह देख नहीं सकते थे। सूर तथा तुलसी के पढ़ों को गाते-गाते भक्ति-गद्गद हो जाते थे। मोहल्ले भर की बड़-बेटियों उनसे भय खाती थीं,

उनकी जान मानती थीं ।

मेरी नानों भी मुझे खूब प्यार करती थीं । मेरे लिए न जाने क्या-क्या खाने-पीने की चीज़ों सेत-सेतकर रखती थीं । हाट-बाज़ार और गाय-भैंस की ग्वासनी (दोरों की सेवा) प्रायः वेही करती थीं । बेचारी सबकी सुन लेनी थीं । सबको राज़ी रखती थीं । पर अधिकतर वह दुखी हो रहीं । दुश्में के दिन उनके काफ़ी कलेश में कटे । अंत में नाथी भी हो गई थीं । मैं उनको कुछ भी सेवा न कर सका—आर्थिक स्थिरता भी न पहुँचा सका, इसका सदा पछतावा ही रहा । मौं हमेशा जरे साथ नो रहीं, पर उनसे मेरा उतना लगाव नहीं रहा, जितना कि नानी के साथ ।

बाल्यकाल में घर की गारीबी जो मुझे खली नहीं इसका मुख्य कारण नाना और नानी का भेरे ऊपर आर्थिक लाड-प्यार ही था । बचपन में सुनहरे पंख लगाकर उड़ा, फोपड़ी में मैंने महल पाया, आगे की कल्पना-भूमि पर एक सुन्दर बुनियाद भी रखी—यह सब हन्हीं दोनों गुहजनों की बढ़ौखित । तीर्थ-स्वरूप वे दिवंगत् आत्माएँ मेरी सुरक्षा सृष्टि-अद्वांजिति स्वीकार करें ।

: २ :

मेरा जन्म-भूमि

मेरा जन्म स्थान छतरपुर-बुन्देलखण्ड का, एक छोटा सा ग्राम है। जन-संख्या उसकी कोई बारह हजार होगी। पर मेरी दृष्टि में तब मेरा छतरपुर किसी भी नगर से छोटा नहीं था। सचमुच मेरे लिए तो वह बहुत बड़ा नगर था। बड़ा सुन्दर था, बड़ा सुखद था। छतरपुर पर मुझे गर्व था। हरी-भरी पहाड़ियाँ, छोटी-सी हमारी सिंधाही नदी, दो सीन आनंद तालाब, टेकरियाँ पह श्री जानराय और हनुमानजी के मंदिर मेरे लिए वे सब कितने आनन्दप्रद और कितने आकर्षक थे! चौक बाजार और शानदार राजमहल के भव्य चित्र तो हमेशा मेरी आँखों के सामने रहते थे। बुन्देलखण्ड-वे सरी महाराजा छत्रसालने हस्त सुन्दर ऐतिहासिक नगर को बसाया था। बीच बाजार में छत्रसाली झंडा वहाँ फहराया करता था।

बुन्देलखण्ड मध्यभारत का बड़ा सुन्दर भू-भाग है। इस प्रदेश का प्राचीन धर्म मध्यकालीन ऐतिहास खासा समृद्ध है। इसके प्राचीन नाम 'दशार्य' और 'जेजाकभुक्ति' हैं। वाल्मीकि ने रामायण में और कालिदास ने 'मेषदूत' में इस पुराय प्रदेश के मनोज चित्र अंकित किये

हैं। विन्ध्यभूमि की लावण्यमयी बनधो देखते ही बनता है। छोटी-छोटी हरी-भरी पहाड़ियाँ, काली चटानों के साथ स्वेच्छती हुई चंचल केनिक नदियाँ, कई ऊँचे-ऊँचे प्रपात और सुन्दर मरने, सैकड़ों स्वच्छ मरोवर और सघन बन-समूह किस प्रकृति-प्रेमी को सुख न कर लेंगे। सबसुच बेतवा और केन के अंचलों पर के मनोरम दर्शनों को एक बार जिसने देख लिया, वह कभी उन्हें भूजने का नहीं। चित्रकूट का प्राकृत चित्राङ्कण भला कौन चित्त से उतारना चाहेगा? खजुराहे के कला-रूप मन्दिरों पर कौन यात्री मोहित न हो जायेगा? चन्देलों के समय की वास्तुकला के ये अद्भुत नमूने हैं। देवगढ़ की मूर्ति-निर्माण कला भी आश्चर्यकारक है।

भारत के इस भव्य भू-भाग पर बहुत कम, विश्विक लगण्य-सा शाश्वत हुआ है। विन्ध्य भूमि की न जाने कितनी अद्भुत शिळाएँ अन्वकार में जहाँ-तहाँ दबो पड़ी हैं। उनकी भालू-जिपि कौन सो पढ़े, आर कौन उनका रहस्यपूर्ण अर्थ लगाने का कष्ट उठाये। इस विराट कार्य के लिए एक नहीं, अनेक बृन्दावनलाल वर्मा चाहिए। मेरे मित्र पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी की प्रेरणा से निःसंदेह कुछ सांस्कृतिक चर्चा का सूक्ष्मपात दुआ, पर वह समूद्र में बूँद के समान रहा।

प्रकाश में आये था न आये, यह सब अतीत की संपदा है। किन्तु इस प्रदेश का वर्तमान भी अब कुछ-कुछ प्रकाश में आ चला है।

कलतक तो प्रायः सभी दृष्टियों से यह प्रदेश भारत का एक बोर अँधेरा कोना था। पहले तो हन्दीर, भूपाल, रतलाम, मादुआ आदि पौच-सात राज्य ही अखंडार पद्मेवालों की राहि में मध्यभारत के

देशी राज्य माने जाते थे। बुन्देलखण्ड के इन अभागी राज्यों की ओर तो देश का ध्यान जाता ही नहीं था। वहाँ का चित्र बहुत कुसित और बीमास रहा है। सारी शोभा और वास्तुकला को इस काले चित्र ने अपनी कुरुपता में ढक-सा लिया था।

दुर्मिय से इस अधेरे कोने की ओर कभी कोई झाँकने भी नहीं जाता था। कोई भूला-भट्ठा यात्री इधर कभी पहुँचा भी, तो उसने या तो खुशुराहे या देवगढ़ की स्थापन्य-कला का कुछ साधारण-सा बर्णन लिख डाला, या बेतवा, केन और धनान के सुन्दर दरशों पर एकाध कविता या लेख लिख दिया। बहुत हुआ तो वहनोंचब या साहित्य-समारोह मनाने की कोई सुन्दर-सी योजना बना डाली। किन्तु प्रजा जहाँ आत्याचारों के नीचे तुरी तरह पिस रही हो, कल्प-कन्यकर भूत्वा मर रही हो, जीवन जागरण का जहाँ कोई चिछ भी न दिखाई देता हो, वहाँ सुनें तो ये सारी साहित्यिक और सांकृतिक योजनाएँ असामर्यिक और अनावश्यक-सी मालूम देती थीं।

बुन्देलखण्ड पूर्व बंधेलखण्ड के रजवाडों की कहानी बड़ी कहुणामरी रही है। युग-काल की प्रगति में विनष्टप्रदेश आव भी प्रायः पीछे ही है। सौ वरस पइने पेसी जागृति या स्वातंत्र्य-भावना नहीं थी यह सही है, मगर प्रजा में तब समृद्धि और शक्ति थी। फिर तो जैसे वहाँ कुछ भी नहीं रहा—न कोई आकांक्षा, न आशा। अस्थि-कंकालों के मीलर प्राण-उपोतिभर टिमटिमा रही थी। प्रजा को अपनी वर्तमान स्थिति में ही कूठा संतोष मानने का आदी बना दिया गया था। सामान्य खोग हृतने भाग्यवादी और हतने जड़ हो गये कि उन्हें अपनी गिरावट या

दासता की वाद भी नहीं आती थी ।

आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत गिर गई । मैंने वहाँ न कहीं कोई उच्चम देखा न उशोग । शिशु की दिशा में भी घोर अन्धकार । काल चक्के, कुसंस्कार और मृद विश्वास जह पकड़ गये । पुरुषार्थ सारा लुप्त हो ग । । आगे बढ़ने-बढ़ाने का न कोई साधन रहा, न अवसर ।

प्रजा का इन्ह-शोषण बहुत चुरी तरह किया गया । राजाओं को रिआया के मुख्य दुःख की इत्तीभर पर्वी नहीं थी । राज्य के कोष को ये अपनी मंरपति मानते थे । विजासिता में आकंठ-मरन । इनके नारकीय जीवन की घिनींनी कहानियाँ हैं । इनके अत्याचारों को सुन-सुनकर हृदय कौप डंडेगा । दिनदहाडे वहाँ लृट होती थी । खून्तक कर दिये जाते थे । प्रजा की बहु बेटियों की लाज सुरक्षित नहीं थी । मनुष्य की जान का मूल्य चालांस-पचास रुपये से ऊपर नहीं लगाया जाता था । शिकार में जब कोई हाँके का आदमी शेर के पंजों से, या गलती से बंदूक चल जाने पर, मौत के मुँह में चला जाता, तो उसकी औरत या माँ को चालीस-पचास रुपये बतौर इनाम के दे दिये जाने थे । ऐसी शटनाओं को मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था ।

एक राज्य का एक जुलम तो मैं आज भी नहीं भूला हूँ । एक मेहतर का लड़का अपने रिशेदार की माहकिल पर राजमहल के सामने से जा रहा था । इस बेघदी पर उसकी साहकिल झटक करली गई, ऊपर से उस उहरह लड़के पर जूते भी पहे ! महल के सामने से कोई छाता लोखकर नहीं जा सकता था ! नंगे सिर निकलना भी किसी-किसी राज्य में जुर्म माना जाता था ! यह बात तो कल्पना से परे थी कि राजा या

राजकुल का कोई भा व्यक्ति अथवा कोई ऊँचा अधिकारी ही आपके मकान के सामने से जा रहा हो, और आप कुसीं या चारपाईं पर बैठे रहें, और उठकर उसे अद्व से मुजरा न करें।

राजा, रानी या राजमाता के स्वर्गारोहण पर प्रजा को सूतक में शामिल होना पड़ता था, मूँछे मुँडानी पढ़ती थीं ! और मूढ़ प्रजा ऐसे-ऐसे अपमानों को अपना धर्म समझती थीं ! भोखी-भाली प्रजा ही नहीं, स्वयं राजा भी अपने-अपनों 'नहों में नारायण' मानता था ! कविजन उसका यशोगान करते, खुशामदी सरदारों से वह द्वेषा विरा रहता, और प्रजा हाथ जोड़-जोड़कर उसकी स्तुति किया करती थी !

ब्रिटिश-छत्रछाया के नामे राजा चालाक या कूट-नीतिज्ञ अधिक हो गया था। बचपन से ही अँग्रेजों के सम्पर्क में रहकर वह काफ़ी धूरता सीख गया। अँग्रेजों के दुरुर्योग तो उसने अनेक ले लिये थे, गुण उनका एक भी नहीं। वह स्वयं अच्छा शिक्षित था, पर अपनी प्रजा को विश्वकूल निरस्त रखना चाहता था—उसे भय था कि रिक्षाया शिक्षत हो जाने से किसी दिन विद्रोही भी बन सकती है। ब्रिटिश भारत का कोई छोटा-मोटा नेता या पत्रकार—जिससे वह काफ़ी भयभीत रहता—जब वहाँ पहुँच जाता, तो उससे वह बही धूरता से बात करता था। देश-भक्ति का भी स्वीक भरता, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के प्रति अद्वा भी प्रकट करता—प्रजा की खातिर अपना राज-सिहासनतक छोड़ने को तैयार हो जाता था ! बेचारा आगम्नुक डसके दब उद्गारों पर मन्त्र-मुर्ख-सा हो जाता था। पर उसके पीठ फेरते ही वह धूर्त फिर अपने असली रूप में आ जाता। पीठ-पीछे देश के

बड़े-बड़े नेताओं की खिलच्छी उड़ाता, उन्हें तुरी-से-तुरी गालियाँ देता था। राष्ट्र-पताका से वह चूया करता, और खादी पहननेवालों को सदा सम्मेह की दृष्टि से देखता था।

कभी-कभी प्रजा के कुछ जाग ढाने व उड़े होजाने के परिणामस्वरूप किसी-किसी राज्य में मामूली-से कुछ सुधारों की घोषणाएँ भी सुनने में आती थीं, पर उन घोषणाओं का असल में कुछ भी मूल्य नहीं था। अखबार पढ़नेवाले खोखे में आ जाते थे। असल में, ये जांग स्वेच्छा से अपना एक भी अधिकार होने को तैयार नहीं थे। 'यावद्वन्द्व दिवाकरों' ये अपनी सत्ता को अप्पुण्य बनाये रखना चाहते थे। और, प्रजा में उसे छीन लेने की ताकत नहीं थी। साधारण प्रजा ने तो अपना यह सूत्र बना रखा था—“पहाड़ से सिर मारोगे तो तुम्हारा ही सिर फ़टेगा, पहाड़ का क्या बिगड़ना है?” कुछ वर्ष पहले पहोल के अंग्रेजी हजाके से कुछ प्रेरणा पाकर छतरपुर की रिश्वाया ने झरा-सा सिर उठाया। पुलिस और फौज की मदद से फौरन उन राज-विद्रोहियों को दबा दिया गया। कुछ आदमी गोली से भी उड़ा दिये गये। अखबारों में इस हरयाकाराड के बारे में एक शब्द भी नहीं आया। कहं साड़ बाद मुझे इसका पता चला। बाहर खबर भेजने की किसीको हिम्मत भी नहीं पड़ी।

ऐसे-ऐसे अत्याचार तो प्रायः सभी देशी राज्यों में होते थे। फिर तुम्हेल्लालह के ही राज्य क्यों कसूरवार ठहराये जायें? ठीक है। पर

भग्न राज्यों की प्रजा की कुछ-न-कुछ आवाज़ बाहर तो पहुँच जाती थी। वहाँ का काला पक्ष कम-से-कम दुनिया के सामने तो आ जाता था। बूसेरे राज्यों के जुलमों की कहानियाँ भी मैंने काफी सुनी हैं। पर उन्देश-खण्ड और बवेक्खण्ड की रियास्तों के काले कारनामे और जुलम तो सचमुच बड़े भयंकर थे। वहाँ शासन के नाम पर क्या क्या नहीं होता था !

अंग्रेजी सार्वभौम सत्ता को हर तरह से प्रसङ्ग रखकर ये प्रजा-पीड़क नरेश अपने को पूर्णतया सुरक्षित समझते थे। अंग्रेजों को रिमाने के हृनके क्या-क्या तरीके थे, इसका एक डदाहरण यहाँ देता हूँ। एक राज्य में श्रीबाँकेविहारीजी का एक प्रसिद्ध मन्दिर था। पोलिटिकल प्रजेष्ट मि० प्रिचर्ड के ग्रीस्यर्थ उस मन्दिर का नया नाम-संस्कार किया गया—नया नाम उसका “श्रीप्रिचर्ड-चिहारी टेम्पल” रखा गया। और एक दूसरा नरेश नित्य प्रातःकाल पुष्पांजलि लेकर बड़ी श्रद्धा-भक्ति से पोलिटिकल प्रजेष्ट के कोटों की बन्दना और स्तुति किया करता था !

इन राज्यों की ऐतिहासिक कीर्ति चाहं जो रही हो, पर बाद का तो हृनका यह धृषित चित्र था ! किन्तु शोक ! हृनकी मरणिका विदेशी प्रभु-सत्ता भारतसे सदा के लिए उठ गई, और ये प्रजा-पीड़क नरेश आश्चर्य से उठाकरे रह गये ! जौहपुरुष सरदार पटेल हृन्हें पापड़ की तरह चबा गया। देखते-देखते सारा दश्य बदल गया। अब हस प्रदेश के भी अच्छे दिन आ गये हैं। यह आशा करनी बहुर्थ थी, बल्कि दिवास्वप्न था, कि ये राजे महाराजे कभी प्रजा के ‘टस्टी’ बनकर रहेंगे। हृनका हृदय कभी पखट नहीं सकता था।

चौदह-पन्द्रह वर्ष की अवस्थातक तो मुझे अपने जन्म-स्थान की दुरबस्था का कभी भान भी नहीं हुआ—वहाँ के कहाँ और अभावों का कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मेरे लिए भी सब की तरह वहाँ का सद-कुछ सुन्दर और सुखद ही था। वह छोटी-सी नगरों डन दिनों मेरी इह में सचमुच अलका या अमरपुरी थी। असन्तोष या विराग होने का तबतक काहँ कारण ही न था। किन्तु दुर्भाग्य या सद-भाग्य से कुछ समझ आने पर वह स्वर्ग-सुख धीरे-धीरे चुम्बने-सा लगा। थोड़ी-थोड़ी जागृति आने पर बचपन के सुनहरे पंख मेरे एक-एककर फड़ने लगे। उड़ास के हिडोले की रस्सियाँ टूट गईं। मैं अब तड़फड़ा रहा था।

: ३ :

नरक कहूँ या स्वर्ग ?

हमारे घर के पिछवाडे कालियों का मोहल्ला था । ये लोग या तो आग भाजी उपजाते और बेचते थे, या हेठ-दो आने सोझ की मेहनत-मजूरी कर लेते थे । औरतों को पृक आना सोझ मिलता था । सब मोटा-मोटा खाते, और चीथड़े पहनते थे । बरतनों के नाम काली हंडिया, काठ की कलंडी और मिट्टी का तवा । फिर भी अपने रंग में मस्त रहते थे । रात के पिछले पहर गीत के साथ इनकी झोपड़ियों में जाँतों का सुर बड़ा सुहावना लगता था । अथाह्यों पर आधी-आधी रातक हमारे ये शरीर पकोसी सरंगी और डफली के स्वर-ताल में बहे प्रेम से गाते थे । औरतें उधर तबतक रोटी तैयार कर लेती थीं । दयाह-शादियों में इनकी स्त्रियाँ खूब चूम-चूमकर नाचती थीं । और फाल के दिनों में इनके रंगीले जुलूस निकलते थे । कोई बीमार पह जाता या मोहल्ले पर कोई और आफत आ जाती, तो इनकी 'जाओ' लगती थी । गाते-गाते किसी भगत के सिर मैंरों बाया आ जाते थे, तो किसी-के सिर काली माहूँ । किसीको वह शाप दे डालते थे और किसीको बर-द्वान ! आतंक से सन्नाटा छा जाता था ।

नवरात्रि में, या जब गाँव में माता का प्रकोप फैलता रह, सारी रात ये लोग महामार्ह के 'हो माँ' या भजन गाते थे। बचपन में मुझे उनका यह भजन बड़ा प्रिय लगता था—

दिन की उबन, करन की बेरा,
सुरहिन बन कों जाय हो माँ;
इक बन नाँध दुजे बन पहुँची,
तीजं सिध दहाड़ो हो माँ।

भगत लोग नवरात्रि में घधकते हुए अंगारों का स्थाप्तर लेकर जबारों के जूलूम में निकलते थे; और उनके गालों में जोहे की लाम्बी-लाम्बी सोग छिद्री होती थीं।

काढ़ा, कुर्मा, नाई, ड वर और कुम्हार का आर्थिक तथा सामाजिक नियति में कोई स्वास अन्तर नहीं था। सबसे बुरा हालत तो वहाँ चमारों और बयारों की थी, और आज भी है। इनके माथ लोगों का बताव जानवरों में भी बुरा था। लोग इनमें गलियों और जूतों में बात करते थे। पर जहोतक गरीबी का प्रश्न है, नानो (छांटी) जात के कहे जानेवाले लोग लगभग सभी एकसमान थे। बहुत-से बाह्यण और डाकुर भी भूखों मरते थे। यह तो राजधानी की हालत थी। देहात की प्रजा का हाल तो और भी बुरा था। आज भी लोग उधर अधिकतर कोदो, कॉकन, सामा और कुटकी की रोटी खाते हैं। एक और मोटा धान्य 'बसारा' या 'लठारा' नाम का इन इलाकों में पैदा होता है, जो धास की कोटि में आता है। इसकी रोटी खाने से मज्ज इतना सज्जत उत्तरता है कि कभी-कभी मज्ज के साथ लूनतक आ जाता है।

चौमासे मे घास-पात तोड़-तोड़कर उसका साग डबाल लेते हैं; नहीं तो नमक की छली और खाक मिर्च तो है ही। दाल का दर्शन तो अमावस्या-पूर्णों को ही होता है। और यह काषी-कलूटी मोटी रोटियाँ भी बारहों मास नहीं मिलती। दो-तीन मास तो ये लोग महुए और गुब्बैंडे (महुए के फल) खा-खाकर काट देते हैं। दूधरी (महुए की जपरी) और मुरका (भुने महुए और तिल) की गणना वहाँ के स्वादिष्ट ब्यंजनों में की जाती है। कहा भी है—

महुआ मेवा, बेर कलेवा,

गुलगुच बड़ी मिठाई।

गुलेंद का एक नाम 'गुलगुच' भी है। विरचुन (गुठलो-सहित जंगली बेरों का चूरन) को पानी में धोल-धोलकर नमक के साथ गमियों में बहे स्वाद से खाते हैं। विरचुन यहाँ मत्तू का काम देता है। त लाल के पास गाँव हुआ तो वहाँ के अधिकाश लोग कसेह-और मुरार (कमल की जड़) पर दो-तीन महीने गुज़ार देते हैं। जड़ों की रोटियाँ भी पका लेते हैं। बचपन में इन स्वादिष्ट ब्यंजनों का मैने भी कितनी ही बार रसास्वादन किया था।

गेहूँ की राटी इन शरीओं को कहाँ नसीब होती है। मुझे याद है कि पृथक बुदिया काल्पिन अपने बीमार नाती के लिए हमारे घर से जौ के आंटे के दो फुलके और आम का अचार मेरी नानी से माँगकर ले गई थी। बीमार बच्चे का वह पथ्य था। और इस पथ्य से, वह कहती थी, उसके नन्हे की तिजारी चली गई थी। कैसा दूध, और कैसे फल! कुनैन का तो काम देता है वहाँ नीम की छाल का काढ़ा,

और मट्टा और जीं-चने की रोटी या कुदर्द (कोटो का चावल) को समझ लीजिए, आप उनका दूध और फल। अब आज जब आहार-विज्ञान पर माहित्य पढ़ा और सुना, तो देखता हूँ कि यह शास्त्र तो उनके लिए है, जिन्हें जरूरत में ज्यादा आहार मिलता है, और जो उसे पचा नहीं सकते। बेशक, वह बैठे-बैठे विश्लेषण किया करे कि उनके उद्दर में क्या-क्या विटेमिन पहुँच रहे हैं, या पहुँचने चाहिएं !

पथ्य के मिलामिले में ऊपर मैंने मट्टे का नाम लिया है। मट्टे में मनलब भेरा मफेद खड़े पानी में है। चार-पाँच दिन के जमा किये हुए दो-तीन मेर दही की छाल में एक मटका पानी मिलाकर मट्टा तैयार किया जाता है। मोहल्लेभर की औरतें उस मट्टे को माँग-माँगकर ले जाती हैं। गाय उधर की पाव-आध सेर दूध देती है, और ऐसे तीन पाव से सेर-मवा संस्तक। घर में लोग दूध-धी नहीं खाने। धी जमा करने जाते हैं और मस्ते भाव बेच देते हैं। यह पशु-धन भी विश्वे भास्यवानों के ही घरों में मिलेगा।

मैंने एक दिन दिल्ली के अपने एक राष्ट्रकर्मी मित्र को उधर की इस गरीबी का वर्णन सुनाया, तो उन्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं हुआ। बोले—“यह तो आपकी अत्युक्ति है। मैं भी तो गाँव में रहता हूँ। मैं भी गाँवों में ‘जाट-रोटी’ और छाल पर गुज़र करता हूँ।”

“ठीक है,” मैंने कहा, “पर आपकी ‘जाट-रोटी’ और हमारी कोटो-बमारा की रोटी में, भाई साहब, बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ तो जनाव, आपकी गेहूँ-चने या बाजरे की स्वादिष्ट धी-चुपड़ी रोटी, और कहाँ हमारा काने डपले के मानिन्द मिही के जैसा भुरभुरा कोटो और

कसारा का लिल्लुड निस्सत्त्व रोट ! हमारे यहाँ ज्वार की रोटी वहे संचाद से अच्छे-अच्छे घरों के लोग खाते हैं; आपके गाँवों में वही ज्वार जीमरों को लिखाया जाता है। आपके गाँव तो स्वर्ग हैं स्वर्ग ! फिर, आपकी वह बादिया भीठी छाड़—वह तक जो शक्ति को भी दुर्बन है, और कहाँ हमारा वह सफेद लहड़ा पानी ! सो मैंने उपने वर्षांमें जरा भी अत्युक्ति से काम नहीं किया ।”

फिर भी उनकी मुख-सुद्रा से मालूम होता था कि मेरी बात पर शायद वह विश्वास नहीं कर रहे हैं। काश, सुद जाकर अपनी आँखों से मेरे आम-सेवक मित्र ने एक बार मेरे अभागे प्रांत की हृदय-विदारक दशा देखली होती ।

मगर मेरा जन्म जिस वर्ग में हुआ उसके लेखे मेरा खाना-पीना बुरा नहीं था। हम लोग वहाँ मध्यम वर्ग के कहे जाते थे। हस वर्ग के लोगों की संख्या ३० प्रतिशत से ऊपर नहीं है। हमारी वहाँ प्रतिष्ठित घरों में गिनती की जाती थी। मेरे घर में एक-दो गायें थीं, और शायद एक भैंस भी। राज्य से एक टट्टू भी नामा को प्रदान किया गया था। बाद को एक पुराना हृका भी उन्हें बख्शा गया था । अपने बुद्धे नन्हे खाँ साईंस की मुझे खूब याद है। नई-नई कहानियाँ हमारे नन्हे भियाँ मुझे रोज़ सुनाया करते थे ।

खाना मुझे घर के और लोगों से अच्छा मिलता था, क्योंकि मुझ पर सभी का खाइ-प्यार था। जावों में रात की बासी रोटियाँ खाकर स्कूल जाता था। बारह बजे से पहले उच्चर रोटी बनाने का रिवाज़ नहीं है। रोटियाँ चुपड़ी हुई होती थीं—धी से, जावों में प्रायः लेख से, और

गर्भियों में कमी-कमी पानी से बासी रोटियाँ चुपड़ खेल था । साग-तरकारी वो हमारे यहाँ कमी-कमी ही बनती थी । बाज रोज़ । कुदरे या कुटकी के चावल अकसर बनते थे । दूध भी पाव आव चाव मिल जाता था । कमी-कमी पैसे-दो पैसे की मिठाई भी मेरी बानी का देसी थीं ।

कपड़े-बत्ते भी मैंने कुछ खरे नहीं पहने । साल में दो या तीन छोलियाँ फालता था, और शायद इतने ही कुरते । बाद पहला है कि सन् १९११ में जब मुझे हैडमास्टर साहब के आदेश से अन्य विद्यार्थियों के साथ मदु'मशुमारी का काम करना पड़ा था, बद गले का एक काला कोट भी मेरे नाना ने सिलवा दिया था । कोट, बस, बही एक पहना । एक पजामा भी तभी बनवाया था । मदु'मशुमारी का मुशी जो बनना था । पहले काली टोपी पहनता था । बाद को साफा बाँधने लगा । जालों में रुईभरी छ्रीट की फतुही पहनता था । परिवार के दूसरे जोगों को इतने सारे कपड़े कहाँ मिलते थे ।

मध्यम वर्ग के जोगों को भी मुरिकल से साल में एक खोली-जोहा नसीब होता है । स्त्रियाँ बीसियों पैदव लगी खोती पहनती हैं । ऊँकियों के शिरचण कम में सीना पिरोना और बेल-बूटों का काइना आज अनिवार्य कर दिया गया है । पर ऐसी हजारों-जालों स्त्रियों को आप किस प्रकार की लखित कला की शिक्षा देंगे, जिनके शरीर पर फालत् तो क्या, झ़रूरी कपड़े भी नहीं ?

और बहुत बड़ी सल्ला तो उन ग्राम-वासियों की है, जिनका सारः-जीवन चीथड़ों में ही कटता है, जो बारहों मास खगभग जल ही रहते हैं । बहुत-से तो सर्दी की खामी-खामी हृषकम्प रातें उपचाल में धुसकर

बसारा का विलक्षण निस्सत्त्व रोट ! हमारे यहाँ ज्वार की रोटी वहे स्वाद से अच्छे-अच्छे घरों के लोग खाते हैं; आपके गाँवों में वही ज्वार डॉगरों को खिलाया जाता है। आपके गाँव तो स्वर्ग हैं स्वर्ग ! फिर, आपकी वह बदिया भीठी छाढ़—वह तक जो शक को भी दुर्लभ है, और कहाँ हमारा वह सफेद खट्टा पानी ! सो मैंने अपने बांस में जरा भी अत्युक्ति से काम नहीं किया ॥”

फिर भी उनकी मुख-मुद्रा से मालूम होता था कि मेरी बात पर शायद वह विश्वास नहीं कर रहे हैं। काश, मुद जाकर आपनी आँखों से मेरे ग्राम-सेवक मित्र ने एक बार मेरे अभागे प्रांत की हृदय-विदारक दशा देखती होती ।

मगर मेरा जन्म जिस वर्ग में हुआ उसके लेखे मेरा खाना-पीना बुरा नहीं था। हम लोग वहाँ मध्यम वर्ग के कहे जाते थे। इस वर्ग के लोगों की संख्या ३० प्रतिशत से ऊपर नहीं है। हमारी वहाँ प्रतिपिठित घरों में गिलती की जाती थी। मेरे घर में पृक-दो गायें थीं, और शायद एक भैंस भी। राज्य से एक टट्टा भी नाना को प्रदान किया गया था। बाद को एक पुराना हक्का भी उन्हें बख्शा गया था। अपने बुद्धे नन्हूं खाँ साईंस की मुझे खूब चाद है। नई-नई कहानियाँ हमारे नन्हूं मिर्याँ मुझे रोज़ सुनाया करते थे ।

खाना मुझे घर के और लोगों से अच्छा मिलता था, क्योंकि मुझ पर सभी का लाल-प्यार था। जाड़ों में रात की बासी रोटियाँ खाकर स्कूल आता था। बारह बजे से पहले उधर रोटी बनाने का रिवाज नहीं है। रोटियाँ चुपड़ी हुई होती थीं—घो से, जाड़ों में प्रायः तेज़ से, और

गार्मियों में कमी-कमी पानी से बासी रोटियाँ चुपक खेल था। साग-तरकारी तो हमारे यहाँ कमी-कमी ही बनती थी। दाढ़ रोज़। कुदर्ह या कुटकी के चावल अकसर बनते थे। दूध भी पाव-आव पाव मिल जाता था। कमी-कमी पैसे-दो पैसे की मिठाई भी मेरी नानी बा देती थीं।

कपड़े-जैसे भी मैंने कुछ बुरे नहीं पहने। साल में दो या तीन खोतियाँ फाड़ता था, और शायद इतने ही कुरते। बाद पढ़ता है कि सन् १९११ में जब मुझे हैंडमास्टर साहब के आदेश से अन्य विद्यार्थियों के माथ मट्टुमशुमारी का काम करना पड़ा था, बंद गले का एक काला कोट भी मेरे नाना ने सिलवा दिया था। कोट, बस, वही एक पहना। एक पजामा भी तभी बनवाया था। मट्टुमशुमारी का मुंशी जो बनना था। पहले काली टोपी पहनता था। बाद को साफ़ बौखने लगा। जादों में रुईभरी छ्रीट की फतुही पहनता था। परिवार के दूसरे लोगों को इतने सारे कपड़े कहाँ मिलते थे !

मध्यम वर्ग के लोगों को भी मुश्किल से साल में एक धोती-ओढ़ा नसीब होता है। स्त्रियाँ वीसियों पैंवंद लगी धोती पहनती हैं। लड़कियों के शिङ्गा-क्रम में सीना-पिरोना और बेल-बूटों का काढ़ना आज अनिवार्य कर दिया गया है। पर ऐसी हज़ारों-जातों स्त्रियों को आप किस प्रकार की लकित कला की शिला देंगे, जिनके शरीर पर फालत् तो क्या, ज़रूरी कपड़े भी नहीं ?

और बहुत बड़ी संख्या तो उन ग्राम-वासियों की है, जिनका सारा जीवन चीथड़ों में ही कटता है, जो बारहों मास खगभग जल ही रहते हैं। बहुत-से तो सर्दी की झम्बी-झम्बी हड्कम्प रातें पुचात्त में उसकर

या आग के पास करवट बदलते-बदलते काट देते हैं। उनके पास एक-फटी-पुरानी चाकर भी नहीं होती, जिसे रात को अपने कौपते दुए हाथे पर ढाल लें।

ऐसी नगी भूखी जनता, फिर भी, आश्चर्य है, विद्रोह नहीं कर बैठती। ठाकुर लोग ढाके डाल लाते हैं ब्राह्मण भीख माँग खाते हैं, बनिये भी कुट पिटकर कुछ न-कुछ बनिज कर लेते हैं। पर दूसरे लाखों आदमी, जिनकी हड्डियों पर केवल चमड़ा मढ़ा है, किस तरह आस्ति अपना पापी पेट पालें?

ऐसी हड दरजे की दरिड़ता में मुझे जैसा खाने पहनने को मिला उससे असन्तोष या कष्ट होने का कोई कारण नहीं था। मैं नहीं कह सकता कि मेरे बचपन के दिन कसाले में कटे। हँसवर के प्रति कृतज्ञ नहीं बनूँगा। अपने से अधिक साधन-सम्पन्न लड़कों को देखकर मन में ईर्ष्या नहीं होती थी। सौभाग्य से सापेक्षता मेरे लिए दुख और डाह का कारण नहीं बनी। या तो बुद्धि आगे दौड़ती नहीं थी, या फिर मेरे स्वभाव में ही कुछ सन्तोषवृत्ति थी, जिससे बचपन में कोई ऐसी बड़ी आकाशा मन में नहीं डठी। दूसरों के अभाव और कष्ट देखकर भी दुख नहीं होता था। अपनी स्थिति में तो मुझे सन्तोष था ही। घर में चैन की बाँसुरी बजती थी। और राज्य भी हमारा, मेरी इटि में, राम-राज्य था। दुख का अनुभव न होने में मेरा अज्ञान भी बड़ा सहायक हुआ। घर में जब कभी कष्ट होता, तब ज़रूर मैं कुछ खिल्ल-सा होजाता था। लिंग भी लबकपन में मेरा सुख का ही पकड़ा मुका रहा।

हाँ एक-दो लम्बी-लम्बी बीमारियों ने अलवत्ता मुझे बड़ी पीक़

नहीं थी। राजनगर में पेचिश से मैं मरते-मरते बचा था। तब मैं सात-आठ साल का था। जिस दवा से मैं अच्छा हुआ था उसपर मेरी आज भी अद्भुत कायम है। सॉफ, सॉफ और खारक(छुहारा)को दो-दो तोला लेकर आधी कच्ची और आधी तबे पर भून लेते थे। तीनों चीज़ों को पीसकर दो तोला मिथ्री मिलाकर, दिन में कहूँ बार मैं, पानी के साथ, फाका करता। औषधि बड़ी गुणकारक थी और स्वादिष्ट भी।

जबर भी मुझे बचपन में लगातार पाँच महीने आया था। तब मैं कोई ग्यारह बरस का था। जबर जीर्ण पड़ गया था। किसी तरह जाता ही नहीं था। बहुत अशक्त हो गया था। अपने आप उठकर बैठ भी नहीं सकता था। लाला सालिगरामजी ने, जो पेशेवर हड्डीम नहीं थे, मेरा इलाज किया था। दवा का भी पैसा नहीं लेते थे। सचमुच वे पीयूष-पाणि थे। कई दिनों के बाद मूँग की पतली दाल से पथ्य कराया था। पीछे थूली (दलिया) दी थी। बकरी का दूध, छोटी पीपल ढालकर, बाद को दिया था। उन दिनों वहाँ न कोई थर्मामीटर लगाता था, न दिल और फेफड़ों की परीक्षा होती थी। थर्मामीटर का प्रयोग मैंने सुदूर पैंतीस वर्ष की अवस्था के बाद किया। कुनैन भी तभी जीभ पर रखी।

शरीर लोगों की दवा-दारू उन इलाकों में अनादी वैद्य ही अधिक-तर करते हैं, या यो ही बिना दवा के वे अच्छे होजाते हैं। सैकड़ों मर भा जाते हैं। अस्पताल अध्वल तो बहुत कम हैं, दूसरे, इनसे कोई खास लाभ भी नहीं। जो दवाह्याँ दूध और फलों के सेवन पर निर्भर करती हो, उनके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं। यह सब तो बड़े आद-ईमियों के लिए है—दवाह्याँ भी, डॉक्टर भी और छोटी-बड़ी अनेक

प्रकाश की बीमारियाँ भी । सौ बीमारी की बीमारी तो वहाँ हृद दशजे की गाईबी है, मुखमरी है । धन्वन्तरि और लुकमान के पास भी हस्त बीमारी का कोई इलाज नहीं ।

स्वय मैं मन से स्वस्थ था । दूसरों की चिन्ता तब मेरे मन को अस्वस्थ नहीं बना सकी । अज्ञान का पदा उठना ही मेरे हक्क में तुरा हुआ ।

: ४ :

विद्यार्थी-जीवन

पितृ-भूमि मेरी पुरमठ नाम के एक छोटे-से गाँव में थी। उस गाँव में आज भी पूर्वजों का एक कुर्चा है और माफ़ी की कुछ जमीन भी। महुए और आम के कुछ दरक्षत भी हैं। ज़िन्दगी में सिर्फ़ एक बाह में पुरमठ गया हूँ—कोई तीस माला पहले। पूर्वज भेरे कनौजिया दुखे थे। खेती-बाबी किया करते थे। पढ़ा-लिखा उनमें कोई नहीं था। गाँव में मेरा जन्म हुआ होता, तो मैं भी वहाँ आज हल्ला जोतता होता। गाँव के उस तंग घेरे में, अनपढ़ होने के कारण, बहुत-सी फ़फ़टों से तो बच जाता। जो आज हूँ वह न होता, और जो नहीं हूँ वह होता—इन समझावनाओं या सम्भावनाओं पर इर्यां क्यों अपनी कल्पना को दौड़ाऊँ ? भेरे भन में ऐसा अजीब विचार आया ही क्यों ?

भेरे नाना ने मुझे अपनी गान-विद्या नहीं सिखाई। सबर का यह थोड़ा-सा ज्ञान तो सुनते-सुनते होगया। उन्होंने मुझे पढ़ाना उचित समझा। घर पर स्वयं ही मुझे अवश-बोध कराया। फिर मदरसे में नाम लिखा दिया। हमारे छोटे-से शहर में एक हाईस्कूल था, और एक कन्या-पाठशाला। संस्कृत का भीएक विद्यालय था। शिक्षा निःशुल्क थी। पांडेजी की एक 'चटसाल' भी थी। इसमें पुरानी पद्धति की

पक्षाई होती थी। 'ओ नामा सीधम' (ओ३३८ नमः सिद्धम्) से आरम्भ करने के पांडेजी चारों 'पाटियाँ' और 'चन्नायके' (चाणक्य अर्थात् राजनीति के दोहे) समाप्त करा देते थे। पहाड़ों और महाजनी गिसाब-किलाय में भी पक्षा कर देते थे। बनिये-महाजनों के लड़के सब इसी चटसाल में पढ़ते थे। 'पाटियाँ' से अभिग्राय अपनेंश रूप में पंचसन्धियों से था। पांडेजी दृष्ट मुक्तहस्त से देते थे। नाम लिखाते समय लड़के के मां-बाप गुरुजी को दृष्ट-दान का खुद ही पूरा अधिकार दे आते थे। उस दिन से लड़के की चमड़ी और मांस पर वे अपना अधिकार नहीं समझते थे। विद्या की निमापित पर वे अपने लड़के की सिर्फ़ हड्डियाँ वापस चाहते थे—“हाड़-हाड़ हमारे; मांस-मांस तुम्हारा !”

नौगाँव के एटूनमेण्ट छतरपुर में फिर से आजाने से राज्य में अब एक हाईस्कूल और बढ़ गया है। खास छतरपुर का हाईस्कूल अब इटर कालेज कर दिया गया है। राजनगर कस्बे में शायद एक मिडिल स्कूल भी है। कुछ ग्राम-राठशालाएँ भी हैं। लेकिन जिय राज्य की जन-संख्या पाने दो लाख के लगभग हो, और जेवरफल ११३० वर्गमील, उसमें ४ प्रतिशत से भी कम मान्दरता का होना दुःख और लज्जा की ही बात है। पर यह दुःख दशा तो बुन्देलखण्ड के प्रायः सभी रजाहों की संख्या कुछ अधिक नहीं मिलेगी।

हमारे हाईस्कूल के हेडमास्टर रायसाहब मुंशी सोहनलाल थे। पक्षा रंग, बड़ी-बड़ी मूँछ, बगले के पंख के जैसा चन्द्र गले का लम्बा कोट, चूबीदार पजामा और सिर पर काली टोपी, हाथ में चांदी की मूठ की

बहुती । मिजाज के बड़े तेज थे । अनुशासन उनका बड़ा सलत था । स्कूल में किसीने कभी उनको हँसते नहीं देखा । लड़कों और मास्टरों पर उनका बड़ा रौब था । जिस कूआस के पास से निकल जाते, सज्जाटा ढां जाता । छठे दरजे के सालाना इम्तिहान में अपने एक साथी को मैं गणित का एक सवाल, मास्टर को नज़र बचाकर, लिखा रहा था । उन्होने मेरी यह हरकत देखली । उस पर्वे में हम दोनों को फेल सो किया ही, पाँच-पाँच बेंत की सज्जा भी दी ।

सेकण्ड मास्टर थे हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार स्व० लाला भगवानदीन । अंग्रेजों की पहली पोथी लालाजी से ही मैंने उनके घर पर पढ़ी थी । लालाजी के काशी चले जाने के बाद उनके पट्टशिष्य बाबू गोविन्ददास सेकण्ड मास्टर बना दिये गये थे । हिन्दी के यह भी ऊँचे कवि और लेखक थे । अपनी किसी-किसी तुकबन्दी का संशोधन मास्टर गोविन्ददासजी से मैं कराया करता था । संस्कृत के प्रधानाध्यायक पं० अनन्तराम शास्त्री थे । शास्त्रीजी के घर पर भी मैं संस्कृत पढ़ने जाया करता था । तीन सर्ग रघुवंश के, पूर्वार्द्ध मेषवृत का और थोड़ी लघु-कौमुदी, इतना मैंने इनसे पढ़ा था । पद्मितराज जगद्वाथ के ‘भामिनी-विज्ञाम’ के भी कुछ श्लोक उनसे पढ़े थे ।

अध्यापकों का मैं बहुत भय मानता था । एक पुरुष प्रसंग मुझे आज भी याद आता है । मास्टर दिलीपत ने, जब मैं सातवें दरजे में पढ़ता था, छुटियों में घर पर कुछ ‘पांजिङ्ग’ (पद-व्याख्या) करने को दिया था । हम तीन लड़कों ने पांजिङ्ग नहीं किया । मास्टर साहब की बड़ी डॉट पढ़ी । गुस्से में कूपते हुए बोले—“कौन इन दो पेरे पेजो का

पार्श्व करके लाना—मगर न किया तो कलात से निकाल दिके जाओगे ।'

दो पूरे पृष्ठों का क्या मतलब होता है ! सैकड़ों शब्दों की अवालय कर लाने का हुक्म मिला था, जिसके पीछे भारी दबद का भव था । हम लोग कौप गये । मगर मुझ से 'ना' कहने की हिम्मत न हुई । रात को आठ बटे, और सबेरे भी दो बटे कलाम विसला रहा, तब कहाँ पार पड़ा । देखकर मास्टर साहब ने ब्रेम से मेरी पीठ ढोकी । आँखों में उनकी स्नेह के आँसू छलछला आये । मेरे साथी अपराधियों ने भी ज़ोर लगाया था, पर वे एक पृष्ठ से आगे नहीं जा सके । मगर स्नेह-दान पाने में वे भी पीछे नहीं रहे ।

अध्यापकों के प्रति केवल भय का ही भाव रहा हो यह बात नहीं, आदर भी उनका हम लोग काफी करते थे । विद्या से विनय प्राप्त होती है और विनय से विद्या, इस स्वर्ण-सूत्र को क्या अच्छा हो कि प्रत्येक विद्यार्थी जीवन में सदा अपने सामने रखे । 'स्वाभिमान' शब्द का आज बहुत पाठ किया जाता है, लेकिन गुलती से 'शौदृस्य' को स्वाभिमान मान लिया गया है । विद्यार्थी को इस दुष्ट मान्यता से बचना चाहिए । स्वाभिमान तो विनय का दूसरा नाम है । मैं तो 'स्व' का अर्थ आत्मा या समस्त सद्गुण लगाता हूँ । 'अभि' का अर्थ सम्पूर्ण और 'मान' का अर्थ आदरभाव—अर्थात् सद्गुणों के प्रति सम्पूर्ण आदरभाव । हृदय के इस उदात्त भाव को ही विनय या शील का नाम दिया गया है । विद्या की साधना ही जिसका एकमात्र अर्थ है वह विनययुक्त न हो यह कैसे हो सकता है ? ज्ञान का साधक विद्यार्थी न होगा, तो फिर कौन होगा ?

उस युग में हमारे स्कूल में हाली, क्रिकेट या फुटबाल्स के यह विद्यार्थी सेन्ट दास्तिक नहीं हुए थे। सिफ़र क्रवायद कराई जाती थी। पर मैं उससे भी बचता था। न जाने क्यों अच्छी नहीं लगती थी। क्रवायद का महत्व तो बहुत पीछे समझ में आया। हरेक विद्यार्थी के लिए क्रवायद, बहिक कौंजी क्रवायद, आवश्यक होनी चाहिए। मुझे कमरत करने का शौक था। स्कूल दंड-बैठक लगाता था। मुगदर की जोखी भी मुमाला था।

शारीर क्रस्टे के विद्यार्थियों को केवल पढ़ने का शौक था। हमारे ज़माने में वहाँ न फैशन था, न सिनेमा। हमने सिनेमा का नाम भी नहीं सुना था। बायस्ट्कोप तब फॉस्टीतक पहुँच पाया था। सिनेमा की यह बीमारी तो शायद छ़तरपुर में अब भी नहीं पहुँच पाई। उच्च अधिकारियों के दो-चार लद्दके कपड़े बंशक कुछ अच्छे पहनते थे। शौक या अवस्थन में फ़ैसले-फ़ैसाने का हम शारीर विद्यार्थियों के पास कोई साधन भी नहीं था। हमारे पास पैसे कहाँ थे?

पैसे का मुँह तो तब देखा, जब शायद मैं मिडिल में पढ़ता था। दरवार से एक रुपया मसिक वज़ीका मिलने लगा था। 'एक-डैड साल बाद दो रुपये महीने की एक व्यूशन भी मिल गई थी। उससे काग़ज-कालाम व पदाई का साधारण सच्च चलता था। अच्छी-अच्छी किताबें खरीदने की इच्छा अवश्य होती थी, पर उसका पूरा होना मुश्किल था। कुछ पुराने मूर्चीपत्रों का संग्रह कर रखा था। उनपर अक्सर निशान लगाया करता कि कौन-कौन पुस्तकें बी० पी० से मँगानी हैं। पर कीमत जोड़ने बैठता तो मीजान दस-बारह रुपयेतक पहुँचता।

इतना रुपया कहाँ युटा सकता था ? दरिंद्रि के मनोरथ का पूरा होना कठिन था । मेरे कुछ साथियों ने एक बाल-पुस्तकालय खोजा था । पर मैं उसका भी सदस्य नहीं बन सकता था ; क्योंकि चन्दा उसका दो आना गासिक रखा गया था । निःशुल्क पुस्तकालय तो 'सरस्वती-सदन' था, जिसकी स्थापना लाला भगवानदीन ने की थी । अपनी पढ़ने की आवास मैं वहीं जाकर दुफ़ता था ।

फिर भी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक शरीर धर का विद्यार्थी हूँ । मेरे साथ ऐसे भी कुछ लड़के पढ़ने थे, जिनके पास कोर्स की भी पूरी किताबें नहीं थीं । एक-दो साथी मेरी किताबों से काम चलाते थे । किताबें उन्हें मैं हम्म शर्त पर देता था कि उनके पन्ने ज मांड़, मैली न करें और समय पर लौटा दें ।

मुझे कभी पाठ्य सामग्री का अभाव नहीं खटका । किताबें पूरी थीं । बिना दराज का एक डेस्क भी था । तीन रुपये की एक छोटी-सी आलमारी भी खरीद ली थी । उसमें मेरे पास जो दस-बीस किताबें थीं उनको बड़े प्रेम से सजाकर रख छोड़ा था । अपनी पढ़ने की कोठरी में महापुरुषों की कुछ सूक्षियाँ भी सुन्दर अच्छों में लिखकर टाँग दी थीं । और उस कोठरी का नाम मैंने 'प्रेम-निकेतन' रख लिया था ।

व्यर्थ का एक व्यसन मुझे निस्सन्देह विद्यार्थी अवस्था में लग गया था । उसमें पैसा-टका खर्च नहीं होता था । वह व्यसन था कविता—कविता क्या, कुछ तुकबन्दियाँ लिखने का । पैसे से भी अधिक मूल्यवान समय तो उसमें मेरा खर्च होता ही था । मंरी कविता के प्रशंसक हमारे पड़ोसी लाला चिन्ताहरण और छक्कीलालजी थे । मेरे लिए

भवानीप्रसादजी पटेलवा भी दाद दिवा करते थे। छुक्कीलालजी की बैठक में रात्रि को रामायण की कथा कहा करता, और श्रोताओं को जिस्य अपनी एक नई रचना भी सुनाता। पर नाना को मेरा यह काल्य-व्यसन पसन्द नहीं था। उन्हें डर था कि हसकी पदार्ह में हससे बाधा पहुँचेगी, और परीक्षा में यह ज़रूर फेज हो जायगा। लेकिन चस्का लग नुका था। नशा चढ़ नुका था, उत्तरना अब मुश्किल था। यह अनुभव तो बाद को हुआ कि विद्यार्थी को विद्या-व्यसनी ही होना चाहिए, दूसरे व्यर्थ के व्यसनों में वह क्यों पड़े? तब का लगा हुआ यह व्यसन आयु के सैंतीसवें वर्ष में जाकर कूट सका। हसे भी शानीमत समझता हूँ।

: ५ :

रंग में भंग

सन् १९१२ में मैंने मैट्रिक पास किया। आगे और पढ़ने या बढ़ने का वहाँ कुछ भी साधन नहीं था। कालेज में पढ़ने का मन में विचार भी नहीं आया। वहाँ के लिए तो यही आखिरी मंजिल थी। मैट्रिक-पास को दस-वारह रूपये माहवार की नौकरी, कोशिश करने पर, मिल जाती थी। अच्छी सिफारिश पहुँच गई, तो पन्द्रह-बीम्ब रूपये की नौकरी भी राज्य में मिल सकती थी। लेकिन कहुँ महकमों में ऊपर की आय अच्छी होजाती थी।

मेरे मिश्र लुक्कीलालजी, एक अच्छे प्रतिष्ठित घराने के होने के कारण, मदरसों के इन्सपेक्टर नियुक्त कर दिये गये थे। उन्नीस रूपये उनकी तनखाह थी और पाँच रूपये घोड़ी के भत्ते के मिलते थे। घर में उनके चांदी-सोने का व्यापार होता था। सासा सम्पन्न घराना था। व्यापार में हाथ ढाला होता, तो उन्हें उसमें अच्छी सफलता मिल सकती थी। मगर दूकान पर बैठना शान के खिलाफ समझते थे। सेड की अपेक्षा 'बाबू' कहलाने में वह अधिक गौरव अनुभव करते थे। फिर सवारी के लिए घोड़ी, और चार रूपये माहवार का पहुँचार अदृशी, इससे उनकी वंश-प्रतिष्ठा, उनकी हापि में, और भी बढ़ गई थी।

प्रयत्न करने पर दस रुपये माहबार की नौकरी सुने भी वहाँ मिल सकती थी। उन दिनों दीवान का पद हिन्दी के ज्ञानप्रतिष्ठ विद्वान् पं० शुक्रदेवविहारी मिश्र सुशोभित कर रहे थे। मेरी काल्य-नक्षत्राओं की स्थापना उनके कानोंतक पहुँच चुकी थी। दीवान साहब ने कृपाकर एक दिन मुझे अपने बंगले पर बुलाया। उन दिनों राज-काज के साथ-साथ 'मिश्रबन्धु-विनोद' का संपादन-कार्य भी चल रहा था। मुझसे कहा—“मैं अपने साथ तुम्हें दौरे पर लेजाना चाहता हूँ। तुमसे वहाँ कुछ 'मिश्रबन्धु-विनोद' का काम कराऊँगा। वेतन तुम्हें अपने पास से बारह रुपये मासिक दूँगा। यह काम तीन या चार महीने में समाप्त हो जायेगा। बोलो, तैयार हो ?”

“और उसके बाद ?” मैंने डरते-डरते पूछा।

“कोशिश करके फिर कहीं दूसरा काम लेजाश लेना।”

“लेकिन मुझे यह काम पसन्द नहीं।” मैंने साक्ष हङ्कार कर दिया।

“तो जाओ।”

जब मैं कमरे से बाहर निकला, तो पेशकार ने, जो मेरे हितचिन्तक थे, लानत-मलामत करते हुए कहा—“तुम निकले वही निरे बुद्ध ! इतने बड़े अफसर की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। घर-आई लक्ष्मी तुमने ढुकरादी। और तुम्हे तहजीब से बोलना भी तो नहीं आता। बातचीत के सिलसिले में दीवान साहब को एक बार भी तुमने 'हुचूर' न कहा। हमारे मिश्रजी महाराज तो देवता हैं। वह ऐसी बातों का खयाल नहीं किया करते। कोई और दीवान होता तो तुम्हें आज इस बदतमीझी का मज्जा मिल जाता।”

‘मैं क्यों किसीको ‘हुजूर’ कहूँ ? यह कोई बदतमीज़ी नहीं है । रहने दीजिए आप अपना यह उपदेश !’ मुझे गुस्सा आगया । पेशकार की समझ में नहीं आरहा था कि अगर मैं सामने पढ़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया तो मैंने कोई लेखदबी नहीं की । वरवालों को भी मेरी इस उचित्तीनता पर बहुत चुरा लगा । कल्पवृक्ष के पास से इस तरह मेरा रिक्तहस्त लौटना सचमुच मेरी भाग्यहीनता का घोतक था ।

सुशामद करना मुझे यूँ भी पसन्द नहीं था, फिर स्वतन्त्र विचारों की हवा भी कुछ-कुछ लग चुकी थी । जब मैं दसवे दरजे में पढ़ता था, उन दिनों यूरोप का महासमर बड़े ज़ोर से छिका हुआ था । हमारे मोहल्ले में एक सज्जन माप्ताहिक ‘हिन्दी बंगवासी’ मँगाया करते थे । उसे मैं नियम से पढ़ता था । रात को मैं डैंचे स्वर से उसका एक-एक अच्छर पढ़ता और मोहल्ले-भर के लोग बड़े ध्यान से लखाई की स्वरें सुना करते । एक बृद्ध पंडितजी भी कभी-कभी हमारी मण्डली में आकर बैठ जाते थे । उन्हें विज्ञान के नये-नये आविष्कारों और चमत्कारों पर विश्वास नहीं होता था । उनकी जिह्वा पर रामायण और महाभारत के ही योद्धा और शस्त्रास्त्र सदा रहते थे । वायुयान उस युद्ध में इतनी बड़ी-बड़ी करामातें नहीं दिखा सके थे । पंडितजी यदि आज जीवित होते, और उन्हन्‌हमों और परमाणु-बमों की कथाएँ उनके सामने आई होतीं, तो भी शायद वह विश्वास न करते । मैं नास्तिक था, जो त्रिजटा राष्ट्रसी के बंशज - (पंडितजी का ऐसा ही विश्वास था) औरेजों या जर्मनों की विज्ञान-विद्या का उनके आगे नित्य गुण-गान किया करता था ! संसार में कहाँ क्या हो रहा है, इसका

मुझे पहले कुछ भी पता नहीं था। 'हिन्दी बंगवासी' ने दुनिया की किलनी ही नहीं चीज़ों और घटनाओं से मेरा परिचय करा दिया। अपने यहाँ से मिजाज किया तो पृथ्वी-आकाश का अन्तर पाया। कूप-मशहूक का संसार अब बड़ी तेज़ी से विलीन होने लगा। मन बड़े विस्मय में पढ़ गया। चित्त अपनी पूर्व सुष्ठुपि से उच्छनेस्था लगा, किसी और दिशा की ओर लिंगने लगा। अपने मनोरम नगर का नक्शा अब पहले के जैसा नहीं रहा। नगर नहीं, तत्त्वतः वह कुछ बदला नहीं था। सब कुछ वही-का-वही था। दोष तो, असल में, मेरी दृष्टि में आगया था। अपने नगर के 'सम्पन्न' और 'पठित' दरिद्रों के बीच रहना मुझे अब-वही-वही व्याकुल कर रहा था। यहाँ, 'सम्पन्न' और 'पठित' दरिद्रों का अर्थ खोख देना आवश्यक है।

एक ज़माना था, जब हमारा क्षत्रियपुर एक खासा सम्पन्न नगर माना जाता था। यह शायद सौ साल पहले की बात है। पर अब तो उसकी गिरती के दिन थे। लखपती मिट जुके थे, उनके सिफ़र क्रिस्से चलते थे। हवेलियाँ खाली पड़ी थीं। जिस हवेली में कभी रुपये तुला करते थे, उसके दरवाज़ों में से लोग किवाह और चौखटेंक निकाल ले गये थे। जिनके बड़े-बड़े साके सुनने में आते थे कि व्याह-शादियों की ज्यौनार में वी को धार तोड़कर नहीं परोसते थे, भले ही फर्ज़ पर वी की कीच मच जाये, उनके बंशधरों का कहीं पता भी नहीं चलता था। हमारे पहाँसी मिश्रजी के घर से भी लक्ष्मीजी उनकी महाकृपणता से रुठकर चली गई थी !

दो-चार अब वहाँ जो साधारण-से धनवान रह गये थे, वे पूरे मूँजी

थे। न उन्हें खाने का स्वाद था, न पहचने का। उनके धन का कुछ भी उपयोग नहीं होरहा था। स्वेच्छा से अथवा अपने दुर्भाग्य से उन अनिकों ने दरिद्रों का रहन-सहन अखिलयार कर रखा था। रुपये को जमीन में गाढ़ रखना ही उनका परम ध्येय था। उनका धन हमारी हृष्या का विषय नहीं बन सकता था। उनकी हद दरजे की कृपणता देख-देखकर हँसी ही आती थी। रुपया होते हुए भी रुखा-सूखा खाते थे, मैंजे चीथडे पहनते थे। मेरी दृष्टि में वे 'सम्पन्न दरिद्र' थे।

और 'पठित दरिद्रों' की भी बैसी ही दशा थी। मेरा आशय उन लोगों से है, जो शिक्षित तो थे, जिन्होंने पुस्तकें पढ़-पढ़कर ज्ञान का कुछ संचय तो कर लिया था, पर उसका उपयोग वे कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनमें और दूसरी अपह प्रजा में कुछ भी अन्तर नहीं था। वे पढ़िय कृप-मरणहुक थे। उनका भी रहन-सहन खास कुछ बदला नहीं था। बौद्धिक घेरा उनका विलक्षण सिकुड़ गया था। उनके मुकाबिले, बलिक अपह लोगों में सुके कुछ अधिक सहानुभूति व उदारता दिखाई देती थी। न तो उन धनिकों से कुछ प्रेरणा मिलती थी, और न हन शिक्षितों से। दोनों ही मानों 'अजागला-स्तन' थे। मैं हन दोनों ही प्रकार के 'सम्पन्नों' से कभी प्रभावित नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक दरिद्र या अनपढ़ घर में पैदा हुआ हूँ, और उनके जैसा बनने का मैं भी प्रयत्न करूँ। वे सब 'बड़े आदमी' अलबत्ता कहे जाते थे! पर मैं हैरान था, कि उनके अंदर आखिर ऐसा क्या है, जिससे कि लोग उन्हें 'बड़े आदमी' कहते हैं। इस तरह का कुछ-कुछ विचार-संघर्ष उन दिनों भी मेरे अन्दर चला करता था। बाद को तो उन बड़ों के प्रति उपेक्षा के

बदले अंदर-अंदर एक प्रकार की विद्रोह-भावना उठने लगी। सोचा करता कि न तो इन धनियों के पैसे का ही कोई अर्थ या उपयोग होतहा है, और न उन शिवितों के यत्किञ्चित् ज्ञान-संचय का ही। प्रजा का उत्पीड़न इन 'बड़ों' के अस्तित्व से ज़रा भी कम नहीं हुआ, बल्कि कुछ बढ़ चा ही है। जीवन में यहीं से संघर्ष ने ज़द एकदी।

मैट्रिक की परीक्षा देने हम नीं या दस विद्यार्थी नौगाँव छावनी गये हुए थे। रजवाहों की टहि में नौगाँव छावनी का तब भारी महस्व था। नौगाँव पोलिटिकल प्रूज़ेट का सदरमुकाम था, लगभग सभी छोटी-बड़ी रियासतों के वहाँ शानदार बैंगले थे, और अमन कायम रखने के लिए अँग्रेजी फौज भी वहाँ रहती थी। छतरपुर के बंगले में हम सब परीक्षार्थियों को ठहराया गया था। साथ में हमारे एक मास्टर साहब भी थे। मेरी माँ ने कलेवा के लिए बेसन के लड्डू बनाकर साथ में बांध दिये थे। परीक्षा तो दी, परन्तु भी ठीक किये, पर मन वहाँ लग नहीं रहा था। चित्त हमेशा अशांत रहता था। ऐसा लगता था कि सामने पहाड़-जैसी ढावनी दीवार खड़ी है और पीछे से मुझे कोई धक्का देरहा है। पहाड़ की बड़ी-बड़ी काली शिखाएँ दृट-दृटकर मेरे सिर पर गिरनेवाली हैं। मेरी एक भी हड्डी-पसली नहीं बचेगी, फिर भी मुझे उस दीवार की तरफ ढकेला जा रहा है! कल्पना की भयावनी दीवार पर कुछ मूर्तियाँ भी दिखाई देती थीं, जो मुझे मोहित करने का प्रयत्न कर रही थीं। मेरे साथ के विद्यार्थी तो रात को रोझ परीक्षा की तैयारी किया करते, और में कोमल-कठोर कल्पनाओं में उलझता रहता था। घर पर जो मेरे विवाह की तैयारी होरही थी उसीकी विचित्र

कल्पना ने मुझे दुरी तरह उक्तमा रखा था।

सबेरे रेखा-गणित का परचा करना था, पर रात को मैं अपने भविष्य की अस्पष्ट रेखाएँ सीधीचरे में ल्यस्त था। अन्त में आधी रात को विवाह-बन्धन में न पड़ने का निश्चय कर डाला। तर्क-वितर्क में नहीं पढ़ा, या पढ़ना चाहता नहीं था, अथवा तर्क-वितर्क में पढ़ना तब मुझे आता नहीं था। रात को तीन बजे अपने मित्र छुट्टीलालजी को एक मंहिस पत्र लिखा, और उसके द्वारा घर के लोगों को अपने निश्चय की सूचना भेजदी। पत्र में थोड़ी धमकी भी दी थी। यह कि, अगर लोग ज़िद करेंगे, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा।

फीका समाप्त हुई और मैं घर वापस आया। सारा इस्य बदल गया था। मेरे उस छोटे-से पत्र ने बदलाव का काम किया था। सारी तैयारी सहसा बन्द होगई। अब न वे मंगल-गीत थे, न वह आनन्द-उल्लास। रो-रोकर सब मुझे समझाते थे। पर मैं अपने निश्चय से डिगा नहीं। काफी कठोर बन गया। विवाह के पक्ष या विपक्ष की दलीलों में नहीं उतरा। चुपचाप सबकी सुन लेता था। एक 'नकार' की शरण ले रखी थी। विवाह के पक्ष में तब इतना ही तर्क मेरे पास था : “गृहस्थ-जीवन भारी मंसूक्त का है। पढ़ीस के और सुद अपने घर के ही लोग सुखी कहाँ हैं ? वर में नियंत्रित कितना कलह मचा रहता है। कौन मंसूक्त भोज ले ? क्यों न पहले से ही 'सावधान' होजाऊँ ? जान-दूसरकर क्यों इस मोह-भरे दलदल में धैर्यूँ ?” विवाह के पक्ष में जो युक्तिपूर्ण और पुष्ट दखीले हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया था। समर्थ रामदास स्वामी

का उन दिनों जीवन-चरित पढ़ा था। याद पड़ता है कि विवाह-बन्धन में न पढ़ने की तात्कालिक प्रेरणा समर्थ स्वामी की जीवनी से ही मुझे मिली थी।

एक पहाड़-जैसी दीवार से तो बचने का प्रयत्न किया, पर जिस ओर मुड़ा, वहाँ भी सामने दीवार ही पाई और वह दीवार कुछ मोम की बनी नहीं थी। वह मामूली चट्टानों की नहीं, बज्र की थी। मेरा वह निश्चय, जैसा कि मैंने तब समझ रखा था, वैसा आसान साबित नहीं हुआ। लढ़ते-झगड़ते मैं चूर-चूर हो गया। प्रयत्न करते हुए भी विषय-विकारों से पार न पा सका। संकल्प सदा दुर्बल रहा। पर हँसवर की कृपा का आसरा नहीं छोड़ा। अपने किये पर पछताया भी नहीं। स्वजनों को भले ही निर्दयतापूर्वक रुकाया, पर खुद नहीं रोया।

: ६ :

नया संसार

मेरे जिस निश्चय के पीछे न गहरी विवेक-बुद्धि थी, न कोई ऊँचा उद्देश, उसने ज्ञोगों में एक भारी भ्रम फैला दिया। जहाँ-तहाँ मेरे 'त्याग' का गुण-गान होने लगा! इनीमत थी कि मैं उनके मुक्तावे में आया नहीं। वह मेरा कोई त्याग नहीं था। पर जब दूसरा रास्ता पकड़ लिया, तब कैसे भी हो, मन को कुछ-न-कुछ तो उस ओर मोड़ना ही चाहिए था। वैराग्य विषय की जो भी पुस्तक हाथ लगती, वही अद्वा से पढ़ डालता। पढ़ने-सुनने में तो ज्ञान-वैराग्य बहा अच्छा लगता, पर उसे आचरण में कुछ भी उतारना पहाड़-जैसा मालूम देता था।

स्व० महाराजा विश्वनाथसिंह के चरेरे भाई ठाकुर जुमारसिंह से मेरी घनिष्ठ मित्रता होगई थी। उनके संपर्क से काफी लाभ हुआ। ठाकुर साहब का अपना एक छोटा-सा पुस्तकालय था। विवेकानन्द और रामतीर्थ का लगभग सारा साहित्य उनके पुस्तकालय से लेकर पढ़ डाला। कलतः चित्तवृत्ति वैराग्य की ओर मुक्तने लगी। चाहता भी मैं यही था। पर वैराग्य-निधि हाथ लगी नहीं। अब मैं एक विचित्र-से मनोराज्य में जा पहुँचा। स्वामी रामतीर्थ के दिव्यउद्गारों से प्रेरित होकर हिमालय-प्रवास के शुभ्र स्वप्न देखने लगा। उसी साल,—शायद १९१६

में-ठाकुर साहब के साथ चित्रकूट, प्रथाग, काशी, गया और जगन्नाथ-
पुरी की यात्राएँ भी कीं, किन्तु हन यात्राओं में जितना ज्ञान बढ़ा उससे
कहाँ अधिक मेरा मिथ्या आहंकार बढ़ा ।

उन दिनों की मेरी दिनचर्या प्रायः यह रहती थी :—

सबेरे के दो-तीन घंटे पूजा-पाठ में जाते, फिर खाना खाकर या तो
यूँ ही दूधर-उधर घूमने निकल जाता, या कोई कविता लिखने बैठ
जाता । शाम को नित्य नियमपूर्वक हनुमानजी की टोरिया (टेकरी) पर
घूमने चला जाता । मेरे पाँच-सात साथी वहाँ जमा होजाते थे । टोरिया
पर हमारा अपना अखाड़ा भी था । हम लोग कसरत करते और कुश्ती
भी लड़ते थे । फिर एकाध घंटा सल्संग होता था । समय हमारा आनन्द
में कटता था ।

हनुमानजी की टोरिया को मैं कभी भूल नहीं सकता । यहा भव्य
स्थान है । मंदिर से लेकर नीचेतक पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । खासी
चढ़ाई है । चढ़ती उत्तर के जोश में मैं दौड़ता हुआ चढ़ता और उत्तरता
भी उसी तरह खूब सरपट था । पर हस लड़कपन का एक दिन मुझे
पूरा कल चखने को मिल गया । पैर चूका और बहुत ज़ुरी तरह छुटकते-
छुटकते नीचे आया । एक हाथ में लम्बी लाठी थी, दूसरे में कुँड
किताबें । हसलिए सैंभल नहीं सका । काफ़ी चोट आई । आधे से अधिक
दौँत हिल गये । मुँह से बहुत खून आया । पर बेहोश नहीं हुआ । हो
महीनेतक चारपाई सेता रहा । मुँह के अन्दर बड़ी मुरिकल से पाव-
डेह पाव दूध जाता था । उस भारी यंत्रणा को मैं कभी भूलने का नहीं ।

रात को रोज़ तीन-चार घंटे ठाकुर जुफारसिंहजी के ढेरे पर बैठक

जमती थी। हम ज्ञोग विविध विषयों पर चर्चा करते थे। कुछ मित्र शतरंज के सेक्स में ज्यस्त रहते थे। बुन्देलखण्ड के अज्ञात हृतिहास-खेलक स्व० दीवान प्रतिपालसिंहजी को शतरंज और चौसर खेलने का बड़ा शौक था। अकेले ही, वहाँर किसी बाहरी मदद के, उन्होंने बुन्देलखण्ड का जूहस्काय हृतिहास बड़े परिश्रम से तैयार किया था। अर्थात् भाव के कारण वे उसे प्रकाशित न कर सके। किसी संस्था से भी उन्हे प्रोस्तावन न मिला। उस हृतिहास का केवल प्रारंभिक भाग जाला भगवानदीनजी ने काशी से प्रकाशित कराया था। हृतिहास तथा पुरातत्वशोध के दीवान प्रतिपालसिंह एक ढैंचे विद्वान् थे। मगर उनकी वहाँ कद न हुई—प्रकाश में न आ सके। चिराग बन्द थेंधेरी कोठरी में ही गुल होगया। पता नहीं, उन बड़ी-बड़ी हस्तलिखित जिल्दों का फिर क्या हुआ। दीवान प्रतिपालसिंह राज-काज भी करते थे, और साहित्यिक कार्यों के लिए भी काफ़ी समय निकाल लेते थे। यक जाते तो हमारी बैठक में शतरंज खेलने आजाते थे। एक सेक्स और हुआ करता था, जिसमें शायद ६६ गोल पते रहते थे। उस सेक्स का नाम याद नहीं आ रहा है। सेक्स एक भी मेरी समझ में न आता था। समझने की कुछ कोशिश भी की, पर दिमाग आगे चला नहीं।

हाँ, तो जितना किताबी ज्ञान बड़ा, उसमें कहाँ अधिक मेरा अहंकार बड़ा। अपने को अब मैं उस वातावरण के उपर्युक्त नहीं समझ रहा था। कवि तो मैं था ही, विद्वान् भी अब अपने को मानने लगा। बेकार बैठा-बैठा बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाया करता। जैसे, हिमालय के किसी प्रकान्त स्थान में जाकर बैहूँगा। वहाँ एक आश्रम बनाऊँगा। आश्रम

का आदर्श स्वामी रामतीर्थ का रहा गा । एक मासिक पत्र भी वहाँ से निकाला गा । नहीं, अभी वेदान्त के चक्रवर्त में न पढ़ा गा । पहले तो इन अध्यकृप-जैसे रजवाहों की प्रजा को किसी तरह जगाना है । तत्काल तो राजनीतिक जागरण की आवश्यकता है । तो सब से पहले मुझे प्रजापत्र का एक आग उगलनेवाला अख्यार निकालना चाहिए । उसे जैसी से निकाला या इलाहाबाद से ? इलाहाबाद जैचता है । सुनता हूँ कि वहाँ पत्र-प्रकाशन के साधन बड़े अच्छे हैं । पर इन सब कामों के लिए मेरे पास रूपया कहाँ है ? यह पिशाचिनी अर्थ-चिन्ता मेरे सारे सुनहरे स्वप्नों को भग कर देती थी । निढ़ावा बैठा-बैठा और भी न जाने क्या-क्या सोचता रहता था । नौन-तेल जुटाने की किक्र तो कुछ थी नहीं । रोटी दोनों बक्क बिना हाथ-पैर हिलाये मिल ही जाती थी । घर के लोग अब मुझे नौकरी करने के लिए भी नहीं उकसाते थे । पर मेरी चित्त-वृत्ति जैसी बनती जारही थी, उसकी ज़रूर उन्हें कुछ चिन्ता थी ।

एक दिन एक ऐसा संयोग आया, जिससे मेरी डार्वांडोल नाव को एक निश्चित दिशा मिल गई । वह पुण्य प्रसंग निस्सन्देह मेरे किसी पूर्ण सुकृत का सुफक्का था । ब्रह्मपुर-मरेश स्व० विश्वनाथसिंहजी की बड़ी महारानी श्रीमती कमलकुमारी देवी ने मुझे अचानक एक दिन बुलवाया, और कुछ ही दिनों में मैं उनका स्नेह-भाजन बन गया । उनके निश्चल वास्तव्य को जीवन में कभी भूल सकता हूँ ? उनकी ज्वलान्त धर्म-आद्वा और तपोनिष्ठ आध्यात्मिक जीवन ने मेरी विश्व-जल विचार-धारा को एक निश्चित दिशा बता दी । मेरी बे, वास्तव में, धर्म-माला थीं । उन्हें मैंने अपने जीवन में 'जननी' से भी अधिक आदर

दिया है। उनके विषय में कुछ विस्तार से किसी अगले प्रकरण में लिखूँगा। उनके साथ कई बार भारत के विभिन्न भागों की यात्राएँ करने और नये-नये अनुभव बढ़ाने का मुके यहां सुन्दर अवसर मिला।

प्रवास के लिए तो मैं कभी से ज्ञानायित बैठा था। सो वह सुयोग अपने आप आ गया। अनेक नये-नये स्थान अनायास देखने को मिले। दक्षिण भारत का दर्शन पहली बार किया। कृतकृत्य होगया। उस प्रवास में तीर्थाटि ही मुख्य थी। शैव और वैष्णव सम्प्रदायों का काफी निकट से परिचय हुआ। चित्त उन दिनों शंकाशील नहीं था। सामान्य अद्वा से ही सब जगह काम लेता था। अथवा, उस अपूर्व सत्संग ने मन को अशद्वा की ओर जाने का अवसर ही नहीं दिया।

उन लम्बी तीर्थ-यात्राओं से बापस लौटा, तब घर की आर्थिक स्थिति काफी गिर जुकी थी। उसी साल, १९१८ के शुरू में, पूज्य नाना की मृत्यु हुई। उन्होंने 'मंगलमरण' पाया। साधारणतया स्वास्थ्य उनका अच्छा था। माघ का महीना था वह। मृत्यु से दो घड़ी पूर्व सूरदासजी का एक पद गाया, फिर हाथ सेकने के लिए मेरी माँ से आग जलाई, और हरिस्मरण करते हुए, बिना किसी कष के, शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिये। आश्चर्य-सा होगया। मैं बाहर शिवाजे पर बैठा तब सबैरे की भूप ले रहा था।

चारों ओर हमारे लिए अब अँधेरा-ही-अँधेरा हो गया। घर की आय कुछ सात या आठ रुपये मासिक रह गई। यह रुपया भी पेंशनों से आता था। साल में साठ-सत्तर रुपये गाँव की जमीन से आजाते थे। छोटे-बड़े हम सब आठ प्राणी थे। कहनाओं के जो सुनहरे भवन

मैंने लड़े किये थे वे सहसा उह गये । भयानक वास्तविकताएँ सामने आकर खड़ी होगीं । महारानी साहिबा ने उसा ज़ोर डाला कि मैं अर्थ-चिन्ता में न पहुँच, वह की आर्थिक सहायता वे बराबर करती रहेंगी । पर मैं उसके उज्ज्वल स्नेह को अर्थ-सम्बन्ध से मलिन नहीं करना चाहता था । मैं तो बाहर भाग जाने को तबफढ़ा रहा था । पुस्तकें पढ़ना या एकान्त में बैठकर चिन्तन करना मुझे अब अच्छा नहीं लगता था ।

सच्चमुख मेरा बुरा हाल था । वह की दुर्गति देखी नहीं जाती थी । और, परिवार के मोह से सर्वथा मुक्ति भी नहीं मिल रही थी । सोचता, अगर यहीं कहाँ नौकरी करलूँ तो पन्द्रह-बीस रुपये में वह का सच्चा तो अच्छी तरह चल ही सकता है, फिर क्यों जननी-जन्म-भूमि को छोड़े? पर उच्चे हुए मन को यहाँ स्थिर कैसे करूँ? यहीं, मोह-पंक में पड़ा सबता रहूँ यह तो मेरे लिए एक तरह का 'आत्म-घात' होगा । बाहर एक बार धूम-फिर तो आया हूँ, पर ऐसी कोई जगह ध्यान में नहीं आरही, जहाँ बैठकर किसी काम में लग जाऊँ ।

ऐसा लगता था कि पैरों को जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने जकड़ रखा हो, यद्यपि पिंजड़े से लिकल भागने को मेरी कल्पना के निर्बन्ध पंख तुरी तरह फड़कदा रहे थे । उन सुनहरे स्वर्णों का अब कहाँ पता भी न था । कहाँ चला गया मेरा वह हिमालय का सुरम्य आध्रम, और क्या हुआ मेरी उस बड़ी-बड़ी योजनाओं का! हाय! मुझ कल्पना-शील वेदान्ती को एक वर्ष में ही, एक ही फटके से, निष्ठुर परिस्थितियों ने बिलकुल दीन-हीन बना डाला!

हिन्दी-संसार के सुपरिचित विद्वान् बाबू गुलाबरायजी उन दिनों महाराजा साहब के प्राइवेट ड्रेकेटरी थे। महाराजा को विद्या का बड़ा व्यसन था। पूर्वी तथा परिचमी वर्णन-शास्त्रों के स्वर्ण अच्छे ज्ञाता थे। गुलाबरायजी और बाबू भोलानाथजी के साथ नित्य एक-दो घंटे शास्त्र-चर्चा होती थी। गुलाबरायजी ने तब हिन्दी में लिखना शुरू ही किया था। उनसे मेरी अच्छी मित्रता होगई थी। उनके द्वारा आरा के स्व० देवेन्द्रकुमार जैन से मेरा पत्र-व्यवहार हुआ। 'प्रेम-पथिक' नामक मेरी एक छोटी-सी रचना उन्होंने अपने 'प्रेम-मन्दिर' से प्रकाशित की, और उसी सिलसिले में मुझे १११८ के अक्तूबर में इलाहाबाद चुलाया। देवेन्द्रकुमारजी ने बड़ा सुन्दर हृदय पाया था। वह साहित्य-रसिक और कला-प्रेमी व्यक्ति थे। गुलाबरायजी की पहली कृति "फिर निराशा क्यों?" देवेन्द्रकुमारजी ने ही प्रकाशित की थी। प्रकाशन बड़ी सजधज से करते थे। इलाहाबाद में श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास-जी टण्डन से उन्होंने मेरा परिचय कराया था। टण्डनजी ने, प्रथम परिचय में ही, मुझे खींच लिया। 'सूरसागर' का एक संशिष्ट सटिप्पण संस्करण हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से संपादित करने की चर्चा की, और बड़ी हिचकिचाहट के साथ मैंने उस महाकठिन काम को अपने हाथ में ले लिया। शायद ३०) मासिक पर टण्डनजी ने मुझे सम्मेलन में रखा था। मेरे लिए हतना बेतन पर्याप्त था। खर्च तो १२) में ही चल जाता था। बाकी रुपया बर भेज देता था। मुट्ठीगंज में, गोकुलदास लेजपाल की धर्मशाला में, देवेन्द्रकुमारजी ने खास सिफारिश करके मुझे एक कोठरी दिलाई थी। सूरसागर का संपादन-

कार्य टेलरजी के जान्स्टनगंजवाले मकान में बैठकर किया करता था।
 मेरे लिए वह बिलकुल नया संसार था, एक नया ही वायुमण्डल था।
 खुलकर अच्छी तरह साँस ली। धीरे-धीरे छतरपुर की एक-एक सृष्टि
 ध्यान से उतरने लगी। पर जिस पवित्र मातृ-स्नेह को छोड़कर आया
 था, उसे न मुला सका।

: ७ :

फिर तीर्थ-यात्राएँ

दोरी अभी कटी नहीं थी। घर के प्रति पहले जो मोह था, वह तो टूट चुका था, किन्तु उस पवित्र स्नेह की दोरी से मैं अब भी वैसा ही बैधा हुआ था। इसीलिए, इलाहाबाद में जमकर बैठ न सका। बीच में तीन या चार बार छतरपुर जाना पड़ा।

दो और लम्बी-लम्बी तीर्थ-यात्राएँ करने का अवसर मिला। चित्र-कृष्ण, वृन्दावन और हरिद्वार तो यूँ कई बार गया। सबसे पहले मिथिला की चिरस्मरणीय यात्रा को लेता हूँ। इस जनपद के प्रति आज भी मेरे मन में वैसा ही आकर्षण बना हुआ है। तिरहुत के सरक सात्विक सौन्दर्य को भला कभी भूल सकता हूँ? जनकपुर में कोई एक मास हम लोग ठहरे थे। आसपास भी खूब धूमा था। घोड़े की सवारी का वहाँ सुन्दर खासा अच्छा अभ्यास हो गया था। 'धनुषा' में घोड़े पर ही गया था। वहा रमणीक स्थान था। मिथिला की छोटी-छोटी कमला-विमला नाम की नदियाँ कितनी निर्मल और कितनी सुन्दर थीं! भूमि भी यहाँ की बड़ी सुदुर है। ग्रामवासियों का स्वभाव भी मैंने भूमि के जैसा ही सुदुर और सरक पाया।

मिथिला की इस तीर्थयात्रा में नवाही के परमहंस बाबा का भी

दर्शन किया था । यह एक पहुँचे हुए महात्मा थे । आबू सौ वर्ष से ऊपर थी । संस्कृत के प्रकाशद पंडित होते हुए भी स्वभाव उनका बालकों के जैसा सरल और मधुर था । लोकमान्यता उनकी काफ़ी थी, पर उससे वे सदा दूर ही रहे । अच्छे सिद्धपुरुष थे । 'नवाही' उस प्राम का नाम इसलिए पढ़ गया था कि वहाँ बैठकर परमहंसजी ने साधना-काल में बालमीकि-रामायण के लगातर एक सौ आठ 'नवाह-पारायण' किये थे ।

जनकपुर में हम जोग टीकमगढ़ के राजमन्दिर में ठहरे थे । सामने निष्प हाट लगती थी । मिट्ठी की छोटी-छोटी हंडियों में गाँवों से दही इतना भीठा और इतना सौंधा बिकने आता था कि उसे कितना ही खायें, तुमि न होती थी । मैंने तो जनकपुर के अति स्वादिष्ट दधि को अपना मुख्य आहार ही बना लिया था । एक दिन हम जोगों ने श्रीखंड तैयार कराया । एक बड़े कटोरे में भरकर पहास के मन्दिर में भी हमने कुछ श्रीखंड भेजवाया । पर हमारा प्रेमोपहार वहाँ एक खासे विमोद का कारण बन गया । महन्तजी ने, जो व्याकरण और न्याय के अच्छे विद्वान् थे, उसे केसरिया चन्दन समझा, और अपने प्रशस्त खजाट और वक्षस्थल पर उसका खूब गाढ़ा लेप कर लिया । रूप से ही नहीं, नाम से भी उन्होंने और उनके शिष्यों ने उसे पीत चन्दन ही समझा । चन्दन का एक नाम संस्कृत में 'श्रीखंड' भी है । पर जब वह सूखा नहीं, और शरीर चिपचिप करने लगा, तब विद्वान् महन्त को कुछ शंका हुई कि कहीं यह चन्दन मधु-मिथित न हो ! जब उन्हें बताया गया कि 'महाराज, यह पीत हिन्दूघ पदार्थ आलेप्य कहीं, आलेष्य है; इस श्रीखंड

का उपयुक्त स्थान आपका फ्लाट-पटल नहीं, किन्तु जिहाम और आमाशय है, तब आपने घोर अज्ञान पर वह बड़े विस्मित और अजित हुए। हम लोग तो अस्थांड़ की इस 'श्लेष-लीका' को देखकर हँसते-हँसते खोट-पोट हो गये।

अज्ञाहार का स्थान भी मैंने जनकपुर में ही किया था। शायद सन् १६२० में। पूज्य धर्मसाता ने दस-ग्यारह वर्ष से फलाहार का नियम ले रखा था। उन्होंने ऐसा तपःसाधना की दृष्टि से किया था। योग-साधन के लिए फलाहार को वह आवश्यक समझती थी। उनका तो तप था। किन्तु मेरा वह मूढ़ग्राह था। देखा-देखी हठपूर्वक, बिना कुछ सोचे-समझे, मैंने अनन्देवता का तिरस्कार किया था। असत्याग में मेरी कोई योगात्मक दृष्टि भी नहीं थी। प्रयोगों के विषय में तब मैं कुछ जानता भी न था। अन्नाहार और फलाहार विषयक कोई साहित्य भी नहीं पढ़ा था। अब का तो स्थान कर दिया, पर 'रोटी' का नहीं। रोटी सिंधाड़े या कूदू के आटे की, और कभी-कभी कच्चे केले की खाता था। केले के गूदे की रोटी, और छिलके का साग। चावल भी खाया करता था, परन्तु 'पसर्ह' का, जिसे 'तिन्नी' भी कहते हैं। यह बोया नहीं जाता। बरसात में नालों या तालाबों के पास यह आपने आप उगाता है। रंग इसका जाल होता है। पोषक तत्व बहुत कम रहता है। साग-भाजी पर्याप्त मात्रा में लेता था। दूध-दही का कोई खास नियम नहीं रखा था। फल भी खाता था, पर बहुत कम और वह भी मस्ते। इसलिए, सच्चे अर्थ में, मेरा आहार 'फलाहार' नहीं था। फिर भी जहाँ-तहाँ मेरे इस स्थान की महिमा गाई जाती थी!

लोगों का यह गुण-गान मुझे बहा अप्रिय लगता था। प्रवास में मित्रों को बहुधा मेरे हस व्रत से असुविधा भी होती थी। और कहीं-कहीं तो मुझे भूखा भी रह जाना पड़ता था। कोई हकीकत वर्षतक मेरी यह सनक जैसे-तैसे निभी। सौभाग्य से यह मेरा आजीवन व्रत नहीं था। बुद्धिसंगत हसका कोई आधार भी नहीं था। कई बार सोचा कि यह चीज़ तो अच्छी नहीं। जो नहीं हूँ लोग मुझे वह समझें और मैं उपचाप उन्हें वैसा समझने दूँ, यह तो एक प्रवंचना ही हुई। फिर ऐसी व्यर्थ-की चीज़ क्यों गले से बोंधे रहूँ? फकाहारी जीवन से और 'तपस्वी' की उपाधि से जी मेरा ऊब उठा। फलतः अपने उस तप को मैंने साहसपूर्वक एक दिन भंग कर दिया। अपने आहारयोग से मैं १९४९ में अष्ट हुआ। मन पर से मूढ़ग्राह का एक भारी भार उत्तर गया। भव था कि कहीं स्वास्थ्य पर हस यकायक परिवर्त्तन का कोई हानिकारक असर न पढ़े, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। स्वास्थ्य जैसा तब था 'योगभ्रष्ट' होने के बाद भी प्रायः वैसा ही रहा। हो सकता है कि हसका कारण मेरा वह आहार-विषयक स्वर्ण-नियम हो, जिसका पालन मैं आज लगभग थीस वर्ष से कर रहा हूँ। वह यह कि पेटभर कभी नहीं साता, थोका भूखा ही रहता हूँ, भोजन चाहे कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो।

सबसे लम्बी और अंतिम तीर्थ-यात्रा हमारी १९२०-२१ के साल की थी। आरम्भ हस यात्रा का चित्रकूट से हुआ था, और अन्त नाथ-द्वारा से खौटते हुए जयपुर में। वहा जन्म्या प्रवास था। कोई वह महीने में हमारा वह अमर अमान्त हुआ था।

चित्रकूट से हम लोग सीधे नासिक गये थे। ब्रह्मगिरि पर गोदावरी का उद्गम-स्थान भी देखा था। बड़ा सुन्दर दर्शन था। नासिक से हम खोग सीधे इलोरा के विश्व-विख्यात गुहा-मन्दिरों को देखने गये। इलोरा जाने का मुख्य उद्देश तो शृण्वेश्वर महादेव का दर्शन करना था। शृण्वेश्वर की गणना द्वादश ज्योतिलिंगों में की गई है। दौलताबाद से मिला हुआ यह एक पहाड़ी स्थान है। पहाड़ को खोद-खोदकर उसके अन्दर बड़े सुन्दर मन्दिर बनाये गये हैं। इन गुहा-मन्दिरों का निर्माण-काल हँसा की छढ़ी और सातवीं शताब्दी माना जाता है। पार्श्वनाथ का मन्दिर अठारहवीं शताब्दी का है। अर्द्धचन्द्राकार पर्वत की दक्षिण मुजापर बौद्ध-मन्दिर, उत्तर मुजा पर हन्द्र-सभा अथवा जैन-मन्दिर और मध्यभाग में शिव और विष्णु के अनेक मन्दिर बने हुए हैं। इन गुहा-मन्दिरों और मूर्तियों का शिल्प-नैतुरय देखते ही बनता है। चौबीस खंभों पर खड़ा हुआ विस्तीर्ण बौद्ध-विहार, शिल्प-कला का अद्भुत नमूना कैलास-भवन तथा हन्द्र-सभा और पार्श्वनाथ का जैन-मन्दिर देखकर भारत के उन अमरकीर्ति शिलिंगों के चरणों पर किस कला-प्रेमी का मस्तक न मुक जायेगा। किन्तु तब मेरी कला की दृष्टि नहीं थी। मैं तो मात्र तीर्थ-दृष्टि लेकर इलोरा के महामहिम गुहाद्वार पर पहुँचा था। अब की दक्षिण-यात्रा में हम लोग किञ्चिन्धा भी गये। तुङ्गभद्रा के टट पर हम एक प्राचीन खंडहर में तीन-चार दिन ठहरे थे। मातंग ऋषि का आश्रम भी देखने गये थे। यहाँ से सीधे पंदरपुर पहुँचे। इस महातीर्थ को महाराष्ट्र का बृन्दावन कहना चाहिए। पर तब महाराष्ट्र के सन्तों के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था।

तुकाराम और पंकनाथ के पावन चरित तो बहुत पीछे पड़े। वह भी हिन्दी में। इच्छा होते हुए भी मराठी अवतक सीख न सका, इसका मुझे पछताव है। तुकाराम महाराज के अमृतोपम अभिंगों का बदि मुझे थोड़ा भी परिचय होता, तो पंदरपुर की पुण्ययात्रा में न जाने कितना आनन्दानुभव हुआ होता। फिर भी चन्द्रभागा का वह सुन्दर लट और शिठोबा के मन्दिर का वह सतत हिरि-कोर्टन सदा स्मरण रहेगा।

इस बार दिल्ली भारत की प्राकृतिक शोभा और स्थापत्य-कला को देखकर तो मैं स्तब्ध होगया। बैंकटाड़ि और नीलगिरि के मनोरम दरवाजों को भला कभी भूल सकता हूँ? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की वह मनोज्जता आज भी वैसी ही हृदय-पट पर अंकित है। और कम्पाकुमारी के पुण्य प्रांगण में दोनों सागर सहोदरों का वह धीर-गम्भीर सम्मिलन! रामेश्वरम्, मदुरा, तंजोर और श्रीरंगम् के महान् मन्दिरों की शिल्प-कला का वह अद्भुत वैभव आँखों में आज भी वैसा ही भूल रहा है। तोताड़ि और उडुपी इन दो आचार्य-पीठों का भी मैंने इसी यात्रा में दर्शन किया था। तोताड़ि मलबार में है, और उडुपी कन्नड प्रदेश में। तोताड़ि के तत्कालीन रामानुजाचार्य दर्शन के पारंगत विद्वान् थे। साथ ही, वह युग के प्रवाह को भी पहचानते थे। विचारों में संकीर्ण नहीं थे, जैसे प्रायः दूसरे धर्माचार्य होते हैं। उडुपी में श्रीमध्बाचार्य स्वामी का विशाल मठ है। स्थान बड़ा रमणीक है। उन दिनों, जब हम लोग वहाँ गये, कोई महोत्सव हो रहा था। मध्व संप्रदाय के सहस्रों अनुयायी दूर-दूर से आये हुए थे। वहा सुन्दर समारोह था।

सुन रखा या और इसका हमें डर भी या कि दिल्ली भारत के

अमरण में भाषा की भारी कठिनाई आती है। या तो द्वाविकी भाषाओं का थोड़ा-बहुत ज्ञान होना चाहिए, या फिर राजभाषा थ्रेप्रेजी का अन्यथा गति ही नहीं। परं जितनी कठिनाई की कल्पना कर रखी थी, उतनी असल में थी नहीं। तीयों के पंडे, पुजारी और दूकानदार, हर जगह के, कामचलाऊ हिन्दी समझते और बोलते थे। साधु-सन्त भी सनातन काल से भारत के विभिन्न भागों में 'एकभाषा' का प्रचार करते चले आरहे हैं। वास्तव में, यही लोग राष्ट्रभाषा के असली निर्माता हैं। इन अज्ञात प्रचारकों ने 'एकभाषा-निर्माण' का इतना बड़ा काम किया है, जितना सैकड़ों प्रचार-सभाएँ भी न कर पातीं। उन दिनों दिल्ली में राष्ट्र-कार्य शुरू ही हुआ था। मद्रास में हिन्दी-प्रचार-सभा का एक छोटा-सा दफ्तर था। मद्रास के शहरों और क़स्बों में हमें भाषा-सम्बन्धी कोई स्वास दिवकर पेश नहीं आई। हाँ, ग्रामों में ज़रूर कठिनाई होती थी। वहाँ थ्रेप्रेजी से भी काम नहीं चलता था। विश्व-भाषा के सच्चे प्रतीक 'संकेत' ही वहाँ काम देते थे। लेकिन कहाँ-कहाँ हमारे संकेत गडबड़ी भी पैदा कर देते थे। तिन्नेवड़ी के पास के एक गाँव में एक दूधचाली को मैं समझाना चाहता था कि हमें गाय का दूध चाहिए, क्या वह उसके यहाँ मिल जायेगा? पहले तो गाय की मैंने संकेतिक व्याख्या की। फिर दोनों हाथों से दूध दुहने की किया का संकेत किया। पर वह कुछ और ही समझ लैठी। मेरे सामने, कुट्टे के पास, रसी लाकर फेंक दी। दूध दुहने के संकेत से उसने गराड़ी पर से 'पानी खींचने' का अर्थ ले लिया। लोटा तो मेरे हाथ में था ही। उसके इस अज्ञान पर मैं हँस पड़ा। मेरी अशिष्टता

पर वह बहुत मुल्कार्द । अपनी भाषा में देरतक बड़बड़ाती रही । मैंने तब उसके एक पढ़ोसी को उसी संकेत से अपना भाव समझाया । वह समझ गया, और दूधवाली बहिन को भी मेरी बात समझाई । देवीजी का क्रोध तब कहीं शांत हुआ । मेरे लोटे में दूध तुहकर भर दिया और दाम भी मुक्ख से उसने उचित ही लिये । और भी ऐसे दो-तीन प्रसंग उन यात्राओं में आये थे, जब भाषा की अनभिज्ञता ने काफ़ी फ़मेले में डाल दिया था ।

तमिल और मलयाली की कुछ कविताओं का अर्थ जब मुझे बताया गया तो उनके भाव-सौष्ठुद पर मैं मुश्व द्वारा देखा गया । तमिल का साहित्य, सुनता हूँ, बड़ा समृद्ध है । मेरे मन में हुआ कि सब तो सब भाषाएँ जानने से रहे, क्यों न हिन्दी के कुछ विद्वान अन्य प्रांतीय भाषाओं का, खासकर दिल्ली की भाषाओं का, गहरा अध्ययन करके उनके ऊंचे साहित्य का शुद्ध भाषान्तर कर दालें ? हम लोग विदेशी भाषाओं में जब पारंगत हो सकते हैं, तब अपने देश की साहित्य-सम्पदा से ही क्यों वंचित रहें ? केवल बंगला साहित्य का, और वह भी कहानियों और उपन्यासों का ही हिन्दी में सबसे अधिक अनुवाद हुआ है । दिल्ली की भाषाओं को तो अबतक हमने हाथ भी नहीं लगाया । इस अस्यन्त महत्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेने की यदि हमारी बड़ी-बड़ी संस्थाओं को फुर्सत नहीं है, तो कुछ व्यक्ति ही क्यों न इस काम को शुरू करदें ? प्राचीन काल के महापुरुषार्थी बौद्ध भिजुओं के उदाहरण ज़मारे सामने भौजूद हैं । उन्होंने अकेले ही तो दूर-दूर के देशों में आकर भाषा-विनिमय के द्वारा सदृश्य का प्रचार किया था । क्यों न

हम उन्हीं भिन्नओं से प्रेरणा ग्रहण करें ?

हमारी इन यात्राओं की पृष्ठाहुति नाथद्वारा में हुई। नाथद्वारा की यह दूसरी यात्रा थी। कौन जानता था कि इस यात्रा के पन्द्रह दिन बाद ही मेरी अनन्त स्नेहमयी धर्म-माता 'महायात्रा' की तैयारी कर देंगी !

: = :

अब तो प्रयाग ही था

स्नेह की जो लंबी ढोरी थी वह कट चुकी थी। सो जन्मभूमि अब सदा के लिए कूट गई। एकमात्र आश्रय-स्थान अब मेरा प्रयाग ही था। 'मुझा की दौद मस्जिद तक' थी; वहाँ जाकर बैठ गया। सद्गुरु के वियोग से काफ़ी हृदय-मन्थन हुआ। वैराग्य-वृत्ति की ओर फिर एक बार चित्त का मुकाब हुआ। किंतु वह वैराग्य-वृत्ति अधिक दिन ठिकी नहीं; क्योंकि उसके मूल में ज्ञान की अपेक्षा कोमल भावना ही अधिक थी। हृदय की इसी भक्ति-भावना ने मुझे 'हरिप्रसाद' से 'वियोगी हरि' बना दिया। मेरा यह दूसरा नाम-संस्कार त्रिवेणी के तट पर ठीक २६ बर्ष बाद हुआ—उस दिन सवत् १९७८ की रामनवमी थी।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का कृपा-भाजन तो मैं पहले ही बन चुका था। अब सर्वथा 'उसका' ही हो गया। सम्मेलन से भला कभी अश-मुक्त हो सकता हूँ? मैं सम्मेलन का हूँ—यह पवित्र अभिमान मुझे सदा सर्वत्र रहेगा। ग्रन्थ-संपादन के साथ-साथ हिन्दी-विद्यापीठ में अध्यापन-कार्य भी दिया गया। विद्यापीठ की स्थापना २२ दिसम्बर, १९९८ को हुई थी। उद्घाटन डॉ० भगवानदासजी ने किया था। निमन्त्रण देने काशी मुझे ही भेजा गया था। विद्वद्वर रामदास गौड़

से तभी मेरा प्रथम परिचय हुआ था, जो धीरे-धीरे वनिष्ठ मैत्री में परिचय हो गया। उद्घाटन-भाषण बाबू भगवानदासजी का बड़ा विद्वत्ता-पूर्ण हुआ था। विद्यापीठ खोलने का उद्देश यह था कि, “यह केवल साहित्य-शिक्षा का ही केन्द्र न हो, किन्तु साथ ही ऐसा हो कि इससे निकले हुए विद्यार्थी पेट भरने के लिए पराधीन न रहें। ऐसे कला-कौशल भी साथ-साथ सिखाये जायें, जिससे विद्यार्थियों का नित्य का अव्यय ही नहीं, विद्यापीठ के भी समस्त अव्यय का निर्वाह होता रहे।” आचार्य-पद संस्कृत पुंच हिन्दी-साहित्य के भुरन्धर विद्वान् पंडित चन्द्र-शेखर शास्त्री को दिया गया था। उद्घाटन के बाद ही प्रयाग से मैं शीर्थ-यात्राओं पर चला गया।

विद्यापीठ हमारा अब बड़ा अच्छा चल रहा था। किन्तु केवल साहित्य-शिक्षण ही उसमें दिया जाता था। कला-कौशल सिखाने की योजना अभी अवधार में नहीं आ सकी थी। टणडनजी भूमि की तलाश में थे। कृषि तथा उद्योग सिखाने का काम शहर से बाहर ही हो सकता था।

सम्पादन और अध्यापन का वेतन सम्मेलन से मुक्ते ५०) मासिक मिलता था। यह वेतन मेरे लिए बहुत अधिक था। कुछ दिनों बाद मैं को तथा मेरे भाई लक्ष्मण को भी प्रयाग बुला लिया। गृहस्थी जमा लो ली, पर मेरे लिए भी उससे अलग ही रहा। ये लोग मुढ़ी-गंज में रहते थे और मैं ढाई मील दूर जाम्टनगंज में।

सन् १९२५ तक मैं प्रयाग में ही रहा। इस बीच में अनेक साहित्य-सेवियों से निकट का परिचय हुआ। सद्भाग्य से कई सरपुरुषों का कृपा-पात्र बना और कहुं विद्यार्थियों को अपना स्नेह-भाजन बनाया।

कितने ही सुखद संस्मरण हैं, किस-किसका उल्लेख करें ?

सम्मेलन से संबंध तो मेरा हतना पुराना है, पर उसके अधिवेशनों में अधिक बार सम्मिलित नहीं हुआ। सिर्फ तीन अधिवेशनों में गया था। सबसे पहले, १९२० में, पटनावाले दसवें अधिवेशन में शामिल हुआ था। सभापति मध्यप्रांत के बशस्त्री राजनेता पंडित विष्णुदत्त शुक्ल थे। टण्डनजी ने मुझे तथा अपने सबसे बड़े पुत्र स्वामीप्रसादजी को भाषणों की संक्षिप्त रिपोर्ट लेने का काम सौंपा था। डरते-डरते हमने हतने बड़े उत्तरदायित्व के काम को हाथ में लिया। हम लोगों को संकेत-लिपि का ज्ञान लो था नहीं; हाँ, तेज़ लिखने का अभ्यास अवश्य था। फिर भी हम ठीक-ठीक लिख न सके। भाषणों की सही रिपोर्ट एक दूसरे सञ्जन ने ली। श्रीदेवदास गोधी को मैंने सबसे पहले वहीं पटना के अधिवेशन में देखा था। शायद तब वे मद्रास से लौटे थे। पूर्व महात्माजी ने राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचारक बनाकर उन्हें मद्रास भेजा था। अधिवेशन के अन्तिम दिन हम लोग गंगा-स्नान करने चले गये थे। वहीं, गंगा के तट पर देवदासजी से, जहाँतक मुझे स्मरण है, पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ने हमारा परिचय कराया था। नहा-धोकर हम लोग जब खड़े-खड़े गप-शप लड़ा रहे थे, तबतक उधर देवदास भाई ने तीन-चार सम्मान्य साहित्य-सेवियों के गीते वस्त्र फुर्ती से धोकर सुखावे के लिए नावों पर फैला दिये थे। उनकी उस सेवा-भावना को देखकर हम लोग अत्यन्त प्रभावित हुए थे।

तेरहवाँ सम्मेलन कानपुर में अद्वैत टण्डनजी के सभापतित्व में हुआ था। यह सन् १९२३ की बात है। टण्डनजी जेल की पहली यात्रा से

• खोटे ही थे । पहले का वेश उनका बिल्कुल बदल गया था । जिन्होंने हाईकोर्ट के मशाहूर बकील के सुसज्जित वेश में उनको कभी देखा था उन्हें जेल से बाहर आने पर टश्डनजी को पहचानने में झ़रूर कुछ कठिनाई हुई होगी । दाढ़ी बड़ी हुई थी और सिर के बाल भी बड़ा लिये थे, अस्त-अस्त-से । तब पर मोटे खदर का कुरता या और धोती भी बैसी ही मोटी सुरक्षी । फकीरी बाना था । अध्यक्ष-पद से टश्डनजी ने जो भाषण किया था, भाषा-विज्ञान की टहि से वह बड़े महत्व का था । उसमें मूल प्राकृत को संस्कृत से प्राचीन सिद्ध किया था । अनेक शब्दों को उदाहरण करके यह भी दिखाया था कि पुरानी संस्कृत और पहलवी व फ़ारसी ये सब एक ही आर्य-कुल की भाषाएँ हैं ।

कवि-सम्मेलन उस वर्ष स्व० लाला भगवानदीनजी के समाप्तित्व में हुआ था । मैं, बस, उसी एक कवि-सम्मेलन में दर्शक के रूप में, सम्मिलित हुआ । जाकर पछताना पढ़ा । अच्छा नहीं लगा । सुनता हूँ, कावे-सम्मेलन प्रायः सब ऐसे ही होते हैं । न कोई आदर्श, न कोई मर्यादा । मनोरंजन के और भी तो कई अच्छे साधन हो सकते हैं । हस्तीन वस्तु को सम्मेलन के कार्यक्रम में क्यों जोड़ दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आया ।

सहारनपुर के प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का भी एक संस्मरण उल्लेखनीय है । यह शायद पटना-सम्मेलन से पहले हुआ था । युक्तप्रांतीय राजनीतिक परिषद् के साथ इसका आयोजन किया गया था । स्थायी समिति ने प्रयाग से मुक्ते अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था । सहारनपुर में सबसे पहले पहुँचा । स्वागत-समिति के प्रबन्ध-

मंत्री ने मुझे एक ऐसे, मकान में ठड़ाया, जिसका दरवाजा अंदर से बन्द नहीं होता था और उसका पीछे का हिस्सा बिल्कुल संडहर था । सब सोकर उठा, तो सारा सामान शायद ! सब चोरी चला गया था । पहले के लिए एक कुरता भी न छोड़ा था । और सामान सब गया सो गया, अधिक परिताप मुझे एक हस्तलिखित पुस्तक के चोरी चले जाने का हुआ । मेरे एक मित्र ने अपनी कविताएँ मुझे संशोधनार्थ दी थीं, और उनकी उस पुस्तक को मैं अपने साथ सहारनपुर ले गया था । दूसरी नकल भी उनके पास नहीं थी । यह तो कवि ही जानता है कि उसकी रचनाएँ खो जाने पर उसे कितना मानसिक बलेश होता है । कई महीनेतक मारे लज्जा के मैं अपने मित्र से आँख नहीं मिला सका । पर वे इतने भले थे कि मुझसे उसके विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा । टण्डनजी यदि उस दिन न आ जाते, तो मेरा तो सम्मेलन में सम्मिलित होना मुश्किल ही था । टण्डनजी उसी दिन बारह बजे की गाढ़ी से उतरे, तब मैंने उनके कपड़ों से काम चलाया । पंजाब-हस्ताकांड की जाँच करने के लिए कांग्रेस ने जो स्वतंत्र समिति नियुक्त की थी, उसीके काम से वे अमृतसर और लाहौर गये हुए थे ।

यह हुई कलिपय अधिवेशनों की कहानी । मुजफ्फरपुर-अधिवेशन को अभी छोड़ देता हूँ, उसके विषय में किसी अगले प्रकरण में लिखूँगा ।

एक साथ, एक ही मंच पर, दो-दो शीर्षस्थानीय साहित्याचार्यों का दर्शन-द्वारा भी मुझे इसी सम्मेलन में हुआ था । पंडित गोविन्द-नारायण मित्र और पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी के पाद-पद्मों पर

अद्वा-भक्ति से मेरा महतक मुक गया। हमारे साहित्य-सेत्र के दोनों ही आचार्य अजेय महारथी थे—दोनों ही महान् मेधावी, दोनों ही महान् वशस्त्री ।

आचार्य द्विवेदीजी ने अपने स्वागत-भाषण में हिन्दी माध्यम के द्वारा उच्च शिक्षा देने के लिए जो ज्ञानदार अपील की थी उसमें उनके हृदय की उत्कट वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। इसाहावाद-विश्व-विद्यालय के सेमेटरों को उन्होंने बहुत धिक्कारा था। उन्होंने कहा था कि, “शेषसप्तिवर, श्यकी और बाहून ही को नहीं, चासरतक को याद करते-करते हम अपने सूर, तुलसी और केशवतक को भूलते जा रहे हैं; नामन और सैक्षण जोगांतक की पुरानी कथाएँ कहते-कहते हम अपने यादवों, मौर्यों और कश्चितों का नामतक विस्मृत करते जा रहे हैं! हमे धिक्कार है !”

तब से आज कुछ तो वह दुर्योगस्था बदली है, पर शिक्षा का माध्यम, हमारे दुर्भाग्य से, अधिकांश में अब भी औंग्रेजी भाषा ही है। हिन्दी प्रान्तों के विश्व-विद्यालयों को यह बहाना मिल गया है कि हिन्दी में विविध विषयों के उच्च साहित्य का निर्माण ही नहीं हुआ है, तब उसे उच्च शिक्षा का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन इसमें दोष किसका है? साहित्य-निर्माण का भी काम क्या विश्व-विद्यालयों का नहीं है? काशी-विश्व-विद्यालय से हमें इस सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं, पर उसने भी कुछ न किया। माझबीयजी महाराज की भी सारी आशाएँ विफल ही गईं। यह क्यों और दुःख की बात है कि काशी-विश्व-विद्यालय के ऊंचे-से-ऊंचे अधिकारी भी

अँग्रेजी में लिखते हैं और अँग्रेजी में ही लोकते हैं।

प्रथम 'मंगलाप्रसाद-पारितोषिक' भी, इसी सम्मेलन में, स्व० पढ़ित पश्चिम शर्मा को, उनकी 'बिहारी-सतसर्हृ' की भाष्य-भूमिका' पर, ताङ्ग-पत्र के साथ, प्रदान किया गया था। टवड़नजी के अनुरोध पर काशी के रहस्य श्री गोकुलचन्द्रजी ने अपने प्रिय आता मंगलाप्रसादजी की स्मृति में चालीस हजार रुपया सम्मेलन को इस उद्देश्य से दिया था कि उस निधि के सूद से सर्वोत्तम मौलिक ग्रन्थ पर उसके लेखक को १२००) रुपये का पारितोषिक प्रतिवर्ष दिया जाये। हमारे दरिद्र हिन्दी-संसार में इस पारितोषिक को लगभग वही प्रतिष्ठा प्राप्त है, जो पाश्चात्य देशों में 'नोबुक्स प्राहज़' को मिली हुई है।

साहित्य के पथ पर

साहित्यकारों के संपर्क में या साहित्य के बातावरण में रहते-रहते मैं भी अपने को अब एक साहित्यक जीव समझने लगा था—एक ऐसा जीव, जिसका मुख्य धंधा कुछ-न-कुछ लिखते रहना और साहित्य की समस्याओं पर विचार-विनिमय अथवा मात्र विनोद करना होता है। पर सफलतापूर्वक वैसा बन नहीं सका, उन गुणों या उपादानों का मुझमे एक तरह से अभाव था, जो सफल साहित्यकार बनने के लिए आवश्यक हैं। अपने उस साहित्यक जीवन से मैंने वैसा कुछ अर्योपार्जन भी नहीं किया।

एक दिन मन में विचार आया कि सम्मेलन से पारिश्रमिक लेना ठीक नहीं। क्यों ? कोई खास दलील तो थी नहीं, केवल भावना ही बाबबार प्रेरित कर रही थी। सोचा, सम्मेलन की जो भी सेवा बन पड़े उसे अब अवैतनिक रूप से करूँगा। लेकिन तब जीविका कैसे चलेगी ? जीविका लेखन के व्यवसाय से चलाओ। औरों की भाँति मासिनीवी बनने में तुम्हें क्या बाधा है ? पुस्तकों की लिखाई से जो कुछ मिले उसीसे निर्वाह करो।

तो सम्मेलन से बेतन नहीं लौंगा, अपना यह सनकभरा निश्चय

अद्वेय टंडनजी को एक दिन लिखकर दे दिया। टंडनजी ने बहुत समझाया, पर समझ में कुछ आया नहीं। उन्होंने प्रेमसे ढाँटते हुए कहा—“तो क्या तुम भूखों मरना चाहते हो ? इस तरह तो तुम सम्मेलन की कुछ सेवा भी नहीं कर सकोगे। सम्मेलन इतना दरिद्र नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को भोजन-वस्त्र के लिए भी न दे सके। तुम्हारा यह सब पागलपन है !”

“पर यह पागलपन आपसे ही तो सीखा है”, धोरे से डरते-डरते मैंने इतना ही कहा।

और अधिक दबाव नहीं डाला। तुरन्त तो मुझे अर्थ-संकट का सामना नहीं करना पड़ा। स्वभाव में थोड़ी जापर्वाही-सी आ गई थी। सोचा, फिलहाल एक-दो मिन्टों से कुछ कर्ज़-वर्ज़ ले लूँगा, बाद को देखा जायेगा, कुछ लिख-लिखाकर चुका दूँगा। चार सालतक इलाहाबाद में और छह साल पन्ना में भी मेरा यही कम चलता रहा। भृश-भार से दब गया तब कुछ लिख डाला, अधिकार बेचने से जो मिला उससे कर्ज़ा चुकाया और जो बच गया उससे एक-दो महीने बेफिक्री से काम चलाया। फिर उधार लिया, फिर दिमाग बेचा, फिर कर्ज़ा बेबाक़ किया। एकमुश्त जितना भी प्रकाशक ने दिया उसीसे सन्तोष मान लिया। रायलटी क्या चीज़ होती है इसका पता तो मुझे बहुत पीछे चला। कई किताबें मेरी काफ़ी सस्ती गईं। दो पुस्तकों का सारा अधिकार एक प्रकाशक महाशय ने, मेरी गरज़ का कायदा उठाकर, १७५) में खरीद लिया था। ये पुस्तकें काफ़ी बिकीं, अनेक संस्करण हुए, पटना-विश्व-विद्यालय के मैट्रिक के कोर्स में दस-बारह सालतक

चलती रहीं। मगर मुझे जितना मिल गया उसीमें संतोष माना। जो आया वह छवर्च कर डाला। आय का मासिक औसत हमेशा तीस-पैंतीस रुपये का ही पका। पैसा पहले नहीं रहा। न कभी जोड़ने या बचाने का मन हुआ। तंगदस्त तो रहा, पर ऐसा कोई कष्ट नहीं हुआ। पैसे के तर्ह उपेहा का भाव पहले से अधिक हो गया। ऐसे भी अवसर आये, जब एक भी पैसा गाँठ मे नहीं रहा, पर, सिवा एक अवसर के, हृश्वर की दिया से कभी भूखा नहीं सोया।

वह प्रसंग भी प्रश्नाग का ही है। उन दिनों मैं सम्मेलन के पुराने भवन में रहता था। क्रीब ४०) का कर्ज़ कर डाला था। टंडनजी के सबमें बड़े पुत्र स्वामीप्रसादजी से अब और उधार लेने की हिम्मत नहीं होती थी। दिनभर का भूखा था। शाम को एक बार मन हुआ कि आज का काम चलाने के लिए एक रुपया तो उनसे ले ही लूँ। पर माँगने का साहस न हुआ। भूखा ही तस्वीर पर लेट गया। मन मे संघर्ष चलता रहा। आज की रात भूखे पढ़े-पढ़े काट दी, तो कल तो उधार लेना ही पड़ेगा। ऐसे कबतक भूखा रह सकता हूँ? तब फिर अभी ही क्यों न ले लूँ। स्वामीप्रसादजी से न सही, एक दूसरे मित्र से भी तो ले सकता हूँ। इस उघेड़बुन मे पढ़े-पढ़े एक दो घट बाद नींद आगई। सबेरे उठा तो उतनी चिता नहीं थी। मन में बेफिक्की थी। चित्त स्वस्थ था। कुछ लिखने बैठ गया। कोई ११ बजे सहसा ढाकिये ने आकर आवाज़ दी,—“आपका एक मनीआर्डर है।” मनीआर्डर ६) का था। यह मनीआर्डर कैसा! कूपन पढ़ने पर मालूम हुआ कि मेरे एक-दो लेख ‘सरस्वती’ में दो वर्ष पहले छपे थे और वह उन्हीं लेखों का पुरस्कार

था, जिसके मिलने का सुके स्नयाक भी नहीं था। मेरी अद्वा ने तो यही माना कि भगवान् ने ही अनमींगे यह 'महाप्रसाद' भेजा है।

चिन्ताओं ने मुझे वहाँ सताया नहीं। चित्त स्थूल प्रसन्न रहता था। आनन्द-विनोद में दिन कट जाता था। टरणजी के छोटे-बड़े सभी बच्चे मुझसे खूब हिल-मिल गये थे। चिठ्ठुरप्रसाद(टरणजी के द्वितीय पुत्र) और भवानीप्रसाद गुप्त मेरे पास बहुत बैठते थे। और भी कई मिन्न और विद्यार्थी शाम को धूमते-धामते आ जाते थे। हमारे बैठने के दो मुख्य अड्डे थे—साहित्य-भवन और साहित्योदय। भवानीप्रसाद गुप्त को, जो पहले पंडित रामनरेशजी त्रिपाठी के यहाँ काम करते थे, पुस्तकों की स्वतन्त्र दूकान खोलने की मैंने ही सलाह दी थी और उसका 'साहित्योदय' नाम भी सुकाया था। मेरी गद्य-काष्य की प्रथम रचना 'तरंगिणी' इस साहित्योदय से ही प्रकाशित हुई थी। हास्य-विनोद का हमारा मुख्य अड्डा साहित्योदय था। साहित्य-भवन में तो, फिर भी, मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता था। वह अधिकतर बुजुर्गों के बैठने को जगह थी। लड़के वहाँ खुलकर हँस-बोल नहीं सकते थे। मगर मेरी समायत तो दोनों ही जगह हो जाती थी—लड़कों में भी और बुजुर्गोंमें भी। लड़के मुझे हौवा नहीं समझते थे और बुजुर्गों की इष्टि में मैं एक गम्भीर स्वभाव का नव-युवक माना जाता था। कभी-कभी अपनी मित्र-मण्डली में हमारा हास्य-विनोद बढ़ते-बढ़ते 'चिरकीं मियाँ' के गलीज़ साहित्यतक पहुँचता। विनोद-चर्चा में खदार-भण्डार के व्यवस्थापक श्रीकालिका भाई (पंडित-कालिकाप्रसाद शर्मा) भी भाग लेते थे। हम दोनों एक दूसरे को मात देने का प्रयत्न करते थे। कभी बाज़ी उनके हाथ रहती, कभी मेरे। दिल्ली

आया तो हज़रत यहाँ भी मौजूद। हँसते हुए पूछा—“यहाँ, दिल्ली में भी, चौपटचरण ?” जवाब तैयार था—“तुम्हें तारना जो था !” कालिका भाई को देखते ही मेरा पुराना विनोदी स्वभाव आज भी हरा हो जाता है। नई-नई उक्तियाँ, नई-नई सूझें बिना ही प्रयास के ज्ञान पर आ जाती हैं। विनोद अब मेरा कालिका भाईतक ही सीमित रह गया है।

साहित्यिक विनोदोंमें प्रायः श्रद्धास्पद स्व. हरिश्चांद्रजी के ‘प्रिय-प्रवास’ को मैं अपना लक्ष्य बनाया करता था। उसमें से ‘मुहुर्मुहुः’, ‘वो-वो’ (त्यों त्यों का पर्याय) जैसे विकट शब्दों को लेकर हम लोग बहुत हँसते थे। मिश्रबन्धुओं की भाषा और शैली की भी खूब आखोचना किय करता था। परन्तु परिणाम हस हास्य-विनोद का अच्छा नहीं हुआ। दूसरों के दोष देख-देखकर सुशा होने की आदत बनने लगी और उससे स्वभाव में एक तरह की तुच्छता आ गई। तब यह समझ नहीं थी कि विनोद का भी संयम होता है। संयम को तोड़कर अविवेकपूर्वक जो बहुत हँसता और बहुत बोलता है, वह अपना मोल कम कर देता है। एक दिन एक बयोवृद्ध सज्जन को हम लोगोंने बहुत बनाया। मेरे भी मुहँ से हँसी में एक-दो अनुचित शब्द निकल गये। हमारी अशिष्टता से उन्हें काफी दुःख हुआ। बाद को मैं भी बहुत पछताया। जाकर डनसे उमा माँगी और आगे से विनोद पर नियन्त्रण रखने का निश्चय किया। संयम-ने तो कम, मगर जीवन की परिस्थितियोंने ज्यादा मेरे विनोदी स्वभाव को पलट देने में मदद दी। आध्यात्मिक प्रसन्नतातो दुर्लभ रही ही, मन की वह साधारण प्रसन्नता भी धीरे-धीरे मन्द पड़ती गई। मनुष्य में क्या से क्या हो जाता है !

तब कितने ही विद्यार्थी मेरे पास आकर बैठते और पढ़ने को उत्सुक रहते थे। अब, आज वह बात नहीं रही। बीस-पचास साल के अन्दर ही ज्ञाने की परछाई काफी आगे सरक गई। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। यह तो प्रगति का देगा है। हाँ, तो ब्रजभाषा का भक्ति-साहित्य मेरे विद्यार्थी बड़े प्रेम से पढ़ते थे। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें उससे कितना लाभ मिला होगा, पर मेरा अपना अध्ययन अवश्य अच्छा होगाया था। अथवा, यह कहना ज्यादा सही होगा कि मेरे विद्यार्थियों ने मुझे काफी पढ़ाया। विद्यार्थियों में चिंगुरु गुरुप्रसाद मुख्य थे। पाँच वर्षतक वे मेरे बनिष्ठ सम्पर्क में रहे। उन्हें मैं आज भी अपना जैसा ही स्नेह-भाजन मानता हूँ। उनके बाल-हठ के कितने ही मधुर प्रसंग याद हैं। श्रीराम-बहोरी शुक्ल भी मेरे पास पढ़ा करते थे। शुरू में रहते भी मेरे ही साथ थे। वे परिश्रमी और लगन के विद्यार्थी थे। सोलह-सत्रह वर्ष बाद जब रामबहोरीजी मुझे काशी में मिले, तब उनके प्रति मेरे हृदय में पहले के जैसा ही वात्सल्य-स्नेह उभड़ आया। अब वह नागरी-प्रचारिणी-सभा के प्रधान मन्त्री थे।

दक्षिण भारत के कुछ राष्ट्रभाषा-सेवियों को भी पढ़ाने का अवसर आया। दक्षिण से राष्ट्रभाषा के ज्ञान-भिजुओं का एक छोटा-सा दल प्रयाग पहुँचा था। श्रीहरिहर शर्मा उनमें मुख्य थे। शर्माजी तथा श्रीकृष्ण-राम ने जिस परमनिष्ठा से मध्यमा परीक्षा की तैयारी की थी वह हिन्दी भाषा-भावियों के लिए भी अनुकरणीय है। मेरे मित्र पंडित रामनरेशजी त्रिपाठी उन्हें तथा अन्य मद्रासी विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। मेरे पास 'प्रिय-प्रवास' या ब्रजभाषा का कोई काष्य-प्रभ्य पढ़ते थे। कुछ ऐसे

भी विद्यार्थी मद्रास से आ गये थे, जो हिन्दी बिलकुल नहीं समझते थे और अंग्रेजी भी नहीं जानते थे। उन्हें पढ़ाना बड़ा मुश्किल मालूम देता था। ‘भोइन ने खाना खा लिया होगा’ जैसे बाक्यों का अर्थ समझाना आसान नहीं था। कहते—‘खाना खा लिया’ यह तो समझ में आ गया, पर यह ‘होगा’ क्या? क्या अभी और भी ‘खाना’ होगा? पर वे जब-राते नहीं थे। कुछ ही दिनों में कामचलाऊ हिन्दी सीख लेते थे।

: १० :

ब्रज-साहित्य की ओर भुकाव

श्रद्धेय उगड़नजी की प्रेरणा से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए 'संचित सूरसागर' और 'ब्रजमाधुरी-सार' ये दो सटिप्पण संग्रह-ग्रन्थ मैंने तैयार किये। सूरसागर उन दिनों बम्बई के बैंकेश्वर प्रेस का ही डप-लाइन था। पाठ उसका काफी छष्ट था। दूसरा कोई और संस्करण सामने था नहीं। पाठ शुल्क करना बढ़ा कठिन कार्य था। इसलिए मैंने ऐसे ही पढ़ों को अपने संग्रह में स्थान दिया, जिनका पाठ अपेक्षाकृत अधिक शुल्क था, और अर्थ भी जिनका सरलता से लग जाता था। परन्तु प्रथम प्रयास होने के कारण पाद-टिप्पणियों में मैंने अनेक भावी भूलें कर ढार्ही। छपाई में भी बहुत-सी भूलें रह गईं। प्रूफ-संशोधन का तब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। सूरदास के पढ़ों का यह छोटा-सा संग्रह, फिर भी, लोगों को पसन्द आया। भूमिका इसकी श्री पंडित राधाचरणजी गोस्वामी ने लिखी थी। उसमें उन्होंने सूरदास का जन्म-स्थान रुक्तता ग्राम बताया था। इसके एक या दो महीने बाद स्व० डा० बेनीप्रसाद द्वारा संपादित 'संचित सूरसागर' इकाहावाद के हिण्डयन प्रेस ने प्रकाशित किया। बेनीप्रसादजी ने प्रस्तावना में भक्ति-विषयक कुछ सर्वथा नये

विचार प्रकट किये। भक्ति-सिद्धान्त को उन्होंने थोड़ा हसलाम धर्म से प्रभावित बतलाया। भागवत धर्म का गम्भीर अध्ययन करनेवालों के गहे उनकी यह दखिला कुछ उत्तरी नहीं। परन्तु पद-संकलन की दृष्टि से संग्रह उनका सुन्दर था।

‘ब्रजमाधुरी-सार’ मेरा दूसरा संग्रह-प्रथ्य था। छतरपुर में ब्रज-साहित्य देखने का मुझे खासा अच्छा अवसर मिला था। साहित्यिक दृष्टि से तो नहीं, किन्तु एक अद्वालु वैज्ञाव की दृष्टि से अनेक भक्तों की बानियों मैंने वहाँ पढ़ी और सुनी थीं। दो-तीन भक्तों की अनड़पी बानियों में अपने साथ वहाँ से जाया भी था। विचार आया कि ‘अष्ट-छाप’ के प्रमुख भक्त कवियों तथा दूसरे ब्रज-सिक्कों के कुछ सुन्दर पदों का एक सटिष्ठण संग्रह यदि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प्रकाशित करा दिया जाये, तो उससे ब्रज-साहित्य की ओर हमारी काफ़ी अभिरुचि पैदा हो सकती है। मेरा यह विचार टरहनजी को भी पसन्द आया। कोई छह महीने में प्रस्तावित संग्रह की पाएँहुकियि मैंने तैयार करदी। मूल में तो मेरा विचार यह था कि केवल भक्तों की ही बानियों का संकलन किया जाये, पर बाद को लेत्र मैंने कुछ विस्तृत कर दिया—ब्रजभाषा के विद्वारी, देव-जैसे प्रसिद्ध महाकवियों की कविताओं को भी उसमें ले लिया। चुनाव करते समय निर्णय करना कठिन होगया कि कविता की दृष्टि से कौन तो भक्त है और कौन अभक्त। शङ्कारी अभिव्यञ्जना को देखा तो दोनों में प्रायः बहुत कम अन्तर पाया। यदि पहले से मन पर यह छाप न पढ़ी हो कि अमुक कवि भक्त या महारमा था अतः उसकी बासी को अद्वापूर्वक निर्विकार मानना ही चाहिए, तो उस रसिक भक्त

की बाती और सामान्य शक्तारी कवि की कविता में शायद ही कुछ अन्तर दिखाई दे। किन्तु मेरी इष्टि तो वैष्णवी इष्टि थी। इसी इष्टि से मैंने तर्क का आशय न लेकर द्वितीय संस्करण में प्रन्थ को दो खंडों में विभक्त कर दिया। मन शंकालीख होते हुए भी यह मानता रहा कि भक्तों और सामान्य कवियों या महाकवियों की कविताओं में अवश्य कुछ-न-कुछ अन्तर रहता ही है। मैंने भरसक भक्तों की शक्तारी कविताओं का अभ्यासपरक अर्थ लगाया, पर शंकाएँ कम न हुईं, बल्कि कुछ बढ़ी ही। यौं तो खींचातानी से विद्वारी के बोर शक्तारी दोहों का भी आध्यात्मिक अर्थ किया गया है। उत्तान शक्तार की निरावरण कविताओं को भक्ति-साहित्य के अन्तर्गत मानते हुए मुझे तो भय लगता है, किर चाहे वे कितने ही बड़े भक्त कवि की रचनाएँ क्यों न हों। हो सकता है कि उसकी कुछ रचनाओं में भक्ति या ज्ञान-वैराग्य की भी अभिव्यक्ति हुई हो, पर इससे उसके पह में यह निर्णय देना निरापद नहीं है कि उसकी बोर शक्तारी रचनाएँ भक्ति-साहित्य के अन्तर्गत आती हैं। भक्ति कोई बाज़ार चीज़ नहीं है। वह तो अत्यन्त निर्मल वस्तु है। निर्विकार की अभिव्यक्ति भी निर्विकार ही होती है।

‘ब्रजमाधुरी-सार’ का जब द्वितीय संस्करण निकालने की बात आई, तब मैंने उसमें से कितने ही पदों और कवितों को निकाल दिया। द्वितीय संस्करण में सुरुचि का और भी अधिक ध्यान रखा गया। और भी कुछ अंश कम किया जा सकता है, और ऐसा करने से ब्रजमाधुरी में, मेरा विश्वास है, कुछ भी कमी न आयेगी। पृष्ठ-संख्या ज़रूर कम हो जायेगी, पर इसमें सन्देह नहीं कि वह कृष्णगंग संकलन सुधारस के सार

का भी सार होगा ।

ब्रजभाषा के साहित्य की ओर उन दिनों मेरा बहुत अधिक मुकाबला था । मैं भी ब्रजभाषा को सबसे मधुर भाषा मानता था । किन्तु पीछे, धीरे-धीरे मेरी यह भाषणा बदल गई । हाँ, हतना अवश्य कहूँगा कि ब्रजभाषा के हारा कोमल भावों की अभिव्यक्ति वही अच्छी हुई है । सूरदास, बिहारी, देव, आनन्दघन आदि निःर्गजाल कवियों ने अपनी निर्माण-क्षमता से ब्रजभाषा के अन्दर कुछ ऐसी शक्ति डाल दी थी कि उसमें अभिव्यक्ति के विकल्पण गुण पैदा हो गये । कविता के लिए वह एक अच्छी समर्थ और समृद्ध भाषा सिख हुई । मगर मेरा पढ़पात्र निर्वल पढ़ गया, जब मैंने देखा कि ऐसा ही शक्ति-संचार सो जायसी और तुलसी ने अवधी भाषा में किया है । बहिक आज तो मैं यहाँतक मानने लगा हूँ, कि वियोग-शङ्कार की अभिव्यक्ति के लिए जितनी अवधी भाषा समर्थ हुई उतनी ब्रजभाषा नहीं । यही कारण है कि वियोग-शङ्कार की ऊँची अभिव्यञ्जना ब्रजभाषा में अपेक्षाकृत कम ही मिलती है । अवधी में जायसी और कुछ दूसरे प्रेम-मार्गी कवियों और संतों ने प्रेम के जिस निर्मल रूप को हृदयवेदी शब्दों में अभिव्यक्त किया है वैसी चीज़ ब्रजभाषा के साहित्य में कम ही देखने में आर्ह है । मेरे कहने का यह अर्थ न लगाया जाये कि अवधी का सारा शङ्कार-साहित्य निर्विकार है । जायसी प्रभृति प्रेममार्गी कवियों ने जहाँ संयोग शङ्कार का वर्णन किया है वहाँ वे भी फिसल गये हैं । ऐसे कुहचिपूर्ण अंश लेपक-जैसे मालूम पड़ते हैं, और उनकी शुभ्रता पर निश्चय ही ऐसे अशरीक अंश काले घड़बे-से प्रतीत होते हैं । मेरे कहने का तात्पर्य तो केवल हतना ही है

कि अवधी में निर्मल विद्योग-शृङ्खल की अभिव्यक्ति की जो समर्थता है, जो सम्पूर्णता है वैसी ब्रजभाषा को उपलब्ध नहीं हुई।

मगर यह तो मेरा अपना मत है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस मान्यता के विरोध में काफ़ी कहा जा सकता है। 'ब्रजमाधुरी-सार' के संपादन के सिलसिले में भारतेन्दुजी के स्नेही सखा श्रीराधाचरण गोस्वामी से मैं दो या तीन बार बृन्दावन में मिला था। गोस्वामीजी महाराज से मैं एक दिन कबीर के विषय में चर्चा कर रहा था। स्वभावतः अवधी भाषा के साहित्य का भी प्रसंग छिप गया। उस ओर ढन्हें मेरा कुकाब अच्छा नहीं लगा। बोले—“ब्रज-साहित्य के अनुपम माधुर्य के आगे तुमने कबीर और अवधी के हुए साहित्य की यह क्या नीरस चर्चा किए दी !” जीभ, निकीरी क्यों लगे, जौरी, चालि और बाँगूरु विहारी का यह दोहा भी मुझे खिकारते हुए कहा।

आगे कुछ कहना बेश्वदबी में शुमार किया जाता। मैं चुप होगया। पर मुझे तो, सच मानिए, जो स्वच्छ, निर्विकार रस-माधुर्य कबीर और जायसी की कविता में मिला, वह अन्यत्र नहीं।

फिर भी ब्रजभाषा के प्राचीन साहित्य की मैं उपेक्षा नहीं कहूँगा। ऐसा करना भारी अपराध होगा। उस साहित्य पर यथापि मेरा आज वैसा मोह नहीं रहा, तो भी मैं यह कहने को कदापि तैयार नहीं कि उसमें दैनें उठने की प्रेरणा देनेवाली रचनाओं का अभाव है। ऐसा कहने का कौन दुःसाहस करेगा ? सूर और आनन्दबन की कविता का बहुत-सा अंश और मीरी की तो प्रायः सारी ही पदावली दैनें उठाने का बल रखती है। यह सही है कि रसों के साथ काव्य के टुकड़ों का देर भी काफ़ी पढ़ा

है, और दुर्मान्य से उस कचरे की राशि को आज भी हमारे कुछ साहित्य-रसग़ मूल्यवान् समझते हैं। ऐसी बेकार चीजों की शोष पर धन और शक्ति का अर्थना कहाँतक वांछनीय है यह विचार करने की बात है। अच्छा हो कि साहित्य के संग्रहालय चाहे जो कुछ संग्रह करने का मोह छोड़दें। उनमें तो असली रत्नों का ही संग्रह हो। काव्य के हजारों-सालों दुकड़ों से हमारे संग्रहालय क्यों बेकार सजाये जायें ?

‘ब्रजमाहुरी-सार’ में, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, कुछ ऐसे भी कवियों को स्थान दिया था जिनकी कविताएँ प्रकाश में नहीं आई हीं। उनमें गदाधर भट्ट, हरिराम व्यास और श्रीभट्ट मुख्य थे। हरिराम व्यासकी समस्त बाणीका संग्रह मुझे ब्रतरपुर में उपलब्ध हुआ था। उसमें लगभग ८०० पद हैं और १४५ दोहे। वह संग्रह मैंने सम्मेलन के संग्रहालय को भेंट कर दिया है। हरिराम व्यास और कृष्ण-नरेश महाराजा मधुकरशाह के दीक्षा-गुरु थे। ब्रज-साहित्य में इनका ऊँचा स्थान माना जाता है। व्यासजी के अनेक पद सूरदासजी के पदों से, भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से, किसी तरह कम नहीं। साखियाँ भी वहों मार्मिक हैं। हरिराम व्यास के पदों का यदि एक अच्छा-सा संग्रह प्रकाशित हो जाये, तो उससे ब्रज-साहित्य का एक दण्डवत्त रत्न सामने आ जाये। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य गदाधर भट्ट की भी पदावली बड़ी सरस और अनूठी है। वह भी अप्रकाशित ही है। ब्रज-साहित्य के इन उत्तम रत्नों का परिचय साहित्य-संसार को बहुत कम है। खेद का विषय है कि इस दिशा में न तो साहित्य-सम्मेलन ने कुछ काम किया, न नागरी-प्रचारिणी सभा ने ही। चाकीस-पचास मुख्य-मुक्य भक्त कवियों की बानियों में से सारङ्ग

सुखपूर्ण पदों के बड़े सुन्दर संकलन किये जा सकते हैं। सम्मेलन अथवा सभा इस उपेतित किन्तु महत्वपूर्ण काम को हाथ में लेके, तो एक खटकनेवाले भाषाव की पूर्ति हो सकती है।

उन दिनों ब्रज-साहित्य पर ही मेरा सारा ध्यान केन्द्रित था। उसी-का संपादन, उसीका अध्ययन और उसीका अध्यापन। ब्रज-भाषुरी का गाढ़ा रंग चढ़ कुका था, और कई वर्ष बैसा ही चढ़ा रहा। कुछ कविताएँ भी मैंने ब्रजभाषा में डसी शैली में लिखीं। ‘अनुराग-वाटिका’ के पदों की रचना मैंने उसी रंग में की। भाषुकता की धारा में बहकर मैंने यहाँ-तक कह दाला—

“हमारे ब्रजबानी ही वेद;
भावभरी या मधुबानी कौ
नायँ मिल्यौ रस-भेद !
निगमागम-कृत सब्दजाल में
वा सुख की कहँ आस ?
जो सुख मिलत चाहि ब्रजपद-रस,
सौंधी सहज मिठास !” इत्यादि ।

परिणाम यह हुआ कि ब्रजभाषा-साहित्य का मैं ‘अन्ध पष्पाती’ गिना जाने लगा। यह धारणा तो शायद आज भी मेरे विषय में कुछ कुछ बनी हुई है। इसका कारण तो या ही। आरोप बहुत-कुछ सही था। मेरे तब के विचारों में परिवर्तन हो जाने का पता मेरे आरोपियों को लग नहीं सका। भाषुकता में चाहे जो लिख दाला हो, पर ब्रज-भाषा-साहित्य के उन अन्धारुप समर्थकों में मैंने अपने को कभी शामिल नहीं

किया, जो ब्रजभाषा के आगे अवधी, विहारी और सद्गुणों कोली का उपहास किया करते थे। कुछ वर्ष पहले 'मंगलाप्रसाद-पारितोषिक' का मैं भी एक निर्णायक चुना गया था। ब्रजभाषा के एक महाकाव्य की विद्यमानता में भी मैंने अपना निर्णायक मैथिलीशरण गुप्त और सुमित्रामन्दन पञ्च की कृतियों के पहले में दिया। एक मित्र को मेरे हस निर्णाय पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा—“तुम्हें तो मैं ब्रजभाषा का अनन्य या अन्य पत्तपाती भावता था। ‘साकेत’ के पहले में तुम्हारा यह निर्णाय देख-कर मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ।”

मैंने उनसे कहा—“मुझे प्रसन्नता हुई कि आपका यह भ्रम निमूँज सिद्ध हुआ।”

दूसरी बार मैंने प्रसादजी की 'कामायनी' के पहले में अपनी सम्मति दी। 'कामायनी' को पढ़ते समय हस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह किस भाषा में लिखी गई है।

११ :

मेरी काव्य-रचनाएँ

कविता करने का शौक मुझे लगा तब मेरी आयु मुरिकल से नौ बर्ष की रही होगी। सबसे पहले गणेशजी की बन्दना की एक कुण्ड-लिया जोड़ी थी, जिसका पहला चरण 'लंबोदर गजबदन को सुमरौ बारम्बार' शायद पेसा कुछ था। अपने पहासी लाला चिन्ताहरण को जब बड़े चाव से अपनी यह प्रथम रचना सुनाई तो 'उन्होंने मेरी लूट पीठ ढोकी। हमारे ये दाद देनेवाले देवता कभी-कभी अनजान में अनर्थ कर बैठते हैं। लड़कों को जरूरत से ज्यादा प्रोत्साहन दे-देकर अक्सर निरर्थक बातों का शौक पैदा करा देते हैं। कविता बनाने का नशा बड़ी जल्दी बढ़ता है, और फिर उत्तरता भी बड़ी मुरिकल से है।

छतरपुर में पुरानी परम्परा के एक अच्छे नामी कवि थे। उनका नाम पंडित गंगाधर व्यास था। उनके शिष्य उन्हें 'दहा' के नाम से पुकारा करते थे। प्रसिद्ध काव्य-मर्मज्ञ स्व० लाला भगवानदीन इन्हीं व्यासजी के शिष्य थे। लाला जी ने हनसे आचार्य बलभद्र का 'नखशिख' पैदा था। व्यासजी आशुकवि थे। कैसी ही कठिन समस्या हो उसकी तुरन्त पूर्ति कर देते थे। काव्य-शास्त्र के अंगों का उन्हें अच्छा ज्ञान था।

छोड़-प्रसिद्धि में इंसुरी कवि के बाद तुन्देलखंड में गंगाधर व्यास का ही स्थान था। व्यासजी के रचे दादरे वहाँ की स्त्रियाँ आज भी वहे प्रेम से गाती हैं। उन दिनों उधर जावनी और रेखता की बड़ी धूम थी। जावनीबाजों के जहाँ-तहाँ अलादे भी थे। उनके दो संप्रदाय थे—तुरा और कलंगी। दोनों एक दूसरे को मात देने की चेष्टा में रहते थे। मानूखी-सी बात पर शास्त्रार्थ छिप जाते। आपस में कभी-कभी हाथापाईतक हो जाती। रेखता के लिठावान ओला हमारे मोहरके के रामगुजाम सराफ और उदलसिंह दाउजू थे। ये सबसे पहले पहुँच जाते थे।

मैं भी उस बातावरण के असर से बच नहीं सका। बदनसीबी से कविता का शौक लग ही गया। पर मेरी स्कूली पढ़ाई में उससे कोई बैसी बाधा नहीं पहुँची। जब मिडिल में पढ़ता था, तब छितनी ही तुक-बन्दियाँ लिख डाकी थीं। बहुत-से सबैये और दोहे 'धनुष-यज्ञ' पर भी लिखे थे। बीर हरदौल पर एक नाटक भी उन्हीं दिनों लिखा था। श्रीकृष्ण के नखशिल-श्वार के भी कुछ पद बनाये थे। राणा प्रताप पर सबी बोली में एक स्वरूपकाव्य भी लिखा था। कुछ शेर भी बना डाके थे, हाकांकि उदू' लिखकर नहीं जानता था। उनके संग्रह का नाम 'प्रेम-गजरा' रखा था। पता नहीं, तब की उन सारी रचनाओं का क्या हुआ। कविता के साथ वह सब मेरा एक सेवावाह था। मगर उन तुकबन्दियों के भी सुनने और सराहनेवाले मिल जाते थे।

मैट्रिक पास कर चुकने के बाद कविता लिखने का यह मर्ज़ काफ़ी बढ़ गया। प्रायः रोज़ ही कुछ-न-कुछ लिखता। शिलरिणी छंद में एक छोटा-सा काव्य भी लिख डाका। नाम उस काव्य का 'प्रेम-पथिक' रखा।

उसमें 'प्रेम-पुरी' वी कविता यात्रा का रूपक चित्रित किया था। यात्रा पहुँचे से अब कुछ मैंज गई थी। 'प्रेम-पथिक' लिखने के बाद मेरी यह धारणा बन गई कि हिन्दी का अब मैं एक अच्छा कवि हो गया हूँ। अब मेरी यह पहली रचना छपकर मेरे पास पहुँची तो मारे हवे और गर्व के मैं आकाश में उड़ने लगा। मित्रों ने बधाइयाँ भी दीं। कुल २० प्रतियाँ प्रकाशक महोदय ने भेजी थीं। बड़े केर में पढ़ गया कि किसे दूँ, किसे न दूँ। बड़ी मुश्किल से एक प्रति अपने पास सेंतकर रख सका। बाद को वह रंक का धन भी चोरी चला गया। मेरे पास आज उसकी एक भी प्रति नहीं है। प्रेम-मन्दिर, आरा से-तीन-चार और भी छोटी-छोटी रचनाएँ प्रकाशित हुईं थीं—प्रेमशतक, प्रेमांजलि, प्रेमपरिचह और एक रचना और, जिसका नाम याद नहीं आ रहा है। आज वे सभी अप्राप्य हैं। मैंने अपनी एक भी पुस्तक कभी अपने पास नहीं रखी। हस अर्थ में चाहें तो मेरे मित्र मुझे 'अपरिग्रही' कह सकते हैं।

अपनी कविताओं को आपस के चार-चाह मित्रों के बीच में तो सुना दिया करता था, पर किसी सभा-सम्मेलन में सुनाने का साहस नहीं होता था। केवल एक बार छतरपुर में, गोशाला के बाबिंकोसव पर, एक कविता पढ़ी थी। उस कविता को मैंने खूब सुन्दर अचरों में लिखा था। उत्सव के अध्यक्ष तब राज्य के दीवान सुविळयात साहित्यकार स्व०पंडित श्यामविहारी मिश्र थे। कविता अत्यन्त साधारण थी, फिर भी मिश्रजी ने मुझे बड़ा प्रोस्ताहन दिया। स्व० राधामोहन गोकुलजी के बहुत आग्रह करने पर इलाहाबाद में भी मैंने विश्व-विद्यालय की किसी साहित्य-गोष्ठी में वीरसं कवित पढ़े थे। और किसी कवि-

समाज में कभी शामिल नहीं हुआ।

कविताएँ मैंने अधिक नहीं लिखीं, यद्यपि सहजय मिश्रो ने मेरी गद्यना सदा कवियों में ही की। मैंने कविता लो की, पर अपने को कभी कवि कहने की उम्मत नहीं की। ऐसा कुछ लिखा भी नहीं, जिसमें कोई आस रहत हो। प्रारंभिक रचनाओं का मैं ऊपर उल्केस्त कर चुका हूँ। उनको यदि 'छोड़दूँ', तो 'कवि-कीर्तन', 'वीर-सतसई', 'अनुराग-वाटिका' और 'मन्दिर-प्रवेश' तथा दस-पन्द्रह फुटकर कविताएँ वस इतनी ही मेरी सारी काव्य-रचना हैं।

भाषा मुझे अज की अधिक अनुकूल पढ़ी, और उसीमें अधिकतर पथ-रचना की। उसमें मुझे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। सबी बोली में 'शुकदेव' नामक केवल एक संडकाव्य लिखा था, पर वह बंगला 'शुकदेव' का क्वायानुवाद था; मौजिकता मेरी उसमें बहुत कम थी। तीन और छोटी-छोटी कविताएँ सबी बोली में लिखी थीं, जिनके नाम 'मीठी-बात', 'एक ही बात' और 'विश्व-कीर्तन' थे।

'कवि-कीर्तन' मैंने प्रयाग में भारी अर्ध-संकट की अवस्था में लिखा था। नाभाजी की 'भक्तमाल' की अमल्कारपूर्ण कथाओं से भले ही हम सहमत न हों, पर एक ही छप्पय के अन्दर जिस लूटी के साथ उसमें भक्तों के चरित का पुष्ट भाषा में संक्षिप्त किन्तु आरगमित वर्णन किया गया है, उससे 'भक्तमाल' को निस्सन्देह हिन्दी-साहित्य में बहुत ढँचा स्थान प्राप्त है। साहित्य की इस दण्डि से ही मैंने 'भक्तमाल' को पढ़ा था। मन हुआ कि इसी शैली पर हिन्दी के मुरुग-मुरुग प्राचीन और अर्वाचीन कवियों का संक्षिप्त वर्णन क्यों न लिख डाला जाये। ऐसे की

भी इस्तरत थी। सो साहित्य-भवन से सौ मुद्रा की पेशगी दक्षिणा खेकर, 'कवि-कीर्तन'मैंने छह-साल दिन में लिखा डाका। अद्येय कविरत्न हांकर-जी ने मेरी उस तुच्छ कृति को बहुत पसन्द किया था।

फिर कई बरस बाद वीर रस के कुछ दोहे लिखे, जिनकी संख्या धीरे-धीरे सात सौ तक पहुँच गई। उस दोहावली का नाम मैंने 'वीर-सतसई' रखा। सतसई के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से अगले प्रकरण में लिखूँगा।

'अनुराग-वाटिका' को पन्ना में लिखा था। यह मेरा यथासम्भव शुद्ध ब्रजभाषा में लिखने का प्रयास था। शैली भी उसकी ब्रजमरणक के प्राचीन भक्त कवियों की है, और यत्र-तत्र उनके भावों का मैंने अपहरण भी किया है। 'अनुराग-वाटिका' के विषय में दृतना अवश्य कहूँगा कि उसे मैंने भक्ति-भावना से प्रेरित होकर लिखा था, कोई दूसरा हेतु नहीं था। 'अनुराग-वाटिका' मुझे प्रिय भी है—उतनी ही प्रिय, जितनी कि गद्यकाव्यों में 'प्रार्थना'।

'प्रबुद्ध यामुन'नाम का एक नाटक भी लिखा, जिसमें स्वामी रामानुजाचार्य के गुह श्रीयामुनाचार्य की जीवन-घटनाओं को कथावस्तु बनाया था। कुछ स्थलों पर अपने आपको अभियक्त करने का भी उसमें मैंने प्रयत्न किया है। 'प्रबुद्ध यामुन' में कविताओं का भी अनेक प्रसंगों में समावेश किया है। यह सासा बड़ा नाटक है। शैली वही भारतेन्दु-काल के नाटकों की है। इस नाटक को मैंने बड़े परिश्रम से एक या दो महीने में पूरा किया था। उन दिनों भी मैं ज्ञानप्रस्त था। जमना-पार हिन्दू-विद्वाणी में बैठकर मैंने इसे लिखा था। सोचा था कि पारिभ-

गिरि से कम-से-कम दो-हाई-सौ फुटे मिल जायेंगे। लेकिन काचार दो-कर सौ फुटे में ही मुझे अपनी वह अम-साध्य रचना बेच देनी पड़ी। सन्तोष यही रहा कि मेरे सहदय मिश्रों ने 'प्रबुद्ध यामुन' की, खासकर दसके पश्च-भाग की, कल्प की।

बीरसे के कुछ पद भी लिखे थे, जो स्व० गणेशांकरजी के संपादन-काल में 'प्रताप' में प्रकाशित हुए थे। वैसे कोई पचासेक पद लिखने का संकल्प था, पर वह पूरा न हो पाया। केवल नेत्र और बाहु पर ही दस-पन्द्रह कविता लिख सका।

'गुरु-गौरव' शीर्षक एक लाम्बी कविता पूज्य सदगुर की पुण्यस्मृति में 'कल्याण' के लिए लिखी थी। पत्र-पत्रिकाओं के लिए शायद ही अपने कवि-जीवन में दस-पाँच कविताएँ लिखी हैं। मेरे स्वभावगत संकोच ने मुझे आगे नहीं आने दिया। हमेरा संकोच रहा कि मेरी ब्रजभाषा की मामूली-सी रचनाओं को इस प्रगतिशील युग में शायद ही कोई प्रसन्न करे। फिर भाषा का ही प्रश्न नहीं था, कुछ तर्त भी तो होना चाहिए। तथा ब्रजभाषा का युग भी समाप्त-सा हो चका था। रत्नाकरजी की ब्रजभाषा की रचनाओं को यदि खड़ब्रतिष्ठ पत्र-पत्रिकाओं में गौरव का स्थान मिल जाता था, तो उसे एक अपवाद ही कहना चाहिए। किन्तु यदि सत्यनारायण और रत्नाकर-जैसे रससिन्ह कवियों को उचित सम्मान न मिला होता, तो उसे मैं हिन्दी-संसार के लिए एक महती दुर्घटना ही मानता।

अंतिम कविता मेरी वह थी, जिसे मैंने पूज्य गोधीजी के अनशन पर लिखा था—उस महान् अनशन पर, जो उन्होंने हरिजन-सेवकों की

मेरी काव्य-रचनाएँ

८३

अन्तःशुद्धि के अर्थ पूना में, सन् १९३३ में, किया था। उसके बाद मेरा सदय-कवि मुझसे हमेशा के लिए विदा ले गया, और सचमुच यह बहा अच्छा हुआ। यही मेरे कवि-जीवन की अरोचक-सी कहानी है।

१२

“वीर-सतसई”

‘वीर-सतसई’ पर यह अलग प्रकरण हसलिए लिख रहा हूँ कि एक तो हस के साथ मेरी कुछ स्थाति हुई, और दूसरे हस के साथ मेरे कुछ अनुभवों का घनिष्ठ सम्बन्ध भी रहा है। सन् १९२५ में जब मैं श्रीटद्वानजी से मिलने लाहौर गया, तब वहीं, लाजपतराय-भवन में, वीर-रस के कुछ दोहे लिखने अमरम्भ किये थे। सतसई लिखने की तब कल्पना भी नहीं थी। मुक्तक रचना तो थी ही, हसलिए जब कभी कोई भाव मन में उठा, उससे प्रेरित होकर कुछ दोहे लिख डाले। हस तरह ढेढ़-दो साल में कोई सात सौ दोहे लिखे, और उस दोहावली का नाम, एक मित्र के सुझाव पर, ‘वीर-सतसई’ रख दिया।

वीर रस का स्थायी भाव ‘उत्साह’ होने के कारण हस रस को मैंने सर्वश्रेष्ठ रस सिद्ध करने का नया प्रयत्न या अतिसाहस किया। मैंने माना कि उत्साह के अभाव में एक भी रस मन को प्रिय नहीं लगता। स्थायी भाव उत्साह उसी प्रकार सब रसों में व्यापक है, जिस प्रकार स्वाद की इहि से मधुर रस शकर, नमक, नींबू, आँवड़े, मिर्च और

करेके में। यह शायद मेरा सर्वथा नया प्रयास था। संस्कृत, प्राकृत तथा हिन्दी के सभी आचार्यों ने एक स्वर से शङ्कार को 'रसराज' कहा है। केवल एक भवभूति ने 'एको रसः करुण एव' बताकर करुण रस की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। स्वभाव से ही शङ्कार रस की यह सर्वश्रेष्ठता सुके बहुत अखरती थी। रीति-ग्रन्थ जितने भी मेरे देखने में आये उनमें, सिवा एक 'शिवराज-भूषण' के, सर्वत्र शङ्कार रस का ही अतिशय बाहुदृष्ट मिला। रस-ग्रन्थों में १२ प्रतिशत से ऊपर तो केवल शङ्कार रस पर हमारे बड़े-बड़े आचार्यों ने लिखा, शेष अन्य रसों के तो जैसे उन्होंने केवल माम गिना दिये। मनोविज्ञान के तकों से भी शङ्कार का ही 'रसराजस्व' सिद्ध किया गया, और आज भी किया जा रहा है। सभी रसाचार्य स्थायी भावों में 'रति' को ही प्राधान्य देते हैं। यह तो उनकी भारी कृपा है, जो रति से ठीक विपरीत 'विरति' को भी—निर्वेद को भी—नवरसों में एक रस का स्थायी भाव मान लिया है!

विषय-वासना को प्रयत्नपूर्वक, शास्त्रीय रीति से, उत्तेजन देनेवाली इस मान्यता से व्यष्टि और समझ दोनों पर बढ़ा घातक 'प्रभाव पढ़ा। समाज के मानस में इससे विष पैदा हो गया। इसके उत्तर में शायद यह कहा जाये कि वासना की धारा तो स्वाभाविक है, उसके अजल प्रवाह में वाधा ढाढ़ना व्यर्थ है और पेसा करना प्रकृति-विरुद्ध भी है। यह सही है। तब नैसर्गिक विषय-रति को, तर्क का आश्रय लेकर, सिद्ध और प्रसिद्ध करने की भी क्या आवश्यकता है? और, मनुष्य में पुरुषार्थ की स्थापना करना भी बेकार है। लेकिन पेसी बात नहीं है। गिरना स्वाभाविक आवश्य है, किन्तु श्रेष्ठ नहीं। डैंचा उठना और आगे बढ़ना

ही सत्तात्म काल से जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। विसर्जन ही सब्दा अर्जन है, जो बड़े-से-बड़े पुरुषार्थ की, डैचे-से-डैचे उत्तराह की अपेक्षा रक्षता है।

मेरा यह विश्वास हृद से दृढ़तर और दृढ़तम होता गया कि रति और शङ्कार के अंधाखुन्द निरूपण और समर्थन ने समाज की जीवन-शक्तियों का बड़ा क्षय किया है। साहित्य के भव्य भवन को नायिकामेद के विवेले धुर्णे ने तुरी तरह भर दिया, जिससे समाज का कई शताब्दियों-तक दम छुट्टा रहा। राष्ट्र में इस विश्वातक चिचार-धारा के द्वारा नीति-भ्रष्टा और बलीवता ने भी प्रवेश किया। और तो और, हमारी पवित्र भक्ति-भावना पर भी इसका दुष्ट प्रभाव पड़ा। प्रेम-मार्गी संतों और कवियों ने जिस ज्ञान-गमित स्वच्छ प्रेम-रस का स्रोत खोला था उसे अमर्याद शङ्कार के अन्ध समर्थकों ने बद कर देने का कुसित प्रयत्न किया। रीतिकाल के कुछ कवियों और महाकवियों ने तो गंदगी का देर लगाने में हृद करदी। नखशिख-वर्णन, षट्क्रतु-वर्णन और नायिक-नायिका-वर्णन में ही अपनी सारी प्रतिभा और कला-कुशलता उन्होंने स्वर्च की। इस परंपरा की बदौलत, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में, “प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न-भिन्न चिन्त्य बातों तथा जगत् के नामा रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बदू और परिमित-सी हो गई। उसका सेव्र संकुचित-स। हो गया।” साय ही, समाज की चेतना और पौरुषरीलता को भी संकुचित और निर्जीव कर डाला। मनुष्य की हीन वासनाओं को ‘शास्त्रीय रीति’ से अनुचित उत्तेजन देकर आखिर उन्होंने जीवन की क्या

साधना की ?

आश्वर्य और कलेश होता था और आज भी होता है, जब मैं देखता था कि हमारे कुछ आधुनिक सुकवि भी स्वाभाविकी अन्तःप्रेरणा और प्रगतिशीलता की ओट में प्रकाशन्तर से उसी हीन बासनात्मक शृङ्खल को अपनी रहस्यमयी ज्ञानशिक रचनाओं द्वारा अनुचित उत्तेजन देते हैं, और बेचारी कला का ज़बरन नीति से संबंध-विच्छेद करा रहे हैं। शृङ्खल रस के प्रति मेरी इस विद्वोही भावना ने बहुत-से दोहे लिखाने की प्रेरणा दी। ‘बीर-सत्तराई’ के रचना-काल में मैं जिस बातावरण में रहा, उससे भी मुझे बहुत-सारा भसाक्षा मिला। राष्ट्र को कलीष बना देनेवाली विज्ञासिता को नज़दीक से देखा, तो मेरे आंतरिक विद्वोह की आग उससे और भी भड़क उठी। मैंने देखा कि हमारे ऐतिहासिक राष्ट्र-बीरों की कृतियों की आज केवल ठठरी रह गई है। निराशा और मुदर्दनी से मुझे उस बातावरण में उत्साह और जीवन का सन्देश मिला। स्त्रैण राजपूतों और नृशंस नरेशों को मैंने अनेक दोहों में बड़े कड़े शब्दों में घिकारा। उत्तान शृङ्खल के प्रमुख प्रतिपादक विहारी पर भी चुरी तरह आक्रमण किया। जैसे—

“मफ़कत हियैं गुलाब कैं, भँवा भँवैयत पाइ ।”
या विधि इत सुकुँवारता अब, न दई सरसाइ ॥

जाव भलैं जरि, जरति जो उरध उमाँसनि देह ।
चिरजीवौ तनु रमत जो प्रख्य-अनल कै गेह ॥

जहँ गुलाब हूँ गात पै गड़ि छाले करि देत ।
बलिहारी ! बखतरन के तहाँ नाम तुम लेत ॥

होउ गलित वह आङ्ग, जेहिं लागति कुमुम-खरोट ।

चिरजीवौ तनु सहत जो पुलकि-पुलकि पवि-चोट ॥

‘वीर-सतसई’ में सभी प्रकार की वीरता का वर्णन आया । ‘विरह-वीर’ की उसमें मेरी एक नई कल्पना है, जिसकी आलोचना भी हुई थी । स्वभावतः अस्त्र-बल पर निर्भर करनेवाली वीरता का सबसे अधिक वर्णन सतसई में आया है । इतिहास ने तथा जन-श्रुतियों ने ऐसे ही वीरों को हमारे सामने उपस्थित किया है । वर्तमान में भी यही हो रहा है और शायद भविष्य में भी ऐसे ही वीरों का वर्णन होता रहेगा । आज की युद्ध-नीति में ‘कूट-वीरता’ ने भी अपना एक स्थान लिया है, और ‘कूट-वीरों’ का गुण-गान भी होने लगा है । कुछ मिथाकर अस्त्र-धारी वीरों को ही इतिहासों और काव्यों ने प्रतिष्ठा प्रदान की है । मैंने भी लगभग इसीका अनुसरण किया । पर आज मेरा वैसा मत नहीं रहा । अब अस्त्र-धारियों को प्रथम श्रेणी के वीरों में स्थान देना अनुचित-सा मालूम देता है । संसार के प्रथम श्रेणी के वीरों में तो प्रह्लाद, रंतिदेव, दधीचि, हरिश्चन्द्र, बुद्ध, महावीर, सुकरात, ईसा और गांधी आते हैं । यह सही है कि तलवार से लड़नेवाले योद्धा भी रण-भूमि पर अपने प्राणों का मोह छोड़ देते हैं । पर दूसरों के प्राण खेने के विचार से, और तलवार के बल पर वे ऐसा करते हैं । अस्त्र-बल पर निर्भर रहने से आत्म-विसर्जन में जो अनुचित शक्ति सन्निहित है वह प्रायः चीरा पह जाती है । किर अस्त्र-बल का उपयोग भी लोक-संहार के लिए ही होता है । अतः अस्त्र-बल के आधार पर पुष्ट होनेवाली वीरता का समर्थन करने को अब जी नहीं करता, यद्यपि ऐतिहासिक और

प्रानीतिहासिक काल से लेकर आजतक इसी प्रकार की वीरता के पहले में नैतिक एवं वैज्ञानिक तर्फ उपस्थित किये गये हैं। प्रत्यक्ष में भी आज उन्हों योद्धाओं के भारी पराक्रम देखने व सुनने में आ रहे हैं। उनके हाईयैं और पराक्रम की सराहना न करना अपने आपको नीचे गिराता है। उन शूरमाओं के साहस को बन्ध है, जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आकाश से आग में और समुद्र में हँसते-हँसते कूद पड़ते हैं! किर भी निलंग न्याय-तुला उन योद्धाओं को प्रथम श्रेणी के वीरों में स्थान देने के लिए तैयार नहीं। उस श्रेणी को तो उसने तुद और ईसा, सुकरात और गांधी जैसे वीरों के लिए ही सुरक्षित रखा है। इस श्रेणी में आनेवाले वीरपुरुषों का भी मैंने ‘बीर-सत्तसहू’ में आदर-पूर्वक उल्लेख किया है, पर मेरा सारा ध्यान तो तब युद्ध-वीरों पर ही केन्द्रित था। जिस बातावरण के बीच ‘बीर-सत्तसहू’ लिखी गई उम्में मैंने राम और विलास के, द्वेष और प्रतिहिसा के भयंकर दृश्य देखे। उन सब अनुभवों का सत्तसहू की रचना पर कहीं तो प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।

‘बीर-सत्तसहू’ में कई प्राचीन कवियों की सूक्षियों का मैंने भावा-पहरण भी किया है। आज मैं उसे देखता हूँ तो कई स्थलों पर काफ़ी भाव-वैयिक्य पाता हूँ। काव्य-कला की इहि से हिन्दी-साहित्य में एक-से-एक सुन्दर सत्तसहू हैं। किर भी मेरी इस असुन्दर रचना को सह-दृश्य साहित्य-सम्मेलन की निरार्थिक-समिति ने ‘बीर-सत्तसहू’ पर ‘मंगलाप्रसाद-पारिक्षोविक’ देना घोषित किया, तब मुझे सचमुच

आश्चर्य हुआ। उस निर्णय पर कुछ शंकाएँ भी डाला हैं गईं। यह भी आरोप किया गया कि निर्णायिकों ने निर्णय देने में पक्षपातसे काम किया है।

सम्मेलन के मुजफ्फरपुरवाले अधिवेशन में पारितोषिक लेखे के लिए मुझे निमन्त्रण मिला। उन दिनों मैं पक्षा में था। मित्रों ने बधाइयाँ भी भेजीं, पर हत्ता बड़ा सम्मान स्वीकार करते हुए कुछ किसक-सी मालूम देती थी। अस्वीकार भी नहीं करते बनता था। भय था कि हस भारी संकोच की स्थिति में कहीं मुझसे कोई अविनय न हो जाये।

पूज्य टण्डनजी, श्रद्धेय हरिओधजी और आदरशीय पंडित पश्चिमिंह-जी के साथ स्वागत-मन्त्रीजी ने मुजफ्फरपुर में मेरे ठहराने का प्रबन्ध किया था। हरिओधजी के सत्संग का पहली बार लाभ मिला। मुझे दो दिन में ही उन्होंने अपना स्नेह-भाजन बना लिया। अपनी एक-से-एक बढ़कर सुन्दर रचनाएँ स्वयं पढ़कर सुनाईं। सुनाने का ढंग भी उनका अनूठा था। उठने को जो नहीं करता था। ऐसा कौन पत्र-सम्पादक होगा, जिसने हरिओधजी से अपने पत्र के लिए कविता माँगी, और उसे न मिली हो। उन्होंने किसीको खाली हाथ नहीं जाने दिया। और भी कई साहित्य-सेवियों से मेरा वहाँ नया परिचय हुआ। पुरातत्व-शोष के महान् परिणाम स्व० काशीप्रसाद जायसवाल का भी दर्शन हुआ। हत्ता बड़ा धुरन्धर चिह्नान्, जो भारत में ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी ख्याति पा चुका है, हत्ता बिन्द्र, हत्ता सरल ! श्रद्धा से उनके चरणों पर अपने आप मेरा मस्तक मुक्त गया।

जिस दिन मुझे पारितोषिक मिलनेवाला था, उस दिन सबेरे से ही मन में न जाने क्या-क्या संकल्प-विकल्प उठ रहे थे। सम्मान का हत्ता

बदा भार में संभालूँगा कैसे ? इतनी बड़ी रकम लेकर उसका आखिर कहुँगा क्या ? स्वीकार न कर्हूँ तो यह मेरी गुस्ताखी कही जायेगी । बच निकलना अब कठिन था । हृदय जैसे एक भारी बोझ से दबा जा रहा था । पर इस्म तो अदा होनी ही थी ।

पारितोषिक मुझे सम्मेलन के अध्यवस्थ पंडित पश्चिंह शर्मा ने अपने हाथ से प्रदान किया—बारह सौ रुपये, ताज्रपत्र और नारियल। आँखें ऊपर नहीं उठ रही थीं । ऐसा लगता था, जैसे सिर पर सैकड़ों बड़े पानी पढ़ रहा हो । आदरपूर्वक ताज्रपत्र को माथे से लगाया, और अध्यवस्थ को तथा सब उपस्थित जनों को भीगी हुई आँखों से नमस्कार किया । समझ में नहीं आ रहा था कि इस महान् सम्मान के उत्तर में कहूँ तो क्या कहूँ । हँधे हुए कण्ठ से केवल इतना ही कह सका, “त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये !” और वह पारितोषिक-निधि पुनः सम्मेलन के श्रीचरणों पर अर्पित करदी ।

मैंने तो अपने हृदय का भार हलका करने के लिए ऐसा किया था, पर उससे मेरा यशोगान होने लगा । हैरान था कि पारितोषिक की निधि को लौटाकर मैंने ऐसा कौन-सा बड़ा त्याग किया ! वह मेरी कुछ पसीने की कमाई तो थी नहीं । पारिश्रमिक तो प्रकाशकों से मैं पहले ही पा चुका था । यह रुपया तो बिना परिश्रम के ही अकस्मात् मुझे मिल रहा था । मन में, उससे पहले एक बार, लोभ से आया था कि पारितोषिक का बारह सौ रुपया अपने पास रखलूँ—उससे ज्युँ भी चुक जायेगा, और शेष रकम से उदर-पूर्ति का साल-डेढ़-साल निश्चन्तता से काम भी चलेगा । पर मेरी वह लोभ-लिप्ता वहाँ-की-वहाँ दब गई । कुछ मिश्रों को मेरा

वह समर्पण अच्छा नहीं लगा, और कुछ को तो, जहाँतक मुझे याद है उसमें मेरे अहंभाव की भी गंध आई थी। अस्तु। पारितोषिक की उस निधि से सम्मेलन द्वारा बालोपयोगी बीर-साहित्य का प्रकाशन हो रहा है। इससे अच्छा उपयोग उस निधि का मैं और क्या कर सकता था ?

: १३ :

क्या इसे संन्यास कहूँ ?

सन् १९३३ के बाद कविता से—यदि उस सब रचना को कविता कहा जाये तो उससे, जी अब उब-सा चला था । उत्साह उतार पर आ गया था । देखता था कि आजतक जितनी रचना की उसमें कोई स्नास तंत नहीं । उस ढेर में से हूँढ़ने पर शायद ही एकाघ मूल्यवान् वस्तु हाथ लगे । सोचता था कि शब्दों के साथ आखिर इतने दिनोंतक मैं यह खिलवाड़ किस उद्देश्य को लेकर करता रहा ! कुछ अंशतक उद्दर-पूर्ति का उद्देश्य अवश्य सधा, पर वह तो अन्य साधनों से भी सध सकता था । हाँ, यशोलिप्सा की नीयत से भी मैं वाग्विलास के इस देश में उतरा था । पर वह उम्माद भी दीर्घकालतक चढ़ाव पर न रहा । छन्द-रचना की सनक थोड़े ही दिन सबार रही । कहाँ पढ़ा था—“वाताधिका हि पुरुषः कवयो भवन्ति”, पर सौभाग्य से मेरा वात-रोग अधिक बढ़ा नहीं । जलदी ही उसका शमन हो गया । यह मानने में मुझे कुछ खेद या पछताव नहीं होना चाहिए कि मैं कवि या कलाकार के रूप में असफल रहा । जो अर्थलाभ हुआ उसे मैं बेर्हमानी की कमाई कहने को तैयार नहीं, पर उससे जो यशोलाभ हुआ उसे तो मैं लुप्त की

ही कमाई मानता हूँ।

चित्त शंकाशील हो गया था, फिर भी छुन्द-रचना से संबंध-विच्छेद न हो सका था। कविता लिखने का आखिर उद्देश्य क्या है ? मैं जो कुछ लिखता हूँ, उससे कहीं गुना अच्छा लिख-लिखकर लोग लोड गये हैं। फिर भी हम लिखे ही जाते हैं। यह सही है कि 'तदपि कहे विना रहा न कोई,' पर यह भी तुलसी-जैसा युग-निर्माता कवि ही कह सकता है। तुलसी की वह जीवन-माध्यना और तुलसी की वह अहंकार-शून्यता भी तो हो। किसी मासिक पत्रिका में कभी पढ़ा था कि कविता का उद्देश्य तो कुछ होता ही नहीं—कविता तो कविता के लिए होती है। उस लेख में 'कोयल की कूक' का भी उदाहरण दिया गया था। पर वह तर्क कुछ जँचा नहीं। यदि ये कवि कविता के लिए ही कविता करते हैं, अथवा अपने लिए ही लिखते हैं, तो उसे सभा-सम्मेलनों में—या अपने मित्रों में ही सही, सुनाने और प्रकाश में जाने के लिए, फिर इतने उत्कंठित क्यों रहते हैं ? कोयल अपनी कूक सुनाने किसीके पास कभी गई है ? हाँ, तुलसी की 'स्वान्तःसुखाय' वाली बात समझ में आ सकती है। उसमें उद्देश्य की बड़ी सुन्दर और सजीव व्याख्या मिलती है। तुलसी का अन्तर हमारे अर्थ में 'अपना' कहाँ था ? वह अन्तर तो 'सीय-राममय' अखिल जगत का था। उसीके सुख के लिए, उसीके उद्देश्य के लिए तुलसी ने रामचरित-मानस की रचना की थी। तुलसी का वह स्वान्तः-सुख कुछ और ही था। मेरे पास न तो वह 'स्व' था, न वह 'अन्तर'—फिर सुख कहाँ से आता ? उद्देश्य-हीन रचना कैसी होती है मैं समझ नहीं सका। बिना किसी उद्देश्य के, सिगरेट से निष्कृत खुर्दे की भाँति,

कविता का अन्तरिक्ष में कुण्डलाकार मंडराना मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं । उद्देश्य तो कुछ-न-कुछ अवश्य होता है—वह उत्तम हो सकता है और हीन भी हो सकता है । मेरा अपना उद्देश्य न उत्तम था न वैसा हीन । मैंने अपनी वाणी या लेखनी को बसभर बहकने नहीं दिया । फ्रामायण पर लिखना मुझे कभी आया नहीं । और प्रतिभा भी वैसी प्रखर नहीं थी ।

दिन-दिन यह विचार ध्याकृत करने लगा कि मैंने कविताएँ तो लिख डाकीं, पर कवि न बन सका । कवि तो ब्रह्मा की तरह सजीव सृष्टि खड़ी कर देता है । अपनी तरफ देखा, तब विधाता बनना तो बहुत दूर, एक कुशल कुम्हार भी न बन पाया । चौदह-पंद्रह वर्षतक अटपटी आकृतियों के कुछ शास्त्रिक घड़े ही मैंने कल्पना के टेढ़े-मेढ़े चाक पर उतारे थे । उन अनधिक घड़ों में कभी जीवन-रस न ढूँढ़े ल सका । सहज में रस कुछ पह भी जाता, तो उनमें इतने अधिक छिद्र थे कि एक वूँद भी न ठहर पाती । कुशल कुम्हार बनने के लिए भी तो प्रतिभा और तपस्या की ज़रूरत होती है । मेरे कवि-जीवन में इसका भी अभाव रहा । किन्तु आश्चर्य है कि इस प्रत्यक्ष अनुभूति के बाद भी मैंने कई कविताएँ लिखीं । तृष्णा मर नहीं रही थी । उसे मारना भी नहीं चाहता था । अहिंसा का प्रयोग मैंने अपनी इस तृष्णा पर शुरू किया था ।

मेरे अन्दर एक तरफ तो यह मन्थन चल रहा था । दूसरी तरफ, कविताएँ भेजने के तकाज़े आते थे । क्रद भी कविता की तब हुई, जब कि मैं उसे दिल से उतारने का इरादा कर रहा था ! पत्र आया करते— और अब भी कभी-कभी आ जाते हैं, कि 'विशेषांक के लिए तो अवश्य

अपनी एक नई रचना मेजिए'; अथवा 'इस विराट् कवि-सम्मेलन में तो कृपया अवश्य पधारिएगा, न आ सकें तो अपनी कविता ही मेज दीजिएगा।' गुण-प्राहकता से भरे ऐसे पत्रों का जवाब न देखा ही मैंने सुनासिव समझा। काव्य-रसिकों के प्रति मैंने देखदबी तो झ़कर की, मगर बहुत सारी आफत से अपने को बचा लिया।

लिखने में अब पहले के जैसा इस नहीं आता था। फिर भी लिखना छूट नहीं रहा था। अक्सर अपने कवि-जीवन का सिद्धावलोकन भी कर लिया करता। मैंने सचमुच कभी 'आष्टकाप' की कक्षा में बैठने की आकांक्षा की थी और कभी 'भूषण' और 'सूदन' बनने के स्वप्न देखे थे। ये मन-मोदक भी बड़े स्वार्दिष्ट लगते थे। मेरे एक-दो प्रशंसक ऐसा मान भी बैठे थे। कुछ अरसिक आलोचकों ने मेरी खबर भी खूब ली थी। उनकी आलोचना से मानसिक बोला तो हुआ था, पर मैंने उन्हें 'अनविकारी' माना था। सच ही कभी-कभी मैं अपने को उन महाकवियों का समकक्ष समझ बैठता था। इस प्रकार की 'समझ' से यदि कवि का निर्माण होता हो, तो विस्तरदेह मैं कवि बन गया था।

अपनी रचनाओं को आधुनिक सुकवियों की भी कृतियों के आगे रखता, तो फीकी और हल्की मालूम होती थीं। इनों की दर्शिनी में कांच के टुकड़ों का रखना खुद ही भदा और लज्जाजनक-सा लगने लगा। मित्रों के अनुरोध को टाल देता, जब वे सुनाने को कहते। कविता छूट जाने के बाद तो काव्य-चर्चा भी अच्छी न लगती थी। स्वभाव में धीरे-धीरे जैसे कुछ रुखापन आ गया। समझा यह गया कि मैं अभिमानी हो गया हूँ। अपनी पुस्तक में दो साहित्य-पत्रियों ने मेरे अभिमानी स्वभाव

का उल्लेख भी किया है। कोई छह-सात साल की बात है। एक दिन शाम को दो साहित्य-यात्री मुझसे तथा श्रीरामनाथ 'सुमन' से साहित्यिक मुलाकात लेने की शरज्ज से हरिजन-निवास पहुँचे। उस समय मैं इमारती काम का हिसाब देख रहा था, जो बड़ा झरूरी था। उन आग-न्तुकों से मैंने थोड़ी बात की और अपने काम में लग गया। उन्होंने रहस्यवाद की चर्चा लेकर दी। अब मैं उनकी बातों का जवाब दूँ या हिसाब-किताब जाँचूँ ? साहित्य-यात्रियों ने मेरी कठिनाई को न समझा। हिसाब देखना मुश्किल हो गया। दो मज़दूरों की मज़दूरी मराडे में पढ़ी थी। लकड़ीवाला अलग अपना विल पास कराने के लिए बैठा था। मगर वे दोनों हज़रत उठने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मन-ही-मन स्थिक रहा था। उनका विषय-प्रवाह रुक नहीं रहा था। याद नहीं किस बात पर उन्होंने पूछा कि 'आपका आखिर भाव क्या है ?' 'आप भाव पूछते हैं ? तो ये हैं—इंट का भाव तो पन्द्रह रुपये हज़ार है, सीमेंट सवा दो रुपये बोरी मिला है और चूना बारह आने मन, और पूछिए।' मेरी इस अशिष्टता पर एक महाशय तो बहुत बिगड़े। आसन को छोड़ते हुए बोले, 'हम आपसे हैं'ट-चूने का भाव पूछते नहीं आये हैं। आप हृदय-हीन हैं, जो हमारे महावपूर्ण प्रश्नों का इस तुरी तरह जवाब देते हैं। हम जोग तो आपके पास कुछ और ही समझकर आये थे। शख्ती हुई, उमा कीजिए।' नमस्कार करके चले गये। मज़दूर बहुत खुश हुए। बाद को मालूम हुआ कि उन सज्जनों के चढ़े हुए पारे को सुमनजी ने अपने शीतक म्यवहार से उतार दिया था। उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों में मुके हुए और अभिमानी लिख दिया तो अनुचित नहीं किया।

गोधीजी हमारे हरिजन-निवास में उहरे हुए थे। एक दिन मैंने उनके सामने अपने सारे विचार रख दिये; और पूछा कि 'कविता लिखना अब मैंने छोड़ने का निश्चय कर लिया है। इस बारे में अगर अपना वक्तव्य पत्रों में 'देवू' तो अनुचित तो न होगा ?'

गोधीजी ने धैर्यपूर्वक सुनकर कहा—'इन विचारों से प्रेरित होकर अगर कविता का छोड़ देना तुम्हें सहज लगता हो तो बैसा कर सकते हो। पर इसे 'त्याग' न मानना। तुम्हारे वक्तव्य में अहंकार की भावना न हो।'

कविता से यह विच्छेद वास्तव में कोई 'त्याग' नहीं था। कविता को मैंने छोड़ा इससे तो यह कहना शायद ज्यादा सही होगा कि कविता ने या कविता की ढाया ने मुझे छोड़ दिया। यदि वस्तुतः मैं कवि होता तो कविता मुझमे छूट नहीं सकती थी। वक्तव्य, फिर भी, मैंने दो-तीन महीने बाद पत्रों में प्रकाशित कराया। पर अपना निश्चय इन्दौर में मथुभारत-साहित्य-समिति की एक सभा में घ्यक कर दिया। यह सन् १९३४ के फरवरी की बात है। इन्दौर के बाद खंडवा में भी उक्त निश्चय को दोहराया। पंडित मात्वनलाल चतुर्वेदी ने अपने निवास-स्थान पर मेरे स्वागतार्थ पृक साहित्यक गोष्ठी का आयोजन किया था। चतुर्वेदी जी के कई शिष्यों ने बड़ी सुन्दर कविताएँ सुनाई थीं। उनका आग्रह था कि मैं भी उस गोष्ठी में साहित्य पर कुछ कहूँ। मेरे मन में जो मन्थन हुआ था उसीको लेकर मैंने कविता पर अपने कुछ विचार घ्यक किये। मेरे निश्चय पर चतुर्वेदीजी को दुःख हुआ। मेरे 'छाया-कवि' की अकाल मृत्यु पर उन्होंने शोकोद्गार भी प्रकट किये। इस निरर्थक घ्यापार या घ्यसन में फँस जाने की मेरी सारी कहानी इतने में आजाती है—

भावावेश में कल्पनाओं का उफान उठा; उस उफान को मैंने कृष्ण में डाक लिया; देखनेवालों ने मेरे इस कौशल को प्रोत्साहन दिया—और मैं कवि बन गया। मेरे भोके प्रशंसकों ने उदारतापूर्वक उत्साह न दिया होता तो अधिक-से-अधिक यही होता कि उनकी गणना मैं गुण-ग्राहकों में न करता। उनका कुछ विगड़ता नहीं, और मेरा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। प्रशंसकों से डरना या भड़कना सीख लिया होता, तो मैं इस अनावश्यक ध्यासन में फँसने से बच जाता।

और आज अपनी इस आप-बीती से दूसरों को कुछ जाम पहुँचाने की चेष्टा कर्त्ता, तो मेरा यह कोई गुनाह न समझा जाये। हमारे हिन्दी-जगत् में कविता का रोग इयापक-सा बनता जा रहा है। उदार-गुण-ग्राहक बेजा प्रोत्साहन दे-देकर अनजान में हजारों का अहित कर रहे हैं। साहित्य के हड़ में इस प्रवृत्ति का बढ़ना शुभ मालूम नहीं देता। उदार प्रशंसक जूरा किफायतसारी से काम लें। साथ ही, उदारतापूर्वक प्रशंसा पानेवाले भी प्रोत्साहन मिलाने से रबड़ को गेंद की तरह अपने सहज शील को न भूल जायें। बेचारी गेंद का अंतर तो खाली होता है, इसलिए हवा की फूँक ही उसका सारा बैमव है, जबकि मनुष्य के अंतर में अनेक गुणों की निधि पहले से ही भरी पड़ी है। फिर कवि तो मनुष्य की पूर्णता का प्रतिरूप है। उस पूर्णता को लोकस्तुति की भूमि होनी ही नहीं चाहिए।

मेरे कई मित्रों ने इसे मेरा ‘साहित्य-संन्यास’ समझा है। मैं न उत्साहपूर्वक कहूँगा कि उनका ऐसा समझना सही नहीं है। कृपाकर वे ‘साहित्य’ का संकुचित अर्थ न करें—और ‘संन्यास’ शब्द को भी अपने गौरवस्थान पर प्रतिष्ठित रहने दें।

: १४ :

गद्य-काव्य

पद्य-प्रकरण तो समाप्त हुआ। अब गद्य की भी कुछ कहानी सुनलें। कहा है—‘गद्य’ कवीनां निकर्षं वदन्ति । यदि गद्य की कसौटी पर खरा उतर जाऊँ, तो फिर मुझे अपने को असफल कवि नहीं कहना चाहिए, इसका यही अर्थ हुआ। बहुत वर्षोंतक मैं हतनी-सी भी सीधी बात न समझ सका कि पद्य में अच्छा किया जाये या गद्य में, अच्छा करने के लिए कुछ अनुभूत भाव या विचार भी तो हों। पद्य और गद्य तो यह ऊपर के खोल हैं। पर मैंने तो ऊपर के इन रंग-विरंगे आवरणों को ही सुख्ख मान दिया था।

इसाहावाद गया उससे पहले गद्य में एक पंक्ति भी नहीं लिखी थी। ‘संसिद्ध सूरसागर’ के सम्पादन-कार्य से छुट्टी पाई, तब छोटे-छोटे निबन्ध लिखने का आसाम किया। उन निबन्धों में भी, कविता की ही तरह, ऊपरी सजावट पर ही मेरा सास ध्यान रहा। मिश्रो ने मेरे डस अभिनव प्रयास को गद्य-काव्यों की श्रेणी में स्थान दिया। इससे पहले यह ‘गद्य-काव्य’ शब्द मैंने सुना भी नहीं था। उस निबन्धावली का नाम “तरंगिणी” रखा गया। साहित्योदय के संचालक श्रीभवानीप्रसाद गुप्त

ने उसे प्रकाशित किया, और इकाहाकाद विश्व-विद्यालय के प्रश्नात प्रोफेसर पंडित शिवाधार पांडेय ने उसकी प्रस्तावना लिखी। पांडेयजी का सरल स्नेह-भाव में आज भी नहीं भूला हूँ। उनसे मेरा परिचय स्व० देवेन्द्रकुमारजी ने कराया था। अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान्, फिर भी हिन्दी साहित्य के प्रति उनके हृदय में अगाध भक्ति-भाव। पांच-सात बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। हमेशा हँसमुख, मिलनसार और विनम्र पाया। पांडेयजी ने कुछ कविताएँ भी लिखी थीं। याद पढ़ता है कि उन्होंने एक दिन मुझे अपनी 'बेला-चमेली' नाम की यह रचना बड़े प्रेम से सुनाई थी—

बदरी करौंदे, सारे सीधे-ओंधे
खड़े हुए बांधे कतार ।
फूले-फूले फालसा, खिन्नियाँ मदालसा
थई-थई थिरके अपार ॥
केला नासपाती बनठन बराती
नाचैं शराबियों की तौर ।
आलू रतालू लेत्तेके ब्यालू,
खावें अलग चुप्प चोर ॥

काफी जट्ठी कविता थी। पर मुझे कुछ जैंची नहीं। मेरे सुँह से निकल गया, “पांडेयजी, यह क्या गोरख-धंधा रच डाला ! मुझे तो आपकी हस अजीब-सी चीज़ में ज़रा भी रस नहीं आया ।” स्पष्ट ही मेरी यह टीका अशिष्टापूर्ण थी। छोटे सुँह बड़ी बात कह गया। विनय का कुछ भी ध्यान न रहा। परन्तु पांडेयजी ने मेरी अविनयपूर्ण आवो-

चला को प्रेम से सुना, और अपनी रचना का भावार्थ खोलकर समझाया। मैं अपनी अशिष्टता पर बढ़ा लजित हुआ।

‘तरंगिणी’ जब छपकर मेरे हाथ में आई तो हर्ष और गर्व का पार न रहा। मुझे लगा कि मेरा यह गद्य-काव्य रवि बाबू की ‘गीतां-जलि’ से महस्त में शायद ही कुछ कम हो ! ‘गीतांजलि’ का एक साधा-रण-सा हिन्दी-अनुवाद ही मेरे देखने में आया था। बंगाली की तब वर्ण-माका भी नहीं जानता था। गीतांजलि के पदों का अलौकिक रसास्वादन वो बहुत पीड़े किया। आज मुझे अपनी उस उद्धत मृदृ धारणा पर बड़ी हँसी आती है। मनुष्य अपने-आपको कैसा धोखे में ढाक देता है !

भाव की इटि से ‘तरंगिणी’ मे दूसरों के भावों का काफ़ी अपहरण था, और भाषा तो उसकी बिल्कुल कृत्रिम थी। पंडित गोविन्दनारायण मिश्र की उस भाषा का भी मैंने दो-तीन निबन्धों में अनुकरण किया था, जिसका एक नमूना उनके द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्ययन-पद से दिये गये भाषण में मिलता है। बीस-बीस, पचास-पचास शब्दों के समासान्त वाक्यों को उन निबन्धों में बांधने का मैंने कष्ट-साथ प्रयत्न किया था। यह है उसका एक नमूना—

‘त् सुम् तुलाता है, निरन्तर तुलाता है। जब मैं अति विशद् निर्जन अरथ में कल-कल-रव-कलित् सुल्लित् भरनों का सुगति-विन्यास देखता है; सुमन्द्रोतस्वती-सरित-तट-तरु-शास्त्रा-विहरित् कलकशडी-कोकिल-कुहूक-रवनि सुनता है; प्रभात-ओस-कल-फलकित-हरिततृष्णा-च्छादित् प्रकृति-परिष्कृत-बहुवनस्पति-सुगन्धित् सुखद भूमि पर खेटवा है; तथा नाना-विहगपूर्ण-सुकलित-कृष्णाहृत-गिरि-सुवर्णशङ्क-शुभ-स्फटि-

कोपम-शिळासन पर बैठकर प्रकृति-छटा-दर्शनोन्मत्त-अद्वैतीकृत साथु-
नयम द्वारा अस्तप्राय तसकांचनवर्ण-रविमंडल-भव कमनीय कान्ति की
ओर निहारता है, तब स्वभाव-सुन्दर लज्जावनत अग्रकट-सुमन-सौरभ-
रांसक पवन आकर अवण्युट द्वारा तेरा विरहोत्करिष्टत प्रिय सन्देश सुना
जाता है।”

मेरे कुछ प्रशंसकों ने कहा और मैंने भी मान लिया कि मेरा यह
गद्य तो वाण और दण्डी के पद-जालित्य की याद दिलाता है ! मुझे
अपनी इस कृत्रिम भाषा-शैली पर भारी गर्व होगया ।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ साचित्य होजाने से मुझे साहित्य
के अनेक ग्रन्थों के पढ़ने-पढ़ाने का बड़ा अच्छा अवसर मिला । छतरपुर
में तो मैं पढ़नेके लिए तरसता था । हमारे राजकीय पुस्तकालयतक सर्व-
साधारण की पहुँच नहीं थी । प्रयाग मे जाकर मेरी वह पढ़ने की पुरानी
साध पूरी हुई । अधिकतर मैंने काव्य की ही पुस्तकें पढ़ी । कितनी ही
सूक्षियों का संग्रह कर ढाला । उस सूक्षि-संग्रह का उपयोग मैंने कुछ
नई शैली के निबन्धों में किया । उस शैली को मैं पंडित पश्चिम शर्मा
की शैली कहता हूँ । उन निबन्ध-सूत्रों में सूक्षि-मणियों को गूँथने की
चेष्टा की । निबन्ध-संग्रह का नाम “साहित्य-विहार” रखा । “साहित्य-
विहार” प्रयाग के साहित्य-भवन से प्रकाशित हुआ । प्रस्तावना उसकी
स्व.० पंडित जगद्वायप्रसादजी “चतुर्वेदी” ने लिखी । चतुर्वेदीजी मुक्तपर
बहुत स्नेह करते थे । ब्रज-साहित्य के बड़े इसिक थे । जब कभी प्रयाग
आते मुझसे अवश्य मिलते थे । साहित्य-विहार की शैली पर कुछ और
मिलन्द किलने के लिए चतुर्वेदीजी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था ।

गद्य-काव्य की ओर पुस्तकों और कोई पन्द्रह साल के असे में लिखीं, जिनके नाम 'आन्तर्नाद', 'भावना', 'प्रार्थना' और 'ठंडे छीटि' हैं। भाषा तथा भावों में उत्तरोत्तर परिव्वकार और सुधार होता गया। अनेक दोष भी इहाँमें आये। कहूँ लेखों में मुझे भाषा और अलंकार का आदम्बरमात्र दिखाई दिया। देखा कि अस्पष्ट अभिव्यंजना के अलिमोह से यदि मुक्त न हुआ, तो सम्भव है कि, मेरा गद्य-काव्य आगे चलकर उन्मत्त का प्रबोध कहा जाने लगे। मैं संभल गया। ऐसे तमाम अंशों को निकाल दिया। यह देखते हुए भी कि इहस्यमयी अभिव्यंजना के पीछे कितने ही कवि और लेखक पागल होगये हैं, मैंने अपने आपको उत्तमत की उस अटपटी राह पर से हटा लिया। फिर भी कुछ-न-कुछ परछाई है तो मेरे शब्द-चित्रों पर उसकी पह ही चुकी थी। हमारे साहित्य में लाल्हणिक अभिव्यंजना की ऐसी बाढ़ आई कि लेखक और उसके विषय के बीच का तारतम्य ही हूट गया। होश रहते हुए भी लेखक प्रायः यह भूल गया कि वह क्या कह गया है या क्या कहना चाहता है। और आखो-चकों ने तो और भी राज़ब किया। अस्पष्ट अभिव्यंजना की ऐसी-ऐसी खोकीतर ब्यालूयाएँ उन्होंने खोज निकालीं, जिनका अर्थ लगाना कठिन होगया। उत्तमत को उन्होंने और भी उत्तमता दिया। शोधकों ने पता लगाया कि ऐसी रहस्यमयी अभिव्यंजना की जड़ें ठेठ उपनिषदों के रूप-कौतक पहुँची हैं। यह भी विश्वास किया जाने लगा कि इस प्रकार के रहस्यपूर्ण गीतों के गायक उसी 'मधुमती भूमिका' के एकान्त साधक हैं, जिसका सरसंकेत अपने आध्यात्मिक उद्गारों में पूर्वकाल के अधिष्ठों ने किया था। इधर रविवार की प्रखर प्रतिभा ने इन लेखकों की मौजि-

कता को अभिभूत-सा कर दिया। इस रससिद्ध विश्व-कवि का आंधा-धुन्ध अनुकरण हुआ। हिन्दी-जगत् में राय कृष्णदास-जैसे विरले लेखक ही अपनी मौखिकता को न्यूमाधिक आंशों में क्रायम रख सके। अनेक लेखकों ने तो गद्य-काव्य के नाम से अधिकतर बेसिर-पैर की ही बातें लिखी हैं। इस कोटि के लेखकों का एक अलग सम्प्रदाय ही बन गया। पर मैं इस सम्प्रदाय में शामिल नहीं हुआ, यथापि गद्य-काव्य के रचयिताओं में मेरे नाम का भी यदा-कदा उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार की दो रचनाओं पर मुझे ममता अवश्य है। ‘भावना’ और ‘प्रार्थना’ मुझे आज भी वैसी ही प्रिय हैं, ‘प्रार्थना’ तो और भी अधिक। ये दोनों बाबू की रचनाएँ हैं, पर वैसी प्रकाश में नहीं आहूं जैसा कि ‘अन्तर्नाद’, किन्तु इन उपेहिताओं को मैं भुक्ता नहीं सका। न जाने क्यों ?

‘ठडे छीटे’ में अधिकतर उन भावोदगारों का संकलन है, जिनको मैंने राज्य और समाज के अक्षम्य अत्याचारों से प्रेरणा पाकर समय-समय पर व्यक्त किया था। स्वसम्पादित “पतित-बन्धु” में इन मुक्तक विचारों का लिखना शुरू किया था। उन दिनों मैं पश्चा राज्य में था। सिवा ‘अन्तर्नाद’ के ये तीनों ही पुस्तकें मैंने वहीं बैठकर लिखी थीं। ‘भावना’ और ‘प्रार्थना’ लिखते समय मेरी जैसी मनःस्थिति थी, वह ‘ठडे छीटे’ के रचना-काल में न रही। मैंने इसी पृथिवी पर, इसी जीवन में नरक के बीभत्स चित्र देखे। मानव द्वारा मानव की अप्रतिष्ठा कहाँतक हो सकती है, स्वार्थ-साधन के लिए देव-दुर्लभ मानव-जीवन किस-किस तरह और नरक में परिणाम किया जाता है, इसके मुझे प्रत्यक्ष

अनुभव हुए। उन्हीं अनुभवों को 'ठंडे छीटे' में मूर्तरूप देने का मैंने प्रयत्न किया। साथ ही, उसमें कुछ भक्ति-भावना के भी मुक्तक उद्गार व्यक्त किये।

बगाभग इसी अलंकारी शैली में दो पुस्तकें और उन्हीं दिनों लिखी थीं—'पश्ची' और 'विश्वधर्म।' यह 'विश्वधर्म' भी प्रकाश में नहीं आया।

कोई दो-ढाई साल की बात है। एक मासिक पत्रिका के सम्पादक महोदय ने बड़ा आग्रह किया कि उनकी पत्रिका के लिए मुझे ज़रूर कुछ-न-कुछ लिखते रहना चाहिए—“आपसे मैं कविता लिखने के लिए नहीं कहूँगा। पर क्या आपने गद्य-गीतों का लिखना भी छोड़ दिया है? एक-दो गद्य-गीत तो आप बड़े मज़े में हर मास हमारी पत्रिका के लिए लिख सकते हैं,” उन्होंने बड़े अनुरोध के साथ कहा।

“खेद है कि आपकी इस आज्ञा का भी पालन न कर सकूँगा। किर आप एक ऐसे आदमी से गीत लिखवाना चाहते हैं, जिसे न स्वर का ज्ञान है, न ताल का!”

“लेकिन गद्य-गीतों में स्वर-ताल की क्या आवश्यकता है? मेरा आशय असल में गद्य-काव्य से है।” सम्पादकजी ने अपना अभिप्राय समझाते हुए कहा।

“नहीं, स्वर-ताल गद्य-गीत में भी आवश्यक है। गीत तो गीत है, किर वह पद्य में हो या गद्य में।”

“और गद्य-काव्य?”

“गीत और काव्य में कोई विशेष अन्तर नहीं। मुझे तो आप बना-

ही करें। मैं अपने को गण्य-नीत या गण्य-काव्य लिखने का अधिकारी नहीं मानता।” मैंने अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा।

“पर आपने जो कहे गण्य-काव्य लिखे हैं?”

“मैं उनको काव्य नहीं मानता। जो लिख दिया सो लिख दिया। लेद है कि आज मैं वैसा भी न लिख सकूँगा। दोबारा अब उन स्वर्गों का देखना सम्भव नहीं।” मेरे इस उत्तर से भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ।

यह सब जो भी लिखा, मेरी भाषुकता का ही परिणाम है—और भाषुकता भी वह, जिसे अलंकारी भाषा ने, आहम्बरी शैली ने अपने आप में शुद्ध नहीं रहने दिया। मेरी रचनाओं को न ज्ञान का विकास मिला, न श्रद्धा-भक्ति का सहारा मिला। जोगों में एक अम अवश्य प्रचार पा गया कि मैं भी ‘गण्य-काव्यों’ का एक रचयिता हूँ। मेरी इस असफलता की स्वीकारोक्ति से यदि यह अम दूर हो जाये, तो मैं इसे अपनी एक सफलता ही समझूँगा।

: १५ :

लेखन-व्यवसाय

यद्यपि मैं न तो सफल कवि बन सका, न सिद्धहस्त लेखक, तो भी जीविका का मुख्य सहारा मेरा किसी-न-किसी रूप में लेखन-व्यवसाय ही रहा। मैं आज भी अपने को लगभग 'मसि-जीवी' ही मानता हूँ। छोटी-बड़ी सब मिलाकर चालीस से ऊपर पुस्तकें लिखते। इनमें स्वरचित, संकलित व संपादित सभी पुस्तकें आजाती हैं। न चाहते हुए भी लेखन धीरे-धीरे मेरा व्यवसाय बन चक्का, पर उससे मैंने खास कुछ उपार्जन नहीं किया, वैसा तब ज्ञान भी नहीं था। कुछ पुस्तकें तो बिना कुछ पारिश्रमिक लिये ही प्रकाशकों को देदी। सम्मेलन के लिए भी जो लिखा उसमें कभी आर्थिक हेतु नहीं जोड़ा।

परन्तु प्रकाशन में मुझे कोई खास कठिनाई नहीं आई। केवल 'प्रेमयोग' के प्रकाशन के सम्बन्ध में पाँच-सात प्रकाशकों के साथ कुछ पत्र-व्यवहार करना पड़ा था। उन दिनों मुझे काफ़ी आर्थिक कष्ट था। कौपीराहट उसका कम-से कम २००) में देना चाहता था। अपने आदरणीय मित्र पंडित पश्चिंह शर्मा को भी मैंने इस विषय में लिखकर कष्ट दिया था। शर्माजी ने बड़ी सहानुभूति के साथ मेरे पत्र का उत्तर

दिया, उसे मैं नीचे ढाईत करता हूँ :—

“प्रिय विद्योगी हरिजी, प्रणाम ।

कृपा-पत्र मिला । आपकी चिन्ता का कारण जानकर चिन्ता हुई । हिन्दी-संसार में पेसा प्रकाशक मिलना दुर्लभ है, जो अच्छी बीज़ की क्रद्वं करे और पेशगी पुरस्कार भी देवे । प्रकाशक प्रायः अर्थपिशाच हैं, उनके यहाँ सब धानों का भाव २२ पंसेरी है !

लोकहचि को भ्रष्ट करनेवाले खरीदार हैं । हिन्दी में आज अश्लील किसें-कहानियों की भरमार है, अच्छे साहित्य को कोई पूछता ही नहीं । एक संस्कृत कवि की सूक्ति याद आरही है—

जातेति कन्या भ्रह्मीह चिन्ता

कस्मै प्रदेयेति महान् वितर्कः ।

दत्ता सुखं प्राप्स्यति वा न वेति

कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम् ॥

यही बात आजकल अच्छी रचना के विषय में भी जागू हो रही है । एक प्रकाशक महाशय मेरे लेख-संग्रह के लिए बहुत जालायित थे । जब पुरस्कार की बात चली, तो पहले ॥) पेज कहा, फिर ॥) पेज पर आकर उहर गये, और वह भी बाद को पुस्तक बिकने पर !

मुजफ्फरपुर में जो प्रकाशन का आयोजन होरहा था, वह लोग भी हीले पढ़ गये । मेरा लेख-संग्रह लिया था वह भी अभी खटाई में ही पढ़ा है । न जाने कब प्रकाशित हो और क्या मिले । ‘प्रेमबोग’ के बांहें में भी उनसे आपकी शर्त लिखकर पूछूँगा । इष्टिहान प्रेस को भी लिखूँगा । और तो कोई नज़र आता नहीं, जिससे बात की जाये ।

गुरुकुल कांगड़ी,

भवद्वीय

चैत्र व. १३८५

पश्चिम हर्षमा

'प्रेमयोग' को बड़ी सुशी से गोरखपुर के गीताप्रेस ने प्रकाशनार्थ ले लिया। (पेशगी २००) भी भेज दिये। पुस्तक को शुद्ध और सुन्दर छापा, और प्रचार भी उसका अरब्दा किया। पर यह तो एक अपवाद था। ऐसे व्यवहार-शुद्ध प्रकाशकों को हम उँगलियों पर गिन सकते हैं। पंडित पश्चिमहिंदी ने जो अन्तर्भूत्यथा अपने उक्त पत्र में 'व्यक्त की है वह आज भी सर्वथा सत्य है। हिंदी का यह बोर दुर्भाग्य है, जो शर्माजी-जैसे अमरकीर्ति लेखकों की कृतियों का मूल्य ॥) या १) पेज लगाया जाये और उन्हें बड़ी बेदना और चोभ के साथ यह लिखने को बाध्य होना पढ़े कि 'प्रकाशक प्रायः अर्थपिशाच हैं।'

हिंदी के लेखकों की कहानी बड़ी करुणाजनक है। कई ऊँचे लेखकों के दिन सचमुच बड़े कसाले में कटे। बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, अमृतलाल चक्रवर्ती, रामदास गौड़, चन्द्रशेखर शास्त्री प्रभूति साहित्य-कार अपने रक्त की अंतिम दूँद देकर भी हिंदी की आराधना करते रहे, जीवनभर जल्द के भार से तुरी तरह दवे रहे, भूखो मरने की भी नीचत कई बार आई, पर किसीने कभी उन्हें पूछा ? हाँ, यह बेशक सुना गया कि हिन्दी में आज्ञानी चीज़ें नहीं निकल रहीं—हिंदी में पढ़ने-कायक कुछ है नहीं। मगर इन शिकायत करनेवालों से कोई पूछे कि तुमने हिन्दी को ऊँचा उठाने के लिए कुछ किया भी है ? बात-बात में अंग्रेजी साहित्य की महिमा गानेवाले इन असन्तुष्ट आज्ञाओंको ने हिन्दी लेखकों को क्या प्रोत्साहन दिया ? अंग्रेजी के मामूली लेखकों को भी हिन्दी के अस्ते लेखकों के मुकाबिले कितना अधिक पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में जो भी साहित्य-सम्पदा आज दिल्लाई देती है, उसका

अजैन और उसका रणनीति अंकितिमों ने ही अपने पुरय साधनों से किया है। समाज उनसे कभी अण-मुक्त नहीं हो सकता।

साधनहीन लेखकों की सहायता करने के लिए अखबारों में कहुँ बार हृदयस्पर्शी आपीजें निकाली गईं। उन्हें वृत्तियोंदेने-दिलाने की भी तज-बीजें सोची गईं और कुछ लेखकों को उनकी दुरवस्था पर रहम लाकर कभी-कभी कुछ आर्थिक सहायता पहुँचाई भी गई; पर मुझे हमेशा ऐसी तमाम तजबीजें अपमानजनक और हीन मालूम हुईं। लेखक अपने को असहाय, अपरंग और अनाथ क्यों माने? कर्तव्य-भृष्ट समाज उसकी क़द्र नहीं करता, तो अपने दुर्दिनों में उसके सामने, भोहताज की तरह, उसे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मिट्टी खोद-खोदकर और घास छीज-छील-कर अपना और अपने कुदुंब का पेट भरे, और अपने जीवन-घट से साहित्य-रस का पान निष्काम भाव से समाज को जितना बन पढ़े कराता रहे। जो कष्ट उसे सहन करना पड़ता है, उसे वह स्वेच्छा से सहन क्यों न करे? प्रकाशक की फरमाइश पर लिखना छोड़दे। प्रकाशक को शोषण करने का मौका वह दे ही क्यों? समाज सम्मानपूर्वक अपने लेखकों के चरणों पर यदि भेट चढ़ाता है, तो वह उनका कोई उपकार नहीं करता, बल्कि पेसा करके स्वयं उपकृत होता है। स्वाभिमानी लेखकों को भिजुक बनकर अर्थोलोल्युप प्रकाशकों और उपेक्षक समाज के आगे हाथ नीचा नहीं करना चाहिए।

ऐसे विचार अक्सर मेरे मन में आते थे, और आज भी आते हैं। केविन परिस्थितियों ने मुझे भी दो या तीन बार बुरी तरह मक्कफोर ढाका, और प्रकाशकों के आगे हाथ फैलाने के लिए मज़बूर कर दिया।

तीन संप्रह-ग्रन्थ प्रकाशकों की फरमाइश पर तैयार करने पड़े और मेरी गरज़ का पूरा फायदा उठाकर सस्ते दामों में उन्होंने मेरा परिश्रम खरीद लिया। सम्झोष यही रहा कि प्रकाशकों की बेजा फरमाइश की चीज़ मैंने कभी नहीं लिखी—लिखाने की उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ी। कई प्रकाशक वो लेखकों की बेश्या से अधिक कद्र नहीं करते। गरजमन्द लेखक भी लोभ में आकर उनकी बेजा फरमाइश पर गलीज़-से-गलीज़ चीज़ लिखने को तैयार हो जाते हैं।

लेखन आज प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में नहीं चल रहा है; किसी तरह वह पेट भरने का एकमात्र ज़रिया है। कभी वैसा बन भी सकेगा इसमें भी सन्देह है। लेखन व्यवसाय के रूप में कदाचित् यहाँ हमारे देश में था भी नहीं। विचारों और भावों को, या मस्तिष्क और हृदय को बेचनेवाले प्रतिष्ठा के पात्र कभी नहीं समझे गए। लेखन को व्यवसाय के रूप में चलाना अनुपयुक्त भूमि में विदेशी पौदे का रोपना है। अपने यहाँ तो गोरस भी बेचना अनुचित समझते थे। किर 'हृदय-रस' बेचने की तो बात ही क्या। किन्तु पहले को वे परिस्थितियाँ आज नहीं रहीं। जो कभी नहीं किया था वैसा भी करने को आज बाध्य होना पड़ रहा है। दिनों के फेर से साहित्यकारों को अपना अनमोल शील भी आज बाज़ार में रखना पड़ रहा है! और उनकी दीन-हीन परिस्थितियों से बढ़ा अनुचित लाभ उठाया जा रहा है।

सद्भाव या शुद्ध व्यवहार बहुत कम प्रकाशकों का लेखकों के साथ रहा है। पहले संस्करण में उनकी पुस्तकों का जो आदर होता है, वह बाद के संस्करणों में नहीं रहता। रही कागज पर बड़ी दरिद्र छपाई करते हैं।

लेखक को कभी-कभी पता भी नहीं चलता कि उसकी पुस्तक के कितने संस्करण हो गये। शायद रायलटी की पद्धति में ऐसा न होता होगा। मुझे उसका अनुभव नहीं। मेरी कई पुस्तकों की बड़ी दुर्गति हुई। अपने एक मित्र को मैंने प्रकाशनार्थ दो या तीन पुस्तकों दी थीं, और व्यक्तिगत रूप से दी थीं। सामेदारों में कुछ आपसी मालाएं चले और दुर्भाग्य से मेरी वे पुस्तकें मेरे मित्र के पास से निकलकर एक बूसरे सज्जन के हिस्मे में चली गईं। मुझे इसकी सूचना भी नहीं दी गई। उन महाशय ने बिना मुझसे कुछ पूछे-ताके पुस्तकों का छापना शुरू कर दिया। उस प्रकाशन में मेरी विनय-पत्रिका की टीका भी थी। प्रूफ-संशोधन के लिए मेरे पास पुस्तकें वे निस्संकोच भेज सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुस्तकों के, खास कर, 'विनय-पत्रिका' के नये संस्करण देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। अशुद्धियों की भरभार थी। पर प्रकाशक महाशय को इससे क्या। उन्हें तो पुस्तक बेचने से भतलब था। बेचने में कोई कठिनाई भी नहीं आती थी, क्योंकि पुस्तक बाजार में अपना स्थान बना चुकी थी। मैंने अपने मित्र से शिकायत की। पर उनके सामने शायद कोई चारा नहीं था। पछलाने लगे। मैं भी आगे और क्या कह सकता था। मन मारकर रह गया। 'वीर-सतसई' और 'पगली' की भी लगभग ऐसी ही दुर्गति हुई। मैंने तो अच्छे घर देखकर ही अपनी पुस्तक-रूपी कल्याणों को दिया था; मुझे सन्देह नहीं था कि 'दत्ता सुखं प्राप्स्यति वा न वेति'—पर उनके भाग्य फूट गये। इसे विधाता का दुर्विधान ही कहना चाहिए।

इस सब से तंग आकर कुछ कवि और लेखक सुदूर प्रकाशक बन गये,

लेकिन प्रकाशन की कीमत में उन्हें अपनी प्रतिभा का बहुत-सा अंश देना पड़ा। व्यवहार-कुशल बहुत कम लेखक देखे गये। यदि व्यवहार-कुशलता की ओर बहुत ज्यादा मुके तो लेखन-प्रतिभा में व्याघात हुआ। फिर भी शायद कुछ लेखक दोनों चीजों को एकसाथ निभा ले जाते हैं। बिना मोल-तोल किये वे एक पंक्ति भी लिखने को तैयार नहीं होते। मेरे मित्र स्व. श्रीरामदास गौड़ आपने बचपन का एक किस्सा सुनाया करते थे। एक दिन एक बढ़दृढ़ उनके घर पर अपना ख़ूत पढ़वाने के लिए पहुँचा। गौड़जी ने ख़ूत पढ़कर सुना दिया। उसके चले जाने के बाद गौड़जी के चाचा उनपर बहुत बिगड़े—“नासमझ लड़के, तूने बगैर कुछ उजरत लिये उसका ख़ूत यूँही पढ़ दिया। तेरी खड़ाऊँ की ख़ूँटी आगर ढूट जाये, तो क्या वह बढ़दृढ़ बिना पैसे लिये मुफ्त में नहूँ ख़ूँटी लगा देगा? तू एक मुंशी का लड़का होकर पैसी बेबकूफी कर चैठा!”

लेखन कला को व्यवसाय बनाने के लिए अभागे लेखकों को अभी न जाने क्या-क्या सीखना पड़ेगा।

: १६ :

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

(१)

जान्स्टनगंज, प्रयाग के जिस किराये के मकान में श्रीपुरुषोच्चमदास उशद्धन पहले रहते थे, शुरू-शुरू में उसी मकान के एक कमरे में, मुखे चतुर्जाया गया, सम्मेलन का प्रारंभिक कार्यालय था। उसी कमरे में बैठकर मैंने 'संचित सूरसागार' का संपादन-कार्य किया था। उस कमरे के हम लोग 'सम्मेलनबाला' कमरा कहते थे। पंदित बालकृष्ण भट्ट के सुपुत्र श्रीमहादेव भट्ट उसी कमरे में, एक छोटी-सी चौकी पर बैठकर, पत्र-व्यवहार का काम किया करते थे। मैं जब हळाहावाद् गया, तब उन दिनों अहियापुर में भारती-भवन पुस्तकालय के सामने एक छांटे-से मामूली मकान में सम्मेलन का दफतर था। मकान बिलकुल जर्जित अवस्था में था। न उसमें प्रकाश आता था, न स्वच्छ हवा। पाखाना तो उसका बड़ा ही गंदा रहता था। मेरे मित्र पं० रामनरेश त्रिपाठी ने उसपर बीमरस रस के कुछ कवित भी लिखे थे। उसमें से एक कवित जीवे ढद्धत कर रहा है:—

"कुंभीपाक की जो कथा गाई है पुरानन में,

ताही कौ नमूनो यह विरचि बनायो है।

सूरज की गमि नाहिं, पौन को पहुँच नाहिं,
 रात-दिन एक-सो अँधेरो जहाँ छायो है।
 प्रानायाम जान सो तो बैठि कछु काल सके,
 नाकबारे प्रानिन कों सॉसति सहायो है।
 घोर दुरगंध की खजानो यहि घर में
 न जानौं कौन ढानौ पायखानौ बनवायो है॥

इसी अँधेरे सीज़दार मकान में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अस्तित्व भ॒रतीय कार्यालय था। चारों विभागों के पाँच या छह कर्मचारी यहाँ फर्श पर बैठकर काम किया करते थे। हिसाच-किताब लेखक पंडित महावीर-प्रसाद त्रिपाठी से मेरी खूब बनती थी। वह हस्तलिखित कविता-पुस्तक मेरे हन्ही मित्र की थी, जिसे मेरे सामान के साथ सहारनपुर में, प्रांतीय सम्मेलन के अवसर पर, चोर चुरा ले गये थे। किन्तु त्रिपाठीजी ने मुझसे उसके सम्बन्ध में कभी एक शब्द भी नहीं कहा।

वहाँ से उठकर सम्मेलन का दफ्तर विद्यापीठ के साथ कुछ दिनों के लिए फिर जान्स्टनगंज में आया, और उसके बाद क्रास्थवेट रोड पर। सम्मेलन ने यहाँ ज़मीन खरीदकर अब उसपर अपना एक कक्षा मकान खड़ा कर लिया था। जिस जगह आज विशाल सम्मेलन-भवन खड़ा है, वह बराज़बाली ज़मीन तो शायद बाद को खरीदी गई थी। टरटनजी के साथ-साथ अपने उस नये कच्चे भवन में रोज़ सवेरे मैं अमरुद और केले के दरख्तों को पानी दिया करता था। एक-हड़वर्ष यहाँ एक कोठरी में मैं रहा भी था। विनय-पत्रिका पर यहाँ बैठकर मैंने ‘हरितोषिखी’ टीका लिखी थी। सम्मेलन-पत्रिका का संपादन भी यहाँ पर किया था।

कुछ विद्यार्थियों को मध्यमा का साहित्य भी पढ़ाया करता था। प्रबन्ध-मन्त्री पंडित द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी दासगंज से रोज़ शाम को हक्के पर दफ्तर में काम करने आया करते थे। चतुर्वेदीजी ने अपने कार्य-काल में सम्मेलन का काम बड़े नियमित रूप से चलाया था।

मेरे ये संस्मरण तेईस-चौबीस वर्ष पहले के हैं। तब के अनेक कार्य-कर्ता आज नहीं रहे। उनमें से कई तो स्वर्ग सिधार गये; कहरों ने अवकाश ग्रहण कर लिया। सम्मेलन कुल मिलाकर तब से काफ़ी प्रगति कर चुका है। उसका आज वह पहले का रूप नहीं रहा, जो स्वाभाविक भी है। उसकी बढ़ती पर हम सबको सन्तोष होता है, पर डस्के पुराने रूप के संस्मरण फिर भी मुझे अधिक सुन्दर और अधिक सुखद लगते हैं। ऐसा लगता है कि तब जैसे सम्मेलन में साधना की ओर झुकाव अधिक था। तब, जैसे उसके आराधक अधिक थे, आलोचक बहुत कम। विस्तार के माध्य-साथ सम्मेलन ने अपने आलोचकों को भी बढ़ाया। हरिहार से काशीक तो गंगा का शुद्ध आराधन किया गया—आगे उसका मूल्य व्यापारिक यातायात की सुविधाओं से आँका जाने लगा। अब देखता हूँ कि सम्मेलन साधना का वैसा तीर्थस्थल नहीं रहा। अब तो वह जैसे अधिकार और विवाद का विषय बनता जा रहा है। लेकिन लोक-तन्त्र में शायद ऐसी घटनाओं से बचा नहीं जा सकता। राजनीति-प्रधान युग में किसी संस्था को लोकव्यापी और दीर्घजीवी होना है, तो जन-विवाद का विषय, सद्भाग्य या दुर्भाग्य से, उसे बनना ही पड़ेगा। हममें से कुछ लोगों का ख्याल है कि कम-से-कम साहित्य-देवता के आराधना-मन्दिर को तो राजनीति की छाशा से अलिप्त रखना ही चाहिए। मैं भी

खगभग ऐसा ही ममता हूँ। हमारा हरिजन-सेवक-संघ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। किन्तु संघ और सम्मेलन के विधानों में तस्विरः अन्तर है। सम्मेलन बैचारा इस दलदल से अब निकल भी नहीं सकता।

मेरे जैसे भक्तों की दृष्टि में तो सम्मेलन का वर्तमान रूप भी ममता और अद्वा का पात्र है। सम्मेलन ने इस अल्पकाल में राष्ट्रभाषा हिन्दी की कम सेवा नहीं की। दोष-दर्शन बड़ा आसान है। पर सम्मेलन ने अबतक जो काम किया है उसका मूल्य न्यायतः कम नहीं आँका जा सकता। प्रशार की दिशा में उसने बहुत बड़ा काम किया है—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रीतियों से। उसने संस्थाओं को जन्म दिया है और समर्थ बनाया है। कुछ संस्थाएँ उससे सम्बद्ध रहीं; कुछ स्वतन्त्र हो गईं। सम्मेलन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई तो कृतज्ञता भी प्रकट की गई। उसके 'स्वरूप' को नष्ट कर देने के भी कुप्रयत्न किये गये। मैं इस चीज़ में उल्लंघन नहीं चाहता। मेरा तो इतना ही कहना है कि सम्मेलन की टीका-टिप्पणी करते समय 'अति राष्ट्रीयता' या 'अति साहित्यिकता' के आवेश में आकर हमें अपनी विवेक-दुर्दिक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसी एकपक्षीय आज्ञाओंचनाओं द्वारा कई बार सम्मेलन के साथ अन्याय हुआ है।

अबोहर के १९४१ के अधिवेशन से कुछ मित्र लौटे थे, और हमारे हरिजन-निवास में कृपाकर मुझसे मिलने आये थे। कुछ तो उनमें स्थालिस राष्ट्रीयता के हिमायती थे और कुछ शुद्ध साहित्यिकता के पक्ष के थे। बातचीत के सिलसिले में एक पक्ष सम्मेलन को 'अराष्ट्रीय' सिल्क कर रहा था, और दूसरा पक्ष उसे 'असाहित्यिक' बताना रहा था। मेरे

जिए दोनों ही पक्षों के मित्र समान आदरणीय थे। मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। मैंने तो तटस्थ-नृति ले रखी थी। ऐसी चर्चाओं में उत्तरना नहीं चाहता था। पर उनकी वह चर्चा मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने देखा कि सम्मेलन के साथ दोनों ही पक्ष स्पष्ट ही अन्याय कर रहे थे। मैंने विषय बदल दिया और प्रयाग के कुछ पुराने प्रसंगों पर चर्चा शुरू की।

उन मित्रों के चले जाने के बाद मैं कुछ गहराई में उत्तरकर विचार करने लगा कि इस प्रकार का अप्रिय वाद-विवाद पहले कहाँ होता था। हम जोग लड़-फगड़ लेते थे, पर सम्मेलन के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं आती थी। अब तो यह जैसे उसके मूल पर ही आधात किया जारहा है। सचमुच आजतक सम्मेलन न तो अराधीय या सांप्रदायिक रहा है और न असाहित्यिक ही। मैं मानता हूँ कि दोनों ही दिशाओं में आगे बढ़ने की काफी गुंजाई है। उसके मित्रों को शिकायत करने का हक है, मगर सचाई और सहानुभूति के साथ। मुझे लगा कि सच ही ऐसे-ऐसे आरोप करनेवाले दोनों ही पक्ष सचाई और न्याय से काम नहीं के रहे। सही है कि सम्मेलन ने स्वयं साहित्य-निर्माण की दिशा में जैसा चाहिए वैसा संतोषकारक पर्याय नहीं बढ़ाया, किन्तु परीक्षाओं और भाषा-प्रचार द्वारा साहित्य के पढ़नेवाले क्या उसने काफी बड़ी संख्या में पैदा नहीं किये? इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि साहित्य-निर्माण की प्रेरणा हिन्दी-संसार को उससे खासी मिली है। सम्मेलन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रेरणा पाकर विष्य-विद्यालयोंने भी राष्ट्रभाषा के प्रति अपना कर्तव्य समझा और उसे वे उचित स्थान दिलाने में प्रयत्नशील भी हुए।

उसने साहित्य-निर्माण स्वयं अधिक नहीं किया, पर दूसरों से बहुत अधिक परिमाण में कराया है। यह भी बात नहीं कि सम्मेलनने साहित्यकारों को भी कभी उपेक्षा की इष्ट से देखा हो। प्रत्यक्ष रीति से भी, आपने सीमित साधनों से उसने साहित्य-सूजन और साहित्य-रक्षण का कुछ-न-कुछ काम किया ही है। फिर सम्मेलन असाहित्यिक कैसे होगया? उसकी कौन-सी साहित्य विरोधिती प्रवृत्ति रही है? और, आश्वर्य होता है कि दूसरा पहला अराष्ट्रीयता का आरोप करता है! दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा के मन्त्री श्री मो० सत्यनारायणजी ने अपनी वर्धा की एक तक्रीर में कहा था, कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने १९३४ के हिन्दौरवाले ठहराव में जब से तबदीली की, और उसके मुताबिक अमल करना छोड़ दिया तब से 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की नज़र मही और फैली हुई क्रौमियत की नहीं रही।' जबाब देने की ज़रूरत नहीं। समय आयेगा, जब मेरे मित्र श्री सत्यनारायणजी पठ्ठताव के साथ स्वयं हस्त आरोप या निर्णय को वापस लेंगे। सम्मेलन पर अराष्ट्रीयता का आरोप करना आसान नहीं। जिस संस्था के प्रधान कर्णधार श्री टण्डनजी उसके आरम्भ-काल से अबतक रहे हों, उसे अराष्ट्रीय कहने का दुःसाहस करना सरल नहीं। यो कहनेवालों की ज़बान को कौन पकड़ता है? पिछले-दिनों पंडित जवाहरलालजीतक को मुस्लिमी लीगी अखबारों ने 'महासभाह' लिख मारा था! राष्ट्रीयता की व्याख्या स्थिर है और रहेगी। वह पग-पग पर पलटनेवाली चीज़ नहीं है। उसके मूलतत्वों पर, जो स्थिर हैं, राजनीतिक दाव-पेचों के बल पर होनेवाले सौंदे का असर नहीं पहना चाहिए। टण्डनजी ने और उन्हींकी तरह सोचनेवालों ने हिन्दी के

अरशन को हाथ में लिथा वह इसीलिए कि राष्ट्रीय भावों और विचारों का हिन्दी के द्वारा अधिक से-अधिक विकास हुआ है और हो सकता है। शुद्ध साहित्यिक पक्षवालों ने इस दृष्टि के कारण हमारे ऊपर आरोप भी किये, लेकिन हमने उनके आरोपों के ढर से पीछे क़दम नहीं हटाया। फिर सम्मेलन पर यह आरोप कैसे किया जा सकता है कि उसकी नज़र कैली हुई कौमियत की नहीं रही? इसे दृष्टि-दोष ही कहना चाहिए।

फिर सम्मेलन ने जिन परिस्थितियों में काम किया उनको बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। न उसे राजसत्ता से प्रोत्साहन मिला, न जैसा चाहिए वैमा श्रीमन्तों से और न देश के दिग्गज विद्वानों से ही। राजसत्ता से उसे प्रोत्साहन मिल भी नहीं सकता था। उसने तो सम्मेलन को सदा सदेह की ही दृष्टि से देखा। श्रीमन्तों ने भी प्रायः उपेक्षा की—इस काम को उन्होंने शीघ्र फलदायक नहीं समझा। हमारे विद्वानों ने राजभाषा अप्रेजी में लिखना अधिक गौरवास्पद माना। सम्मेलन को सचमुच बही विषम परिस्थितियों में से गुज़रना पड़ा। सदा वह क़दम फूँक-फूँकर चला। सीमित साधनों को लेकर वह अपनी जीवन-यात्रा के विषम पथ पर चला है। विरोध और अधिय असहकार का सामना उसने विनाशका के साथ किया है। उसने अपने अस्तित्व को विनाश के पथ से बचाया है। मैं मानता हूँ कि कई बार मार्ग में वह थोड़ा भटक भी गया—भूलें उससे खासकर कुछ सभापतियों के चुनाव में हुई। परीक्षाओं की पात्र्य-पुस्तकें चुनने में भी कभी-कभी यथेष्ट सतर्कता से काम नहीं लिया गया। दलबन्दियों को इससे जान या अनजान में बल भी मिला है। इतना सब होते हुए भी उसपर यह आरोप नहीं किया जा सकता कि

उसने कभी दिन्दी का—उसकी साहित्यिकता का तथा उसकी राष्ट्रीयता का—स्वार्थवश अहित किया। निश्चय ही, सम्मेलन ने अपनी प्रतिष्ठा को कभी बेचा नहीं।

सम्मेलन के अनेक निष्ठावान सेवकों के मधुर संस्मरण सदा मेरे हृदय में पवित्रता का संचार करते हैं। उनमें से कुछेक का उल्लेख अगले प्रकरणों में करूँगा। सम्मेलन के प्रयाग-निवासी पुराने शुभ-चिन्तकों में से सर्वश्री रामजीलाल शर्मा, गोपालस्वरूप भार्गव, ब्रजराज, काश्मीनारायण नागर, जगज्ञाथप्रसाद शुक्ल, लक्ष्मीधर बाजपेयी, सालगराम भार्गव, इन्द्रनारायण दिवेदी, चन्द्रशेखर शास्त्री, द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी प्रभृति उल्लेखनीय हैं। सम्मेलन के साथ इन साहित्य-सेवियों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। सम्मेलन के एक और नैष्ठिक सेवक थे, जिन्हे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह थे, ब्रजलालजी। चपरासी का काम करते थे। रहनेवाले ज़िला प्रतापगढ़ के थे। अस्त्यन्त सीधे-सादे देहाती ब्राह्मण, पर अपने काम में चुस्त, होशयार और ईमानदार। इलाहाबाद के कोने-कोने से परिचित, मगर शहरी रंग उनके ऊपर ज़रा भी नहीं चढ़ा था। वही अपनी प्रतापगढ़ी बोली और वही देहाती रहन-सहन। कितने मन्त्री और कितने ही कर्मचारी आये और कितने ही चले गये। पर हमारे ब्रजलाल, जबतक कि उन्हे पेशन नहीं बौधी गई, उसी अनन्य निष्ठा और लगन के साथ सम्मेलन की सेवा करते रहे। ब्रजलाल के साथ हमारा खूब विनोद हुआ करता था। थोड़ी-सी दृटी-कूटी अवधी मैंने उन्हींसे सीखी थी। ब्रजलालजी का एक बड़ा मनोरंजक प्रसंग याद आ गया। प्रयाग में वह आये ही थे।

एक दिन टथाडनजी ने सम्मेलन-संबंधी बहुत सारी चिट्ठियाँ ढाकखाने में छोड़ देने के लिए एक सज्जन को कहा। उन्होंने बंटाघर के पास के बाल बंधे (लेटरबक्स) में छोड़ने के लिए चिट्ठियाँ ब्रजलालजी को देदी, और ब्रजलालजी उन्हे छोड़ आये। दो हफ्ते राह देखने के बाद भी जब किसी भी पत्र का जवाब या पहुँच नहीं आई, तब टथाडनजी को कुछ आश्वय और सन्देह हुआ। पूछताछ की गई। ब्रजलाल से पूछा गया कि चिट्ठियाँ उस दिन कहाँ छोड़ आये थे? उन्होंने बिना किसी हिचक के हाथ से दिखाते हुए कहा—‘ओही सामने क बंबवा मां!’ नीचे उतरकर उन्होंने बंबा दिखा भी दिया, और जिस तरह चिट्ठियाँ उसमे ढाली थीं वह सारी किया भी बतलादी। सदक के किनारे पानी का जो आम बंबा (नल) था, उसकी टोपी खोलकर, जो किसी तरह खुल जाती थी, उसके अन्दर वे सारी चिट्ठियाँ छोड़ आये थे! बंबा खोलकर उन्होंने दिखाया तो सारे पत्र गल चुके थे। टथाडनजी को ब्रजलालकी यह ‘निपट सिधाई’ देखकर गुस्सा भी आया और हँसी भी।

: १७ :

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

(२)

पिछले प्रकरण में मैंने श्रीगोपालस्वरूप भार्गव तथा श्रीसालगराम भार्गव और प्रो. ब्रजराजजी का उल्लेख किया है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के इन अनन्य सेवकों के नामोल्लेख के साथ सुप्रसिद्ध विज्ञान-परिषद् की चर्चा न करूँ यह कैसे हो सकता है ? हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य-निर्माण का उक्त परिषद् ने अपनी अल्प पूँजी और सीमित साधनों से खासा ढोस काम किया है। भारत की प्रान्तीय भाषाओं में विज्ञानविद्यक जो कार्य हुआ है उसमें विज्ञान-परिषद् का एक विशेष स्थान है। इस पाँडे को सन् १९१३ में श्रीरामदास गौड़ तथा प्रो. सालगराम भार्गव ने रोपा था। विज्ञान-परिषद् के इन कर्मठ यदस्यों ने बड़ी निष्ठा और परिश्रम के साथ, बिना किसी खास सहायते के, काम किया। विज्ञान के अंगों पर हिन्दी में विज्ञान-परिषद् ने अपने-अपने विषय के विद्वान् लेखकों से लगभग २० पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित की हैं। विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों का भी निर्माण परिषद् ने खासा किया है। परिषद् के मुख्यपत्र “विज्ञान” का तो हिन्दी-संसार में अपना खास स्थान है।

मगर हिन्दी का दुर्भाग्य ही समझिए कि हत्तें अच्छे ज्ञानवर्द्धक पत्र को यथेष्ट आदर न मिला। फिर भी कई दूसरे उपयोगी पत्रों की तरह 'विज्ञान' को अकालमृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा। यह सही है कि वर्तमान वैज्ञानिक साहित्य को देखते हुए हिन्दी को आज सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता। वह अभी बहुत रंग है। किन्तु अननुकूल परिस्थितियों में भी जिन साहित्यकारों ने अपनी परिमित शक्ति और साधारण साधनों से विज्ञान के शून्य कोष को थोड़ा-बहुत भरने का प्रयत्न किया है, उनकी सेवाओं की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। एक तो पराधीनता के प्रति-कूल चातावरण में मौजिक आविष्कारों के करने-कराने का हमें अनुकूल अवसर और प्रोत्साहन नहीं मिला; दूसरे, हमारे देश के हने-गिने विद्वान शोध करते और उसपर कुछ लिखते भी हैं तो अंग्रेजी में। हिन्दी में या अन्य प्रान्तीय भाषा में किसीने कुछ लिखा भी तो उसकी वैसी कृद्र नहीं होती, वह चीज़ प्रमाण-कोटि में नहीं आती। अंग्रेजी ने हमारे मानस को बुरी तरह मोह लिया है।

सचमुच हमारी कुछ ऐसी धारणा बन गई है कि ज्ञान का उपार्जन बस एक अंग्रेजी भाषा द्वारा ही हो सकता है। श्रीसम्पूर्णहिन्दजी के 'आर्यों का आदि देश' नामक ग्रन्थ के एक-दो पन्ने भी नहीं उल्लेख किए गए हैं कि मेरे एक विद्वान् मित्र ने उसपर अपनी यह राय बना डाली कि, "इस पुस्तक में ऐसी कोई खास शोध क्या हो सकती है, जिसमें वेद-मंत्रों को ही आधार माना गया है? यूरोप के दिग्गज इतिहास-क्लेशकों के आगे तुम्हारी इस हिन्दी पुस्तक की दलीलें ठहर नहीं सकतीं।" ऐसे ही लोगों ने यह हीन भावना अपने मन में बना रखी है कि हिन्दी में दूसरी भाषाओं के

सुकाविले कुछ भी नहीं है। इसी हीन-भावना के कारण विज्ञान-परिषद् जैसी अत्युपयोगी संस्था को भी हमने सदा उपेक्षा की ही राष्ट्र से देखा। हिन्दी में कुछ भी नहीं है, तो इसमें दोष किसका है? शिकायत क्यों, और किसकी? इसका अस्विर वया अर्थ है? क्या मचमुच हमानदारी के साथ हम अपने साहित्य की श्रीवृद्धि देखना चाहते हैं? तो क्या इसका यही तरीका है? इस मिथ्या दृष्टि पर, इस दृष्टित मनोवृत्ति पर हमें लगाए आनी चाहिए। यह सच है कि अपनी वर्तिकाचित् साहित्य-सम्पदा पर हमें कूठे गर्व से कूल नहीं जाना चाहिए, पर हमारा यह कहना भी उचित नहीं कि हिन्दी के दरिद्र कोष में मूल्यवान वस्तुएँ बहुत कम हैं। असम्मुट उपेक्षकों को शायद उन वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी शिकायत किये ही जाते हैं!

सम्मेलन को अवश्यक अपने उद्देश्यों में जो कुछ भी सफलता मिली है, उसका सारा श्रेय उसके तपस्वी साधकों को ही है। प्रचार के चेत्र में उसे सद्भाग्य से महात्मा गांधी का सबसे अधिक बज मिला है। उनके अनमोल उपकारों से वह कभी उच्छव नहीं हो सकता। किन्तु कुल मिलाकर देश के धनिकों और साधन-समर्थों का सहारा या सहयोग सम्मेलन को बहुत कम विलिक नहीं के बराबर, मिला। कहना पड़ता है कि हमारे देश के श्रीमन्तों ने इतने बड़े प्रश्न का महात्व अभीतक समझा ही नहीं। कर्तव्य-वृद्धि से प्रेरित होकर ऐसी लोकोपयोगी संस्थाओं को उदारतापूर्वक सहायता देना हमारे देश के सम्पन्न लोगों ने अभी सीखा ही नहीं।

बहुत वर्षों की बात है, धन संग्रह करने के लिए हम लोगों की

भिन्न-मंडली आगरा गई थी। मंडली में सर्वश्री टण्डनजी, पद्मसिंह शर्मा, रामजीकाल शर्मा, भाई कौतवाल, लच्छमीधर बाजपेयी और मैं कुछ इतने भिन्न थे। कार्यक्रम कई स्थानों का बनाया था, पर वह पूरान हो सका। मेरा तो यह पहला ही अनुभव था। देखा कि धन-संग्रह का काम सब के बस का नहीं है। काम यह सरल भी है और कठिन भी। इसे हम उत्तम भी कह सकते हैं, और निकृष्ट भी। सुना था—

विन माँगे देइ सो दूध, बराबर,
माँगे देइ सो पानी;
कह कवीर, वह रक्त बराबर
जिसमें खैंचातानी !

इस कलियुग में दान तो प्राय खैंचातानी से ही मिलता है। लेकिन रक्त-नुख्य दान लेने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य चाहिए। हमारी मंडली के नेता में वह सामर्थ्य नहीं थी। टण्डनजी तो अद्वा और विवेक से दिया हुआ दान लेना चाहते थे। दूध न मिले तो पानी से भी सम्पोष कर लेते थे। 'खैंचातानी' का सफल प्रयोग करनेवालों की उनके सामने चलती नहीं थी। पं० रामजीकाल शर्मा को टण्डनजी का यह ढंग बहुत पसन्द नहीं आया। दिनभर में हम लोग ढाई-ढाई सौ रुपये के शायद तीन या चार स्थायी सदस्य ही बना सके थे। शर्मजी खूब खैंचातानी के साथ अर्थ-दोहन के पहचानी थे। दूसरे दिन खीमकर कहने लगे—“भद्रा, यह भी कोई चम्दा माँगने का तरीका है! टण्डनजी हरेक को सम्मेलन के उद्देश्य क्या समझाने लगते हैं, एक छोटी-सी वक्तृता दे डालते हैं! और उनकी बात अगर कोई ध्यान से नहीं सुनता, या सुन-

कर हमारे उद्देश्यों को महसूव नहीं देता, तो उस बेचारे को तुरी तरह झाड़ देते हैं। ऐसे कहीं चन्दा मिलता है? चन्दा लेने की कला तो भाई, कुछ और ही होती है।''^{५०} पश्चिमिहजो का भी लगभग ऐसा ही मत था। मगर भाई कोतवाल ने उनके मत का समर्थन नहीं किया। मुझे तो टणडनजी का तरीका पसन्द ही था। वह अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखते हैं। ज़ोर भी डालते हैं, मगर एक हृदयक—उससे आगे नहीं जाते। अपने आपको धनाभिमानियों के आगे गिराना नहीं चाहते। चाहे जिस तरह और चाहे जिसके आगे हाथ फैलाना उन्हें पसन्द नहीं। धन-संग्रह करने का उनका अपना जो ढंग है, उससे उन्होंने काफी शुद्धता से सार्वजनिक कार्यों के लिए रूपया इकट्ठा किया है, बहिक रूपया उनके पास अपने-आप आया है।

हमारा धन-संग्रह का मुख्य उद्देश्य तब एक 'संग्रहालय' बनाने का था। हम सम्मेलन का एक सर्वोगपूर्ण संग्रहालय बनाना चाहते थे। संग्रहालय-भवन हमारा खड़ा तो होगया है, पर मुद्रित और हस्त-लिखित पुस्तकों तथा ऐनिहासिक व सांस्कृतिक वस्तुओं का जैसा आदर्श संग्रह हम बहाँ करना चाहते थे, वैसा अभीतक हो नहीं सका।

हमारी मंडली में साहिन्य-चर्चा तो होती ही थी, विनोद भी आपस में खूब होता था। लेकिन बड़ा सुन्दर, शिष्ट और गहरा विनोद तो ^{५०} पश्चिम शर्मा का होता था। उनके पास से उठने की जी नहीं करता था। कहने का ढंग उनका बड़ा आकर्षक होता था। संस्कृत कवियों की कितनी ही अनूठी सूक्षियाँ उन्हें कराठ थीं। इसी तरह उदू-फ्रासी के मौके के फार्मे शेर भी हमेशा उनकी ज़बान पर रहते थे।

अक्षर की कोई चीज़ सुनाते तो भूमने लगते थे। उनके अपूर्व सत्संग के, आगे के, वे अन्द दिन जीवन में कभी भूलने के नहीं। प० शशिहरी प्रकाशद विद्वान् और सिद्धान्त देखक तो थे ही, वक्ता भी उच्च कोटि के थे। उनकी भगवानोचना की दौड़ी से अबे ही कुछ अंशों में हम सहमत न हों, पर उनके गहरे पादित्य और प्रसाद प्रतिभा से कौन हम्मार कर सकता है? स्वभाव की सरकारा और विश्वधरीकारा भी उनमें उनकी विद्वता के ही अनुरूप थी। किर भी आफलोंस है कि उनकी जैसी चाहिए वैसी क्रत नहीं हुई।

इम हिन्दीवाले अपने साहित्यकारों की क्रत करने में सबसुख बहुत पीछे रहे। प्रेमचन्द और प्रसाद को भी हमने कहाँ पहचाना। इस कोटि के साहित्यकार आज किसी दूसरे देश में या भारत के ही किसी अन्य प्रान्त में पैदा हुए होते, तो वहाँके लोग दिग्दण्डन में उनका यह सौरभ फैलाने में कुछ उठा न रखते। 'कामायनी' का आशान्तर यदि अझेही में होगया होता, तो यूरोप के गुण-प्राप्ति साहित्यकार प्रसादजी का यशोचित आदर करने में पीछे न रहते। इवि बाबू की विश्व साहित्य में ऊँचा स्थान मिला, इसमें बंगदेश की स्वाभाविक गुण-प्राप्ति का भी झबर्दस्त हाथ था। प्रसादजी के यह सौरभ को दिग्दण्डवाली बनाने के लिए न कोई 'प्रवासी' था, न कोई 'मोड़न रिव्यू'। आचार्य द्विवेदीजी का भी गुण-गान, शिष्टा चार के नामे, उनकी शृणुके बाबू ही कियागया। उनके जीवन कालमें किसी विश्व-विद्यालय ने, हमारे अपने हिन्दू विश्वविद्यालय ने भी, उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान न की। आचार्य के प्रति कृतज्ञता-मकान करके वो सब विश्व विद्यालयों का ही गौरव बढ़ता। यह सब हमारी मानसिक

दासता का ही कुफ़ज़ है, जो हम अपने साहित्य-संषाधों की इस तुरी तरह डपेहा कर रहे हैं।

हमारे अन्दर जो यह हीन भावना घर कर बैठी है, और जिसके कारण हम कृतज्ञता के भागी बन रहे हैं, उसका उन्मूलन करना आवश्यक है। सम्मेलन वयों न अपना सारा बज इसी ओर लगाये? उसे विविध कार्य-सेवों का मोह कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। उसकी शक्तियों का अधिकतर दुर्ब्यव सभापतियों के निर्वाचनों और वैधानिक वारीकियों के बाद-विवाद में हुआ है। यह जोक-तंत्रबाद सचमुच कहीं-कहीं अभिशाप-सा सिद्ध हुआ है। किंतु ऐसी परिस्थितियों में सम्मेलन से अलग होकर भी तो सम्मेलन की ढोस सेवा की जा सकती है।

पर मुझे सुकाव पेश करने का भी क्या अधिकार, जबकि हिन्दी की श्रीकृष्ण के लिए मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा हूँ? केवल कभी-कभी इलकी-सी पीड़ा का अनुभव होता है। पर ऐसा निर्जीव पीड़ानुभव किस काम का?

लेकिन इतना कहूँगा कि यद्यपि आज मेरा कार्य-सेव बदल गया है, तथापि सम्मेलन से हिन्दी के प्रति अद्वा-भक्ति की जो प्रसादी मुझे मिली थी, वह आज भी मेरे हृदय में पवित्रता का संचार कर रही है, और करती रहेगी। सम्मेलन से मैं कभी उपर्युक्त नहीं हो सकता।

: १८ :

विद्यापीठ

पिल्जे एक प्रकरण में मैंने प्रयाग के विद्यापीठ का उल्लेख-मात्र किया है। इस प्रकरण में उसपर कुछ विस्तार से लिखूँगा।

प्रथम करने पर जमना-पार, महेश्वा गाँव के समीप, हमें सिंहेडी राज्य के स्व० राजा चन्द्रशेखरप्रसाद के बने-बनाये कई पक्के मकान, मय भूमि के, मिल गये। साहित्य के साथ-साथ स्वावलम्बन की इहि से आधोगिक शिवण देने का मूल में हमारा जो विचार था, उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए विद्यापीठ को शहर से बाहर ले जाना आवश्यक था। ठगडनजी और मैं उपयुक्त स्वान मिलते ही घर के दी-तीन लड़कों को लेकर वहाँ बैठ गये। दो लड़के ठगडनजी के थे, और एक मेरा समेरा भाई। तीनों छोटे छोटे बच्चे थे। दो दिन तो हनका वहाँ खूब मन लगा, पर तीसरे दिन जब उनसे मिट्टी ढुकवाई गई, तब मौका पाकर वहाँ से दो लड़के खिसक भागे। पुल के उस पार भागते हुए वे पकड़े गये। बेचारे इस ज्ञानव से हमारे साथ गाँव में रहने गये थे कि वहाँ पीले को खूब दूख और खाने को हरेन्हरे मटर और खटमिट्टे अमरुद मिलेंगे—उन्हें बता पता था कि उनसे मिट्टी की टोकरियाँ ढुक-बाई जायेंगी।

टण्डनजी चाहते तो बहुत थे, पर जमकर वहाँ कभी दूस दिन भी नहीं बैठ सके। पर मैंने तो अपना देश जमा लिया। शहर काम से ही कभी-कभी जाता था। सामने जमना, हर्द-गिर्द हरे-हरे खेत, पढ़ोप में छोटा-सा गाँव—बड़ा सुहावना मध्य बातावरण था। हमारी अपनी दो गायें थीं और राजा माहब के समय के एक मियरजी महाराज। यह हमारे चपचाली थे रमोहर्या थे, और बेटी-बाढ़ी के सजाहकर भी थे। राजा माहब की यह बड़ी मनोरंजक कहानियाँ सुनाया करते थे। राजा चन्द्रशेखरप्रभाद मनकी स्वभाव के होने के कारण 'पागल राजा' के नाम से वहाँ प्रस्त्रियां थे। मृगमिठ स्त्रामी भास्करामन्द के वह पट्टियाँ थे। संस्कृत के प्रकाशद विद्वान् थे। राज-पाट छोड़कर विरक्त का जीवन बिताते थे। उनकी जीवन कथा मैंने लोगों में ऐसी सनी थी।

काशी मेरा मामीजी के आश्रम में जब यह पढ़ते थे, तब उनकी मेष्ट्रा में हनने भूषिक दत्तचित्त रहते कि प्रायः शरीर का भी भान नहीं रहता था। माधारण घर के थे, पर मयोग मेरि मिसेंडी राज्य के उत्तराधिकारी बन गये। विवाह तो करा लिया, पर अपनी स्त्री को पत्नी नहीं माना। शुरू मेरी ही उसे 'माता' कहकर पुकारा। फिर 'स्त्रीमात्र' का मुँह नैखना त्याग दिया। राज्य को भी लात मारदी। कुछ दिन कानपुर में, और फिर हलाहालाद में जाकर रहे। जबतक मकान तैयार नहीं हुआ, तबतक नाव पर ही रहे। पीछे हस्त-मन्त्यास के लिया। हाथों मेरि बिलकुल काम नहीं लेने थे। मियरजी ने उन मध्य दर्शनीय स्थानों को दिलाया, जहाँ 'पागल राजा' का विचित्र बनावट का शौचालय था, बाल में स्नान-गृह था और वही उनका भोजनालय भी था। बाहर कुछ बाँस और टीन की

चहरे पही रहती थीं। इसलिए कि यदि उनके कमरे की छत पर कोई कौवा बैठ गया तो जबतक वह कमरा भीतर-बाहर खुल नहीं जाता, तब-तक उसमें रहना उनके अपने शास्त्रानुसार नियिद् था! तुरन्त चौस गाहकर उनपर टान की चहरे छा दी जाती और राजा साहब जबतक कि उनके 'काक-भट्ट' कमरे की शुद्धि न हो जाती उसी टान-मड़ैया में लड़े रहते थे। और उसे भी यदि किसी दुष्ट कोवे ने भट्ट कर दिया तो तत्काल दूसरी मड़ैया तैयार कर दी जाती—और इसी क्रम से तीसरी, चौथी, पाँचवीं!

मिसरजी ने सुनाया कि एक आदमी की तो सिर्फ़ यही नौकरी थी कि राजा साहब कुल्ले करते और वह खड़ा-खड़ा एक लम्बी रस्सी में गाँड़े लगाता जाता—जब ऊँचे स्वर से वह पुकारता, 'एक सौ आठ!' तब कहीं कुल्लों की प्रक्रिया का लम्बा क्रम बन्द होता!

सरकार से उन्हें शायद दो हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी, उसीसे उनका सारा खर्च चलता था। हमसे यह अर्थ न लगाया जाये कि राजा चन्द्रशेखरप्रसाद निरे सनकी ही थे; वे ऊँचे योगी भी थे। संस्कृत के अच्छे कवि भी थे। अपने गुरुदेव का जीवन-चरित संस्कृत में उन्होंने बदा सुन्दर लिखा था। शायद वह इंडियन प्रेस में जुपा था। पुस्तक का मुझे नाम तो बाद नहीं आ रहा है, किन्तु रचना वह सुन्दर थी।

राजा साहब की मृत्यु के बाद, कोशिश करने पर, वह भूमि और मकान सम्मेलन को मिल गये। चौरे-धीरे बाहर से भी विद्यार्थी आने लगे। कुछ प्रथमा परीक्षा का पाठ्य-क्रम पढ़ते थे, और कुछ मध्यमा का। कोई तीन-साढ़े तीन घंटे शारीरिक अभ्यास करते थे, बाकी समय पढ़ने में आता था।

कहाई सबके लिए अनिवार्य कर दी थी। अध्यापक अकेला मैं ही था। छात्रावास की भी स्थवर्षा करता था। चिन्ह खूब प्रसन्न रहता था। थोड़े ही दिनों में हमारा यह स्थान एक आश्रम बन गया। अम रुदों का बाता तो पहले से ही था कुछ और दररुत लगाये गये। अपनी एक नाव भी हमने बन लाई, जिसे हम लोग खुद ही खेते थे। अपने पढ़ोल के गाँवालों के साथ भाईचारा जोड़ने का भी प्रयत्न किया, पर अधिक सफलता नहीं मिली। एक ही आदमियों के साथ तो झगड़े भी हुए। बाद पढ़ता है कि अमरुद के बाग के ढेके पर हमारा मनसुटाव हुआ था। आदर्श और स्वरहार के बीच के महान् अन्तर का पता सुने पहले पढ़त यहीं चला।

विद्यार्थी शारीरिक ध्रम के कामों में डरना मन नहीं लगाते थे, जितना कि साहित्य के अध्ययन में। केवल एक दरभंगा की तरफ़ का विद्यार्थी मेहनत व लगन के साथ पौधों को सींचता और गायों की टहल करता था। खेतों-बाढ़ी की मेरे सामने बातें ही चली थीं, काम शुरू नहीं हुआ था। वहाँ से मेरे चले जाने के बाद कृषि-शिक्षण के प्रयोग चलाये गये, पर ठोक-ठोक सफल नहीं हुए। साल-सवा साल ही मैं विद्यार्थी घेरे चैढ़ मका। टयडनजी भी सन् १९२२ में जाहौर चले गये।

बाद को मैंने सुना, विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। स्वामी सत्यानन्दजी (पूर्वनाम पं० बलदेव चौधे) ने शारीर-ध्रम को बहाँ स्वास्था प्रतिष्ठित किया। उनके साधु-जीवन के प्रभाव से विद्यार्थी का बातावरण भी अधिक पवित्र बन गया था। गाँव के खोगों के साथ भी स्वामीजी ने सम्पर्क बढ़ाया था। गाँव में हरि-कीर्तन करने भी जाया

करते थे। फिर भी विद्यापीठ का सिक्षसिक्षा जैसा हम लोग चाहते थे वैसा जम नहीं पाया। विद्यापीठ को हम लोग अपने सुनहले स्वप्नों की संस्था न बना सके। न चाहते हुए भी टण्डनजी को राजनीतिक मँझटों में हमेशा व्यस्त रहना पड़ा। शान्तिपूर्वक वहाँ बैठ नहीं सके। पन्ना छोड़ने के बाद मैं सन् १९३२में दोबारा विद्यापीठ में बैठ जाने के उद्देश से प्रयाग गया, पर वहाँ पक-बेद महीने से अधिक नहीं रह सका। दिल्ली ने खोच लिया। इसमें सन्देह नहीं कि दिल्ली में मुझे अपने स्वप्नों को सफल बनाने के साधन प्रचुरता से मिले, और वह भी अनायास, पर विद्यापीठ के उस शान्त मधुर बातावरण को मैं आज भी भुक्ता नहीं सका—“मन चलि जात आज्ञा बहौं वा जमुना के तीर !”

स्व० रामदासजी गौड़ हमारे विद्यापीठ में एक बार पाँच-साल दिन ठहरे थे। उनके साथ खूब सत्संग होता था। रामचरित-मानस और विनय-पत्रिका के कितने ही गृह स्थलों का अर्थ गौड़जी ने मुझे बतलाया था। आहार-विज्ञान पर भी रोचक चर्चाएँ हुआ करती थीं। गौड़जी के साथ घनिष्ठ मैत्री मेरी विद्यापीठ में हुई थी। फिर वह बढ़ती ही गई। मेरे पन्ना चले जाने के बाद मिलना तो एक-दो बार ही होसका, पर पञ्च-व्यवहार का सम्बन्ध उनके साथ मेरा अन्ततक रहा। सम्मेलन के दिल्ली-अधिकेशन के अवसर पर जब मैं कहं साल बाद गौड़जी से मिला, तो वहं प्रेम से गले लगा लिया, और आँखों में स्नेहाशुभ्रकर कहा—“हरिजन देखि प्रीति अति बाढ़ी !” शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था। आर्थिक अवस्था भी उन दिनों उनकी अच्छी नहीं थी। किन्तु अपने हृष्णेव श्रीराम के प्रति उनकी जो अदृष्ट अद्वाभक्ति थी, उसका

उन्हें बदा सहारा था । भक्ति गद्‌गद होकर अपना रवा यह पुराना पद
मुनाया, और मुझे काशी आने का साम्रह निमन्त्रण दिया ।

“मोसम को त्रिकाल बड़भागी ?
तजि साकेत सकेत हिये के
भये गम-अनुरागी ॥
कहों ध्वल पावन पयोधि, जेहि
साकर-मृष्टि ममाई ।
कहों मोहतममय हिय मंगा,
भरी महा मलिनाई ॥
ना स्वागत-हित पुण्य पॉवडे,
रघुपति, मकेड चिङ्गाई ।
श्रद्धा-भक्ति हृदय की सौची,
पूजदु नहि बनि आई ।”

इत्यादि—

ऐसा स्मरण आता है कि विद्यापीठ में दो तीन दिन हमारे विद्या-
र्थियों को गौड़जी ने पढ़ाया भी था । कथा तो रामायण की प्रायः निष्ठ
कहते थे ।

मेरे स्नेही मित्र पं बनारसीदास चतुर्वेदी ने भी एक दिन वहाँ
हमारा आतिथ्य स्वीकार किया था । यह १९२४ की बात है । साहित्य-
सेवियों की कीर्ति-रत्ना का कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर बैठकर बनाया था ।
चतुर्वेदीजी ने मुझे उस संस्मरण की एक पत्र द्वारा याद भी दिलाई
थी । लिखा था—“हिन्दी-विद्यापीठ (महेश) में जो चार छंटे लाल

बिलाये थे, और साहित्य-सेवियों की कीर्ति-रक्षा का जो प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद कभी भी तो दिल खोलकर बातचीत करने का अवसर नहीं मिला। आपके दरिजन-निवाय में रहने की उस्कट अभिलाषा बहुत दिनों से है। मुझे वहाँ का सातिवक भोजन बहुत प्रिय है। यद्यपि मैं यह हमिङ्ग नहीं चाहता कि एक दिन के आतिथ्य के बाद आपना कोई भी भार-आपकी संस्था पर ढालूँ। चौबों को खिलाना अफ्रेद हाथी पालना है—और वह भी आजकल के 'रेशनिय' के दिनों में !

आपने कभी किसा था कि आप मुझे 'दरिद्र तपस्वी' आहशा के रूप में ही देखना चाहते हैं। तपस्या तो किसी चौबे के लिए डउनी ही आसान है, जितना 'यंगु-गिरि-लंघन', पर दरिद्रता कोई मुश्किल चीज़ नहीं।

चतुर्वेदीजो को हस बात का अफ्रमोस ही रहा कि विश्वापीठमें बैठकर उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था उसे वह अबतक पूरा नहीं कर सके। स्व० द्विवेदीजी, पश्चिमहजी तथा गणेशजी के जीवन-चरित किसकर वह आपना कर्ज़ अदा करना चाहते हैं, मगर कर नहीं सके। सिर पर 'चक्रवृद्ध ऋष्याज' चढ़ते रहने का चतुर्वेदीजी को अगर कुछ भी भर होता, तो हस तरह मकरज़ रहना उन्हें खुद भी अच्छा न लगता। मगर—विनोद में ही सही—मेरा यह उखाहना या उपदेश देना सोहता नहीं है। मैं स्वयं भारी अण-भार से खदा हुआ हूँ। कितने ही लेनदारों का देना है।

: १६ :

श्रद्धांजलियाँ

इस प्रकरण में हिन्दी-साहित्य के उन अनन्य सेवकों के कतिपय पुरुष संस्मरणों को देना चाहता हूँ, जिनके सत्संग से मैंने काफ़ी लाभ उठाया और जिनके स्मरण-मात्र से आज भी आनन्दानुभव करता हूँ।

श्रीराधाचरण गोस्वामी

यह मैं पिछले एक प्रकरण में लिख चुका हूँ कि 'संविष्ट सूरसागर' और 'ब्रह्माधुरी-मार' के सम्बादन-कार्य के सिलसिले में तीन या चार बार सुने वृन्दावन जाना पढ़ा था। ब्रज साहित्य के सबसे बड़े आचार्य उन दिनों श्रीराधाचरण गोस्वामी थे। भारतेन्दुजी के यह अन्यतम मित्रों में से थे। गोस्वामीजी महाराज से सुने अपने कार्य में बड़ी सहायता मिली थी।

मकान की वह ऊँची बैठक, दरवाजे के पास अक्षर किवाद के और कभी-कभी तकिये के सहारे उनका मौज से बैठना, सुपारी के बड़े-बड़े दुकांे हमेशा मुँह में ढाले बड़े मनोरंजक ढंग से साहित्य के किसी-न-किसी विषय पर चर्चा करते रहना—वह सब आज भी मेरी आँखों के आगे बैसा ही चूम रहा है।

एक दिन मैंने बीसियों प्रश्न पूछ-पूछकर गोस्वामीजी को काफ़ी

लंग कर ढाका था। एक दो बार खीझ भी गये, पर बिना सन्तुष्ट किये मुझे डणने नहीं दिया। गदाधर भट्ठ, श्रीभट्ठ, हरिहरम व्यास, सूरदास मदनमोहन, घनानन्द, नारायण स्वामी आदि अनेक भक्त कवियों के विषय में मुझे कहे नहूं चातें बताहूं। 'ब्रज-माधुरी-सार' यह नाम भी मेरे प्रथम का सुनाया और अन्त में हमारे कार्य को उत्साहित करते हुए कहा—

"सम्मेलन के पूर्वारों से मेरी ओर से कहना कि ब्रज-साहित्य की शोध व सम्पादन के लिए एक अलग विभाग खोलें। जेनेयोग्य जितना समर्पे उतना इस अनुकूल राशि में से लें। वह महस्त्र का कार्य है। समुद्र भरा पड़ा है, इसमें से अनमोल रत्न निकाल लें। नागरी-प्रचारिणा-सभा से मुझे बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। सुनता हूँ कि सभा 'सूरसागर' का शोधन कार्य करायेगी। पर मेरे मित्र श्रीकिशोरी-खाजा गोस्वामी तो निराश-से हैं। मैं भी अब उदासीन-सा हो गया हूँ। तुम्हारा सम्मेलन भी स्पात ही इस कार्य को आगे कुछ बढ़ा सके, उसे तो आज भाषा प्रचार से ही फुर्त नहीं। खैर, यह काम भी अच्छा ही है। सम्मेलन से जितना बढ़ पड़े करे। पर सुकाव सम्मेलन के संचालकों के आगे रख अवश्य देना।"

"पर आपको महाराज, हम लोग बार-बार कट्ट देते रहेंगे।"

"इसमें कट्ट की क्या बात है, मुझे तो ऐसे कामों में बढ़ा आनन्द आता है। मेरे पास जो कुछ भी साहित्य-सम्पर्क संचित है, अदापूर्वक डठा ले जाओ। मैं तो अबद्वालुओं से भयभीत रहता हूँ। वैष्णव सम्प्रदायों का तत्त्व-पूर्वन किये बिना इस सुधा-सागर के बहुमूल्य रत्न हाथ

नहीं जानेंगे। तुम्हारे मिश्रबन्धुओं के शाख का दग मुझे पसंद नहीं। वे जोग अवगाहन नहा करते। अद्वा का सहारा लकर खुब गहरे उत्तरों, तब कहाँ ब्रज-माहिल्य का अपूर्व रसास्वादन कर सकोंगे। मध्यन करके हम समुद्र में मे हमें मार रूप असृत निकालना है, इसके लिए अद्वा और अम दोनों की ही आवश्यकता है।”

श्रीमद्भागवत का एक बहा सुन्दर मस्करण अपने विशाल पुस्तकालय मे निकालकर मुझ दिखलाया, और कहा—“इसे कहते हैं सद्वी शोध और परिश्रम। यह ग्रन्थ अनेक मस्कृत भाष्यों और बैंगला नीका मे अलकृत किया गया है। पाद टिप्पणियाँ और पाठ भेद हमें वही विद्वता के माथ दिया गया है। बगीच पड़ितो की यह बही सुन्दर कृति है। हिन्दी के विद्वानों से भी हमे ऐसी ही आशा करनी चाहिए।”

‘अग्रेजी तथा अन्य यारोपीय भाषाओं मे शाख तथा सम्पादन का कार्य वहाँ के विद्वानों ने बड़े परिश्रम से किया है। मैंने पढ़ा है कि पेसे कामों पर वहाँ जाकरों रूपया खर्च किया जाता है।’ मैंने कहा।

मुझ वहाँ का अधिक ज्ञान नहीं है। मेरे अग्रेजी भाषा के ज्ञान को तो ‘चतु प्रवेश’ ही कहना चाहिए। किन्तु तुम्हारा कहना सच है, यह मैं मानता हूँ। मैंने भी सुना है कि परिचम के विद्वान बड़े परिश्रमी और अध्ययनशील होते हैं।

मैंने पूछा—“गोस्वामीजी महाराज, मेरा तो यह स्थान था कि आप अग्रेजी विलक्षण नहीं जानते होंगे। मैंने सुना था कि आपके पूज्य पिताजी अग्रेजी और फारसी से बहुत चिढ़ते थे। किर हसनी भी

अंग्रेजी आपने कैसे सीखी ?”

“तुम जो कहते हो वह ठीक है। मैंने पिताजी की चोरी से अंग्रेजी की दो किताबें पढ़ी थीं। पिताजी उन दिनों काशी में रहते थे। मैंने चोरी से एक प्रायमर खरीदी और एक मिश्र की सहायता से उसे पढ़ने लगा। जब उन्हें इसका पता चला तब मुझपर बहुत बिगड़े, किताब हाथ से छीनकर काढ़दी। मैंने भाषा पढ़ने से उन्हें मेरे धर्म भ्रष्ट हो जाने का भय था।”

‘शौर फारमी से भी चिढ़ते थे ?’

“हाँ हाँ, शूद्र ब्रजभाषा को छोड़कर वे दूसरी कोई भाषा भूलकर भी नहीं बोलते थे। उसका यह बड़ा कहा नियम था। एक दिन साहस्री स्वाहाव, याने लखितकिशोरीजी के घागे पिताजी ने बन्दूक छलने का वर्णन इस प्रकार किया था—“लौह-नलिका में श्याम चूर्ण प्रवेश करिके अग्नि जो दीर्घी तो भड़ाम शब्द भयो !” ब्रजभाषा के ऐसे अनन्य भक्त थे मेरे पिता श्रीगल्लूजी महाराज। मेरा भारतेन्दुजी से मिलना-बुलना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनकी दृष्टि में हरिशचन्द्र एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पर मेरे लिए तो श्रीहरिशचन्द्र मेरे ‘सर्वस्व’ थे। साथ ही, मैं पिताजी की भी आवज्ञा नहीं कर सकता था। इसलिए उनकी चोरी से, वहो चतुराई से, मिलता था।” भारतेन्दुजी का समरण करते ही गोस्वामीजी का गला भर आया। गदुगद क्याठ से बोले—

“सचमुच भारतेन्दु मेरे सर्वस्व थे—मेरे स्वजन थे, मेरे गुह थे। भारतेन्दु हरिशचन्द्र से मैं भड़ा कभी अशमुक हो सकता हूँ ? लिख

और कह तो हरिशचन्द्र गये, अब कोई क्या कहेगा ?”

स्वसम्पादित ‘भारतेन्दु’ पत्र के कुछ पुराने अंक गोस्वामीजी ने निकालकर मुझे दिये और कहा—“हन अंकों में भारतेन्दुजी के विषय में मैंने जो संस्मरण लिखे हैं, उन्हें तुम अवश्य पढ़ना ।”

दुख है कि गोस्वामीजी की डस प्रभादी को मैं अपनी खापर्दाही से सुरक्षित न रख सका ।

गोस्वामीजी ने रुदिग्रस्त आवार्य-कुङ्ग में जन्म लिया, डसी बातावरण में उनका पात्रन-पात्रग हुआ, तथापि अपने समय के हिसाब से वह उदार और सुधारवादी थे। उनके अन्दर राष्ट्रीय भावना भी थी। किन्तु सम्बद्धाय विशेष के अनुयायी होने के कारण अपने उदार विचारों का कार्यरूप में परिणाम न कर सके। गोस्वामीजी एक अच्छे कवि, लेखक, समाजोचक और निर्भय वक्ता थे। उनकी मिळनसारी और जिन्दादित्री तो उनकी अपनी खास चीज़ थी। गोस्वामीजी के ये मधुर संस्मरण-मेरे स्मृति-कोष के सचमुच अनमोल रत्न हैं। उनकी गोलोक-यात्रा पर मैंने ‘हा राधावरण !’ शीर्षक एक कविता भी लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियाँ नीचे देख अपनी तुरबा अद्विजित अपेण करता हैं—

ब्रज-बानी तें एक ललितपद दूटि पर्यौ के,
ब्रज-बल्लरि तें कलित कुसुम कुम्हलाय गिर्यौ के,
ब्रज-नागरि-सिंगार-हार-मनि खोय गयौ के,
भारतेन्दु-प्रतिविम्ब विम्ब में लीन भयौ के !

श्री श्रीधर पाठक

ब्रज बानी के रसिक और खड़ी बोजी के आवाचार्य व० श्रीधर

पाठक का मैं उस दिन से परममक बना, जिस दिन साहित्य-सम्मेलन के तत्त्वावधान में, मेरी प्रार्थना पर, उनकी अध्यक्षता में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रथम जयन्ती मनाई गई थी। यह शायद १९२२ की बात है। स्व० अवधवासी लाला सीतारामजी ने भी उस सभा में भाषण किया था। अपने भाषण में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जो उस अवसर के उपर्युक्त नहीं था। हम सबको लालाजी के उन शब्दों से चोट-न्सी पहुँची। पर उनकी असामिक और असंगत बातों का कुछ जवाब देना गुस्ताखी करना था। सम्मान्य लालाजी अपने उत्सव के मेहमान थे, वयोवृद्ध थे और भारतेन्दुजी के मित्रों में से थे।

अद्येय पाठकजी का भाषण बहा सुन्दर हुआ। दमे की शिकायत से पीड़ित थे, सौंस फूँक रही थी, पर अविरत गति से बोले चले जाते थे। उनका भक्ति-भावपूर्ण भाषण सुनकर मैं तो गदगद हो गया। भारतेन्दुजी के प्रति आकर्षण मेरा और भी बढ़ गया।

जबतक प्रयाग में रहा, मास में एक-दो बार पाठकजी के निवास-स्थान 'पश्चकोट' पर उनका सत्संग-खाभ लेने मैं अवश्य जाया करता था। पश्चकोट की साधारण सजावट में भी उनकी साहित्य-रसिकता और कला की अभिन्युक्ति फैलकरी थी। वहे प्रेम से मिलते थे। हृदय पाठकजी ने बहा सरस पाया था। कहा करते—“वियोगीजी, तुम चाहो तो दिन में दो बार पश्चकोट का चक्कर लगा सकते हो। मेरो कुटिया तुम्हारे स्थान से है ही कितनी दूर? दो ही डग तो है।” किर अपनी कोई-न-कोई रचना ज़रूर सुनाते। शब्द छान-छानकर और लोक-लोक-कर रखते थे। शब्द-शब्दन में अद्वितीय थे। कौन शब्द कहाँ किस

इस से रखा गया है, उसका अपना एक इतिहास होता था। वास्तव में, पाठकजी पढ़-रखने के एक दौरे जौहरी थे। समझने का भी उनका अपना अनूठा ढंग था।

पाठकजी सच्चे अर्थ में प्रगतिशील कवि तथा प्रतिभाशाली सेल्फक थे। परम्परागत तर्जों का समूल उच्छेदन न कर उन्हें अधिक-से-अधिक विकसित करने का उनका नियम रहता था। प्रतिभा इतनी प्रबल थी कि वह भया-से-नया मार्ग निकाल सकती थी।

कभी-उभी पाठकजी सम्मेलन-कार्यालय में, जब वह जाम्स्टनगंज में था, शाम को आजाते थे। माहित्य-भवन में भी कभी-कभी बैठ जाते थे। एक दिन मेरे तथा पं० रामनारायण चन्द्रवेदी के विशेष अनुरोध पर 'काश्मीर-सुषमा' का कुछ अंश पाठकजी ने बड़े भाव से सुनाया था। स्वर और लय का भी उन्हें अच्छा जान पा। भाष्यरूप में काश्मीर के अनेक मनोरम दर्शों का जो विशद् वर्णन किया वह और भी अधिक हङ्कारंजक था। उठने को जो नहीं करता था। उस दिन पाठकजी कोई दो-दो-बारे हटे और सुधा-बर्या करते रहे। शायद वह कवार का महीना था। फिर पाठकजी का वह मनुष कविता-पाठ, प्रकृति-सुषमा का वह अद्भुत चित्रण। खोटे-खोटे बालों को भी मन्त्र-सुख-सा कर दिया। जब जाने लगे तब मुझे हृष्म हुआ कि 'कल पश्चिम तुम्हें ज़रूर आना होगा। मूँके तुमने दो बारे बिदाया इसकी सज्जा यही है कि तुम्हें चार बारे से पहले छुड़ो नहों मिज्ज सकेगो। माथ में चन्द्रवेदीजी को भी काना होगा।'

"ज़रूर कल पश्चिम की हाज़िरी बजाईंगा। आप इसी तरह रस बरसाते रहे तो कौन उठना चाहेगा? चार बारे क्या मैं को आठ बारे

भी छठा रहेंगा । चौदोजी से भी प्रार्थना करेंगा । जाना मेरे बस का नहीं—ज़रा स्थूलकाय हैं । तो भी प्रयत्न तो करेंगा ही ।” मैंने पश्चाम करते हुए कहा ।

सन् १९२३ की बात है । प्रथम ‘मगलाप्रसाद पारितोषिक’ की निष्ठायक समिति के सदस्य जब सर्वसम्मति से या बहुमत से किसी भी पुस्तक पर अपना निर्णय देने म आसमर्थ हुए, तब नियमानुसार तुरन्त दूसरी निष्ठायक-समिति सम्मेलन को नियुक्त करनी पड़ी । उसके ये तीन निष्ठायक थे—प० श्रीधर पाठक श्रीरामदास गौड़ और मैं । हम दोगों ने सर्वसम्मति से प० पद्मसिंह शर्मा की ‘विहारी मतसंहि की भाष्य भूमिका’ के पछ में अपना निर्णय दिया । निर्णय उक्त पुस्तक पर बड़े विवारपूर्वक पाठकजी ने लिखा था । वही गवेषणा पूर्ण समीक्षा थी वह । गौड़जी का और मेरा तो उस निर्णय पत्रमें बहुत कम अशा था । पाठकजी का साहित्य के अन्दर कितना सूचम प्रवेश था इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे उसी दिन हुआ । लगातार दो दिन हम दोग छुह छुह घटे बैठे तब कहीं निर्णय तैयार हो पाया । एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को खूब जाँचकर, तोखकर रखने की उनकी आदत थी ।

उसके बाद बस, एक बार और दर्शन हुए । उस दिन श्रद्धेय पाठकजी ने अपने रचे कुछ भारत गीत सुनाये थे । उनका मञ्जुल मधुर स्वर में वह भूम सूमकर सुनाना आज भी मानो कानों मे गैंज रहा है । राष्ट्रीय गीत बाद को सैकड़ों बने, पर पाठकजी के भारत गीतों की बराबरी, मेरे स्वयाक में, कुछ ही गीत कर सकेंगे ।

कई वर्ष पूर्व अपने मित्र श्रीरामनाथ 'सुमन' से मिलने में लूकर गंज गया था। दूर से तीर्थोंपर 'पश्चिमोट' देखा तो हृदय भर आया। सामने दो मिनट ठहरा, प्रणाम किया और चल दिया। क्या मेरी भक्ति-अद्वा-जलि वहाँतक पहुँची होगी ?

श्रीचन्द्रशेखर शास्त्री

ब्राह्मणों की आज बहुत आलोचना होती है, वे बहुत धिकारे जाते हैं—मैं स्वयं भी कभी-कभी आवेश में आकर ब्राह्मणवर्ग की कड़ी-मे-कड़ी निन्दा कर बैठता हूँ; पर उम विहारी ब्राह्मण को कैसे भुजा दूँ, जिसके स्मरणमात्र से मेरा मस्तक अपने आप झुक जाता है ? मेरा आशय हिन्दी-साहित्य-मम्मेलन के अनन्य भक्त स्व० पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री मे है। मेरे श्रद्धेय मित्र शास्त्रीजी मध्ये अर्थों में शत-प्रतिशत ब्राह्मण थे। प्रकाएड विद्वान्, साध ही बड़े विनयशील; स्पष्टवक्ता किन्तु प्रियभाषी, विचारों में अद्यतन उदाहर, मगर अपनी संस्कृति और नीति पर हमेशा दृढ़। लिखने की शास्त्रीजी की अपनी विशिष्ट शैली थी, जिस-पर उनकी मौलिकता की ढाप रहती थी। संस्कृत के पारंगत विद्वान् होते हुए भी हिन्दी के प्रति उनके सरस हृदय में ऊँची निष्ठा थी।

शास्त्रीजी बड़े आनन्दी जीव थे। जब भी मिलते 'आनन्दम्' कह-कर नमस्कार करते। हम लोग भी ऊँचे स्वर से 'आनन्दम्' शब्द से उन्हें अभिवन्दन करने थे। मम्मेलन के मम्बन्ध में चर्चा चलती तो टथडनजी की निम्दास्तुति सुनाये बिना न रहते। टथडनजी के मुँह पर भी उनकी अति उशारता या अति साधुता की कड़ी आलोचना किया करने थे, मगर प्रेम और अद्वा के साथ—'हृदय प्रीति सुख वचन

कठोरा ।'

रहन-सहन उनका बहुत सादा था । खाइर खूब मोटा पहनते थे । चटाई पर बैठकर लिखने-पढ़ने का सारा काम करते थे । सोते भी अक्सर चटाई पर ही थे । आब बहुत थोड़ी थी । प्रकाशक पृष्ठ-संख्या देखकर पारिश्रमिक देते थे । लेखक के व्यक्तिगत से उन्हें कोई मतभव नहीं था । कुछ प्रकाशकों ने शास्त्रीजी के माध्य असत्य का भी न्यूनता किया था । आपस में भले ही शिकायत की हो, पर अखबारों में उन्होंने ऐसी बातों की कभी चर्चा नहीं की । सत्य और श्रम को उन्होंने अपने जीवन में सर्वोपरि माना । अशिष्टतापूर्ण आत्मोचना को उन्होंने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया ।

'सम्मेलन-पत्रिका' में, अपने सम्पादन-काल में, मैंने 'मिश्रबन्धु-विनोद' पर तीन या चार आत्मोचनात्मक लेख प्रकाशित किये थे । बाद को वे लेख मुझे बदे हुजके और अविनयपूर्ण मालूम दिये । प्रकाशित कर बहुत पछताया । तुरन्त 'नन्द निवेदन' शीर्षक मैंने एक ढोटा सा 'ज्ञान-याचना पत्र' लिखा और उसमे अपने अविनयपूर्ण लेखों पर खेद प्रकट किया । सम्मेलन-पत्रिका में उसे पढ़कर रात को ही शास्त्रीजी मेरे निवासस्थान पर पहुँचे और मेरी पीठ ढोकते हुए गदगद कण्ठ से बोले—“तुम्हें इस मत्स्याहम पर साधुवाद देने आया हूँ । तुमने यह 'नन्द निवेदन' लिखकर जो आत्मशुद्धि की है उससे, भाई, मुझे बड़ा आनन्द हुआ । तुमने यह ब्राह्मणोचित ही कार्य किया है । विनय ब्राह्मण का मुख्य कल्पणा है । बस, इतना ही कहने आया था । अच्छा, आनन्दम् ।” शास्त्रीजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़ा मिला ।

मैंने साथुनेत्र उन्हें दो बार नमस्कार किया ।

अन्तिम दर्शन शास्त्रीजी का १९३३ के साल में यहाँ विही में हुआ था । तब हमारे हरिजन-सेवक-संघ का दफ्तर विष्णु मिशन के दफ्तर के साथ था । शास्त्रीजी की आयिंक अवस्था उन दिनों बहुत गिरी हुई थी । पर अपनी अन्तर्भूत्या उन्होंने इच्छा नहीं की । किसी स्थानीय प्रकाशक से शायद संस्कृत-अनुवाद के विषय में कुछ तथ्य करने आये थे । मुझे कुछ ऐसा लगा कि घर की ओर से भी कुछ दुखी से थे । फिर भी चेहरे पर वैसा ही प्रसाद और वैसा ही तेज मङ्गलकरा था । बड़ा सन्तोष प्रकट किया कि मैं 'हरिजन-सेवक' का सम्पादन-कार्य कर रहा हूँ । शायद आठ बर्ष बाद शास्त्रीजी के दर्शन हुए थे । कौन जानता था कि हमारा यह अन्तिम मिलन था !

: २० :

काशी के संस्मरण

मुकित-जन्म-महि जानि,
ज्ञान-खानि अघ-हानिकर ।
जहँ वस संभु-भवानि,
सो कासी सेइय कस न ॥

कितने ही बार इस सोरठे को पढ़ा होगा, यथामति मनन भी किया,
पर इस भाग-दौड़ के जीवन में मुकित-भूमि काशी का कभी जी-भर
सेवन न कर सका । तुलाया तो मुझे अपस्थ-स्नेह से कई बार, पर
काशीमाता ने अपने अंक में रखा कभी पन्द्रह दिन भी नहीं । किन्तु
आकर्षण मेरा इस पुरुषनगरी की ओर सदा ही रहा । प्रयाग, पन्ना,
विष्णु जहाँ कहाँ भी रहा, मेरा काशी का आना-जाना नहीं छूटा ।

सबसे पहले १९१६ में जब विश्वनाथ बाबा की महापुरी का दर्शन
किया था, तब मेरी शुद्ध लीर्थ-दृष्टि थी । तब हतना भी ज्याज में नहीं
था कि भगवान् तथागत ने सर्वप्रथम यहाँ अपना धर्मचक्र-प्रवर्तन किया
था; संत-शिरोमणि कवीर ने हसी काशी में अक्षख तत्त्व का रहस्य-
दीपक जखाया था; भक्तराज तुलसी ने यहाँ बैठकर 'विनय' के सार्व-
भौम अद्वितीय पद रचे थे; कवि-मृगार भारतेन्दु ने यहाँ उदित होकर

हिन्दी-साहित्य का नया प्रकाश-युग उतारा था। नागरी-पञ्चारिखी-सभा का तब कदाचित् मैंने नाम भी नहीं मुना था। साहित्य-सम्मेलन की जन्मदात्री सभा का पुण्य परिचय तो मुझे बहुत बीचे हुआ।

काशी के साथ मेरा निकट का सम्बन्ध सो १९१८ से हुआ, जब सम्मेलन की ओर से अद्वैत बाबू भगवान्‌दासजी को हिन्दी-विद्यापीठ का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण देने गया था। डहरा स्व० बाबू शिवप्रसादजी गुप्त के यहाँ था। उन दिन गुप्तजी अपनी शहर की हवेली में रहते थे। विश्वविद्यालय में श्रीरामदासजी गौड़ से भी मेरा तभी प्रथम परिचय हुआ था।

इसके बाद, असहयोग विषय के दा-तोन ट्रेक्ट ज्ञानमण्डल प्रस में छपाने के सम्बन्ध में जब मैं काशी गया, तब श्री सुकुन्द्रदास गुप्त तथा पश्चालालाजी से नीचो बाग मे मेरा परिचय हुआ। रेक्वेड हिन्दी टाइम-टेब्ल के प्रकाशक के रूप मे प्रसिद्ध हमारे सुकुन्द्रदासजी ने पुस्तक-प्रकाशन का काम तब शुरू ही किया था। भाई रामनाथजी 'सुमन' के साथ भी मेरा तभी का परिचय है। सुकुन्द्रदासजी के प्रति उत्तरोत्तर मेरा आत्मीय स्नेह बढ़ता ही गया—केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी 'विनय-पत्रिका', 'तुलसी-दूक्ति-सुखा' तथा अन्य पुस्तकों प्रकाशित की, बल्कि उनके सहज सौजन्य और सरल व्यवहार ने मुझे खींच लिया और वह मेरे स्नेह-भाजन बन गये। काशी के जिन कई साहित्य-सेवियों से मेरा पत्र अवधार द्वारा परिचय हुआ था, उनसे प्रथम मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डा० रघुमसुन्दरदास, आचार्य-रामचन्द्र शुक्ल, पंडित किशोरीकाळ गोस्वामी, पं० अयोज्यासिंह

उपाध्याय, बाबू जगद्वाधदास 'रत्नाकर', पं० केशवप्रसाद मिश्र और श्री जयशंकर 'प्रसाद' के दर्शन एवं सत्संग का कहूँ बार लाभ उठाया।

बाबू श्यामसुन्दरदासजी से मिलने उनके घर पर दो बार गया, और दोनों ही बार उन्हें रुग्ण और विपक्ष पाया। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की नीति पर कुछ रुष्ट-से थे। उनके असन्तोष के कुछ कारणों का मैं निराकरण तो कर सकता था, पर विवाद में उत्तरना उचित नहीं समझा। मैं तो केवल दर्शन करने और आशीर्वाद लेने गया था। आचार्य के दर्शन एवं सत्संग से दोनों ही बार मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। आचार्य श्यामसुन्दरदासजी ने हिन्दी की जिस अनन्य निष्ठा से जीवनभर सेवा की, उसके स्मरण-मात्र से उनके चरणों पर हठात मस्तक झुक जाता है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से पहली बार जब मैं उनके घर 'गुरुधाम' पर जाकर मिला, तब उनकी गम्भीर मुख्य-मुद्रा देखकर अधिक बात करने का साहस नहीं हुआ। किन्तु कुछ ही लायों में उनके नवनीत-जैसे हृदय ने मेरा भारा भय व संकोच दूर कर दिया। कांइ डेह-दो घंटे बिठाया। बड़े सौजन्य और स्नेह से बातें कीं। अपने कितने ही पुराने सुन्दर सुखद संस्मरण सुनाये। नागरी-प्रचारिणी सभा के सनातन सेवक पं० केदारनाथ पाठक का जिक्र आया। शुक्लजी ने गदगद कंठ से कहा:—“पाठकजी ने ही तो मुझे हिन्दी में लिखने की ओर प्रेरित किया था। उनका मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा।”

दूसरी बार जब शुक्लजी से मिला तब उन दिनों वे “हिन्दी-साहित्य का हतिहास” लिखने में व्यस्त थे। कुछ अंश—शायद

प्रेमगाथा-काल का सुनाया भी था। एक स्थल वह भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने मिश्रबन्धुओं की कड़ी आक्रोचना की थी। “मिश्रबन्धु-विनोद” का अपने हतिहास में शुक्लजी ने कहं जगह संदेन किया था। १० मई, १९२६ के पत्र में सुन्में लिखा था:—

“मिथवर,

नमस्कार ! “हिन्दी-साहित्य का हतिहास”, जो हाल में मैंने ‘शब्दमागर’ की भूमिका के रूप में लिखा है, भेजता हूँ। आप हसका अवलोकन कर जाइए। हसमें विभाग आदि मैंने नये ढंग से किया है, और बीच-बीच में मिश्रबन्धुओं के अनगीळ प्रकाप का भी निराकरण किया है। मिश्रबन्धु हसपर बहुत कुड़े हैं, और अनेक रूपों में सुखपर आकरण का उपक्रम कर रहे हैं। आप हस पुस्तक के सम्बन्ध में आपना कुछ सत अवश्य प्रकट कीजिएगा।”

इस पत्र का मैंने संलेप में उत्तर दे दिया था। जब काशी में दोबारा मिला, तब हसी विषय पर हमारी फिर चर्चा हुई। मिश्रबन्धुओं की आरण्याओं का कठोर भाषा में उत्तर देने के पक्ष में मैं नहीं था। यों शुक्लजी के निराकरण से मैं सर्वश्र सहमत था। उनके काल-विभाजन के सम्बन्ध में भी मेरा प्रायः मतैक्य था। पर उनका यह “‘अनगीळ प्रकाप’” शब्द सुन्में अच्छा नहीं लगा था। वह उनके अनुरूप नहीं था। किन्तु शुक्लजी उसपर हड़ थे। मेरी दब्लील में उन्हें दब्लूपन मालूम देता था। पर मैं तो उनकी व्रजभाषा की हृचिर रचनाएँ सुनने गया था। शुक्लजी ने सुन्में निराश नहीं किया। एक बड़ी सुन्दर रचना कागजों में से निकालकर पढ़ने को दी, और वह प्रसंग भी बताया,

जब उस कविता को लिखा था ।

इसके बाद, वह, एक बार और शुक्लजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । यह शायद सन् १९३० की बात है । कविवर रत्नाकरजी ने अपने निवास-स्थान पर स्थानीय कवि-गोष्ठी का आयोजन किया था । काशी का यह मेरा बड़ा महुर संस्मरण है । सचमुच वह एक पुण्यदिवस था । एक ही साथ उस दिन कई साहित्य-महारथियों का उस गोष्ठी में दर्शन-लाभ हुआ । मुझे उस आयोजन का पता भी नहीं था । मैं तो श्रीरत्नाकरजी का दर्शन करने गया था, पर वहाँ तो एकसाथ हमारे कई गुरुजन विद्यमान थे । रत्नाकरजी और श्रीकिशोरी-लाल गोस्वामी का खूब हास्य-विनोद चल रहा था । गोस्वामीजी की छाँखें करीब-करीब जवाब देनुकी थीं । शरीर अस्वस्थ-सा था । पर जिन्दा-दिल्ली में कुछ भी कुक्क नहीं आया था । अद्येय हरिष्चंद्रजी भी झूम-झूमकर विनोद-चर्चा में रस ले रहे थे । और शुक्लजी किसी पुस्तक के पन्ने उलट रहे थे । बीच-बीच में कुछ जाते भी जाते थे । मैं प्रसादजी से बातें कर रहा था । इतने में अद्येय उपाध्यायजी ने प्रस्ताव रखा कि जलपान के पश्चात् हम सबको अपनी एक-एक रचना सुनानी ही होगी । गोस्वामीजी ने लाञ्छ करते हुए कहा—“प्रस्तावक महोदय से ही क्यों न कविता-पाठ का आरम्भ कराया जाये ।” हरिष्चंद्रजी ने अपने चार-पाँच चौपदे सुनाये । पर रत्नाकरजी चौपदों से खुश होनेवाले जीव नहीं थे । वह तो उनकी ब्रजभाषा की कोई शृंगार रस की कविता सुनना चाहते थे । हरिष्चंद्रजी ने भी ना नहीं की । रत्नाकरजी की फूरमाहश पर शृंगारी कविताओं का भी ढन्होने हम सबको रसास्वादन

कराया। गोस्वामीजी ने भी ऐसी ही अपनी एक रसवन्ती रचना सुनाई। इन निषट बूढ़ों का रस-निर्मल देखकर मेरे मन में न जाने कैसा खग रहा था। लेकिन रत्नाकरजी ने स्वरचित 'गजेन्द्र-मोद' के तीन या चार श्लोजस्वी कवित सुनाकर वह सारा कामुकतापूर्ण दृश्य बदल दिया। काव्यकृत कहने का रत्नाकरजी का बहु सुन्दर ढंग था। चित्र-सा सामने खड़ा कर देते थे। इम लोगों के आग्रह पर 'गंगावतरण' के भो पाँच-सात पथ उन्होंने बड़े प्रेम से सुनाये।

अब शुक्लजी मेरे निवेदन किया गया। वहो मुश्किल से कही एक दोहा सुनाया। उनकी गम्भीर प्रकृति को दखते हुए अधिक ज़ोर डालना चाहित नहीं समझा गया। प्रसादजी भी नहीं सुनाना चाहते थे। बहुत-बहुत आग्रह किया, तब कही कुछ सुनाने को तैयार हुए। फिर भी अपनी रचना नहीं सुनाई। बड़े-बूढ़ों की आज्ञा का पालन करते हुए घनानन्द का यह सुप्रसिद्ध सर्वेया सुनाया:—

“परकाजहिं देह को धारे फिरौ,
परजन्य जथारथ है दरसौ ।
निधि-नीर सुधा के समान करौ,
सबही विधि सज्जनता सरसौ ।
घनआनंद जीवन-दायक हौ,
कछु मेरियौ पार हियैं परसौ ।
कबूँ वा विसासी सुजान के आँगन,
मो औंसुवान को लै बरसौ ॥”

प्रसादजी की इस विनयशीलता को देखकर तो मैं स्तब्ध रह गया।

मैंने अनुभव किया कि इस विनयशीलता और सरलता ने ही प्रसादजी को इस युग का इतना महान् कवि बनाया है। मैंने मन-ही-मन इस महाकवि को प्रशांत किया।

अन्त में अब मेरी ही बारी थी। मेरे लिए प्रसादजी ने रास्ता तैयार कर दिया था। सो उन्हींका पदानुसरण किया। रसखाम का यह सबैया मुझे याद था:—

“मानुष हैं तो वही ‘रसखान’
बसौ निन गोकुल गाँव-गुवारिन ।
जो पसु हैं तो कहा बसु मेरौ,
चरैं नित नन्द की धेनु मँझारिन ।
पाहन है तो वही गिरि को,
जो कियो सिर छत्र पुरन्दर-धारिन ।
जो खग हैं तो बसेरो करौ मिलि
कालिन्दी-कूल कदंब की डारिन ॥”

इस चिरस्मरणीय प्रीति-गोष्ठी के बाह, बस, एक बार और प्रसादजी के दर्शन हुए—मृत्यु से पाँच-छह महीने पूर्व रोग-शैया पर। गोस्वामीजी और शुक्लजी भी फिर नहीं मिले। वही, बस, अंतिम मिलन था।

मैंने ऊपर पं० केदारनाथ पाठक का उल्लेख किया है। पाठकजी को अद्वांजलि अर्पण किये बिना मेरे काशी के ये संस्मरण अधूरे ही रहेंगे। पाठकजी न लेखक थे न कवि। किन्तु हिन्दी के एक नैषिक भक्त थे। नागरी-प्रचारिणी सभा के संग्रहालय की एक-एक पुस्तक का, एक-एक मासिक पत्रिका का उन्हें प्राप्त था। हिन्दी-साहित्य के सचमुच वे

एक 'चलते-फिरते विश्वकोश' थे। मारतेन्दु-काल तथा द्विवेदी-काल के प्रायः सभी लेखकों व कवियों के संस्मरण उनके स्मृति-भवहार में भरे पड़े थे। पाठकजी के साथ चाल करने में बड़ा आनन्द आता था। पर उनकी जीवन का संध्याकाल बड़े कष्ट में थी। आँखों की ज्योति चली गई थी। जीविका का कोई सहारा नहीं रहा था। बहुत बुरी अवस्था थी। जीवनभर सभा की सेवा की। सभा-संचालकों ने इंत में उनकी अवस्था पर शायद कुछ ध्यान दिया भी, पर पाठकजी ने सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। मुझपर बहुत स्नेह रखते थे। जब कभी मैं काशी जाता, वह प्रेम से मिलते थे। अंतिम बार जब मैं उनसे मिला, तब उनकी दयनीय दशा देखकर बड़ा दुःख हुआ। तब मेरा किसी श्रीमंत से हतना अधिक परिचय नहीं था कि पाठकजी को कुछ मासिक सहायता दिला सकता। किसीसे हतना भी तो न हुआ कि उनके स्मृति-कोष में जो अनेक अनमोल संस्मरण भरे पड़े थे, उन्हें उनके पास बैठकर लिपिष्ट कर लेता। उनका अपना एक निजी भी पुस्तकालय था। मालूम नहीं, उनकी मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ।

काशी के, बस, एक पुण्यपुरुष का संस्मरण और। मेरा आशय स्व० श्री शिवप्रसादजी गुप्त से है। मृत्यु से नौ मास पूर्व सेवा-उपवन में अन्तिम बार मैं उनसे मिला था। काफी अस्वस्थ थे। शरीर काम नहीं देता था। आरामकुर्सी पर लेटे हुए थे। तब पर शुभ्र खादी, इवेत दाढ़ी और मस्तक पर चन्दन बड़ा भव्य मालूम देता था। ठक्कर बापा का तथा हरिजन-निवास के बालकों का कुशल-समाचार बड़े प्रेम से पड़ा। हँसकर कहने लगे—“गत वर्ष मैंने जो लौंगड़े आम भेजवाये

ये, वह आपके छद्मकों को पसन्द आये ये न ? इस वर्ष मी भेजवांड़गा । काम तो सब ठीक चल रहा है न ? आपका स्थान मुझे बड़ा प्रिय लगा था । और बापाजी तो देवता हैं । ऐसे सत्पुरुषों का सत्संग भाग्य से मिलता है । बापाजी से मेरा प्रश्नाम कहिएगा । आजकल कहाँ हैं ?”

“दिल्ली में ही हैं । काशी का जब कभी प्रसंग आता है, बापाजी आपको पूछ लिया करते हैं । आपकी दया से हरिजन-निवास का कार्य ठोक-ठीक चल रहा है । आपने ढेढ़-दो साल पहले हमारे विद्यार्थियों को प्रार्थना-स्थान पर बैठकर रात्रि को अपने जो यूरोप-यात्रा के रोचक संस्मरण सुनाये थे, वह उनको बहुत याद आते हैं । और आम तो छद्मकों ने हृतने स्वाद से खाये कि कुछ पूछिए नहीं—एक तो बनारस का लैंगका, दूसरे, आपके प्रेम का प्रसाद !” मैंने हँसते हुए कहा ।

गुप्तजी के जर्जरित स्वास्थ्य को देखते हुए मैं उनके पास अधिक देर नहीं बैठना चाहता था । बढ़ने लगा तो पाँच मिनट और बिठा लिया । बोले—“मैं तो आपको पत्र लिख ही रहा था, मुझे आपसे एक शिकायत है । आपके द्वारा संपादित ‘हरिजन-सेवक’ में कभी-कभी बाँच लिया करता हूँ । मुझे उसकी भाषा पसंद नहीं । आप भाषा को क्यों बिगाड़ रहे हैं ? आप छोगों की इस वर्णसंकरी भाषा से मुझे बड़ी चिढ़ है । आप उड़ूँ में शौक से लिखें, कौन रोकता है, पर कृपा-निधान ! हिन्दुस्तानी की हंडिया में यह विचित्र लिचड़ी न पकाइए । बेचारी हिन्दी को छत-विछित न कौजिए ।” कहते-कहते आवेश में आगये ।

“पर गुप्तजी, हमारी यह प्रवृत्ति अदि हमें देख्य की ओर लेकरने

में सहायक होती हो, तो शब्दों की विचारी पकाने में हमारी क्या हालिहै ?” मैंने नश्वतापूर्वक कहा ।

“यह आपका निराभ्रम है । ऐसी बातों से एक्य-स्थापन नहीं हुआ करता । छोड़िए इस विषय को । मैंने भी ज़माना देखा है । देखते-देखते मैं आज निराशावादी-सा बन गया हूँ । ऐसी-ऐसी प्रवृत्तियों से हमारा क्या सघनेवाला है ? पूज्य खापूजी को भी मैं कभी-कभी लिखता रहता हूँ ।” दीर्घ विश्वास छोड़ते हुए कहा ।

अधिक बोलना मैंने उचित नहीं समझा । प्रश्नाम किया और चल दिया । उनकी ज्वलन्त हिन्दीनिष्ठा को देखकर मैं तो गदगद हो गया । उनके राष्ट्र-प्रेम पर, उनकी कांग्रेस-भक्ति पर कौन उंगली उठा सकता था ? मगर आज यदि श्रद्धास्पद गुप्तजी जीवित होते, तो शायद उन्हें ‘हरिजन-सेवक’ की नहीं विचित्र भाषा को देखकर और भी मनोव्यथा होती । और उनकी हिन्दी-निष्ठा के अपराध पर उन्हें शायद सांप्रदायिकतावादी भी कहा जा सकता !

२१ :

कैसे उत्तरण हो सकता हूँ ? *

पिछले कई प्रकरणों में श्रीपुरुषोत्तमदासजी टंडन के नाम का उल्लेख अनेक बार हुआ है। ऐसा होना अनिवार्य था। टंडनजी के निकट संपर्क में मैं कोई कुछ साक्ष रहा। काफी नज़्दीक से उन्हें देखा। मैंने उन्हे अपना प्रथम मार्गदर्शक माना है। कहते हैं कि अति परिच्छय कभी-कभी कवज्ञा का रूप भारत्य कर लेता है। कुछ अंशोंमें यह भारत्या सही भी है। टंडनजी की कुछ बातों की आलोचना मैंने भी कई बार की—अक्सर मन में और कभी-कभी मित्रों के भी बीच में। मगर मेरी आंतरिक श्रद्धा-भावना, जहाँतक सुके स्मरण है, कभी कम नहीं हुई।

टंडनजी को पहले-पहल भैंने १९१८ में देखा था। सान्निध्य १९२१ में हुआ। फिर तो मैं उनके घर का ही हो गया। अन्तर मैंने उनका सदा वैसा ही पाया, जैसा कि पचीस साल पहले देखा था। उनकी सहज सरबता में, अमन्द तेजिवता में, हुद्द सत्यनिष्ठा में और डैर्ची विसर्जन-भावना में कुछ भी अन्तर नहीं पढ़ा।

टंडनजी के स्नेहपूर्ण संपर्क या सरसंग के कितने ही दिन आज, जब कि यह प्रकरण लिखने चैठा हूँ, अँखों के सामने आ गये हैं। पर यहाँ सो मैं दो-चार प्रसंगों को ही लौंगा। मैं उनकी जीवन-कथा

खिलने नहीं दैठा हूँ। उनके साथ रहकर उनके जीवन में जिन दो व्यापक तत्वों को मैंने समीप से देखा उन्हेंके विषय में यहाँ लिखना चाहता हूँ। वे दो तत्व हैं, ज्ञात्र तेज और निर्मल त्याग। यह प्रसादी उन्हें संत-मार्ग की जीवन-दीक्षा से प्राप्त हुई। कबीर के दूसरे सन्तों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कबीर की कुछ साखियाँ तो ठहनजी को इतनी प्रिय हैं, कि मैंने उनको बहुधा बातचीत में और उनके भाषणों में भी दोहराते हुए सुना है, जैसे:—

पतिवरता मैली भली,
गले काँच की पोत ।
मब सखियन में यों दिपै,
ज्यों रवि-ससि की जोत ॥
सिहों के लैंहडे नहीं,
हंसों की नहि पाँत ।
लालों की नहि बोरियाँ,
साध न चलै जमात ॥
'कविरा' खड़ा बजार में,
लिये लुकाठी हाथ ।
जो घर जालै अपना,
चलै हमारे साथ ॥

इस अंतिम साली को लो उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ भी कर दिखाया। देश की खातिर ठंडनजी ने कितना त्याग किया हसका शायद बहुत थोड़े खोगों को ढीक-ढीक पता होगा। असहयोग-आनन्दो-

खन के वे कसाले के दिन मुझे आज भी याद आ रहे हैं। उनकी घर की हालत उन दिनों काफ़ी गिर खुकी थी। वकालत को जात मार दी थी। जबको ने स्कूल से नाम कटा दिये थे। खुद खखनक-जेल में बैठे तप कर रहे थे। आमदनी का कुछ भी सिलसिला नहीं था। एक मित्र के पास शायद पहले की कमाई का योहा-सा रुपया जमा था, उसीमें से जे-जेकर गिरस्ती चलाई जाती थी। मैं उन दिनों प्रायः उनके घर में ही रहता था। उनके सबसे बड़े पुत्र श्रीस्वामीप्रसाद ने कपड़े की एक छोटी-सी दूकान खोल ली थी। और चि० संतप्रसाद एक मशीन लेकर साड़ियों पर बेज़-नूटे काढ़ा करते थे। घर में सब आठ या नौ प्राणी थे। वही मुश्किल से गिरस्ती का छुकड़ा चलता था। एक राष्ट्र-सेवी मित्र ने घर के लिए कुछ मासिक महायता भेजने के लिए लिखा। इस कुछ उत्तर नहीं दे सके। जेल में जब स्वामीप्रसादजी और मैं टंडनजी से मुखाकात करने गये, तब हमने उस पत्र की भी चर्चा की। मित्र के स्नेह का बहुत आभार माना, पर मैंसा लगा जैसे उनके स्वमान को उनके प्रस्ताव से टेस पहुँची। बोले, “तुम इस पत्र का उत्तर तो उसी दिन लिख सकते थे। मुझसे पूछने की ऐसी क्या आवश्यकता थी। देश-सेवा के बह को मैं मजिन नहीं करना चाहता। घर का भले ही सर्वनाश हो जाये, पर जोक-सेवा का विक्रय नहीं करेंगा।” सुनकर मैं अवाक् रह गया। श्रद्धा से मस्तक सुक गया।

और उनकी प्रखर तेजस्विता को तो मैंने कितनी ही बार देखा। इब्बाहावाद का एक बहा सुन्दर प्रसंग याद आ रहा है। वह यह है —

सन् तो याद नहीं, पर दिन वह दसहरे का था। घौक में रात को “भरत-मिलाप” होने आता था। पर शाम को कुछ सांपदायिक दगा हो गया। भरत-मिलाप अब करें या न करें इस दुविधा में सब पढ़े हुए थे। लोग बुरी तरह भयभीत थे। सबकों पर हथियारबन्द उलिस गश्त लगा रही थी। छुतों पर में हृषि-पत्थर फेके जा रहे थे। अपने लड़कों को राम और भरत बनाने के लिए कोई तैयार नहीं रहा था। टंडनजी को लोगों की यह कायरता बड़ी लज्जाजनक प्रतीत हुई। तुरन्त वहाँ पहुँचे और रामलीला-प्रबन्ध-समिति के सदस्यों को फटकारते हुए बोले—“आप लोगों के लिए यह बड़ी शरम की बात है कि आप भरत-मिलाप बन्द कराने की सोच रहे हैं। अब गुण्डों की शरारत में ढरकर आप इलाहाबाद की शान को बट्ठा लगाने जा रहे हैं। यों रामलीला के इस स्वांग के लिए मेरे दिल में कोई हज़रत नहीं। पर आज तो यह इलाहाबाद की शान का सबाल है। इस तरह अगर हम गुण्डों से ढरने लगेंगे, तो इस शहर में रहना भी हमारा दुश्वार हो जायेगा। हम गुण्डाएँ के आगे कभी सर झुकानेवाले नहीं। आप लोगों की यह कायरता है, जो दंगाहूयों के डर से भरत-मिलाप बन्द कराने की सोच रहे हैं।”

ढरते-ढरते धीरे में किसीने कहा—“पर कोई अपने लड़कों को राम और भरत बनाने के लिए भी तैयार हो—”

“आप यह क्या खबर दखील दे रहे हैं! ज्यादा-से-ज्यादा यही होगा न कि वे लड़के गुण्डों के हाथ से मारे जायेंगे? अगर ऐसा हो, तब भी अंत में उसका अच्छा ही असर पड़ेगा। लोगों के अन्दर

इससे शक्ति पैदा होगी । चलिए, हस काम के लिए मैं अपने दो खदकों को देता हूँ । अगर वे मारे गये, तो उनके बाद दो खदक और दूँगा । भरत-मिलाप होगा, और फिर होगा ।”

टंडनजी के ये ओजस्वी शब्द काम कर गये । एक-दो ज़िम्मेवार मुसलमान नेता भी, मेरा ख़्याल है, वहाँ उपस्थित थे । उन्होंने भी जिम्मा लेते हुए कहा कि भरत-मिलाप झरूर होना चाहिए । और भरत-मिलाप हुआ, और वहो शान्ति से हुआ । इलाहाबाद को शरमिन्दगी नहीं ढानी पड़ी ।

इलाहाबाद के एक दूसरे हिन्दू-सुस्लिम-दंगे के अवसर पर भी टंडनजी की वही तेजस्विता और निर्भयता मेरे देखने में आई थी । नगेर सिर, बिलकुल निहर्ये घंटाघर के आगे पहुँचे, जहाँ दंगाहयों का खासा जमघट था । उन्हें जाकर ढौंडा और डरी हुई औरतों व बच्चों को बग़ूज के मुहुर्ले में से निकालकर उनके घरों पर पहुँचाया ।

उनकी तेजस्विता ने अस्त्य के साथ कभी समझौता नहीं किया । अनौचित्य के आगे वे कभी दबे या झुके नहीं । राजनीतिक हेतु साथने के लिए दाव-पेच का हज़का मार्ग प्रहण करना उन्होंने कभी पसन्द नहीं किया । ऐसी चीज़े देखकर उन्हें हमेशा चोट पहुँची । १९४८ के सिमला-सम्मेलन में जो कुछ होने जा रहा था—ईश्वर को धन्यवाद कि सम्मेलन सफल नहीं हुआ —उसे देखकर वे बहुत ध्ययित हो गये थे । उनका सदा से ही शुद्ध राष्ट्रीयता का पक्ष रहा है, हालांकि उनका पक्ष कई बार शब्द समझा गया । उन्होंने सांप्रदायिकता का किसी भी रूप में फूटना-फूटना क्या पनपना भी पसन्द नहीं किया ।

भारत के अंग-विच्छेद पर उनके रोम-रोम में जैसे आग लग गई। इसमें उन्होंने कांग्रेस का दब्बूपन देखा और देश के प्रति द्वोह भी समझा। 'तुष्टीकरण' की इस नए सक नीति का उन्होंने प्रबल विरोध किया। उन्होंने माना कि सांप्रदायिकता का 'विषवृक्ष' तुष्टीकरण की इस नीति से ही बना और बढ़ा है। पर उनके इस पक्ष का समर्थन राष्ट्र के मिहासन पर विराजमान देवताओं ने नहीं किया! दुर्भाग्य से उनका प्रकृति-सिद्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी का पक्ष भी शास्त्र समझा गया। जिम्शेग्स के 'सुदृश' से यह ओजस्वी उड़गार निकले हों कि, "यदि मैं यह समझता कि हिन्दी से सांप्रदायिकता फैलती है, तो उसी तर्फ हिन्दी-माहित्य-सम्मेलन के कार्यालय में आग लगा देता," उसके उद्देश को अन्यथा समझा पाप है।

मुझसे कई मित्रों ने पूछा कि, क्या बात है कि "टंडनजी राजनीतिक सेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ सके, वकिल कमेटी में भी नहीं आ सके?" इस प्रश्न का क्या उत्तर हूँ? सिवा इसके कि राजनीतिक सेत्र में आगे बढ़ने या वकिल कमेटी में आने के लिए देशभक्ति के अलावा कुछ और भी साथनों की आवश्यकता हुआ करती है। उन साथनों का, मद्भाष्य से, टंडनजी के अन्दर अभाव है। राजनीति का जो अर्थ आज किया जाता है, उसमें बहुत आगे बढ़ना उसके लिए कठिन था, उनके स्वभाव के बहुत अनुकूल भी नहीं था। उन्होंने कड़ी को, बड़ी-बड़ी को भी, आगे बढ़ाया, पर खुद पीछे ही रहे। और इसे मैं उनकी महत्ता ही कहूँगा। उन्होंने खोगों को अपना मित्र बनाया, 'अनुयायी' नहीं; उन्होंने 'कुदम्ब' का निर्माण किया,

किसी 'दब विशेष' का नहीं । सत्य को उन्होंने महा निरपेक्षाद रूप में माना । राजनीतिक सेत्र में प्रयुक्त अहिंसा का उन्होंने प्राया विरोध किया, पर 'जीव-दया' का उन हजारों की अपेक्षा उन्होंने अधिक आदर किया, जो प्रकट रूप से अहिंसा में विश्वास द्यक्षत करने रहते हैं । अहिंसा के विषय में उनके कुछ अपने ही विचार हैं । उनके विचारों को मैं ठीक-ठीक समझ नहीं सका, यथापि उनके साथ हस्त विषय पर कहं बार चर्चा हुई । पर उनके हृदय के निमंष करण-स्रोत को मैंने प्रत्यक्ष देखा ।

अमर्य के साथ उन्होंने कभी किसी भी रूप में समझौता नहीं किया । उन्होंने वकालत की, और खासी की, किन्तु असत्य को उसमें तनिक भी प्रवेश नहीं करने दिया । मुझे याद पड़ता है कि एक ऐसा मुकदमा उनके पास आ गया था, कि उसकी अगर यैरवी करते तो मेहनताने का उसमें उन्हें हजारों रुपया मिला होता । पर उस मुकदमे को हाथ में लेने से टंडलजी ने साफ़ हस्कार कर दिया । उसमें उन्हें अमर्य की दुर्गम्भ आ रही थी । प्रतिष्ठित मुवक्किल को ढौंटते हुए कहा—“आप आखिर क्या समझकर हम केस को मेरे पास लाये हैं ? क्या मैं आपके खातिर अदाकृत में कठ बोलने जाऊँगा ? कुपाकर आप अपने हम केस को किसी दूसरे वकील के पास ले जाइए ।” मुन्शी छेदोखालजी और भी हमी तरह के कहं किससे हमें अक्षयर सुनाया करते थे ।

ऐसे कहं प्रमंग याद आने हैं, जब अपने उस्कों की खातिर वे बड़े-से-इदा त्याग करने के लिए तैयार हो गये । उनमें से कहं तो बरेली

प्रसंग है। एक बार अपनी पत्नी के साथ किसी छोटी-सी सैद्धान्तिक बात पर मत-भेद हो गया था और उनकी भूल के लिए उन्होंने स्वयं एक सप्ताह का अनशन किया था। गृहस्थी के प्रति उनका कोई खास भोग नहीं रहा। अपने सिद्धान्तों को, हर परिस्थिति में, सदा सामने रखा। कितनी ही बातें घर के लोगों और मित्रों को भी अटपटी-सी मालूम दीं, पर उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें कभी-कभी सनकीतक कहा गया, पर उनकी सनक भी मुझे कभी अप्रिय नहीं लगी।

बहुत बरसों से टंडनजी ने चमड़े के जूते या चप्पल पहनना छोड़ रखा था। भावना इस ब्रत के मूल में शुद्ध पशु-दया की थी। रबर-टायर के, या तो सुतकी के तके के, जिनमें खादी की पट्टियाँ लगी रहती थीं, चप्पल पहना करते थे। पर जब मैंने उन्हे बतलाया कि इमारी उच्चगशाला में सुर्दार चमड़े के ही चप्पल व जूते बनते हैं, तो पहनने को तैयार हो गये। मैंने उनके पैर के माप का चप्पल तैयार करा दिया। देखकर प्रसन्न हुए, और कहा—“यह तो खासा सुखायम चमड़ा है। पर पट्टियों के नीचे जो यह सफेद चमड़ा लगा हुआ है यह किस जानवर का है ?” मैंने बतला दिया कि यह चमड़ा भेड़ का है, और यह सुर्दार नहीं है।” चप्पल उठाकर फेंक दिया। “तब यह मेरे किस काम का ? यह तो तुमने ठीक नहीं किया। मैं तो जिस चीज़ में इत्तीभर भी हबाही चमड़ा लगा हो, उसे बरतना पाण समझता हूँ। यह तो तुम्हें पहले ही साफ़-साफ़ बतला देना चाहिए था।”

मैंने भेद-बहारी के चमड़े के पक्ष में काफ़ी बलीये दीं। गांधीजी द्वारा दी हुई इस सम्बन्ध की स्थवरस्था को भी पेश किया। लेकिन उनके गवे एक भी दलीख नहीं उत्तरी। गांधीजी, संयोग से, उन दिनों हमारे हरिजन-निवास में ही ठहरे हुए थे। उनसे मैंने इस प्रसंग की चर्चा की। सुनकर हँसे, और बोले, “पुरुषोत्तमदासजी की प्रकृति को मैं जानता हूँ। तुम क्या ऐसा अपराज तैयार नहीं करा सकते, जिसमें भेद का चमड़ा लगाया ही न जाये !” मैंने कहा, “सो तो बापू, हमने उनके लिए तैयार करा दिया है !”

पर उनकी आश्रद्ध-नृत्ति के मूल में भी मैंने कोमलता और विनयशीलता को देखा। गांधीजी के साथ कई बातों में, और आज तो बहुत अधिक, उनका मत-भेद हो गया है। किन्तु गांधीजी पर उनकी ओर जबलंत अद्वा-भक्ति है, उनके प्रति जो पूज्य भावना है, उसमें केशमात्र भी कमो नहीं आई। और इस बात को गांधीजी भी भड़ी भाँति जानते हैं।

मैंने टंडनजी के साधु-जीवन से बहुत पाया, इतना अधिक पाया कि अशामुक नहीं हो सकता। उनकी विसर्जन-नृत्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अद्वास्पद टंडनजी के जीवन का निर्मल उद्देश मुझे उनकी रची ‘पुरुष की अभिकाया’ कविता में मिला है। उन्होंने इस कविता को हिन्दी-विद्यापीठ में, शायद १९२४ में, लिखा था—

“भारयवान हूँ इस ही में—

यह विजन कुटीर करूँ सुरभित।

नहीं तनिक इच्छा मुझ को—
 मधुकर-मंडित आरामों की ।
 दुर्बल अंग, स्वल्प सौरभ,
 मम कामस्थल यह कोना है—
 इसे नजाऊँ, इसे रिखाऊँ—
 केवल यही कामना है ।
 यही लालमा हिय में इमका
 इकदिन विध गलहार बनूँ :
 अपना मब सौरभ समाप्त कर
 रज्जकन में बम वास करूँ ॥

: २२ :

माहित्य का अध्ययन

अबतक के मेरे अधिकांश संस्मरणों का सम्बन्ध साहित्य के सेत्र
में रहा है। इधर कई वर्षों से यह लेख लगभग छूट चुका है, फिर भी
मैं अधिकतर साहित्य का ही कोइस समझा जाता हूँ। शायद यह समझा
जाता है कि मैं अब भी साहित्य का अध्ययन करता रहता हूँ। पर यह
तो एक अम है। साहित्य का अध्ययन तो मेरा पहले भी बहुत योहा
था, इधर आठ-नौ साल से तो उत्तम भी नहीं रहा। आज तो मुझे यह
भी टीक-टीक पता नहीं रहता कि इस बीच में हिन्दी-साहित्य की
अच्छी-अच्छी पुस्तकें क्या और कहाँ प्रकाशित हुई हैं। मालिक पत्रि-
काएँ एक तो देखने को मिलती नहीं, दूसरे, कभी कोई हाथ में आ भी गई
तो उसको उलट-पलटकर सरसरी नज़र से देख लेता हूँ। कविता तो कभी
शायद ही कोई पढ़ता हूँ। मग नहीं लगता। लेख एकाध ज़रूर पढ़ लेता
हूँ। बासु देवशरण अप्रवाल व हजारीप्रसाद द्विवेशी-जैसे लेखकों की चीड़
बिना पढ़ नहीं लगता। साहित्यकारों से भी अब पहले की तरह मिलना-
जुलना नहीं होता। अब तत्त्व, जिनेन्द्रकुमारजी से कभी-कभी मुलाकात
हो जाती है। पर साहित्यिक चर्चा उनके साथ शायद ही कभी हुई हो।
क्षस, वे मेरे एक मित्र हैं। साहित्यिक मित्र यह मेरी समझ में आजतक नहीं

आया, पर कभी-कभी ऐसे साहित्य-प्रेमी भी भूले-भटके आ जाते हैं, जिनका दृक्मात्र ठहरा साहित्यिक चर्चा करना होता है। सोच-विचार में पढ़ जाता हूँ कि उनके साथ आकिर यथा बात कहने। उस समय का मेरा आपस्याशित अवधार उन्हें शुल्क और कभी-कभी अहंकारपूर्ण भी प्रतीत होता है। कहने सज्जन मुझपर रुप्ट होकर भी गये हैं। पर मैं उन्हें सन्तोष दूँ तो कैसे ? जिन साहित्यिक प्रश्नों की मेरी अद्यतन जानकारी नहीं, यथेष्ट अध्ययन नहीं, वैसी अभिरुचि भी नहीं, उनपर भला मैं यथा चर्चा कहने ? जो मित्र मेरी इस दयनीय लाचारी को जानते हैं, वे कृपया इमा कर देते हैं; दूसरे रुप्ट हो जाते हैं।

मैंने ऊपर कहा है कि कविता तो शायद ही कभी कोई पढ़ता है। न पढ़ने के दो कारण हैं। बहुत-सी रचनाएँ तो बिल्कुल साधारण होती हैं, उनको कविता बहिक, कहना भी नहीं चाहिए। और ऐसी होती हैं, जो ढोक-ढीक समझ में नहीं आतीं। इतनी गृह, इतनी रहस्यमयी निकार-बार सोचने और दिमाग को खरोचने पर भी अर्थ उनका स्पष्ट नहीं होता। बहुत अधिक गहराईतक मैं जा नहीं पाता। पढ़ने की चेष्टा करता हूँ, पर समझ में न आने से बबराहट-सी जगने लगती है। तब फिर मैं यही मानूँगा कि मेरी बुद्धि सूचमतम भावों की गहराईतक पहुँच नहीं सकती। अपवाद केवल एक है। प्रसादजी की 'कामायनी' को पढ़ते हुए मन वैसी उल्लङ्घन में नहीं पड़ा, यद्यपि उसके भी कहने स्थलों का अर्थ ढोक-ढीक नहीं जागा सका। आधुनिक युग की जिन कविताओं को मैं समझ सका और जिन्हें सराहा, उनमें अधिकारी आखोचकों ने कहा का रहस्यमय दर्शन नहीं पाया। और जिन

पंक्तियों में उन्हें कला का दर्शन हुआ। उनका गूढ़तिगृह भाव मेरी समझ में नहीं आया। और ऐसा ही चित्रकला के विषय में हुआ। खालिक अभियंजनाओं से, मुझे जागता है कि, रचनाओं का सारा शरीर दक दिया जाता है, यद्यपि कहा यह जाता है कि रचनाएँ वे निरलंकृता और निर्वसना होती हैं। उनकी स्पष्टता के तबतक पहुँचना मेरे लिए तो अशक्य-सा ही रहा।

फिर ऐसे साहित्य पर जो समालोचनात्मक लेख निकलते हैं, वे तो और भी ग्राहार्थ-गमित होते हैं। किसी प्रकार किसी वाक्य को मैंने दो-दो, तीन-तीन बार पढ़ा, पर आशय उसका अन्ततक अस्पष्ट-सा ही रहा। समझ में स्पष्ट भाव कुछ आया हो नहीं। तब फिर यही मानना पढ़ा कि वैसी चीज़ें मुझ जैसो के लिए लिखी ही नहीं गईं। एक विद्वान् समालोचक के एक लेख में पढ़ा था कि अमुक कवियित्री को कुछ रचनाओं में उच्चकोटि का दार्शनिक पूर्व आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है। इस लोभ में मैंने उन कविताओं को थोड़ा समझने का प्रयत्न भी किया। अध्यात्म मैंने उपनिषदों या ब्रह्म-सूत्रों की छाप का देखा है और उसे थोड़ा-थोड़ा समझ भी लेता हूँ। पर उन कविताओं में मुझे वैषा कोई अध्यात्म-दर्शन नहीं मिला। मम्भव है कि जिस सम्पूर्ण चित्रशोलता से उन कविताओं के व्याख्याताओं ने उनमें एक नव उपनिषद का दर्शन किया हो वह मेरे साधारण-से अनुशीलन के मूल में सन्तुष्टि न हो। कबीर और जायसी मुझे अधिक सुगम, अधिक समीप और अधिक आत्मीय मालूम दिये हैं। मीरां का पदावलो की रस-प्राप्ति अधिक सुखभ रही है। हो सकता है कि जिसे कबीर, जायसी और मीरां को पढ़ने का

आकर्षण और अभ्यास रहा हो, उसे रहस्यमयी आनुनिक कविताएँ दुरुदय या अपरिचित-सी लगती हों और इसीलिए उसे उनमें वैसा रस-दर्शन न होता हो। हो सकता है कि कलात्मक दर्शन या दर्शनात्मक कला से मेरा अद्यतन परिचय न होने से भी इस प्रकार की -उल्लङ्घन पैदा हुई हो। हूँ तो मैं इसी युग का, पर मैं अपने को युग के सौचे में ढाल न सका। अस्तु, आयु के इस उत्तराद्वारकाल में उल्लङ्घनों के सुखकाने में समय और शक्ति का क्यों व्यर्थ अपव्यय कर्हे—यह सोचकर, और जीवन-पात्रा में इधर एक दूसरी ही पगड़दी एकद लेने के कारण भी, इस नवागन्तुक साहित्य-धारा से मैं विरत-सा ही रहना चाहता हूँ। मुझे तो गोसाई नुजसीदास की यह कविता-कम्मीटी ही प्रिय लगती है—

‘कीरति, भूति, भनिति भलि मोईः

सुरसरि सम सचकर हिन होई ।’

सन्त-साहित्य पर यही मेरे सहज अनुराग का कारण है। अबतक तो यही माना है कि जो साहित्य ‘सर्वोदय’ का साधक हो, जिसमें लोक-सुलभ प्रसाद की अभिव्यक्ति हो, उसीमें सब्दी सौन्दर्य-कला है और उसीमें जीवन का संपूर्ण रसात्मक दर्शन है। कला की दूसरी विविध व्याख्याएँ गले के भीचे कभी उतरी ही नहीं।

कविता का यह विविध ‘बादों’ के सौचों में राखा जाना भी मेरी समझ में नहीं आया। सिद्ध किया तो यही जाता है कि ये विविध ‘मौचे’ अपने यहाँ के साहित्य में पहले भी विद्यमान थे। इस तथ्य को अंशतः स्वीकार करते हुए भी मुझे तो ऐसा लगता है कि हन

साँचों को तैयार करने में अधिकतर प्राचीनत्य मसाले और नमूनों से काम लिया गया है। परिणाम यह हुआ है कि योरपीय साहित्य का जो लोग उसके मूलरूप में रसास्वादन कर सके हैं उनकी इष्टि में हमारी चीज़ भौंडी-सी लगती है, और जो उस साहित्य से अनभिज्ञ हैं उन्हें वह अटपटी-सी लगती है। साँचे में रचना को पहले के कवि भी ढाकते थे, मगर साँचा उनका अपना होता था। ढली हुई चीज़ को रीतिकाल में अपनाया था सही, पर समाज में उसको बहुत आदर की इष्टि से नहीं देखा गया। यह कह सकते हैं कि उस युग के कवि की जानकारी बहुत लम्बी-चौड़ी नहीं होती थी, पर यह अभाव भी उनके लिए एक वरदान था। उनका अध्ययन बहुत लम्बा-चौड़ा न होकर अपने आप में गहरा होता था। अब, 'अपना' बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। जिनको बाहर का थोड़ा बहुत परिचय है, उनके लिए इन रचनाओं में कुछ खासतंत नहीं रहता। दूसरे, जो उन रचनाओं से अपरिचित होते हैं, वे या तो आश्चर्य-चकित हो जाते हैं, या फिर उनसे अभिभूत। ऐसा लगता है कि पराये भावों को भौंडेपन से रखा जाता है, आत्मसात् करने की शक्ति जैसे जड़ीभूत होती जा रही है। हम आगे बढ़े हैं सही, पर अपनी मूल परम्परा से सम्बन्ध हमारा छूटता जा रहा है। हम आज कहाँ 'सिंहावलोकन' करते हैं?

उपर मैंने लिखा है कि साहित्य का मेरा अध्ययन छूट गया है। पर अध्ययन ही छूटा है, अध्यापन नहीं। अध्यापन के साथ-साथ अध्ययन भी कुछ-न-कुछ हो ही जाता है। पर तुलसी, कबीर, जायसी आदि सन्तकवियों का ही साहित्य अधिकतर पढ़ाता हूँ। यह मेरे लिए सुगम रहता है। आनन्द-

दायक तो है ही। प्रसाद की 'कामायनी' भी कुछ परीक्षार्थियों को पढ़ाई और उसमें भी खासा आनन्द आया। मैथिकीशरण की भी 'साकेत' और 'यशोधरा' ये दो रचनाएँ पढ़ाते हुए रोचक मालूम हुईं। हन चीजों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे तो आनन्द आता ही है, मेरे विद्यार्थियों का भी मन लगता है। पर कहुँ अर्वाचीन सुकवियों की कविताओं को चूँकि मैं ठीक-ठीक समझ नहीं सका, इसलिए उनका अर्थ बतलाना मुझे कठिन या भार-जैसा मालूम दिया। मेरे विद्यार्थियों ने कुछ कहा नहीं, पर स्पष्ट था कि उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। विद्यार्थी, वल्कि, कहुँ ऐसी कविताओं का अर्थ लगा लेते हैं, जिनका अर्थ मैं नहीं कर सका। पर अधिकतर वे अपने मन में ही उनका गृहार्थ समझते हैं, दूसरों को समझा वे भी नहीं सकते। इस अभाव को अनुभव करता हूँ, पर मुझे अपनी इस अयोग्यता पर कभी पछताव नहीं हुआ।

कहुँ बार विचार किया कि कुछ समय निकालकर नियमपूर्वक कुछ अध्ययन करूँ, पर कर नहीं सका। यंत्रवन् भी वाचन नहीं हो सकता। पहला दैनिक अखबारोतक सीमित रह गया है; अथवा, जहको को पढ़ाते समय जो पढ़ जेता है। पाठ और पाठायण करने को चित्त कभी-कभी दौड़ता है तो, बस, इनकी ओर—कवीर, दादू, रैदास आदि संतों की सालियाँ और शब्द; पद्मावत के कुछ स्थल; रामचरित-मानस, मुख्यकर अयोग्या और उत्तर काण्ड; विजय-पत्रिका; मीरां के कुछ भजन, कामायनी की कई कविताएँ; साकेत और यशोधरा के कुछ प्रसंग।

पर यह सब लो कविता की बात हुई । लेकिन यही बात साहित्य के दूसरे अंगों—नाटक, उपन्यास, कहानी, समालोचना आदि पर भी लागू होती है । जिन दस-पंद्रह नाटकों को पढ़ा, उन्हें नाट्यकला आज नाटक ही नहीं मानती । प्रेमचन्द और वृन्दावनलाल के उपन्यासों के अड़ावा, चार-छह हो सुरिकड़ से और पढ़े होंगे । कहानियाँ भी पढ़ने का शौक नहीं रहा । समालोचना का साहित्य भी बहुत कम देखा । आशय यह कि साहित्य की दुनिया आज जहाँतक पग बड़ा चुकी है, उस मंजिल से मैं बहुत, बहुत पीछे रह गया हूँ । मेरे साथी मुक्ते बहुत आगे निरुल गये । मैं देखता हूँ कि मेरे बाद भी जिन्होंने कृदम रखे थे वे भी छुर्जाँगे मारते हुए बहुत उपादा आगे बढ़ गये । और मैं वहाँ-का-वहाँ पैर घसीटता रहा । मगर मेरे मित्र मुक्ते भी साहित्य-पथ का एक यात्री समझते हैं । उनको इस अनोखी समझ को मैं क्या कहूँ ! वे या तो निषट भोले हैं, या किर मखौल करते हैं । मैं सफाई पेश करता हूँ तो उसे भी मज़ाक में डहा देते हैं । कहते हैं, तुम्हारी यह सफाई भी साहित्य के रंग से अलग नहीं है । मेरी इतनी ही विनीत प्रार्थना है कि कृपाकर वे व्यापानन्द-सद्बोदर साहित्य-रस को इस तरह उपहास की बस्तु न बनाएँ ।

: २३ :

पञ्चा में छह साल

सन् १९२५ में अमेरिका टंडनजी पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर होकर जाहौर चले गये। स्व० लाला लाजपतराय के बहुत ज़ोर देने पर टंडनजी ने बैंक की यह नौकरी स्वीकार की थी। विना किसी आय के गृहस्थी का छुकड़ा आस्तिर कबतक चल सकता था? देश-सेवा से फुर्त नहीं थी, और लड़कों में से तबतक कोई कमानेलायक नहीं हुआ था। लड़कों ने स्कूल कालिजों से कहं वर्षतक अमहयोग किये रहने के बाद फिर से नाम लिखा लिये थे। यह चीज़ भी टंडनजी को जैसे कुछ अखरी-सी थी। मालवीयजी महाराज भी जीविका-निर्वाह के लिए कोई-न-कोई धंधा करने का आग्रह करते रहते थे। सो आपद-धर्म समझकर टंडनजी ने बैंक की यह नौकरी स्वीकार तो करकी, फिर भी मन उनका उचटा-सा रहता था। किन्तु परिस्थितियों ने लाचार-सा कर दिया था। मगर जाहौर में भी सार्वजनिक कार्यों से वे अलग नहीं रहे। लालाजी के कुछ विचारों से यद्यपि उनका मत नहीं मिलता था, फिर भी लालाजी को इस बात का विश्वास हो गया था कि उनके लोक-सेवक-मंडल (सर्वेश्वर्स ऑफ़ पीपल्स सोसाइटी) का काम टंडनजी ही उनके बाद संभालेंगे, और हुआ

भी थही। खाकाजी की सुसु के बाद टंडनजी ही कोक-सेवक-मंडल के आजीवन अध्ययन शुरू गये।

टंडनजी काहौर गये, मैं पक्षा चक्का गया। सम्मेलन के कुछ तत्कालीन अधिकारियों की नीति से मेरा ठीक-ठीक मेल नहीं चैढ़ रहा था। उधर पक्षा-नरेश महाराजा यादवेन्द्रसिंहजी से पाँच-साल महीने पहले मेरा परिचय भी हो गया था। उन्होंने पक्षा आने के लिए दो तीन बार आग्रहपूर्वक लिखा भी था। बुन्देलखण्ड से मेरा पाँच-कह साल से संपर्क हुआ हुआ था। वहाँ के सुनदर प्राकृतिक दृश्य रह-रहकर आकर्षित भी कर रहे थे। सोचा, विद्यापीठ में जिस विचार से आकर बैठा था वह आज कहाँ पूरा हो रहा है? सम्मेलन के एक अधिकारी को तो लड़कों का चरखा कातना भी नापसन्द था। एक दिन आकर हमारे रसोइये से उन्होंने कहा—“बैकार ही हैं धन की शिकायत करते रहते हो। इतने तमाम चरखे ये किसलिए रखे हैं? खासी सूखी जाकड़ी है यह। चूल्हे में फिलाहाल इन्हींको जला-जलाकर काम चकाओ। लड़के वहाँ पहने के लिए आये हैं, चरखा कातने के लिए नहीं। यह तो बुद्धियों और बेश औरतों का काम है।” उन अधिकारी महोदय के इस प्रबलन के समय में वहाँ भौजूह नहीं था। रसोइये ने हैं धन की इस नवीन व्यवस्था का हाल जब सुन्ने सुनाया तो वही मनोष्यथा हुई। लड़कों को भी उनकी यह बात बुरी लगी। मैंने उसी वज्र विद्यापीठ क्षोक देने का निश्चय कर लिया। चरखे का यह घोर अपमान मेरे लिए असंझ हो गया।

इकाहावाद से मेरा दाना-पाणी उड़ गया। माँ को कुत्रुतुर लेक

लिया। मैं पक्षा चला गया। वहाँ गया तो मैं इस विचार से था कि मनोरम दर्शनों से बिरे हुए उस प्रकान्त प्रदेश में शान्तिपूर्वक बैठकर अध्ययन करूँगा और कुछ लिखूँगा। पर जो सोचा था वह हो न सका। यद्यपि छहसाल के अमें में पाँच सात पुस्तकें पक्षा में ही मैंने लिखीं, पर जिस एकान्त-सेवन की मधुर शान्त कल्पना। लेकर मैं वहाँ गया था वह नहीं सध सका। ‘आये थे हरि-भजन को, ओटन लगे कपास’ की मसल हुई। भरसक निर्झिप्त रहने का प्रयत्न करते हुए भी राज्य के बातावरण में मैं अपने को एकदम अलग न रख सका।

शुरू में मुझे राज्य के अतिथि-निवास में ठहराया गया। इस भेड़-मान-घर का नाम बाद को हम लोगों ने ‘वीर-भवन’ रख लिया था। पुराने राज महल के यह बिलकुल समीप था। हमारे पक्षें में प्रसिद्ध प्राणनाथजी का विशाल मन्दिर था। ‘परशामी’ पन्थ का यह सबसे बड़ा तेर्थ-स्थान है। पन्ना को ये ज्ञान ‘पश्चात्तीपुरी’ कहते हैं। इर साक दूर-दूर से हजारों परशामी भाई स्वामी प्राणनाथ के इस विशाल मन्दिर का दर्शन करने आते हैं। यह एक पहुँचे हुए सन्त थे। महाराज छत्रसाल इन्हें गुरुवत् मानते थे।

पन्ना छोटा-सा सुन्दर कहा है। ‘फन्ना-पन्ना’ के नाम से यह दूर-दूरतक प्रसिद्ध है। हीरे की खाने भी यहाँ को मशहूर हैं। जन-संक्षया इस नगर की लगभग बारह हजार के है। पहाड़ी जगह है। पन्ना राज्य में एक-से-एक सुन्दर प्राकृतिक दर्शन हैं। पाण्डव, बृहस्पति-कुण्ड, केन का प्रयात आदि यहाँ के बड़े ही रमणीक स्थान हैं। प्राचीन तपोभूमि के कितने ही चिह्न आज भी वहाँ देखने में आते हैं।

पाष्ठव का झरना तो मुझे हतना पिय था कि उसे देखने में असर आया करता था।

एन्ना का वातावरण इलाहाबाद से कितना भिन्न था इसका अनुभव मुझे दिन-दिन होने लगा, यथापि देशी राज्यों का जीवन मेरे लिए नया या निराला नहीं था। इलाहाबाद में पाँच-छह साल ही तो रहा था, फिर भी शुरू-शुरू में ऐसा लगा जैसे दुनिया के एक ऐसे कोने में मुझे ज्ञाकर रख दिया गया हो जहाँ के हर आदमी और हर चीज़ में मुझे एक अजीब-सी भिन्नता दीख रही थी। बाहर के हालात से जोग अनजान थे और इसका इन्हें कोई खेद भी नहीं था। उनकी विलक्षण अपनी दुनिया थी—अपने ही विचार, अपनी ही कल्पनाएँ। पूर्ण या अपूर्ण सब अपने आपमें ही थे। मेरे सामने कोई काम भी नहीं रहता था। सुबह और शाम महज में जाकर हाज़िरी बजाना, महाराज के साथ मोटर पर नहीं-नहीं जगह घूमना, नहीं-नहीं बातें सुनना और कवि-सुलभ भाव-धारा में बहने रहना—प्रायः यही वहाँ मेरी दिन-चर्या रहती थी।

बहुत दिनोंतक मैं अजनबी-सा नहीं रहा। धीरे-धीरे वहाँ कई सज्जनों से मेरी मित्रता हो गई। साहित्यिक वातावरण भी बनाना चाहा, पर वह हो नहीं सका। इलाहाबाद की और यहाँ की गोष्ठियों में अन्तर था। वहाँ साहित्यकारों के बीच में बैठता था; यहाँ सरदारों और अधिकारियों के साथ। चर्चा के विषय यहाँ रहते थे—अपने राज्य और राजा की तारीफ व पढ़ौस के राज्यों को नुकताचीनी; अपने-अपने दैभव का बखान; शिकार का रोमांचकारी वर्णन या गपशप और भासा-

हँसी-मज्जाक । वहाँ इलाहाबाद में आये दिन नेताओं का आगमन होठा रहता था; यहाँ राजा-महाराजाओं और सरदारों की अबाईं-जबाईं में लोग व्यस्त रहते थे । वहाँ मीटिंग होती थीं; यहाँ दस्तार । महाराजा की वर्षगांठ के उपलक्ष में जो शानदार मेला जगता था, वही यहाँ का सब में बड़ा सार्वजनिक समारोह या जलसा कहा जासकता था । अधिक देखने या जानने को लोगों को कुछ हच्छा भी नहीं होती थी । अलवता, पृक्ष-दोसरदार और कोई-कोई अधिकारी मुझे देखकर कांग्रेस या स्वराज्य की चर्चा भी क्षेत्र दिया करते थे । लेकिन अक्सर ऐसा वे मेरे मन का भाव भाँपने के लिए करते थे । मगर मैं जोश में आकर काफ़ी कह जाता था । सीधे-मादे बुढ़े सरदार स्वराज्य की बात को अव्यक्त तो समझते नहीं थे; दूसरे, वे इसकी कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि देशी राज्यों का किसी दिन नाम-निशानतक नहीं रहेगा और अंग्रेजी हूकूमत का भी तख्ता उलट जायेगा ! वे हमें शेखचिल्ली की बात समझते थे । मगर जो सचमुच समझते थे वे मेरे विद्रोही विचारों को खैरखादी के साथ ऊपरतक पहुँचा देते थे । पुलिस के सुपरियटेंट्स तो साहब तो खास इसीलिए मुझसे दोस्ती रखते थे । लेकिन मैंने अपने मन के विचारों को कभी दबाया नहीं । देशी राज्यों और अंग्रेजी सत्ता के विषय में मेरे कथा विचार ये पन्ना-नरेश को इस बात का पूरा पता था । उनके लक्ष्य में मेरे स्पष्ट विचारों की बाद को चाहे जो प्रसिकिया होती हो, पर जहाँतक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने प्रकट रूप से कभी कुछ कहा नहीं । पर इसका यह अर्थ नहीं कि मेरे विचारों को राजमहल के बातावरण में पसन्द किया जाता था । मैं अन्दर-अन्दर, धीरे-धीरे

अबांधीय बनता जा रहा था। पर हस बात का मुझे पता कोई चार साल बाद चला।

धीरे-धीरे अज्ञात रूप से अब मैं वहाँ के बायु-मण्डल मे घुलने-मिलने लगा। अधिकतर मैं महाराजा के छोटे भाई श्रीभारतेन्द्रसिंहजी के छोटे से कमरे में बैठा करता था। उन्हे साहित्य की पुस्तकें पढ़ने का शौक था। बातें भी वे मुझसे दिख खोलकर किया करते थे। शिल्प-विभाग उन्हींके अधीन था, जिसके साथ मेरा भी सीधा सम्बन्ध था। शाम को अक्सर कलब में भी जावैठता था। वहाँ रोज़ कलब के सदस्य बिलियर्ड लेखते थे। मैं देखा करता, पर समझ मे कुछ भी नहीं आता था। वहाँ राज-काज की बातें भी चलती थीं। राजनीति के मानों थे एक-दूसरे की शिकायत व त्रुटाई, कानाफूसी और खुशामद। कभी-कभी जागीरी मन्दिरों के महान्त भी आजाते थे, पर ज्ञान और भक्षित की बातों से उनका सरोकार नहीं रहता था। वे भी प्रयोग की ही बातें सुनने-सुनाने में रस लिया करते थे। एक बात ज़रूर कहूँगा कि वहाँ कोई शीख-मर्यादा के बाहर नहीं जाता था। यह दूसरी बात है कि कोई-कोई सरदार कलब में एकाध ऐसे बायड़ों या हितकी चढ़ा लेते थे, जिसका वहाँ निषेध सर्वथा नहीं था।

दस-बारह महीने मेरे वहाँ ठाली बैठे रहने मे ही बीते। काफी समय लेकार जाता था। महीनों की मेहमानदारी या सुफतखोरी मुझे अब लगने लगी। मैं कोई-न-कोई काम चाहता था, पर वैतनिक रूप में नहीं। काम मुझे मिल गया, और मेरे मन का मिला। शिल्प-विभाग के 'विशेष सहायक' के नये पद पर मैं नियुक्त किया गया। हाईस्कू

को छोड़कर, राज्य के बाकी सारे स्कूल मेरे सिद्धुदं किये गये । किन्तु राज्य से मैंने भोजन-मात्र का ही सम्बन्ध रखा, उससं कोई वैतनिक या आर्थिक सम्बन्ध नहीं जोड़ा । अपनी समझ से मैंने यह अच्छा ही किया । ऐसा करके अपने अधिकारित्व का मैं बहुत-कुछ बचाव कर सका ।

पन्ना में भी रहा मैं 'मसिजीबी' ही । 'वीर-सतसर्ह', 'भावना', 'प्रेम-योग', 'पगली' और 'अनुराग-वाटिका' इन पुस्तकों को मैंने पन्ना में ही लिखा था । शिर्षा-विभाग के काम से और व्यर्थ गपशप से जो समय बचता था उसका उपयोग लेख या कार्चिता लिखने में करता था । कमाई का सिलसिला यहाँ भी वहा 'इलाहाबादी' ही था, बल्कि पश्चा में मकरुज़ कुब्ब अधिक हो रहा । खर्च यहाँ काफ़ी बढ़ गया था । छुतरपुर से मां तथा ममेरे भाई को चार-पाँच महीने के बाद बुक्का लिया था । उनका खुर्च सो मामूली था, पर मेरा अपना खर्च बढ़ गया था । राजघराने के सम्पर्क में रहते हुए मेरे रहन-सहन में स्वभावतः अन्तर आया था । अकिञ्चिन्ता के प्रात यहले जो सहज आकर्षण था, उसमें धारे-धांरे अब कमी आने लगी थी । पहनता तो खादी की धोती और कुरता ही था, पर कहूँ-कहूँ जोड़ रखता था । दो रुपये मासिक धोती को खुलाई के देता था । धोती से मैंने पश्चा में ही कपड़े खुलवाये । जूते-चप्पल भी आधे दर्जन तो रखता ही था । बालों में सुगन्धित तेल भी डाला करता था । उसके बाद तेल छूटा सो छूटा । आईने का भी इस्तेमाल करता था । आईना कैसे छूटा इसकी कहानी है । बालों में मेरे अपने-आप छुल्ले पढ़ जाया करते थे । पृक दिन आईना हाथ में लेकर स्थानने के बालों को मैं प्रश्न-पूर्वक ज़रा मोड़ने लगा । पृक ज़य में ही ऐसा करना बाहियात-सा

मालूम दिया, और इसके लिए मैंने उस गारीब आईने को दोषी ठहराया। ज़ोर से उसे ज़मीन पर दे मारा, उसके टुकड़े-टुकड़े होगये। तब से किर, सिवा कभी-कभी दौत या आँख देखने के, आईने में चेहरा नहीं देखा। बिना आईने के ही दाढ़ी बनाने का अभ्यास ढाल लिया। दाढ़ी भी वहाँ हर दूसरे दिन बनवाया करता था।

इस सब परिग्रह का मुझे पता भी नहीं चल रहा था। अज्ञात रूप से फिलहाल चला जारहा था। यदि किसी तरह राज्य के कोष से रुपया लेने के लिए मैं तैयार हो गया होता, तो परिग्रह के दलदल में शायद और भी बुरी तरह फँस जाता। ईश्वर ने ही बचाया। अकमर मेरे ज़िद्दी स्वभाव ने, जिसका बचाव दलीजो से नहीं हो सकता, कितने ही अनिष्टों से मुझे दूर रखा। वह ज़िद ही थी—और घरवालों की दृष्टि में दुराघट—कि मैंने वहाँ शिवा-विभाग की जो छह साल सेवा की, उसका कोई पारिश्रमिक राज्य से नहीं लिया। मुझे इस बात का संतोष है कि पारिश्रमिक न लेकर मैंने अच्छा ही किया, भले ही मेरे कुछ हितैषियों ने मेरी इस ज़िद को हिमाकल कहा।

एक दिन बयोवृद्ध दीवान ढाकुर विश्वनाथसिंह महाराजा साहब के आदेश से ०००) ढंकर मेरे द्वे पर पहुँचे, और पूरा ज़ोर ढालकर मुझे से कहा—“यह रुपये तो तुम्हे लेने ही होंगे। तुम्हारे सिर पर काफ़ी कर्ज़ होगया है, इस बात का हमें पता है; कर्ज़ इस रुपये से डाला दो। ना, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा।” उनके निश्चल स्नेह की मैं अवज्ञा नहीं कर सका। नीचा मिर करके रुपया तकिये के नीचे रख लिया। पर रात को नीच नहीं पढ़ी। पढ़े-पढ़े सोचता रहा—यह तो संकोष में बुरी

लह ढाक दिया । पर कुछ भी हो, रुपया तो अपने पास नहीं रखूँगा । इस फैदे से क्यों गला फॉस्टूँ ? मान लेता हूँ कि मेरे राज्य से कुछ जलने के निश्चय के मूल में नासमझी ही थी, पर यह निश्चय तो मैंने उस समय खर्च समझकर ही किया था, उसे आज सात सौ रुपये के बोम में पढ़कर क्यों भंग कहूँ ?

रास्ता निकाल लिया । दूसरे दिन ‘श्रीकृष्णसाल-स्मारक-निषि’ में वह रुपया जमा करा दिया । तब कहीं चित्त को शांति मिली । किन्तु पूँक-दो बार रुपया अपने पास रख लेने के विचार ने भी झांर मारा था । मेरी परिस्थिति भी इस प्रकार के विचार के अनुकूल थी और दलीलें जो रुपया रख लेने के पक्ष में थीं ही ही ।

: २४ :

“छत्रसाल-स्मारक”

पश्च-नरेश बहुत दिनों से अपने महाप्रतापी पूर्वज महाराजा छत्र-साल का स्मारक बनाने की बात सोच रहे थे। पश्चा में छत्रसाल की एक विशाल मूर्ति खड़ी की जाये, केवल इतना ही तब उनके ध्यान में था। एक दिन मुझसे भी, शायद पैंचमी में, उन्होंने इस संबन्ध में सलाह की थी। मूर्ति के अतिरिक्त, मैंने ये चीज़ें और सुझाईं—(१) प्रतिवर्ष अच्छे समारोह के साथ ‘छत्रसाल-जयन्ती’ मनाना, (२) छत्रसाल के अव्यों का सम्पादन व प्रकाशन कराना, और (३) पश्चा तथा बुन्देलखण्ड के दूसरे राज्यों में ‘छत्रसाल-संवत्’ चलाना। संवत् तो नहीं चल सका, पर मेरे पहले दो सुझाओं को सहर्ष मान लिया गया। पश्चा में यह एक खास अच्छा काम हुआ। इस नव्य आयोजन को राजा पूर्व प्रजा दोनों का हार्दिक सहयोग मिला। यों तो बुन्देलखण्ड के अधिकांश राज्यों के शासक महाराजा छत्रसाल के ही बंशज हैं, पर उनका स्मारक बनाने की बात किसीको भी न सूझी। और बाद को भी किसी अन्य राज्य से जैसा चाहिए वैसा इस द्युम कार्य में पन्ना राज्य को सहयोग प्राप्त नहीं हुआ।

छत्रसाल-स्मारक बनाने के सम्बन्ध में पश्चा में जो कहम ठड़ाया

गया, वह निस्सनदेह एक महावपूर्ण कार्य था। छुत्रसाल के एक प्राचीन चित्र पर बम्बई के प्रसिद्ध शिल्पी आम्हाडे द्वारा एक विशाल मूर्ति तैयार कराई गई। किन्तु इसमें भी अधिक महत्व का कार्य तो बहाँ छुत्रसाल-जयन्ती मनाने का तुड़ा। सर्वोग से ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को मेवाड़-कंसरी महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। अतः पश्चा में हमने पहले-पहल १९२६ में एक साथ दोनों स्वातंत्र्य-वीरों को जयन्तियों बढ़े उत्साह और समारोह के साथ मनाई। इस अवसर पर बाहर से भी कुछ अच्छे-अच्छे विद्वानों और कवियों को राज्य की ओर से आमंत्रित किया गया था। पड़ोसी राज्यों तथा मध्यप्रांत और संयुक्तप्रान्त के कई नगरों में भी छुत्रसाल-जयन्ती उत्साहपूर्वक मनाई गई। किन्तु बाद को पहले के जैसान तो वह उत्साह रहा, न शयद वैसा संगठन हो।

‘छुत्रसाल-प्रन्थावली’ के संपादन और प्रकाशन का काम मैंने ले लिया। इस शोध-कार्य में काफी परिश्रम करना पड़ा था। साहित्य-संसार में छुत्रसाल के विषय में तब केवल इतना ही प्रसिद्ध था कि उनके दरवार में कवियों का बहा आदर होता था, यहातक कि भूषण क पालकी में उन्होंने अपना कम्भा लगा दिया था, और एवर्य भी वे एक अच्छे कवि थे।

‘मिश्रबन्धु विनोद’ में राज-विनोद, गीतों का संग्रह, छुत्र-विज्ञास, नाति-मंजरी और महाराज छुत्रसालजू की काव्य हन पौर्व पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। छुत्र-विज्ञास एक संग्रह-ग्रन्थ है, जो चरखारी के राजकीय मेस में छुपा था। पाठ इसका बहा ही अह था। जिन हस्ते-

दिखित पुस्तकों के आधार पर मैंने ‘छत्रसाल-ग्रन्थावली’ का संपादन किया, वे सभी बड़े महत्व की थीं। पश्चा राज्य के पुस्तकालय में मुझे तीन हस्तलिखित पुस्तकें मिली थीं—मेहराज-चरित्र, महाराज छत्र-सालजू की काव्य और नीति-मंजरी। इन तीनों प्रतियों तथा छत्र-विज्ञास के पाठ मिलाकर संशोधित रूप में, शोधपूर्ण छोटी-सी भूमिका के साथ, मैंने ‘छत्रसाल-ग्रन्थावली’ तैयार की, और उसे स्मारक-समिति की ओर से प्रकाशित कराया। किन्तु दुःख है कि साहित्य-संसार में ‘छत्रसाल-ग्रन्थावली’ यथेष्ट आदूर और प्रचार न पा सकी। आशा तो मुझे यह थी और आज भी है कि छत्रसाल की रचनाओं पर हमारे विद्वासमाज में अच्छी चर्चा होनी चाहिए।

स्वयं छत्रसाल पर भी हमारे इतिहास-लेखकों ने नगर्य-सा ही ध्यान दिया है। इसमें बुन्देलखण्ड की प्रजा का भी दोष है। कोई सबा सौ साल पहले एक अंग्रेज कर्नल ने ज्ञालकवि कृत “छत्र-प्रकाश” का अंग्रेजी अनुवाद, पाद-टिप्पणियों के साथ, फोर्ट विजियम से छपाया था। बाद को काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने मूल ‘छत्रप्रकाश’ प्रकाशित किया। छत्रपुर के श्रीकुंवर कन्हैयाजू ने ‘बुन्देलखण्ड-केसरी’ नाम की एक प्रामाणिक पुस्तक छत्रसाल पर लिखी। मराठा में श्रीबालचन्द बालचन्द शाह बकील ने ‘छत्रसाल’ नाम का एक उपन्यास लिखा, जिसका श्रीरामचन्द्र बर्मा ने हिन्दी में अनुवाद किया। इतिहास-ग्रन्थों में छत्रसाल की प्रायः उपेक्षा ही की गई। स्व० काशीप्रसाद जायसवाल ने छत्रसाल पर अंग्रेजी में एक बड़े महात्मा का लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि छत्रसाल का

छत्रसाल को एक बहुत बड़े प्रदेश का अधिपति स्वीकार कर लिया, और उन्हें अपना मनसवदार बनाना चाहा, पर उन्होंने मनसव लेना स्वीकार नहीं किया । बादशाह को लिख भेजा—

आको मानि हुकम सुभानु तम-नास करै,
चन्द्रमा प्रकाम करै नखत दराज को,
कहै छत्रसाल, राज-राज है भैंडारी जासु,
जाकी कृपा-कोर राज राजै सुरराज को ।
जुग्म कर जोरि-जोरि हाजिर त्रिवेव रहै,
देव परिचार गहैं जाके गृह-काज को
नर की उदारता में कौन है सुधार, मैं तौ
मनसवदार मरदार ब्रजराज को ॥

ऐसे महान् स्वामिमानी नर-केषरी के वंशजों को जब समीप से हम ने देखा कि देश का दुरी तरह विनाश करनेवाली विदेशी मत्ता की अधीनता को कायम रखने में वे अपना मान और गौरव बरपाने हैं, तब छत्रा से मिर नीचा हो गया । तोपों की सज्जामी बदवाने और लिलाव पाने के लोभ से ये लोग बुरे-से-बुरा देश-द्वौह का काम करने के लिए तैयार हो जाते थे । छत्रसाल, शिवाजी या प्रताप की स्मृति-रचा की ये सागी योजनाएँ तब निरर्थक-सी लगने लगीं । परन्तु त्रिवेव की जब सीचनेवालों के लिए कब शोभा देता है कि वे स्वातंत्र्य वीरों के स्मारक निर्माण करें ? यन्ना में पहले जब छत्रसाल-स्मारक बनाने की चर्चा चली, मन में तब काफी उत्साह हुआ था । बाद को वह बात नहीं रही । मुझे ऐसे स्मारकों में कुछ सार्थकता दिखाई नहीं दी ।

२५ :

शिक्षा-विभाग में

शिक्षा-विभाग में 'विशेष सहायक' के नये पद पर मेरी अवैतनिक नियुक्ति कर दी गई। काम भी यह मुझे मन का मिल गया। मेरे दफ्तर के लिए बाजार में श्रीबलदेवजी के विशाल मन्दिर का एक बड़ा कमरा लिया गया। मेरे दफ्तर में दो हॉस्पेक्टर थे, दो बजारक थे और दो चपरासी। दफ्तर के काम का तब मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था। न तो हिसाब-किताब समझ में आता था, न छोटी-बड़ी मिसळें। दफ्तरों में जिस भाषा का चलन था उसमें फारसी के मुश्किल लफजों की भरमार रहती थी। मगर मैं घबराया नहीं। अपने अनुभवी मुश्खियों से रोज़ कुछ-न-कुछ सीखता था, पर उन्हें अपनी नाजानकारी का पता नहीं लगाने देता था। दो-तीन महीने के असें में सारा काम मैंने अच्छी तरह समझ लिया। नये अफसरों को रियासती अहमाकार लोग किस तरह बनाते और उन्हें अपने हाथों में रखते हैं, इस बात का पता मुझे दस-बारह दिन में ही लग गया। मेरा पेशकार काफी होशियार व तजर्बेकार था। उनकाहाँ तो उसकी शायद १५) से भी कम थी, पर ऊपरी आय अच्छी हो जाती थी। मुद्रिसों पर उसका काफी रौब-दाब था। दफ्तर आने-जाने के लिए मुझे एक पुरानी

टमटम ही गई थी। राज्य की टमटम ने लोगों की नज़रों में मेरी खासी हृष्णत बढ़ादी। और साकाना दौरे मैं भोटर पर किया करता था।

मेरे चार-पाँच साल के कार्य-काल में ग्राम-पाठशालाओं की संख्या खासी अच्छी बढ़ गई। चार नये मिडिल स्कूल कार्यम हो गये और दो या तीन छोटी-छोटी कन्या-पाठशालाएँ। मंस्कृत-विद्यालय खास पक्ष नगर में पहले से ही था। मैं यह कहूँगा कि ग्राम-शिक्षासम्बन्धी मेरी कई योजनाओं में राज्य ने प्राथः कोई वाधा उपस्थित नहीं की। भगव तुम्ह वहसीबदारों और पुलिस के छोटे-मंटे अधिकारियों को ग्रामों की जागृति का मेरा यह मामूली-सा प्रयत्न भी अच्छा नहीं लगता था। उन्हें भय था कि कहीं साझरता का प्रकाश पाकर प्रजा अपनेको उन्हींकी तरह 'मनुष्य' न समझने लग जाये! मैं यह जानता था कि राज्यों में, खासकर छोटे-छोटे राज्यों में, किसी भी प्रकार की जन-जागृति को अक्सर शंका की नज़र से देखा जाता है। हाईस्कूल की अंग्रेजी शिक्षा में वे कोई पेसा नात्कालिक खतरा नहीं देखते। खतरा तो ग्राम-शिक्षा-योजनाओं से उन्हें रहता है। एक खासे समझदार सुसम्बन्ध नरेश ने मुझसे, बातचीत के सिलसिले में, एक बार कहा था कि, "मैं अपने राज्य में हाईस्कूल तो एक के बजाय दो या तीन भी खोल देने को तैयार हूँ, पर ग्राम-शिक्षा-प्रसार को मैं अधिक उन्नेजन देने के पक्ष में नहीं हूँ। ग्रामीण प्रजाजनों में जो सहज राज-भक्ति आज मैं देखता हूँ वह उनके साझर हो जाने के बाद भी वैसी ही कायम रहेगी, इसमें मुझे पूरा सम्बेद है; क्योंकि पहौली ब्रिटिश भारत के ज़हरीले साहित्य का इसारे ग्रामों में पहुँचना राज्य के हित में कदापि

अच्छा नहीं।'' मैं तो दंग रह गया उनकी यह विचिक्रस्ती इल्लीज सुनकर। मगर 'राज्य के हित में' इन शहदों के बजाय अगर उन्होंने 'राजा के हित में' यह कहा होता, तो शायद उनका कथन कुछ सही भी होता। लेकिन असल में शिक्षा-प्रसार का काम जैसा आमान मैंने समझ रखा था वैसा था नहीं। उन शारीब दृजाओं की नग्न वास्तविकता को देखा तो मेरी आँखे खुल गई। दौरों में सुनें कितने ही नये नये अनुभव हुए। गाँवों को खूब नजदीक से देखने का शवसर मिला। जनता में शिक्षा के प्रति सर्वत्र प्राय उदासीनता ही पाई। मैंने देखा कि शारीबी व बेकारी ने खोगों को एकदम जड़ बना दिया है। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को मदरसे में भेजने के बदल शारीब आदमी उनसे दा तोन घटे रोज़ खेत खलिहान में मङ्गढ़री कराना कहीं अधिक जाभायक समझते हैं। मदरसों से बच्चों के नाम कटवाने की कोशिशें की जाती हैं। एक स्कूल में सुनें अपने चपरासी से मालूम हुआ कि मेरे मुन्शों को एक बृद्ध का छुन एक रुपया, अपना लोटा बेचकर, नज़र करने आई थी कि वह मास्टर में सिफारिश करके उसके पांते का नाम मदरसे से कटादे। लड़का कोई नौ साल का था। बुदिया का बही एकमात्र सद्वारा था, जो घर पर रहकर चार पाँच पैसे रोज़ की मङ्गढ़री कर सकता था। चार अक्षर उसे पढ़ा लिखाकर वह हमारी अनिवार्य शिक्षा योजना को सफल बनाने के पक्ष में नहीं था। और इसी तहसील के एक भाग में 'अनिवार्य शिक्षा' का प्रयोग चढ़ाने की बात मैं सोच रहा था। मेरा जोश वही ठंडा पड़ गया।

उस दरिद्र इकाई के एक गाँव का भयंकर और करुणोत्पादक

किन मैं आपके साथने रखता हूँ।

सन् १९२६ के मार्च का महीना था। मोटर मेरी खराब हो गई थी, इसलिए रात को हमें एक ब्रोडे-से पुरवा में रुक जाना पड़ा। मैं उन दिनों एक पहाड़ी परगने का दौरा कर रहा था। शाम से ही कहाके की सरदी पढ़ने लगी थी। दौत ले दौत बजते थे। चारों ओर घना जंगल, और बूरुषक निर्जन पहाड़ी मूलसान। साँझ पह चुकी थी, पर सारी वस्ती में कहाँ एक दिया भी नहीं टिमटिमाता था। तीस-चालीस फॉपिंगों का पुरवा था वह। बीच गाँव में एक बड़ा-सा कोंडा (अलाव) धधक रहा था, जिसमें बड़े-बड़े लतकड़ जला रखे थे। वहाँ पन्द्रह-बीस आदमी कुछ तो बैठे ताप रहे थे, और कुछ वहीं खड़े बातें कर रहे थे। हम पहुँचे तो देखकर वे कुछ ढर-से गये, यद्यपि मोटर को हम ढेढ़-दो भीज के कामले पर छोड़ आये थे। सभी बिना वस्त्र के थे। कमर पर केवल एक-एक चीथड़ा था। उनमें कुछ तो बर्वांदर-एक जंगली जाति) थे, और कुछ चमार और बोधी। सौ थीरों का जन्ता लपेटे वहीं एक अंधी बुहिया लाडी के सहारे खड़ी थी—जैसे हाड़ों की माला। उसके पीजर की एक-एक दड़ी दीक्षाती थी। आग के मुँह पर खड़ी भी वह यह-यह कौप रही थी। पाँच-सात नंग-धड़ंग बच्चे भी वहीं अकाब के इदं-गिर्द खेल रहे थे। एक हाथ में बसारा (एक मोटा धान्य) की काली-काली कंडा-रोटी का टुकड़ा था, तो एक नन्हीं लड़की कुदर्दू और भाजी कड़ीती में गोंज-गोंजिकर (सानकर) खा रही थी। फोड़ों से सिर उसका जैसे सब गया था, और नाक से रेट बह रही थी। बीच-बीच में खाज भी खुजाहाती थाती थी। एक खड़का अपनी बहिन को गोदी

जो लिए महुआ और चरबा (चिरोंजी के फल) वह स्वाद से चरा रहा था। वही एक लौटड़ा तुहँदा अपने खड़कों को गंदी-गंदी गाढ़ियाँ दे रहा था। बात यह थी कि उन लौटों (खड़कों) की जापरबाहो से मुस्तैद में इसा हुआ कुछ पाका पढ़ीसी की एक बकरी चर गई थी। नूदा बेचारा विविचारा ही रहा, पर उन मुरहों (शैतानों) ने कुछ भी अपार न दिया।

हम लोगों को देखकर उनमें से कुछ तो मारे ढर के खड़े हो गये, और कुछ सरककर परे जा बैठे। हमें सब अविश्वास की टहि से देख रहे थे। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों से आलिंग हम क्या बात करें। देहातों के मैंने हमसे पहले कहै हृदय-विदारक दृश्य देखे थे, पर हस्त पुरवा का यह दृश्य देखकर तो रुलाई आ गई। दरिद्रता और विषदा का कुछ पार। अन्न का कहीं दाना नहीं, तन पर आगा नहीं। जंगली फलों, जड़ों और कुधान्ध से सब पेट भर रहे थे। जामवरों से भी बदतर हालत थी उनकी।

मैं उस हलाके में नये-नये मदरसे सुखवाने का हरादा और उस्साह लेकर गया था। दिल बहीं-का-बहीं बैठ गया। सोचने जला, इन कंकालों के साथ मैं कैसा मिर्दय मखौल करने आया हूँ! तब तो रहे हैं ये अस्ति-पंजर बच्चे रोटी के लिए, और मैं इनके हाथ में कैने आया हूँ स्लेट का पत्थर और पोथी का कागज! मैं अपनी सम्झाना रिपोर्ट में बड़े अभिमान से लिखूँगा कि दाज्य के हरने बच्चों को साक्षर बना दिया गया है! उस अखात पर बैठे-बैठे मैंने अपने आपको अम-ही-अम बहुत चिक्कारा।

मेरे मुन्ही ने, और मुझसे पूछे, उन कवौदरों में से दो को तो चपरासी के साथ लिस्टरे और मामान लाने के लिए बेगार में पकड़-कर भेज दिया था, और एक फोपड़ी में से मेरे लिए एक खाट भी निकलवा ली थी। मुन्हाजी की व्यवस्था में मैं कभी इस्तेप नहीं करता था। एक दूसरे गाँव से मेरे लिए उन्होंने दूध भी दो ढाई सेर मैगवा लिया था। उन दिनों दूध और साग व फलों पर मैं तपश्चर्या का व्यय-साध्य जीवन व्यर्तीत कर रहा था। शीतला वायु का झांका जैसे पर्मीने का सुखा देता है, उसी तरह मुन्हीजी का इस मुन्दर व्यवस्था ने मेरी कहणा के भात को बही-का-बहीं सुखा दिया। मेरा वह करणांग के सचमुच लक्षणिक था, एक भावुक कवि का उफान था। वह चीज़ गहरी नहीं चुभी थी। भवेदन का चमत्का मेरा सोटा पह गया था। अब वैसी चुभन नहीं होती थी। मुन्ही, अर्द्दली और मोटरगाड़ी ने अंतर में वहनेवाली मेरी कहण-धारा को जैसे सोख लिया था।

जहाँ कहीं शिक्षा-प्रसार के लिए थोड़ा-बहुत लेत्र भी था, वहाँ उपयुक्त साधनों का अभाव था। सुशिक्षित अध्यापक शायद ही कोई था। योग्य अध्यापक मिलते भी नहीं थे। देहात के मास्टर का वेतन पाँच रुपये में लेकर बारह-तेरह रुपयेतक होता था। बहुत-से स्कूलों में पढ़ाई नाममात्र की हाँ होती थी। हाज़िरी लड़कों की बहुत कम रहती थी। जब कभी महाराजा साहब या उनके भाई अथवा कोई उच्च अधिकारी स्कूल के सामने से गुज़रते, तो गाँव के सारे लड़कों को मिठाई की लाजाच देकर कतारबन्द खड़ा कर दिया जाता था। लड़के

एकाघ स्वागत-गीत भी गा देते, और मास्टर अतिथि देवता के गजे में फूलों की माला डाल देता। इसी तरह इन्सपेक्टर साहब का भी वह यथाशक्ति स्वागत-सर्कार कर देता था। टीका के साथ एक रूपये का नज़राना मुआहने के बाद शिकायत का मौका नहीं आने देता।

मैंने शुरू में कुछ सख्ती में काम लिया। बहुत-से अयोग्य अध्यापकों को नौकरी से अलहदा कर दिया, और उनके स्थान पर कुछ अधिक वेतन ढंकर अच्छे शिक्षित अध्यापकों को रखा। ब्राह्मण अध्यापकों में इसमें बढ़ा अनंतोष फैला। उनमें में कुछ तो बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य थे। एकाघ शालत-सलत आशीर्वादी श्लोक या दोहा उन्हें कंठाग्र था, उसीके नाम पर उन्हें 'शिक्षण-बृत्ति' मिलती थी। उन्होंने मुझे बहुत कोसा। एक ने तो रोष में आकर मेरे मामने अपना जनेक लोडकर फेंक दिया। पर उस अच्छ-शत्रु दुर्वासा के ब्रह्माशाप का मुझ विप्र-दोही पर कुछ भी असर नहीं हुआ।

मकानों का भी काफी कष्ट था। जीर्ण-शीर्ण छोटी-छोटी स्टोपिंगों में अधिकांश पाठशालाएँ लगती थीं। मैंने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार अच्छे नये मकान खड़े किये जा सकते थे। जितना रुपया एक पाठशाला पर खर्च होता उसका आधा जनता में चन्दे के रूप में लेने का विचार था और आधा राज्य से। ऐसे पचास 'सरस्वती-मन्दिर' आसानी से बन सकते थे। मगर अभिमानी राज-परिवार ने इसमें अपनी अप्रतिष्ठा सुनमझी। प्रजा को शुभ कार्य में भी बराबरी का दर्जा देना उसे अपने हक्क में अपमान-जनक-सा मालूम दिया। यहीं से राज्य के साथ मेरा संघर्ष

योजना गुरु हुआ। मैं हैरान था कि मेरी देसी निर्दोष योजना से राज्य को क्यों लाभका हुआ। इस सम्बन्ध का अपना मन्तव्य समझाने के लिए मैंने जहाँ-तहाँ सभाओं में जो स्वास्थ्यान दिये, वह भी राज्य को पहल्वन नहीं आये। एक दिन पुलिस-सुपरिंटेंडेंट ठा० निर्भालसिंह ने, जो मुझसे मित्रता मानते थे, मुझे हम बात का संकेत कर दिया कि मैं राज्य की दृष्टि में अपनी नियत मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ। 'सरस्वती-मन्दिर' वाली योजना तो मैंने स्थाप दी, पर शिक्षा-प्रसार की दृष्टि से जन-सम्पर्क का कार्य-क्रम जारी रखा। अन्दर-अन्दर मेरे विरुद्ध कथा-कथा कहा-सुना जा रहा था, इसका मुझे पता नहीं चला था। यह सब होने हुए भी महाराजा साहब तथा राज्य के उच्च पदाधिकारी दिना किसी हिचकिचाहट के यह मानते थे कि शिक्षा के छोर में जो जागृति हुई है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

सन् १९२६ में राजधानी में हमने एक वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें मिहिल स्कूलों के विद्यार्थियों व अध्यापकों को राज्य की ओर से आमन्त्रित किया गया। हमने एक ग्राम-प्रदर्शिनी का भी आयोजन किया। इस प्रदर्शिनी में लड़कों के हाथ की लैंगार की हुई तथा संग्रहीत वस्तुएँ रखी गईं। लोक-प्रचलित कहानियाँ व गीत भी बहुत-से विद्यार्थी किसकर लाये थे। कई लड़कों ने अनेक जबी-जूटियों और रंग-बिंगे पर्याप्त का भी संग्रह किया था। द्वितीय वार्षिक उत्सव की तुमाहा और भी अच्छी हुई। लड़कों ने व्याख्यान के भी कई सुन्दर प्रदर्शन किये। कुशितर्हाँ भी हुईं, और अनेक देशी लोक भी। उसीर्हाँ विद्यार्थियों को पारिकोषिक हस्तादि भी दिये गये। यह

मेहाएक सप्ताहतक रहा। पश्चा-नरेश ने ऐसे हो या तोन उत्सवों में वहे उत्साह से भाग किया। उन्होंने प्रेरणात्मक भाषण भी दिये। किन्तु बाद को उत्साह कुछ मन्द पड़ गया। शिल्पा-विभाग के इस वार्षिक उत्सव में भी राज्य के अधिकारियों को कुछ राजनीतिक गम्भीर आने लगी। उनके व्यवहार में सुनें कर्क दिखाई देने लगा। अष्टुत बालकों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने के बारे में मैंने अपनी साक्षात्कार रिपोर्ट में जो झोरदार तज्ज्ञीज रखी थी, उसने साकृत ज्ञाहिर कर दिया, अलिंग आसार दिखने लगे कि मेरे विरुद्ध जल्द ही एक दूसरा उठनेवाला है।

: २६ :

तूफान के सामने

अब मुझे रह-रहकर बेबसी महसूस होने लगी थी। मन में कितने ही उँचे नीचे विचार उठते थे। मैं आखिर यहाँ बैकार पड़ा-पड़ा क्या कर रहा हूँ? यहाँ तो मामूली-से समाज-सुधारों की भी आशा नहीं। मेरे विचारों को केवल यहाँ सुनभर लेते हैं, उनपर अमल कर होने दिया जाता है! ये लोग सब कितनी दूर छात मानते हैं! अगर मैं मेहतर से विस्तर बिल्कुल लेता हूँ, तो हसपर भी उँगली उठाइ जाती है। उस दिन अपने मेहतर के हाथ से अगर मैंने एक गिलास पानी मँगाकर पीकिया, तो क्या तुरा किया?

महाराजा साहब के छोटे भाई नन्हे राजा के साथ मैं उन दिनों मोहन-निवास में रहता था। केवल वही एक मेरे विचारों से सहमत थे। पर 'ज्ञान-मर्यादा' के भंग होने का उन्हें भी भय था। राज-कुटुंब का खयाल तो या ही। मैं उनकी स्थिति को सकट में नहीं ढालना चाहता था। साथ ही, अपने सही विचारों को अधिक दबाना भी नहीं चाहता था। मेहतर के हाथ से पानी मैंने एक या दो-बार मोहन-निवास में ही पिया था। चार-पाँच बसोंरों को कभी कभी भजन गाने के लिए भी उला-

लिया करता था । उनके राज्ञी न होने पर भी एक दिन मैंने उम जोगों को अपने कमरे में ढरी पर हाथ पकड़कर बिठा लिया कि गज्जब होगया ! नौकरों व सरदारों में आपस में कानाफूसी होने लगी । तिल का ताङ बन गया । अफवाह यहाँतक फैल गई कि बसोंकों की डस मंडली को मैंने अपने साथ खाना भी खिलाया है, हालांकि मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया था । मगर अफवाह दब गई । मुझे आगाह भी कर दिया गया कि ऐसा कोई क्रदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे कि आपस में मनमुटाव और शांति-भंग होने का अंदेशा हो । उन गारीब बसों पर ऊपर से ढाँट भी पढ़ी । मैंने उन्हें बाद को कई बार बुलाया, पर आने की उनकी हिम्मत न पढ़ी । मैं समझ गया । हवा का रुख बदला हुआ था ।

अपने विचारों को अन्दर-अन्दर बहुत दबाने से पेशा लगता था । जैसे किसी बंद कोठरी में मेरा दम घुटा जारहा हो । राज्य के स्कूलों में अदृत बालकों का दाखिल न किया जाना एक पेशा सवाल था जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था । मैं हेरान था कि मनुष्य-समाज का एक भाग, जिसका कोई भी अंग प्रकृत्या अपूर्ण नहीं है, शिवा के ज्ञान से क्यों वंचित रखा जाता है ? मेरे दौरे की पब्ह लदसील के मिडिल स्कूल की बात है । एक बनिये का लड़का शाम को बड़े मधुर सुर से मुझे रामायण सुना रहा था । वहीं एक अधेड़ चमार बैठा हुआ था । अगल था । रामायण खूब प्रेम से सुन रहा था । मैंने उससे पूछा—‘तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ न ? बातचीत करने में लड़के तो तुम्हारे होशियार मालूम देते हैं । मझे से एक साल में रामायण पढ़ने लग जावेंगे ।

बोलो उन्हें पढ़ाओगे ?' 'मार्गिक, हमारे बच्चन के भाग में पढ़ो-
विचारों कहाँ बदो ? हमें डिगालुक (पास-तक) सो कोड बैठन नहीं
देता'—कहते-हृते उसका गता भर आया ।

एडने को आस्टर हिचकिचाता था । उसे तहसीलदार का ढर था,
और तहसीलदार को अपने सबसे ऊँचे अधिकारी का भय था । वहाना
था कि प्रजा में इससे हलचल मच जायेगी । जोखिम लेने को कोई
तैयार नहीं होता था । मैंने उसी चमार के हाथ से दोपहर को अपना
पासी का बढ़ा भरवाया था । मेरा मुश्शी मेरे इस दुःसाहस को देख-
कर कौपी गया । चपरासी और ड्राहवर ने भी नाक-भौं सिकोदी । मेरे
पन्ना पहुँचने से पहले ही मेरी इस 'धर्मअहता' की खबर महाराजा
साहब के कानोंतक पहुँच चुकी थी ।

मुझे भारी मानसिक पीका होरही थी । कैसा अंधेर है, इस ग़रीब
चमार के होनहार बच्चे हमारे मदरसे में चार अंधर भी नहीं पढ़
सकते ! इन बेचारों के लिए साधारण शिक्षा का भी द्वार बन्द है । यदि
इन बच्चों के लिए मैं शिक्षा की सुविधा राज्य से न करा सका, तो फिर
इस विभाग में मेरा इहना बेकार है, बल्कि पाप है । एकबार प्रयत्न
करके देखता हूँ । सामान्य स्कूलों में फिछहाल इनके लिए प्रवेश की
बात को छोड़ देता हूँ, पन्ना चलकर इनके लिए अलग स्कूल सुखवाने
की चेष्टा करूँगा । इसमें भी विफल रहा, तो शिक्षा विभाग को बात
मार दूँगा ।

यह सन् १९३१ का प्रसंग है । मैंने निश्चय कर लिया कि खास
पन्ना में हमें एक अद्युत पाठशाला जल्द-से-जल्द स्थापित कर ही देनी

है। सद्भास्य से तीन-चार मिन्ट मेरे हस विचार के समर्थक बिल गये। महाराजा साहब ने भी कुछ पश्चोपेक्षा के साथ पाठशाला खोलने की स्वीकृति देदी। अब प्रश्न अध्यापक का था। प्रभुद्वाल नाम का एक कायद्य नवयुवक हिम्मत करके पढ़ाने के लिए भी तैयार होगया। एक राज-पंडित ने दबी ज़बान से हमें शास्त्रीय व्यवस्था भी देदी। और मुशानसीबी से स्कूल के लिए हमें एक छोटा-सा मकान भी मिल गया।

एक दिन श्रीकलादेवजी के मन्दिर के सामने सार्वजनिक सभा का आयोजन करके राज्य की ओर से अद्युत-पाठशाला खोलने का विश्वाय मैंने घोषित कर दिया। सभा में बड़े प्रथास से कुछ मेहताओं को भी बुलाया गया था। बहुत ज़ोर ढाकने पर दी-तीन मेहतर मार्ह सबके साथ दरी पर छर्ते-छर्ने बैठे। पाँच-सात बच्चों को भी सभा-स्थल पर ही, गणेश-बन्दना के साथ, बर्णमाला का पहका पढ़ाया गया। तत्पश्चात् सभा की समाप्ति पर सब उपस्थित जनों को मिठाई बांटी गई। रुदिवादी जन-समुदाय हससे विचलित हो उठा। धर्म मानो रसातल को चला गया। जहाँ-तहाँ यही चर्चा मुनाहै देती थी कि भाई, हमारे क्षत्रियसाली राज्य में हतना बड़ा अन्धेर आजतक कभी नहीं हुआ। बेचारे प्रभुद्वाल को तो तत्काल जाति-बहिष्कार का दबद भिला। दबित वर्ग भी मारे डर के कौपने लगा। अपने बच्चों को हमारी पाठशाला में भेजने के लिए भी तैयार नहीं होता था। दूसरे दिन वही मुरिका से तीन बालकों को डमके घरों से लाकर प्रभुद्वालजी ने पढ़ाया। उन्हें धमकियाँ भी खूब दी गईं।

उच्च अन्धिरों के महस्त व मुझारी धर्म की 'रक्षा' के लिए अपना

सर्वस्व लिखावर कर देने को तैयार होगये । इन सारे अन्यों का मूल मैं ही समझा गया । अफ़वाह तो यहाँतक उड़ी कि अद्भुतों का दखल ज़बद्दली मन्दिरों में छुसने का प्रथम करनेवाला है, और उनका नेतृत्व विद्योगी हरि करेगा । रुदिवादी समाज मरने-मारने के लिए आमादा होगया । इस त़क़ान की खबर रात के एक बजे पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने हमारे मोहन-निवास में आकर दी और मुझे सतर्क कर दिया । मज़ा यह था कि सामने कोई विरोध नहीं करता था, पीढ़-पीछे ही यह आंदोलन खड़ा होरहा था । लेकिन राजकुटुम्ब और रुदिप्रिय प्रजा के विरोध के बाबजूद भी पक्षा-नेशन ने दृढ़ता से काम किया । मन्दिर-प्रवेश का तो कोई प्रश्न ही नहीं था । विरोधी दल के पाँच-सात प्रतिनिधियों को एक दिन कलब में बुलाकर श्रीमन्तने समझाया, डॉटा भी, और कहा कि “अद्भुत-पाठशाला मेरे हृत्कम से खोखी गई है, वह अब बन्द नहीं हो सकती । इस काम में अगर कोई अनुचित दखल देगा तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जायेगी ।” विरोधियों का जोश ठंडा पड़ गया । मगर मेरे प्रति विरोध की भावना ने जड़ पकड़ी सो पकड़ी । किन्तु मुझे सन्तोष है कि उस विषयक में भी अन्तिमत्वा अमृत-फल हां लगा; इस प्रकरण का पीछे अच्छा ही परिणाम निकला । इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली ।

इस घटना के फलस्वरूप पक्षा से एक पालिक पत्र लिकालने का मैंने निश्चय किया । नाम उसका ‘पतित-बन्धु’ सोचा । पक्षा का राज-कीय प्रेस मेरी ही देखरेख में चलता था, और पत्र उसमें आसानी से छप सकता था । पर मुझे हजारत नहीं मिली । फलतः जबड़पुर से

मुझे उसके प्रकाशन का प्रबन्ध करना पड़ा। पौंजी मेरे पास केवल यह सौ रुपये की थी। डेढ़ सौ रुपये मेरे आपने थे, और साठे चार सौ तीन-चार मिंटों से भाँग लिये थे। मास में दो बार मुझे जवलपुर की दौड़ लगानी पड़ती थी। मेरे विद्याव्यवस्थनी मित्र ब्यौहार गंडेन्द्रसिंहजी मेरी बहुत सहायता किया करते थे। ठहरता मैं हमेशा उन्हींके घर पर था। साहित्य-सेवी युवक पं० नाथूराम शुक्ल का भी सहयोग मुझे संपादन-कार्य में अच्छा मिला था।

‘पतित-बन्धु’ के मैने आपनी टटिके सामने, दो उद्देश मुख्य रखे थे—एक उद्देश तो सर्वधर्म समन्वय, और दूसरा दलितजनों की सेवा। दिव्यवाणी, सन्त-पुष्पा और दलित-संसार ये हमारे मुख्य स्तम्भ थे। सहयोग कई लेखकों का, सद्भाव्य से, मिल गया था। मगर पत्र मेरे चलाये चल नहीं सका। न तो उपर्युक्त लेख था, और न साधन, न अनुभव। जैसे-तैसे ११ अंक निकालने के बाद मेरे सामने आर्थिक संकट उपर्युक्त हो गया। मेरे कुछ मिंटों ने इस ‘अव्यापरेषु व्यापार’ में पड़ने से मुझे रोका भी था। फिर भी मैंने हाथ आग में डाल दिया। आपनी भावना या सनक को पत्रिका बनाये रखने के लिए विज्ञापन भी नहीं लिये। हर मास केवल कागज, कुपाई और ढाक हस्तादि का खर्च सौ रुपये से ऊपर आता था। ग्राहक मिर्फ १६० बन सके थे। पास में आब एक भी पैसा नहीं था। आपनी कूल की झोपड़ी को भी फूँककर दो दिन तमाशा देख लिया। मैंने हृदयस्पर्शी आपीज भी निकाली, पर वह अरशय-बोद्धन था। जैसे-तैसे एक दो जगह से कज़़़ूँ लेकर चार अंक और निकाले। कज़़ूँ को बाद में ब्यौहारजी ने पटावा। आपनी प्यारी

हमरत को अपनी आखिरों के आगे, अपने ही हाथों, मैंके बुरी सरह मस्त
दिला। मेरे प्यारे 'पतित-बन्धु' की एक वर्ष के भीतर ही अकाल-मृत्यु
होगई।

उधर शिक्षा-विभाग का कार्य भी अब निर्वाच सूच से छलाना मेरे
लिए कठिन होगया। राज्य को मेरा बहाँ रहना भी बांछनीय नहीं
लगा। फ़लतः १९३२ के अगस्त में किर इलाहाबाद आगया। किन्तु पक्षा
के निवास-काल के जो एक-दो मंस्मरण रह गये हैं, उन्हें अगले प्रक-
रण में देकर आगे बढ़ूँगा।

: २७ :

एक-दो प्रसंग और

पश्चा के एक-दो प्रसंग और देना चाहता हूँ। न दूँ सो पश्चा राज्य
के मेरे निवास की कहानी शायद अधूरी हो रह जायेगी।

सन् १६३० की बात है। ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह लूँह वेग से
चल रहा था। युन्डेलखण्ड की रियासतों में भी इस आग की लपटें
पहुँचीं। रेल और अखबारों से दूर इन अंधेरे कुओं की प्रजा के बीच
तरह-तरह की अकवाह फैली—जैसे, अंग्रेज अपने दैंधने-बोरिये ले-लेकर
भाग रहे हैं; कलकत्ते पर महारामा गांधी का कल्पा हो गया है; जगह-
जगह लूट-मार मच रही है, बरौरह, बरौरह। परिस्थिति से अनुचित
खाम उठानेवाले अप्रमाणित नेता जहाँतहाँ उठ खड़े हुए। उनमें
बहुत-से पेशेवर हाकू भी जा मिले। तीव्र-चार रियासतों में 'स्वराज'
के नाम पर कई घारदातें हुईं। एक गिरोह ने तो यह भी सोचा कि
काश्तकारों को डरा-धमकाकर खागान भी बसूछ किया जाये। रियासतों
की पुलिस य फौज के साथ मुठभेड़ होने और गोली चल जाने का भी
अन्दरा था, जिसमें सैकड़ों निरपराष झांदमो मर जाते। पश्चा राज्य
की एक लहसील में एक बहुत बड़ी सभा करने का उन लोगों ने आयो-
जन किया था। वहाँ भारी उपद्रव हो जाने की चार्शका थी। ईश्वर

को धन्यवाद कि रक्तपात होते-होते बच गया। ऐन मौके पर महाराजा साहब के मैफले भाई श्रीराघवेन्द्रसिंहजी की नंक सलाह व दूरदेशी काम कर गई। उन्होने राज के ग्यारह बजे मुझे बुलाया और कहा—“वियोगीजी, मेरे पास पवर्ह के तहसीलदार ने जो रिपोर्ट भेजी है अगर वह सच है तो भर्यंकर है। कल शाम को वे लोग वहाँ बहुत बढ़ी सभा करने-वाले हैं। गैरजिम्मेदार आदमियों ने रिक्षाया को काफ़ी भड़काया और ढराया-धमकाया है। मगर मैं चाहता हूँ कि सभा उनकी होने दी जाये और पुलिस उसमें दम्तन्दारी न करे। मैंने सोचा है कि आप वहाँ चले जायें, और उन नाममन्त्र मुस्लियों को एक बार अच्छी तरह समझायें।”

मैं उस आनंदोलन के बारे में सुन चुका था। उनमें कोई जिम्मेदार मुखिया नहीं था, जो प्रजा की मांगों को ठीक तरह से राज्य के सामने रख सके। वे लोग तो केवल गड़बड़ी फैलाकर उस परिस्थिति में बंजा फायदा उठाना चाहते थे। फिर भी मुझे सन्देह हुआ कि मैं राज्य के हाथ का ओजार तो नहीं बनाया जा रहा हूँ। माना कि वे लोग शाक्त शास्ते पर जा रहे हैं, पर इन बेहद पिछड़े हुए राज्यों में इतनी-सी भी जन-जाग्रति का होना तुरा नहीं है। मैं अपने मन में उस आनंदोलन का बलाचल तोलने लगा। काफ़ी सोच-विचार के बाद मैंने कहा—“जाने को तो मैं तैयार हूँ, पर क्या आप भी मुझे यह आशासन देने के लिए तैयार हैं कि यदि प्रजा की कोई उचित माँग वहाँ उपस्थित की गई, तो राज्य उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा? अगर उनमें से कुछ जिम्मेदार आदमी शान्तिपूर्वक प्रजा की उचित माँग व मत का प्रति-

निश्चित करें, और मैं उन्हें विश्वास दिखाऊँ कि उनकी आवाज़ सुनी जायेगी, तो बाद को राज्य की ओर से उनके साथ विश्वासघात तो नहीं किया जायेगा ? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए तो मरण ही हो जायेगा ।”

“नहीं, ऐसा वहीं होगा । दूसरे राज्यों की तो मैं नहीं कह सकता, पर अपने पन्ना की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी । आप ज़रूर जाहृए ।”

मैं रात को ही वहाँ पहुँच गया । एुलिस सुपरिटेंडेंट भी अपने दल-बल के साथ पहुँच गये थे, पर वे सभा-स्थल पर नहीं गये । सभा में आठ हजार से कम आदमी नहीं थे । ठाकुरों की भी काफ़ी बड़ी संख्या थी, और लगभग सभी हथियारबन्द थे । प्रधान नेता उनका एक ब्राह्मण था । किन्तु दृश्य वह सभा के जैसा नहीं था । मगर लोगों में उत्साह खूब था । मेला-सा मालूम देता था । कोई डफली बजा रहा था, कोई ढोलक । कोई भजन गा रहे थे, तो कोई किस्से-कहानियाँ सुना रहे थे । नारे भी नये-नये लगा रहे थे । खूब शोरगुब्ब हो रहा था । लोगों को शायद यह भी पता नहीं था कि वे वहाँ किसकिए हृकटे हुए हैं । पर सबके दिलों में एक कुतूहल था । मैं अचानक ही उनके बीच में पहुँचा । मुझे पहले से उनके तीन-चार मुस्किये पहचानते थे । उन लोगों ने मेरा स्वागत किया, और सबको परिचय दिया । लोगों के चेहरों पर मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वे कोई विद्रोह करने के लिए आये थे । लेकिन, अगर पुलिस वहाँ इस्तेवे पर बैठती तो ज़रूर उपद्रव हो जाता, दोनों तरफ से गोली भी चल

जाती। मैंने मुख्यों से काफी देरतक बातें कीं। पहोस के एक रात्रि के सिखाफ उनकी कहाँ शिकायतें थीं। पर इस बात को वे भी अनुभव कर रहे थे कि उनका संगठन बिलकुल कमज़ोर है, और उनके साथ कुछ डाकू भी शामिल हो गये हैं। अपने आनंदोलन की सफलता पर उन्हें चुन भी पूरा सन्देह था। कोई किसीकी नहीं सुन रहा था। मैंने सज्जाह दी कि उन्हें सबसे पहले अपना संगठन करना चाहिए। मैंने सुझाया कि आप ज्ञान अपने कुछ अच्छे प्रतिनिधि चुनलें, और प्रजा की जो शिकायतें और उचित माँगें हूँ उन्हें जल्द-मे-जल्द भेजवाएं। इस बात का ध्यान रखा जाये कि कहीं भी किसी प्रकार का उपद्रव न होने दें। मैंने एक घंटा भाषण भी दिया। जोगों ने मेरी बातें शान्ति-पूर्वक सुनीं भी। मेरे भाषण के बाद वहीं पर प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ और यह निश्चय हुआ कि प्रतिनिधि-मण्डल की ओर से प्रजा को माँगों के निवेदन-पत्र जल्द-से-जल्द पन्ना तथा अजयगढ़-दरवार को भेजे जायें। सभा बड़ी शान्ति में समाप्त हुई। मुझे इस बात का तो सन्तोष रहा कि उपद्रव होने की नीवत नहीं आई, पर ऐसा लगा कि मेरे चिर पर जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपड़ी हो। उनकी एक-दो माँगें पूरी हो सकती थीं, मगर अफसोस, उनकी तरफ से कोई माँग आई ही नहीं। सब अपने अपने घर बैठ गये। यह सुनकर कि अंग्रेजों के भाग जाने की कोई आशा नहीं और अंग्रेजी क्रौंचों ने एक-दो जगह गोली भी चलाई है, हायियारबन्द नेताओं या ढाकुओं के भी हौसले पस्त हो गये। दूसरे नेता भी, जो वहाँ चुने गये थे, खुज़दिल ही निकले। मुझे उनको दिलाई पर बहा दुःख हुआ। एक का तो यहाँतक पतन

हुआ कि उलटे प्रजा के विरुद्ध मूड़ी शिकायतें अधिकारियों के पास पहुँचाने लगा। अधिकारियों ने ऊपर से तो मुझे शाबाशी दी, पर अन्दर-अन्दर जलने लगे—इस बात पर कि सभा में मेरी सलाह को जोगों ने माना है, तब यह भी सम्भव है कि मेरे कहने से किसी दिन वे शान्तिर्भंग भी कर बैठें ! यह विचित्र अर्थ लगाता जायेगा, इसका मुक्त स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। देशी राज्यों की राजनीति कहाँ-से-कहाँ जाती है !

अब थोड़ा शिकार के सम्बन्ध में। पाठक इससे चौक न जायें। मेरा आशय शिकार खेलने से नहीं, वालिक शिकार देखने से है। पन्ना-महाराज के साथ मैं अक्सर शिकार में जाया करता था। खाकी कपड़े पहनकर मचान पर बैठता, शेर के हाँकों में जाता, और शिकार की मनोरंजक कहानियाँ सुनने में खूब रस लिया करता था। बन्दूक भी चलाता था, पर किसी पशु-पक्षी पर नहीं। केवल निशाना लगाने का शौक था। आहत पशुओं का तड़पना देख-देखकर हिंसा के प्रति यथपि मन में काफ़ी घृणा पैदा होती थी, फिर भी सबके साथ शिकार में जाना प्रिय लगता था। संसर्ग-दोष पूरा असर कर गया था।

बारहसिंगा, रोज, सुधर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्धा आदि जानवरों के विषय की धीरे-धीरे मुझे काफ़ी जानकारी होगई थी। शिकारी व बनरखे एक-एक जानवर के बारे में बड़ी मनोरंजक बातें सुनाया करते थे। पर सबसे अधिक आनन्द तो शेर की शिकार में आया करता था। जेह की आग डगड़नेवाली दोपहरी भी शीतल प्रतीक होती थी, जब हम जोग शेर का पता पाकर विकट जंगलों को छीरते हुए कोसों पैदल

भागते थे, फ़ादियाँ पकड़-पकड़कर पहाड़ियों पर चढ़ते और उतरते थे ।
एकसाथ छह-छह, सात-सात शेरों का मुश्क जब मचान के पास से
गुज़रता हुआ देखते तो हमारी सुशी का पार न रहता ।

मचान पर बैठनेवाले हथियारबन्द शिकारी हमेशा सुरक्षित रहते
थे, जान तो जोखिम में गरीब हाँकेवालों की रहती थी । बायक जामबर
अक्सर डन बेचारों पर हमला भी तुरी तरह कर बैठता था । मचान पर
बैठकर शिकार खेलना कोई ऐसी बीरता का घोतक नहीं, जिसपर गवं
किया जा सके, मगर चाटुकार सरदार और दरबारी कवि ऐसे लुका-छिपी
के शिकारों का भी बहा अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करते थे । कुछ दिनों बाद
मेरा मन अन्दर-अन्दर ऐसे शिकारों के खिलाफ़ विद्रोह करने लगा ।
'धोर-सतमझ' में के नीचेलिखे दोहे लिखने की प्रेरणा ऐसे ही छोमो-
त्पादक दृश्यों ने मुझे दी थी ।—

लुकि-छिपि छरछन्दनि अरे,
खेलत कहा शिकार !
जियत बाघ की पीठ पै,
क्यों न होत असबार ?
लुकि-छिपि बैठि मचान पै,
करत मृगन पै वार ;
जियत सिंह की मूँछ कौ,
क्यों न उखारत बार ?

कभी-कभी तो गरीब रिआया का ही शिकार होता था । बेचारों पर^उ
आपूर आ जाती थी । घर का सारा काम-काज छोड़-छोड़कर हाँकों में

जाना पड़ता था। मज़दूरी नाम-मात्र की भिजती थी। पूर्स-माघ की लम्बी हड्डकम्प रातें उन्हें मैदान में बैठे-बैठे काटनी पड़ती थीं और जेठ-बैशाख की तेज लूंवें उनके सिर पर जाती थीं; हाँके में कोई-कोई जान से भी हाथ धो बैठते थे।

हिंसा-अहिंसा की बात को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ। पर मुझे तो यों भी शिकाह एक दुर्व्यस्तन के रूप में ही दिखाई दिया। मैं जानता हूँ कि शिकाह के पश्च में काफ़ी कहा जा सकता है, किन्तु देशी राज्यों में तो यह व्यस्तन हर तरह से अभिशापरूप ही सिद्ध हुआ है। पन्ना में तो फिर भी ग़्रनीमत थी, दूसरे कई देशी राज्यों की प्रजा तो राजाओं के इस दुर्व्यस्तन के कारण काफ़ी तबाह हुई है। पर मैं हतना ज़रूर कहूँगा कि शिकाह के दश्यों व अनुभवों ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे कहणा या अहिंसा का भक्त बनने में मदद दी। साथ ही, कुछ प्रत्यक्ष रूप में भी ज्ञान हुआ। बिना दरे हिम्मत के साथ कठिन रास्ता पकड़ना शिकाह की उन विकट किन्तु रोचक यात्राओं ने ही शायद मुझे सिखाया। अपने दौरों में जान-बूझकर बोहङ्ग रास्तों से जाना मुझे प्रिय लगता था। पर एक बार ऐसे दुर्साइस की सज़ा भी भिजी थी।

जहाँतक मुझे स्मरण है, सन् १९३१ के माघ का वर्षीय था। स्थान का नाम बाद नहीं आरहा है। महाराजा तथा उन्हें राजा पड़ाव पर चार-पाँच बजे पहले पहुँच मुझे थे। मुझे बीच में एक जगह कुछ काम था, इसलिए रात के दस बहाँ बज गये। रात को मुझे बहीं ढहर जाने की सकाह दी गई। ड्राइवर भी हिचकिचा रहा था। साथ में जो सिपाही था वह भी अलसा रहा था। मगर मैं तो रात को ही पड़ाव

पर पहुँच जाना चाहता था । रात अँधेरी थी । सबक भी पकड़ी नहीं थी । कच्चा रास्ता जंगल में होकर जाता था । लोगों की सबाह पर व्यान न देकर मैं साढ़े दस बजे वहाँ से चल दिया । पढ़ाव वहाँ से लग-भग बीस मील था । कोई इट मील तो हम लोग मझे में निकल गये, आगे गढ़बढ़ी में पढ़ गये । अम हुआ कि वहाँ से रास्ता फट गया है । पठार का उतार था वह । वहाँ से पढ़ाव की रोशनी साक नज़र आरही थी । हमने ग़लत रास्ते को पकड़ लिया था । मुश्किल से पचास कदम चले कि हमारी मोटर बहककर बग़ल के एक गडे में जा गिरी । ढाहवर को हँशबर ने बचाया, ज्ञाती में धक्के से मामूली-सी चोट आई । मैं ढाहवर के बराबर बैठा था । शीशे के फोम से तुरी तरह टकराया । नाक पर चोट आई; बाँसा बाल-बाल बचा, जो मर्म-स्थान था । नाक से खून की चार चश राई । पर मैं बेहोश नहीं हुआ । मोटर को वहाँ क्लोइकर दम तीकों आदमी जैसे-तैसे रात को कोई एक बजे पढ़ाव पर पहुँचे । खून मेरा बन्द नहीं होरहा था । व्यास में गला बिल्कुल सूख गया था । मुँह से बोला भी नहीं जाता था । रात बड़े कष में कटी । अच्छा होने में एक हफ्ते से ऊपर ही लगा । फिर भी ऐसी दुस्माहसपूर्ण यात्राओं से मैं भयभीत नहीं हुआ ।

: २८ :

तीसरा पढ़ाव

१९३२ के सितम्बर मास में मैंने पन्ना छोड़ देने का अंतिम निश्चय कर लिया। मन को शान्ति नहीं मिल रही थी। अशान्त चित्त का भार लेकर मैं वहाँ के अननुकूल बातातरण में आखिर कबतक बैठा रहता! तैयारी तो मुझे कुछ करनी नहीं थी। सामान के नाते मेरे पास केवल पुस्तकें थीं। उनमें से बहुत सारी स्थानीय पुस्तकालय को देखी थीं। मेरे पास थोड़ी ही गिनी-चुनी बची थीं। सो उनका मुझे कोई ऐसा खाम मोह नहीं था।

मौं तथा मेरे भाई को छतरपुर भेज दिया। चिन्ता अब केवल तीन-चार सायियों की थी। स्थानीय अनाधालय के व्यवस्थापक पं० रामाधार तथा अद्वृत-पाठशाला के अध्यापक श्रीप्रभुदयाल के बारे में मुझे सोचना था। दो छोटे-छोटे अनाश्रय बच्चे भी थे—मंगलसिंह और उसकी बहिन सुकीर्ति, जिन्हें मेरी सलाह से रामाधारजी ने स्नेहपूर्वक रखा था। रामाधारजी को तो मैंने अपने साथ रखने का तय किया, और सुकीर्ति को प्रवाग के महिला-विद्यापीठ में दाखिल करा दिया। चार महीने के बाद मंगलसिंह को भी दिल्ली भुका किया। और कोई

जह महीने बाद श्रीप्रभुदयाल को भी पक्षा से हटाकर दिल्ली की सौसी-बस्ती में चिठा दिया। प्रभुदयाल ने निष्ठा, त्याग और लगन के साथ हरिजनों की सेवा की। भंगलसिंह कुछ काल मेरे साथ रहा; बाद को उथोगाहाला में बढ़है का काम सीखा, और फिर शाला में ही शिवण-कार्य करने लगा। सुकीर्ति को तो मैंने लड़की के समान ही मान लिया था। 'दुःख है कि आज सुकीर्ति इस संसार में नहीं है।'

दो शब्द रामाधारजी के विषय में। महोबे से आकर हन्होंने पक्षा में एक अनाथाज्ञय खोला था। कुछ तो बाजार से चन्दा कर लेते थे, और कुछ मासिक सहायता राज्य से मिल जाती थी। अनाथ बच्चों की अच्छी सेवा करते थे। मेरे वहाँ अक्सर आना-जाना रहता था। विचार आर्पसमाजों थे, पर बहुत कट्टर नहीं। धुन के पक्के, स्वभाव के चिङ्ग-चिङ्गे व ज़िद्दी, मगर बफ़ादार। यों कांधी, लेकिन मेरी डॉट-दपट को हमेशा सहन किया। मैंने बहुत समझाया कि अनाथाज्ञय को चलाया है तो उसे छोड़कर जाना उचित नहीं। मगर मेरी सुनी नहीं। मेरे साथ इक्काहाथाद रहना ही मुनासिब-समझा। शुरू-शुरू में एक साल दिल्ली में भी रामाधारजी मेरे साथ रहे थे, फिर घर चले गये।

मोहन-निवास से मैं खुशी-खुशी बिदा नहीं हुआ। मोहन-निवास के साथ मैंने इतना घरेलू सम्बन्ध जोह लिया था कि उसे बदलत नहीं कर सकता। नन्हे राजा और उनकी परनी के निश्चल स्नेह क्षे मैं कभी भूल नहीं सकता। उनकी धर्म-परनी को मैंने अपनी बहिन माना

और उनमें बहिन का पूरा स्मैद पाया । बहिन के स्वाभाविक प्रेम की तुलना किसके को जाये ? आश्चर्य होता है कि कवियों और कवाकारों ने हम पवित्रतम प्रेम को क्यों हतनी डरेवा को ! मैं सहज अनुभव करता हूँ कि यह सुरसरि-धारा 'कहणा' का ही दूसरा रूप है । अद्भुत और दुःखद है कि हमारा कवि-कुङ्ग प्रेम को उष्ण धारा में ही अपनी मधुमधी कहना को दुबाये रहा, उसको शोतङ्ग धारा का उसने हमें स्पर्श भी न कराया ! भोगी आँखों और भरे हुए गँडे से मैंने उस दिन मोहन-निवास से अनित्तम विदा लो । उस दिन के उस कहण-टट्ट्य को मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ ।

इतिहासाद न जाकर मैं पहले जबड़पुर गया । वहाँ "पतित-बन्धु" की छुपाई व काग़ज के बिल तुकता करने थे, और ग्राहकों को पश्च बन्द करने की दुःखसूचक सूचना भी देनी थी । इसमें मेरे दस-बारह दिन लग गये । वहाँ से सुहृद्वर पं० मालवनालालजो के प्रेम-पूर्ण आपह से तीन चार दिन के लिए मुके बेतूज जाना पड़ा । बेतूज मैं २६ वित्तमधर को पहुँचा, जिस दिन गांधोजी ने अरना इतिहास-प्रसिद्ध—१९३२ का आमरण अनशन लोडा था । मेरे सहृदय मित्र पं० मालवनालालजो तथा श्रीदीपचन्द गोठी चाहते थे कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ, और साहित्यिक कार्य के साथ-साथ कुछ रचनात्मक कार्य भी करूँ । बेतूज के पास एक सुन्दर स्थान भी उनकी दृष्टि में था । पाँच-सात महीने पूर्व जब मैं पहले-पहल बेतूज गया था, तब यह विचार मेरे सामने आया "या । मेरा मन उस सुरम्य स्थान को देखकर पहले सी कुछ खोचाया, परं हिन्दौ-विद्यापीठ के पूर्व सम्बन्ध ने, पवित्र आकर्षण ने बेतूज में बैठने

की मुझे अनुशा नहीं दी। विद्यापीठ का स्नेह बार-बार मुझे अपनी ओर लोच रहा था।

साढ़े छह वर्ष बाद मैं फिर डसी स्थान पर आगया—जमना का वही रेतीला तट, पागल राजा की वही कोठी, वही बारहदरी, अमरुदो का वही बाग् और वही हमारी प्यारी किशती। पर विद्यार्थी वे नहीं थे, जिन्हे मैं छोड़कर गया था। दस या बारह विद्यार्थी अब वहाँ रहते थे, जो सभी नये थे। वहाँ पहुँचने पर ऐसा लगा कि मैं साढ़े छह वर्ष-तक जैसे राजसिक आन्तरिक में स्वप्न-विचरण करता रहा—आँख सुली तो मैंने अपने को उसी पूर्व स्थान पर पाया, जहाँ मोह-निद्रा ने मेरी चेतना के पक्कों को बिना जानाये गिरा दिया था। धोरे-धोरे मोहक स्वप्न की उन झलकों और माँकियों को मैं अब भूलने लगा।

अद्य टंडनजी उन दिनों गोंदा के ज़ेल में बन्द थे। उनसे ज़ेल में जाकर मिला, तो मुझे यह सलाह दी कि विद्यापीठ के अपने उसी पुराने काम को फिर हाथ में लेलूँ, और साथ-साथ साहित्य-सेवा भी करता रहूँ। किन्तु मेरे सिर पर तो “पतित-बन्धु” के पुनर्प्रकाशन की खुन सवार थी। अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन का सूत्रपात हुए दस-बारह दिन ही हुए थे। मेरा मन इसी प्रवृत्ति की ओर जारहा था। गोंदा-ज़ेल में खौटकर गांधीजी को पत्र लिखा। अस्पृश्यता-निवारण के विषय पर बातचीत करने के लिए गांधीजी से ज़ेल में मिलने की आज्ञा उन दिनों हट-किसीको मिल जाती थी। मैंने “पतित-बन्धु” के प्रकाशन के बारे में खासकर पूछा था। जबाब तुरन्त मिला।

“मुझे तो टंडनजी की सूचना अच्छी लगती है। साहित्य और

भाषा-सेवा तुम्हारा कार्यचेत्र रहा है, और यह करते हुए हरिजन-सेवा भी होसके तो उसमें सब कुछ आ जाता है। 'पतित-बन्धु' के पुनरुद्धार करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं देखता। अपने बर्ताव से तुम ज्यादा प्रचार कर सकते हो। मिलना चाहो तो आवश्य आसकते हो।''

यरवडा-जेल में गांधीजी से जाकर मिला। अपनी सारी विचारधारा, मैंने देखा, अस्पृश्यता-निवारण के प्रश्न पर ही गांधीजी ने केन्द्रित कर रखी थी। दूसरे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करते थे। जेल के अंदर पूरा दफ्तर चल रहा था। मुझे अब कुछ पूछना नहीं था। मैं तो केवल दर्शन करने की इच्छा से गया था। सो वह पूरी होगई। पत्र में जो लिखा था उसीपर चलने की मुझे सलाह दी। कहा—“साहित्य-सेवा के द्वारा भी दक्षित-सेवा हो सकती है। फिर तुम्हें तो विद्यापीठ-जैसी संस्था भी मिल गई है। वहाँ बैठकर अस्पृश्यता-निवारण की प्रवृत्ति में भी तुम योग दे सकते हो।”

इलाहाबाद पाँच-सात दिन बाद पहुँचा ही था कि श्रीघनश्यामदास बिहारी का तार मिला। मुझे तुरन्त दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में बिहारी से मिलकर मालूम हुआ कि अस्पृश्यता-निवारक-संघ (अब हरिजन-सेवक-संघ) की संरक्षता में अंग्रेजी साप्ताहिक 'हरिजन' के साथ-साथ हिन्दी में भी एक साप्ताहिक पत्र निकालने का निश्चय किया गया है और उसका संपादन-कार्य वह मुझे सौंपना चाहते हैं। यह कार्य मुझे कठिन मालूम दिया, पर हस विचार से कि प्रस्तावित पत्र के द्वारा हरिजन-सेवा करने का अधिक-से-अधिक अवसर मिलेगा, मैंने हासी भरवी। टंडनजी ने दिल्ली में ज्यादा-से-ज्यादा छह महीने रहने

की ही सज्जाह दी थी। यह पंद्रहवाँ माल है—फिर भी अभी उह महीने पूरे नहीं हुए।

१६६२ के १५ नवंबर को मैं हरिजन-सेवक-संघ में आगया। मेरी जीवन-यात्रा का यह तीसरा पदाव था।

जीवन-कहानी के क्रम को यहाँ से मैं कुछ तोड़ना या मोड़ना चाहता हूँ। पाठक इस मोड़ को विवाचितर कहना चाहें तो भले ही कहें। मुझे ऐसा लगता है कि हरिजन-सेवा-विद्यक प्रकरणों में प्रवेश करने से पूर्व मैं उन संस्मरणों को लिखूँ, जो धर्म-दर्शन और तत्त्व-चिन्तन से सम्बन्ध रखते हैं, यद्यपि इस दिशा में मेरे अबतक के टूटे-फूटे प्रथलन प्रायः विफल ही रहे हैं। इसके लिए मुझे मुहकर ठेठ अपने वचनतक जाना पड़ेगा। उसी तरह, जैसे कोई अपनी वस्तु खोजने पर उसे खोजने के लिए उल्लटकर ठेठ वहाँतक जाता है, जहाँ से कि वह चला था, पर जब वह खोई वस्तु हाथ नहीं लगती, वह फिर वहाँ-का-वहाँ लौट आता है। हकीकत को वह जानता है, फिर भी उसकी याद और खोज में उसे सांत्वना मिलती है। ठीक वैसी ही दशा मेरी भी है।

: २६ :

धर्म-परिचय कहूँ ?

मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जिसमें धर्मतर्थ का परिचय करानेवाला शास्त्री तो क्या कोई साधारण पढ़ा-लिखा भी नहीं था। इस बात का पता तो बाद को चला कि धर्म की कितनी विविध व्याख्याएँ हुई हैं; और जगत् में न जाने कितने अज्ञग-अज्ञग विश्वास हैं। आज देखता हूँ कि शिक्षितों का परिचय धर्म से जिस प्रकार का होता है, 'साधकों' का धर्म उससे भिन्न होता है, और सामान्य जनता का विलक्षण तीसरे प्रकार का। रुद्धिगत विचार जहाँ निश्चयपूर्वक धातक समझे जाते हैं, वहाँ कहे बद्मूल विश्वास करोड़ों के लिए जीवन-प्रवर्तन के और शान्तिप्रद भी सिद्ध हुए हैं। तुद्धिवादी वर्ग जहाँतक प्रगति कर गया है उस सीमा पर खड़े होकर देखा, तो ऐसा जागा कि विश्लेषण करते-करते इस वर्ग का जैसे अपने आप में भी विश्वास नहीं रहा है—तर्कभाद से यह समुदाय खुद भी घबराया हुआ-सा है, पर अभागा उससे मुश्टि पाने में असमर्थ है। फिर डॉची धर्म-शोधों के लिए आज कौन गहरे उत्तरते हैं? जीवन का तात्त्विक परीक्षण कितनों के बस का है? किन्तु सामान्य जन आज भी धर्म को अन्धे की लकड़ी की तरह

पकड़े दूए हैं। ऐसे ही एक घर में मेरा जन्म हुआ, और वहीं में बड़ा हुआ, जहाँ पूछने पर धर्म-तत्त्व का न कोई अर्थ बतला सकता था, और न किसीने धर्म की कभी गहरी साधना ही की थी। वर्षा के बाद जैसे भूमि जल को अपने अंतर में सोख लेती है, उसी तरह धर्म के कितने ही तरच, अज्ञात रूप में, जनसाधारण के जीवन में प्रविष्ट होगये हैं, जो ऊपर से दिखते नहीं, जिनका तर्क द्वारा पर्यवेक्षण लगभग अशक्य-सा होगया है। श्रद्धा को छोड़कर करोड़ों का कोई दृमरा बल या सहारा है ही नहीं। इस श्रद्धा की ही बड़ौलत उनका जीवन इस एकदम मूखने नहीं पाया। राम का नाम, गंगा का जल, सन्तों की वाणी—ये सब आज भी उनके लिए तारक हैं। इनके सहारे अपनी मामूली जीवन-यात्रा वे ठीक ही चला ले जाते हैं। कहने का यह आशय नहीं कि इस प्रकार की सामान्य जीवन यात्रा को मिथ्याचार कल्पित नहीं करता। तात्पर्य तो केवल हतना ही है कि करोड़ों के इस सामान्य धर्म-श्रद्धा के सहारे चलनेवाले मांसारिक जीवन में ईमानदारी से देखा जाये, तो उतना मिथ्यात्म या दम्भ नहीं दिखता, जितना कि धर्म को अभिमान-पूर्वक दुकरा देनेवाले तथाकथित सुसंस्कृत जीवन में देखा गया है। सचमुच उतना लोभ, उतना मोह, उतना असत्य साधारण धर्मभीर प्रजा में कहाँ देखने में आता है ?

हमारे घर में बालमुकुन्द और सालिगराम की नित्य नियम से पूजा होती थी। पूजा कभी मेरे नाना करते थे और कभी मामा। भोग नित्य आठ-दस बतासों या चिरौंजी-दानों का जागता था। प्रसाद के लोभ से मैं शान्तिपूर्वक पूजा की समाप्तिक वहीं बैठा रहता। 'शान्ताकार' मुझ-

'शब्दनम्' इलोक सुने कराएँ करा दिया था। पीछे मेरे नाना ने 'रामरक्षा स्तोत्र' रटा दिया। हमारे पड़ोसी लाला चिन्तादरण मिथ्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किया करते थे और उच्चवस्त्र से महिमनस्तोत्र का पाठ। उनकी यह शिव-अर्चा भी मैं ध्यान से देखा करता। मेरे नाना कृष्णपन से ही सुने धनुषधारीजी तथा विहारीजी के मन्दिरों में दर्शन कराने अपने साथ ले जाया करते थे। रावसागर पर वैरागियों की बड़ी-बड़ी जमातें आकर पहाड़ ढालती थीं। जमातों का दर्शन करने नर-नारियों की भीड़ उमड़ पहतो थी। वैरागियों की सन्ध्या-आरती में सुने बड़ा आनन्द आता था। प्रमाद भी वहाँ खूब अच्छा मिलता था।

कृष्ण-जन्माष्टमी का उत्सव छत्तरपुर के मोहल्ले-मोहल्ले में मनाया जाता था। अष्टमी को मौक़ोंकी मैं बड़े चाव से सजाया करता था। बचपन के उस उद्घाह का मैं वर्णन नहीं कर सकता। कभी कीर्तन होता था, कभी रामलीला। दर्शनार्थियों का रात के बारह बजेतक ताँता लगा रहता था।

जब कुछ बड़ा हुआ, तो हनुमानजी के मन्दिर में जाने लगा। 'हनुमान-चालीसा' और 'हनुमान-बाहुक' का पाठ भक्ति-भाव से किया करता। चैत और क्वार के नवरात्र में रामायण के कई नवाह-पारायण भी किये थे। पर तब मेरी आयु चोदह-पन्द्रह साल की थी। जब नौ-दस वर्ष का था, तब रामलीला के राम-जन्मयण मेरी इटिं में सचमुच के राम-जन्मयण होते थे। मेरी यही भावना रासलीला में भी रहा करती थी। 'माल्लन-बोरी' की लीला सुने कितनी प्रिय लगती थी। "मैया मेरी, मैं नहिं माल्लन लायो"—यह सुन्दर पद आज भी मेरे

कानों में वैसा ही गूँज रहा है। बारह-तेरह वर्ष की उम्रतक मेरे मन में कभी कोई शंका नहीं उठी। शंका उत्पन्न होने का कोई पेसा कारण भी सामने नहीं आया था। मैं नहीं जानता कि वह मेरी धर्म-भावना थी या क्या थी; जो भी हो, मेरी वह भावना या बाल-भावुकता जिःसंशय थी, और अपने आप में सम्पूर्ण थी। मेरी आज की इस 'ज्ञानावस्था' की अपेक्षा—मैं जानता हूँ कि यह शब्द-प्रयोग सही नहीं है—उब की वह अज्ञानावस्था कहीं अधिक आननददायिनी थी। किन्तु बाल्यावस्था सदा कहाँ रहनेवाली थी? आज न अपने पास निश्चया लमक बोध है और न वह चर्चापन का सरल अबोधपन। भोली भावना का खिलौना हाथ से छिन गया और अधूरी जानकारी का ठीकरा थमा दिया गया। मगर कुड़ने से अब क्या होता है? नव प्रभात का वह सुमहला किरण-जाल अब लौटने का नहीं।

मूर्ति-पूजा और अवतारवाद के विरोध में जब पहले-पहल छतर-पुर में एक भावण सुना तो बदा तुरा लगा। वक्ता के तकों का काटना कठिन था। सुनकर दुःख ही हो सकता था। उन्हीं दिनों सनातनधर्म के प्रसिद्ध उपदेशक पंडित कालुराम शास्त्री आये हुए थे। उनके द्याक्षणों की बड़ी भूम थी। मूर्ति-पूजा के विरुद्ध जिन सज्जन ने भावण दिया था वे छतरपुर के ही थे। संस्कृत के वे प्रकाशद परिषद थे। नाम उनका पंडित रामदयालु ज्योतिषी था। कालुराम शास्त्री कोई बड़े विद्वान् नहीं थे। किन्तु आचर्षसमाजियों को गालियाँ देने में बड़े पढ़ थे। शास्त्रीजी से प्रेरणा पाकर स्थानीय पंडितों ने रामदयालु ज्योतिषी पर मान-हानि का मामला लेला दिया। आरोपियों की तरफ से

मैंने भी गवाही दी थी, यद्यपि उन्न मेरी तब मुश्किल से चौदह वर्ष की रही होगी। आज अपने उस अज्ञानपन पर हँसी ही आती है। विद्वान् वक्ता ने हृतना ही तो अपने भाषण में कहा था कि, ‘‘ईश्वर पूर्ण है, अस्वरुप है, जब कि मूर्ति को खण्ड-खण्ड किया जा सकता है।’’ आर्य-समाज का तब मैंने नाम भी नहीं सुना था। इलाहाबाद में जब आर्य-समाज से परिचय हुआ, तब भी उसके बहुत से खंडनात्मक विचारों से मैं असहमत ही रहा। सनातनधर्मियों की भी खंडनात्मक प्रवृत्ति कभी अच्छी नहीं लगी। संभव है कि इस आर्हति का कारण मेरी तकनी-तुर्थ-क्षता हो। वाद-विवाद में उत्तरने से मैं हमेशा ढरता व मेपता-सा रहा।

इस खंडनात्मक भाषण ने, फिर भी, मेरी सरल भावना के अन्दर एक महीन दरार ढाक दी दी। उस दरार में से संशय-कोट भीतर घुस गया। दुर्भाग्य से एक पुस्तक भी हाथ में पढ़ गई, जिसमें खंडन-मंडन किया गया था। मैं उसे पढ़कर अधिक समझ नहीं सका, पर मेरी कोमल श्रद्धा को झकझोरने के लिए उत्तरा ही काफ़ी था। मगर रामायण पढ़ने का शौक लग गया था, इसलिए मैं बहुत छगमगाया नहीं। एक बार तो कीटाणु नष्ट होगये। भीतर का मामूली-सा संघर्ष अपने आप वहीं दब गया। तुकसीकृत रामायण का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। आज भी, जब कि मेरी विचार-धारा अनिश्चित-सी ही है, रामायण से— वृश्चिक-भर के लिए ही सही, संतुष्टि और शान्ति मिल जाती है। रामायण का अर्थ तब बहुत ही कम समझ में आता था। घर में जो सुखे पत्रों की रामायण थी, उसपर वह बाबा रामचरणदास की टीका थी। भाषा टीका की अवधी थी, शैली भी विचार। एक दूसरी टीका देखकर अर्थ

खोगाया करता था, जिसका नाम सुनें स्मरण नहीं आरहा। किन्तु अर्थ से भी अधिक रामायण के गाने में आनन्द आता था। कितनी ही सुन्दर चौपाईयाँ कहल करली थीं। अयोध्याकाशड और उत्तरकाशड का अपूर्व रसास्वादन तो बहुत पीछे किया। मेरे जीवन के वे ज्ञान सचमुच धन्य हैं, जब रामायण से मेरा प्रथम परिचय हुआ, प्रेम बढ़ा, और उसका रसास्वादन मिला। भाषा-शिवपुराण, ब्रज-विज्ञास और शुक्लागर ये तीन ग्रन्थ भी मैंने बचपन में ही पढ़े थे। ब्रज-विज्ञास में मन नहीं लगा। शुक्लागर अच्छा लगता था। किन्तु रामायण को हनमें से एक भी नहीं पाता था। 'विनयपत्रिका' के रस का चक्का जब पाया, तब हृदय ने बही उत्कुरुज्ज्वला अनुभव की। पर यह तो बाईंस बरस की दम्र के बाद की बात है।

॥ ३ ॥

अपर मैंने कहा है कि बाद-विवादों में पढ़ने से मैं ही बहुत खेलता रहा। विविध बादों का धोका-सा अनुभव तो बहुत पीछे किया, और यह अब जाना कि तर्क बुद्धि का अतिप्रयोग या दुरुप्रयोग कहींतक किया जा सकता है, या मनुष्य को वह कहाँ से कहाँ के जाता है। अनीश्वरवाद या अनात्मवाद को भी मैं तर्क बुद्धि का दुरुप्रयोग नहीं कहूँगा। मेरा आशय तो यहाँ 'अनीश्वरवाद' से है। इसका पठा सुने पढ़ने नहीं था। सुना तो यह था कि बाद करते-करते मनुष्य 'आत्म-बोध' को प्राप्त कर लेता है; किन्तु अब देखता हूँ कि 'बाद' जब उपेषाः, अविश्वास और तिरस्कार का आश्रय ले लेता है, तब उसके हारा किसी भी प्रकार का सद्बोध होना संभव ही नहीं। 'हससे क्या होता है', 'उससे क्या होगा' आदि प्रश्नों के उत्तर जब व्यर्थता को जब्त में रक्षकर प्रसन्नकर्ता

स्वयं ही दे लेता है, तब बोध प्राप्त करने की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उसकी जिज्ञासा-वृत्ति तब जबता का रूप ले लेती है।

यह सही है कि मैं धर्म या नीति के आचरण पर दृढ़ नहीं रह सका, पर उसके विरुद्ध कहना-मुनना कभी सुचिकर नहीं हुआ। कई बड़े-बड़े बुद्धिशालियों की दब्लीजें पढ़ीं और सुनीं। पर उनसे खास प्रभावित नहीं हुआ। यह बात नहीं कि मेरी बुद्धि इतनी ज़द है कि उसपर उनका कोई असर नहीं पड़ता। नहीं; स्वभाव ही कुछ ऐसा बन गया है कि तकँपुष्ट भौतिकता की ओर वह अधिक आकर्षित नहीं होता—विज्ञान द्वारा सिद्ध उसकी इतनी बड़ी ऊँचाई नीति के आगे नीचों और कच्ची बुनियाद पर ही टिकी मालूम देती है। मेरे एक हिसाबी-किताबी मित्र हैरान रहते थे कि तथ्यों और आँकड़ों के राजमार्ग पर चलनेवाला मनुष्य अध्यात्म और धर्म पर भला कैसे विश्वास कर सकता है! उनकी राय थी कि, गणित-शास्त्री या विज्ञानवादी अध्यात्म और नीति की मूर्खतापूर्ण धारणाओं के फंदे में भला कैसे फैस सकता है? उनकी दब्लीजों को तुपचाप सुन लेता था। मगर उन्होंने मेरे मौन का कभी यह अर्थ नहीं लगाया था कि मैंने उनकी विचार-धारा को स्वीकार कर लिया है। मैं यह जानता हूँ कि अच्छे-अच्छे गणित-शास्त्रियों एवं विज्ञानवादियों ने अध्यात्म और नीति-धर्म में अपना विश्वास अंततक कायम रखा है। और केवल तथ्य-आँकड़ों के सहरे चलनेवाले अनेक विज्ञानवादियों को असहाय और रोते हुए भी देखा गया है। ऐसी घटनाओं ने जगत् में धर्म-धर्म को समय-समय

पर उच्छवन्त ही किया है।

साथकों और संदों ने और उनका डलटा-सीधा अनुसरण करने-वाले जनसाधारण ने शायद इसीलिए इन विविध बादों की सदा उपेक्षा ही की। खंडन-शस्त्र का भी कभी-कभी सहारा लिया गया सही, पर उसमें और शास्त्रियों के खंडन में अंतर रहा। असत् का निराकरण उतना तर्क के शस्त्र से नहीं किया, जितना कि अपनी जीवन-साधना के प्रखर आकौक में। उस छोकोत्तर आळोक से विप-हियो की युक्तियाँ स्वतः निस्तेज पढ़ गईं। अनासक्तिवाद, शून्यवाद, स्याद्वाद और मायावाद को शास्त्रीय सूचमताओं को कितनों ने आत्म-सात् किया होगा? करोड़ों नर-नारियों का उद्धार तो इन बादों के प्रत्यर्तक कृष्ण, बुद्ध, महावीर और शंकर की जीवन-साधनाओं ने किया है। उन्होंने कुछ खोया नहीं।

परम्परा-प्राप्त अद्वा के सहारे राम और कृष्ण की पूजा करनेवाले धर्मभीर घर में जन्म लेकर मैंने भी खोया नहीं, बल्कि कुछ पाया ही। और अधिक भी पा सकता था, पर दोष मेरे निर्बंध काँपते हुए हाथों का था, जो प्राप्त वस्तु को ठीक तरह से संभाल नहीं सके।

३०

अब डगमगाया

सही या ग़लत अद्वा जितनी पहले स्थिर थी, उतनी बोस-इक्कीस वर्ष की अवस्था में नहीं रही। बाल्यावस्था की वह भक्ति-भावना कुछ और ही थी। परिस्थितियाँ भी अब वैसी अनुकूल नहीं थीं। न मेरी वह विद्यार्थी की अवस्था थीं, न गृहस्थ की। मन ढाँचा-डोल-सा रहने लगा था। अद्वा डगमग होरही थी। अपने ही विचार अब बनावटी-से मालूम होते थे। इस असें में नये-नये विचारों की कुछ पुस्तकें पढ़ने को मिलीं, और उनमें से हर कियोने मुझे अपनी ओर खींचा। ज़रा-से फटके से खिंच जाता था। मन कभी तो भगवद्-भक्ति की ओर दौकता, और कभी विरक्ति की ओर। किन्तु पेट की चिन्ता सबपर पानी केर देती थी। मुझसे तो वे ही सब अख्ले थे, जो चार पैसे कमाते थे, और म़ज़े से गृहस्थी चलाते थे। उनको भी धर्म-अद्वा भले ही डगमग हो गई हो, उन्हें उसकी काँह चिन्ता तो नहीं थी। अपनी सहज बास-नाओं से उन्हें न तो बैराम्य हुआ था, और न किसी अदृष्ट वस्तु पर उनका कुछ अनुराग ही था। इसके विपरीत, मेरी विचित्र मनोभावनाएँ उदर-पूर्ति के उद्यम में बाजा उपस्थित करती थीं, खाली पेट उन्हें भी

स्वस्थ्य-कर पोषण नहीं मिल रहा था ।

पिछ्के प्रकरणों में, जैसा कि मैं लिख लुका हूँ, इन्हीं दिनों मुझे एक के बाद एक तीर्थाटन करने का सुयोग मिला । कितने ही नये-नये अनुभव इन यात्राओं में प्राप्त हुए । गृह-चिन्ता भी कुछ कम हुई । अनेक पंहिलों व साहु-सन्तों से मिलने-जुलने का अवसर मिला । कई सम्प्रदायों के निकट परिचय में आया । किन्तु धर्म का तत्त्व कुछ भी समझ में न आया; समझने की बैसी चेष्टा भी नहीं की । प्यास छागी हो और पानी न मिले तब तड़पन का अनुभव हो । मेरी पेसी अवस्था तो थी नहीं । श्रद्धा की झुँझली भी मुखक-भर दिखाई देती थी, किन्तु धर्म-तत्त्व की पिपासा अनुभव नहीं होती थी, यही कहना ठीक होगा । एक तो वैवाहिक बन्धन में नहीं पड़ा था, दूसरे अकाहार त्याग दिया था, और फिर भक्ति-प्राहित्य का अध्ययन किया करता था--इस सब उपरी नवरचना की भिन्नों पर यह छाप पड़ी कि मैं एक स्थानी, तपस्वी भक्तिमार्ग का साथक हूँ । मध्य सम्प्रदाय का लम्बा विलक लगाता था, गले में तुलसी की कंठी पहनता था, और उच्चस्वर से वैष्णव-स्तोत्रों का पाठ किया करता था । लोग तो मानते ही थे, मैं भी अपने को वैष्णव मानने लग गया था । यो वैष्णव तो आज भी मैं शायद अपने-को मानता हूँ, किन्तु तब के उस अर्थ में नहीं । तब मेरी अहंभावना काफी बढ़ गई थी, जो 'अवैष्णव' का एक महान् लक्षण है । तत्त्व-जिज्ञासा और धर्म-शोध की आवश्यकता ही नहीं रही थी ।

विवेकानन्द और रामतीर्थ का साहित्य पहले भी कुछ-न-कुछ पढ़ा था । उसे फिर एक बार ज्यान से देखा । 'उपदेश-साहस्री' और 'स्वाराज्य-

सिद्धिः' को भी समझने का प्रयत्न किया । एक-दो प्रकरण 'योग-वासिष्ठ' के भी पढ़े । इस अद्वैतवादी अध्ययन से मेरा वैद्यावी रंग फीका पड़ने लगा । अब जब मुझे कोई नमस्कार करता, तब उसका प्रत्यभिवादन में 'शिवोऽहम्' से किया करता । दूसरों को अज्ञानी और तुच्छ समझता था । क्योंकि सम्पूर्ण ब्रह्म तो मैं था, दूसरे तो माया के विभिन्न रूप थे । कुछ-कुछ उद्घृत और वाचाक भी बन गया था । किन्तु दृश्यमात्र मिथ्या है, अनात्म है, इस भावना का जब चिन्तन व ध्यान करता, तब सचमुच एक आनन्द की अनुभूति होती थी—और वह अनुभूति आज भी होती है, पर टिकती एक लग्न भी नहीं, विजली की तरह कभी-कभी अन्तराकाश में कौश-भर जाती है । रसिक भक्तों की मणिडली मुझे देखकर अब विद्यकी थी । छतरपुर का एक प्रसंग मुझे याद आ गया है । एक मन्दिर के दाखान में रात को कुछ रसिक भक्तों का मत्संग हो रहा था । मेरे मित्र स्व० देवीप्रसादजी 'प्रीतम्' भी, जो विजावर से आये हुए थे, इस रसिक-गोष्ठी में उपस्थित थे । श्रीसीता-राम के लीला-रहस्य की गूढ़तिगृह व्याख्या की जा रही थी । भक्तजन अपने-अपने लीला-अनुभव, कोई जागृत अवस्था के और कोई स्वप्न-दर्शन के, सुना रहे थे । किसीके नेत्रों से तो अधुपात हो रहा था, और कोई गद्यगद कंठ से नाम-स्मरण कर रहा था । मैं वहाँ अचानक जा पहुँचा, और द्वार पर खड़े होकर दो मिनिट ही रसिक-गोष्ठी का सत्संग-लाभ लिया होगा कि सब चौंकने होगये । एक रसिक ने धीरे से कहा—“अनधिकारी, अनधिकारी ! !” दूसरा बोला—“कंटक, कंटक ! !” मैं झोर से हँस पड़ा, और गुनगुनाने लगा:--

हमका उढ़ावै चदरिया, चलती बिरियाँ !

प्रान राम जब निकसन लाग,
उलटि गई दोड नैन पुतरियाँ !!

चुप होगये सब । हजावे में नमक की ढक्की पड़ जाने से मज़ा सारा किरकिरा होगया । बाचाल तो मैं हो ही गया था । उन लोगों के साथ बहस करने लगा । शङ्कारी लीला-रहस्य की मैंने तिरस्कारपूर्वक खूब सिलखी उड़ाई । मेरे अनधिकार-प्रवेश और शुष्क संलाप से रसिक राम-भक्तों को बड़ा बुरा लगा । एक रसिक ने, मुस्कराते हुए दूसरे रसिक से कहा—“भगवत्-रसिक, रसिक की बातें रसिक विना कोई समझ सके ना ।” मैंने माना कि मैं अरसिक ही अच्छा; तुम्हारा वह-गोपनीय रहस्य समझने के लिए तुम्हारे जैसा रसिक बनना मुझे मंजूर नहीं । दूसरे दिन, मैंने उन रसिक भक्तों से अपने घृण्टापूर्ण बताव के लिए तो माकी माँगली, पर उनके गुह्य लीला-रहस्य के विरोध में जो कुछ कहा था उसपर ज़रा भी पश्चात्ताप नहीं हुआ ।

बज का मधुर साहित्य मैं कुछ-कुछ पड़ चुका था । रसिक कवियों के मधुर भाव चुरा-चुराकर स्वयं भी मैंने कुछ अर्द्धशङ्खारी पदों की रचना की है, तो भा उस साहित्य की मेरे मन पर कोई अच्छी छाप नहीं पढ़ी । शङ्कार-प्रधान भक्ति-साहित्य से अच्छग रहने में ही मैंने अपना तथा दूसरों का हित समझा है ।

इस तरह मेरी आयु के दस-बारह वर्ष और खिसक गये । पहली बासी मेरी पार होगई । मगर सत्य-शोष का प्रयास शुरू भी नहीं किया था । विचार हमेशा अस्थिर रहते थे । जो भी पढ़ता था सुनता डसी

की और उस समय दुखक जाता था। विषय-वासनाओं का रंग-मात्र कुछ बदल गया था; उनके रूप में कोई कमी नहीं आई थी। मनो-विकारों का वेग लगभग वैसा ही था। और आज भी ऐसा खास क्या अन्तर पड़ा? अन्तर में कुछ खोजने-तलाशने का कभी-कभी मन होता था—और प्रायः उद्विग्नता की मनोदशा में। पर संकल्प मेरा टिकता नहीं था। निश्चय दुर्बल ही रहा। निश्चय किया, और तत्काल फिसड़ा। तो भी यह डार्वाँडोल मनःस्थिति खलती नहीं थी—न धिक्कारती थी। शायद ही कभी ऐसा लगता था कि संकल्प का पर्दा ढालकर मैं अपने-आपको धोखा देरहा हूँ।

रोग असब यह था कि मैं अद्वा से हाथ धो बैठा था। सगुण साकार हैश्वर पर से तो अद्वा उठ ही गई थी, निरुण्य निराकार पर भी नहीं जम रही थी। ब्रह्मवाद ओडों पर ही रहता, गले के नीचे नहीं उतरता था। 'शिवोऽहम्' की रट भी अपने-आप कूट गई। स्तोत्रों का पाठ भी कूटा-सो-कूटा। मन कही भी तो नहीं ठहरता था। भातर काकी जगद् खाद्यी-खाद्यी-सी लगती थी। वहाँ कुछ भरने को भी नहीं था। मनोविकार भी अधिक नहीं टिकते थे। आते, और ढोकर लगाकर छले जाते। मनोमोहक प्रपञ्च अपनी ओर सीधता अवश्य था, पर दो ढग आते बढ़ा कि ढोकर खाकर गिर पड़ा। कैसी दैन्यावस्था थी मेरी! अक्सर मुँह से निकल पड़ता, और आज भी कि—“दो में एकहु तो न भई; ना हरि भजे न गुइ-सुख पाये, ऐसेहि आयु गई!” कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था। प्रत्यक्ष जगत् को कलिगत मानने का त्रिलक्षण प्रयत्न किया, और जो अप्रत्यक्ष था, वहाँ पहुँचने का मेरी

दुर्बल कल्पना ने कहसाध्य प्रयास किया। अक्षर होता था कि हो-तीन वक्त के अरसे में मैंने बहुत-कुछ लोया ही-खोया है। अद्वा हाय से निकल गई, आत्म-विश्वास मैंवा दैठा, और प्रेम की हवा भी न छोड़ने वी। अद्वैतवाद के पंख चिपकाकर बद्धलोक में उड़ने की चेष्टा की; और इस व्यथे चेष्टा ने रोज़मरा की परिचित भूमि पर चलने का अभ्यास कुछ दिया—पंखों की माया ने मेरे अपने पैरों को पंगु बना दिया।

कुछ दिन तो मन बड़ा अस्थिर व अशात रहा। मेरे एक हित-चिन्तक मित्र ने सज्जाह दी कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। उनकी दलील थी—“तुमने दुनिया से भागना चाहा, पर तुमने देख लिया कि तुम्हारा यह प्रयत्न आसान नहीं था। तुमने पुस्तकें पढ़-पढ़कर आप्रस्यज वस्तु को पकड़ना चाहा, और तुम बुरी तरह विफल हुए। तुम आज कहाँ रहे हो, तुम्हें इसका भी तो पता नहीं। तुम्हारा कोई आधार नहीं, कोई अवलम्बन नहीं। हवा में अधर यो कबतक उड़ते रहोगे? सामने तुम्हारे समुद्र पढ़ा है, इसे आखिर कैसे पार करोगे? अद्वा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है; ज्ञान अपने पास कटकने नहीं दे रहा है, अनुभव हांता तो वही तुम्हारा जीवन-यात्रा में कुछ सहारा देता। तुम्हारी पेसी दैन्यावस्था है। आज अब भी यह दुस्साहस छोड़ दा। अभी बहुत दूर नहीं आये हो। मुड जाओ। सबकी तरह तुम भी जीवन के उसी रास्ते पर चलो, जो न नया है, न शंकास्पद है। आशय यह कि अपना कोई जीवन-साथी छूँ दलो। विवाह-बन्धन स्वीकार कर लेने से यह होगा कि तुम्हारा मन इस तरह खाली या डावौंडोक नहीं

रहेगा। और धर्म-तत्त्व भी कभी-न-कभी हाथ लग सकता है। तुमने नासमझी से जटिलात्री में जो यह अटपटा-सा रास्ता पकड़ लिया था उसे अब छोड़ दो। भाई, मेरी इस नेक सजाह को मानलो।”

दक्षिण को मैंने ध्यान से सुना। उसमें मुझे कुछ सार भी दिखाई दिया। मैं योद्धा सोच-विचार में पड़ गया, तो भी उन मित्र के सुझाए आर्ग को प्रहरण न कर सका। मैंने देखा कि पीछे मुड़कर रास्ता बदलने के लिए भी काफी साइर और बल चाहिए। वह मैं खो बैठा था। दूसरे, अबतक जितनी यात्रा तय कर चुका था उसे बिलकुल व्यर्थ भी नहीं मानता था। यह भी आशा थी कि आगे चलकर शायद यह परेशानी न रहे। नादानी से ही सही, एक बार जब मैं कदम रख चुका हूँ, तब उसे पीछे हटाना ठीक नहीं समझा। और गृहस्थ-जीवन में ही जिश्चित रूप से सुख-शांति कहाँ है? माना कि वासनाओं को अनुकूल विषय मिल जाने से कुछ काल के अनन्तर उनकी तीव्रता कुछ मन्द पड़ जाती हो, पर उनका शमन कहाँ होता है? मन बैसा खाली नहीं रहता, कुछ उलझा या फँसा रहता है, और चिन्तन की ओर से अचेत-सा हो जाता है। मगर मेरे रोग का कारण कुछ और भी है। इस बेकारी ने ही मेरी अन्तःस्वस्यता का नाश किया है। सो अब मुझे किसी-न-किसी काम में जग जाना चाहिए। और अधिकच्चे ज्ञान को लेकर हम वैदान्तविषयक पुस्तकों का बहुत पढ़ना भी छोड़ देना चाहिए। मैं इस गरिष्ठ मिठाई को पचा नहीं सकता। यह मानसिक पीड़िया मुझे इसी अपच-विकार से हुआ है। इसे दूर करना होगा।

इस छाँवाडोक स्थिति में एक दिन पूजा धर्ममाला के बहुत ज्ञोर देने पर जिसे अहंकारपूर्वक भुखा बैठा था उस कामदुबा 'विनय-पत्रिका' की मैंने किर एक बार शरण ली । ऐसा लगा कि अपनी जिस महानिधि को मैंने खो दिया था, वह किर बिना आयास के मिल गई । कुछ शांति भी मिली । अद्वा को सुनहरी रेखा किर एक बार दिखाई दी ।

: ३१ :

एक पुण्यकथा

धूठे प्रकरण में स्व० श्रीकमलकुमारीदेवी का मैंने उल्लेखभाक्र-
कया है। जिन्होंने मेरी डगमगाती धर्म-शब्दों को सहारा दिया था,
जिनके पवित्र वास्तव्य ने जीवन के अँधेरे महदेश में भटक जाने से
मुझे बचाया था, जिनका पुँछला-सा ध्यान आज भी मेरे स्वप्न-उद्यान
को हरा कर देता है, उन धर्ममाता की संचिप्त पुण्यकथा मैं इस प्रक-
रण में दूँगा।

ब्रह्मपुर-नरेश महाराजा विश्वनाथसिंहजी की यह पहचान पत्नी
और ओरछा के महाराजा प्रतापसिंहजी की उपेढ़ पुत्री थी। अनेक
सुसंस्कार इन्होंने अपनी साध्वी माता से पाये थे। त्याग, तप और
तितिष्ठा की दीक्षा माता ने ही इन्हें दी थी। पति के साथ सर्वारिक
सम्बन्ध नहीं बना। जीवनभर विरागिनी ही रहीं। सत्संग, धर्म-प्रन्थों
का अनुशीलन, भजन-कीर्तन, ब्रह्म-उपवास एवं सीर्थ-यात्राएँ, यहीं उनके
जीवन का क्रम रहा। सत्संग करते-करते धर्म-तत्व का खाला अच्छा
ज्ञान होगया था। सैकड़ों दखोक और पद कंठाग्र थे। चारों देव्युद-
सम्प्रदायों से तो निकट का सम्बन्ध था ही, हौव सिद्धान्त का भी अच्छा

ज्ञान था। राम, कृष्ण और शिव तीनों ही उनके उपास्यदेव थे।

जीवन एक निश्चित क्रम से चलता था। जो क्रम एक बार बना लिया उसपर अनुत्तक रुद्र रही। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह दिन के कितने ही कठिन उपवास किये थे। उपवास का भंग कभी बीमारी में भी नहीं किया। स्नान, पूजन, सत्कंग आदि का क्रम उपवास के दिनों में भी उयों का-त्यों चलता था। शरीर में स्फूर्ति, सुख पर तेज और मन में प्रसन्नता उन दिनों भी मैंने वैसी ही देखी। तपःसाधनाओं में अनेक विघ्न-बाधाएँ आईं, बड़ी-बड़ी यत्रणाएँ भी पाईं, पर सब क्लेशों को हँसते-हँसते ही भहन किया। उनकी धर्म-श्रद्धा दिन-दिन उबलत ही होती गई। उनकी-जैसी कठिन साधना मेरे देखने में तो अन्यत्र नहीं आई।

मेरी धर्ममाता ने अनेक तार्थ-यात्राएँ की थीं। सर्व साधन सुलभ होते हुए भी बहुधा रेल के तोसरे दरजे में मुसाफिरी करती थी। पैदल भी खूब चलती थी। ब्रह्मगिरि की उनकी बहु कठिन यात्रा मुझे आज भी याद आरही है। जेठ का महीना था। पर्वत की बड़ी-बड़ी शिलाएँ तबे की तरह तप्त हो गई थीं। पूजा समाप्तकर ठीक बारह बजे प्रद-लिया देने के लिए चलदीं। उस दिन उनका एकादशी का निर्जल व्रत भी था। पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थीं। बृद्धा नौकरानी ने भी उनका योद्धा दूर अनुगमन किया, पर चल नहीं सकी। दयाद्रि^१ होकर अपनी साको से धिनियाँ चोरकर उसके पैरों पर लपेटवीं, पर खुद नंगे पैरों ही उन्होंने ब्रह्मगिरि की दो-दोहरी कोस की प्रदलिया जेठ की दुष्पहरी में लिया विभ्राम लिये, राम-नाम जपते हुए, पूरी की। चित्र-

कूट के कामदण्डि को परिक्रमा तो उन्होंने एक ही दिन में दो-दो, तीन-तीन बार दी थी। तिश्वपति-बालाजी के ऊंचे शिखर पर भी पैदल ही चढ़ी थीं, संगी-साथियों को ढोक्की पर भेज दिया था। बड़ो-नाय की यात्रा में मैं साथ नहीं था, पर मैंने सुना था कि ठेठ सतोपथ-तक पैदल ही गई थीं।

यात्राओं के ऐसे कितने ही संस्मरण हैं, जो एक-एक करके याद आ रहे हैं। उनमें से दो संस्मरण में यहाँ दे रहा हूँ।

जहाँतक मुझे याद है, पहला १६२० का प्रसंग है। मकर-संक्रान्ति का पवर्णनान करने हम लोग गंगा सागर जा रहे थे। शाम को मामूली-सा तूकान आ जाने से हमारे जहाज का लंगर ढाल दिया गया था। योड़ी देर बाद समुद्र स्थिर हो गया। चाँद निकल आया। चारों ओर जैसे दूध का केन-हो-फेन दृष्टि आता था। ऐसा सुन्दर ध्वनि दृश्य मैंने पहली ही बार अपने जीवन में देखा था। सागर का वह स्थल तो शांत था, किन्तु माँ का चारपल्य उमड़ रहा था। जहाज की छत पर रात को कोई एक बजे उन्होंने मुझे बड़े स्नेह से भक्ति-मार्ग का उपदेश किया। मैं मन्त्र-मुग्धवत् उनके दिव्य प्रवचन को सुनता रहा। अन्त में जब, विनय-पत्रिका का “हरि तुम बहुत •अनुग्रह कीम्हो” — यह पद मधुर सुर से गाया, तब उनको अकित-चिह्निता को देखकर एक चण के लिए मैं अपने-आपको भूल गया। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि उस समय उन्हें देह का कुछ भी भान नहीं था। और से प्रेमाञ्जु वह रहे थे। मुख पर एक अर्द्ध तेज मज़क रहा था। मैं चरणों पर निर पक्षा। चेतना आने पर माँ मेरे सिर पर हाथ फेरने लगीं। जीवन में

उन स्वर्गीय लोगों को मैं कभी भूलने का नहीं। पर मैं उहरा अभागा :
मेरी उस अबोध अवस्था में उन्होंने मुझे जो अनमोल भक्ति-रस दिया,
वह मेरे अनेक छिद्रोंवाले हृत्याक्र में ठहर न सका।

दूसरा चिरस्मरणीय प्रसंग नाथद्वारे का है। हमारे साथ एक बूढ़ी
जौकरानी थी। यह प्रायः प्रत्येक तीर्थ-यात्रा में साथ जाती थी। एक
दिन हसे जीर का तुखार चढ़ आया। हम सब जोग मन्दिर में दर्शन
करने चले गये थे। उसका जड़का कल्लू भी डेरे पर नहीं था। मेरी माँ
अधबीच से ही लॉट गई, किसीसे कुछ कहा-मुना नहीं। आब घरटे
बाद मन्दिर से आकर मैं देखता हूँ कि चुपचाप बैठी बीमार बुदिया
के पैर ढाबा रही है। उस बेचारी को कुछ पता भी नहीं था। बेदाश
पहाँ थी। मुझे आश्चर्य-चकित देखकर इशारे से चुप रहने का कहा।
मैं एक तरफ वहीं चुपचाप बैठ गया। धीरे से कहने लगा—“बेटा,
यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस ग्रीबनी ने तो मेरी बरसों सेवा की
है। यह बुदिया तो मेरी माँ के समान है। मन्दिर मैं आज इसीलिए
नहीं गई। सेवा का यह पुरुष-जाम वहाँ कहाँ मिलता ? यह भी तो
भीनाथजी की ही अराधना है।” उनकी वह स्तुत्य सेवा-परायनता
देखकर मेरा गङ्गा भर आया।

‘गुणज्ञप्रिया’ उपनाम से उन्होंने ब्रजभाषा में बहुत-से सुन्दर पद
भी रचे थे, जिनका संग्रह उनके स्वर्गवास के पश्चात् मैंने प्रथाग से
‘गुणज्ञप्रिया-पदावली’ के नाम से प्रकाशित किया था। उसमें से एक
पद यहाँ उद्धृत करता है:—

नाथ अनाथन की सब जानें ।
 ठाड़ी द्वार पुकार करति हैं,
 स्त्रवन सुनत नहिं, कहा रिसानै ?
 की बहु स्वोटि जान जिय मेरो,
 की कल्पु स्वारथ-हित अरगानै ?
 दीनबन्धु मनमा के दाता—
 गुन औगुन कैधौं मन आनै ?
 आप एक, हम पतित अनेकन,
 यही देखि का मन मकुचानै ?
 भूठोहि अपनो नाम धरायौ,
 समझि रहे है, 'हमहि मयानै' !
 तजौ टेक मनोहन मेरं,
 'जुगलप्रिया' दीजै रम-दानै ॥

मेरी धर्ममाता की साधना, सत्यनिष्ठा, सेवा परायणता और भक्ति-भावना इतनी ऊँची थी कि उनकी गणना निस्मन्देह पुराकाल के मागवतों में कों जा सकती है । मैने तो उन्हे मीरा बाई का अवतार माना, और ऐसा करके मैने कोई अत्युक्ति नहीं की ।

मैने यह स्त्रवन किया, तो उनके देहावसान के पश्चात् । उनके जीवनकाल में तो सदा सर्वत्र छिड़ाई ही की । समीप रहा, और पहचान न पाया । जो सुके दिया उसे सँभाल न सका । अधिकारी तो तुण का सहारा पाकर भी तर जाता है । और एक मैं हूँ, जिसने सामने आई नौका की भी उपेशा ही की । बहिक, कभी-कभी तो मैं उस शुभ्रचरिता

में दोष भी ढूँढ़ने बैठ जाता था । उस सुशीतल वास्तव्य-सुधा को अंजलि में भरा, और अहंकारपूर्वक अनादीपने से सारा टपका दिया । और वही-का-वही तेजाव पीता रहा, जिसने अंतर में आग लगा दी; और वैमा ही प्यासा-का-प्यासा । इतना ही बहुत मानता हूँ कि उस पुण्य-वथा को नहीं भूला और स्मरणमात्र से ही, एक छण के लिए ही सही, संताप के बीच भी कुछ-न-कुछ सांख्यना मिल जाया करती है ।

: ३२ :

शास्त्र-ज्ञान के फेर में

१९१६ से १९२५ तक अनेक मत-संप्रदायों के प्रमुखों का थोड़ा-थोड़ा अध्ययन किया, तो एक अजीब-योगी उल्लंघन में पड़ गया। ऐसा लगता था कि धर्म-तत्त्व की मिदि के 'लए शास्त्र-ज्ञान का होना आवश्यक है; विविध धर्म-सिद्धांतों का थोड़ा-बहुत परिचय तो होना ही चाहिए।' पर यह संभव नहीं दीखता था। न तो संस्कृत का यथेष्ट ज्ञान था, और न पाश्चात्य दर्शन समझनेलायक अंग्रेजी ही जानता था। फिर भी मैंने दर्शनविषयक साहित्य पढ़ने की कष्टसाध्य बेष्टा की। कोई-होई तत्त्व-निरूपण कुछ-कुछ समझ में आ जाता, पर अधिकांश तो वस्तु को अंधेरे में टटोलने के जैसा ही था। समुद्र में अनादी तैराक के कुछ पढ़ने के जैसा मेरा यह प्रयास था। पर जब देखा कि अच्छे-अच्छे तैराक भी पार नहीं पा रहे, और केवल प्रतिस्पर्धा में पड़कर तैरते चले जा रहे हैं, तब मुझे उनका अवगाहन-प्रयत्न देखकर जैसे कुछ ढाइस और बल मिला। साथ ही यह भी देखा कि जो इस अथाह समुद्र में नहीं कूदे, फिर भी किसी तरह उस पार पहुँच गये, तब और भी बाहर मिला। १९२५ के बाद ये प्रश्न उठने लगे कि मात्रा कि धर्म

की गति अति गहन है, साधना उसकी और भी दुष्कर है, पर व्यास्त्या भी क्या धर्म की उतनी ही जटिल होनी चाहिए ? इतनी ये सारी उल्लंघने क्यों ? धर्म-निरूपण के लिए तर्क जाल में उलझे बिना क्या हमारी गति ही नहीं ? साधे-सच्चे नियमों को उपनिषदों और अपवादों से क्यों इतना अधिक लाद दिया गया है कि 'मूलवस्तु' का पता भी नहीं चलता ।

मैंने कहीं पढ़ा था कि धर्म की साधना का उद्देश तो साम्य-स्थापन है । तब प्रश्न उठा कि इस निरूपण चेत्र में इतना भारी और भयंकर वैषम्य क्यों दिखाई देना है । सामजस्य का तो प्रत्यक्ष में कहाँ पता भी नहीं । तब विषमताओं का पैदा करने और बढ़ानेवाला शांतिक ज्ञान धर्म-साधक के लिए क्यों आवश्यक होना चाहिए ? पर इसका यह अर्थ नहीं कि मैं स्वयं धर्म का शांतिक या साधक बनने जा रहा था । सही तो यह है कि मैंने साधना के पथ पर पैर भी नहीं रखा । ऐसे-ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो मात्र अपनी मनस्तुपिट के लिए होते थे ।

उलमने-सुलमने में हम दरियाम पर पहुँचा कि आदि में जगत् के सब तत्त्व शोधकों व साधकों की मूल शिक्षाएँ लगभग पृक्षसमान सरल थीं। विना गुम्भियों की रही होगी । पर उनकी मृत्यु के पश्चात्, और कभी-कभी उनके जीवन काल में भी, उनके अनुयायियों ने ही उनको तुरं तरह नांद-मरोड ढाला । शाखे और पत्ते अपनी ही जड़ों को मृत गये । मूल जीवन साधनाओं का विचार-शून्य अनुकरण किया गया, और उन्हें मूढ़ाचार के विविध सौंचों में ढाल दिया गया । उधर, खुदिवादी तत्त्व निरूपको ने जीवन-साधनाओं की उपेक्षा की और उन्हें

शुटक तार्किक 'वादों' में बड़े कौशल से बदल डाला। वह यहीं फ़सेला पढ़ गया। और आज के सुधारकों और राजनेताओं ने अपने बुद्धि-बदल से और भी अनर्थ किया। दूसरा पक्ष काटकर एक ही पक्ष के सहारे सारे आकाश मंडल में मुक्त विचरण करना चाहा। गडबडी क्या और कहाँ पर हुई, इस बात को समय-समय पर संतों ने ताक लिया। दीपक जब-जब तुमने को आया, उन्होंने अपनी जीवन-साधना का उसमें तेज़ डाल दिया और बच्ची पर का गुज़ छटा दिया। शास्त्रज्ञों को धर्म के मामलों में इस तरह बैंजा दख़्तर देना अच्छा नहीं जागा। लेकिन जोगों को तो हरबार उन्होंने अपनी तरफ़ खींचा ही। मूल तत्त्व में मन्तों के इस 'अभिनिवेश' को देखकर मुझे अपने तक्ष-संभूत संशय छीणबल प्रतीत होने लगे।

इलाहाबाद के बेलबेडियर प्रेस का मन्त-साहित्य पढ़ना शुरू किया। कर्णीर, दानू, पलटू और धर्मदाम की बानियों में एक नया ही रस मिला। बाहर-भीतर स्वच्छ निर्विकार; ऊँचा घाट; गहरा भेद; और समथल भाव। हृदय के एक-एक तार को झनझना दिया। इस अद्भुत मिठाय के आगे शास्त्र का स्वाद अब फोका-सा पढ़ गया। मैं पछताया कि इस अरूप रसास्याद्वय से अवश्य अरने का क्यों विवित रखा। सारा साहित्य, सिवा तुकसी-साहित्य के, अब गतरम और बासी-सा जगने लगा।

परन्तु प्रश्नों का तार किर भी टूटा नहीं। तकों की लाप अन्तर्पट यह से पुढ़ी नहीं थी। संत-वाणी जब सामने रहती, तब प्रश्न भी तिरो-स्थित हो जाते थे। अन्यथा, ऊठपट्टीग प्रश्न किर मेरी मनोभूमि पर अधि-

कार कर लेते थे। प्रश्न उठा करते—मानव-जीवन का आधार नीति को क्यों माना जाता है? अप्रत्यक्ष में विश्वाय करने से क्या काम? जब प्रत्यक्ष में विवरण, अन्याय और नानाविधि कलह हम देख रहे हैं, तब कोई क्यों माने कि इस मृष्टि की रचना गणित-गिन्ध न्याय या नीति के पाये पर हुई है? गृनीमत थी कि ये और ऐसे ही अनेक प्रश्न मेरे अपने मस्तिष्क की उपज नहीं थे। तर्क-प्रधान पुस्तकों के देखने और विद्वानों के साथ चर्चा करने के फलस्वरूप हन प्रश्नों ने बाहर से आकर मेरे मस्तिष्क पर कदंबा कर लिया था। ऐसे प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर में कभी ठोक-ठीक दं नहीं मिला। भगव फिर भी बुद्धिशालियों के ये जटिल प्रश्न सत्त्वात्म के प्रतिष्ठापित न्याय तथा नीति पर मेरा जो सामान्य विश्वास है उसपर से सुनें दिगा नहीं सके। भले ही नीत-मार्ग से मैं बासबार, बलिक रोज़-रोज़ विचलित हुआ हूँ, पर यह मानने को कभी भी जी नहीं हुआ कि मानव-जीवन सत्य और नीति के आधार पर स्थित नहीं है। पहले ऐसे-ऐसे प्रश्न परेशानी में डाल देते थे, पर अब ये बिना असर ढाले आते और चले जाते हैं। ज़रूरी थोड़ा ही है कि हरेक आते-जाते प्रश्न को उत्तर मिलना ही चाहिए।

सो शास्त्र-ज्ञान मेरा बिलकुल कदम्बा रहा, और इसका सुने तनिक भी परचाताप नहीं। चंचु-प्रवेश ही हुआ था कि भंकट से छूट गया। संत-साहित्य की मिठाम ने उधर से मन फिरा दिया; किन्तु गीता, रामायण, विनयपत्रिका और धर्मपद हतने ग्रन्थ न छूट सके। हनसे से कंठाघ तो एक भी नहीं, और न किसीका गहरा अन्यास ही किया है। आचरण से मन में एक कण का भी नहीं किया, पर ये ग्रन्थ सुने हृदयप्रियं

अवश्य हैं। इन ग्रन्थों की गणना में शास्त्र के भी अन्तर्गत करता हैं और इन्हें उच्च कोटि का संत-साहित्य भी मानता हैं।

गीता का रस-दर्शन बहुत पीछे भिला, शायद बत्तीस वर्ष की अवस्था के बाद। दो-तीन टीकाओं से सहायता ले-लेकर गीता की गहनता में थोड़ा-सा आगे बढ़ सका। तिलक के गीता-रहस्य ने अधिक आकर्षित नहीं किया। कर्मयोग के अत्यधिक शास्त्रीय समर्थन से मन जैसे ऊब गया और मुझे वह तुरुद भी प्रतीत हुआ। ऐसा लगा कि जैसे 'गीता-रहस्य' मात्र प्रचारक-ग्रन्थ हो। 'शंकर-भाष्य' को भी देखा, पर अधिक समझा नहीं। पर शंकर के एक-दो तर्कों से किर भी अच्छा समाधान हुआ। मरारूवाला का 'गीता-मंथन भी अपने ठंग का सुन्दर ग्रन्थ है। गांधीजी का सरलार्थ भी अनाकर्षक नहीं लगा। किन्तु सर्वाधिक अद्वा तो मेरी 'ज्ञानेश्वरी' पर है। भक्ति-मार्ग और ज्ञान-मार्ग की ज्ञानदेव ने अनेक स्थलों पर अनुभवजन्य अत्यन्त सुबोध तथा सरस व्याख्या की है। पछताता हूँ कि मराठों का अभ्यास न होने से मूल ज्ञानेश्वरी का रसास्वादन न कर सका। विनोद के गीताविषयक 'प्रवचन' भी समाधानकारक मालूम नहीं।

जितने भी धर्माचार्य हुए उन सबने इस अद्भुत ग्रन्थ को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा और 'प्रस्थानत्रयी' में इसे भी लिया। अहंत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि मर्वसिद्धांतों को गीता से विद्व व पुष्ट किया गया है। विभिन्न भाष्यों को देखकर गीता के साधारण विद्यार्थी की उद्दिचकर में पढ़ जाये तो आशर्चर्य क्या? उसे किसी-न-किसी सिद्धांत का आपही बनना पढ़ता है। विविध भाष्यों को आगे रखकर गीता का

ज्ञानासकत भाव से अध्ययन करना कठिन हो जाता है, और उसके लिए तो और भी कठिन है, जिसका शास्त्रज्ञान अपरिपक्व होता है।

श्रीअरविन्द के भी एक दो 'गीता-प्रबन्ध, देखे। निम्नोद्धृत अंशों ने मेरी एक उल्लंघन को काफ़ी मुख्यमाया :

"अनेक भाष्यकारों ने गीता का उपयोग अपने मत के मंडन तथा अन्य मतों के खंडन में छाल और तलवार के तौर पर किया है। लेकिन गीता का यह हेतु नहीं है। गीता का उद्देश तो ठंक इससे उलटा है। गीता तर्क की लड़ाई का हथियार नहीं है। यह तो वह महाद्वार है, जिसमें से सारे आध्यात्मिक सत्य और अनुभूति के जगत् की मौँकी होती है; और इस मौँकी में उस दिव्यधार्म के सब स्थान अपनी-अपनी जगह देख पढ़ते हैं। गीता में इन स्थानों का विभाग या वर्णकरण तो है, पर कही भी एक स्थान दूसरे स्थान से विच्छिन्न नहीं है। व किमी चहारदीवारी या बेदे से घिरा हुआ है कि हमारी हाइ आरपार कुछ देख न सके।"

आधुनिक काल में कर्तव्य कर्म का जो स्वरूप-स्थापन किया जा रहा है और जो महत्व उसे दिया गया है, गीताकार का भी उसी कार्य कर्म से अभिप्राय है यह निश्चित नहीं मालूम देता। श्रीअरविन्द लिखते —

"गीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है वह मानव-कर्म नहीं, बल्कि दिव्य कर्म है; सामाजिक कर्तव्यों का पालन नहीं, बल्कि कर्तव्य और आचरण के दूसरे तमाम पैमानों का त्याग कर अपने स्वभाव के द्वारा कर्म करनेवाले भागवत संकल्प का, जिना अहंकार के, निर्मम

आचरण है; समाज-सेवा नहीं, विक भगवदीय महापुरुषों का यह कर्म है, जो अहंकार-शून्य भावना से संपार के लिए, भगवान् की प्रीति-पूजा के तौर पर, यज्ञरूप से किया जाता है।”

इसका यही अर्थ हुआ कि गीता में भागवत संकेत या आदेश मुख्य है, जो भवित, ज्ञान और कर्म का समन्वय करता है। उस दिव्य संकेत की प्रत्यक्षानुभूति ही गीता के अनुशीलन का चरम फल है। यह इतनी ऊँची चोटी है कि वहाँतक पहुँचना तो दूर उसकी ओर देखते भी डर लगता है। हम-जैसे तब क्या करें, इसका उत्तर में इतना ही दे सकता है कि जितना हमसे बन पड़े अपने-आप में गहरे उत्तरकर गीता के अद्भुत पदों का मनन करें—इससे कुछेक चल तो रम की धूटें मिलेंगी ही।

गीता की ही तरह ‘धर्मपद’ को भी मैं अद्वा और भावना से देखता हूँ। भगवान् बुद्ध ने बह्य और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ‘नित्य’ उन्होंने कुछ भी नहीं माना। इससे उनके उपदेशों के प्रति मेरी जो अद्वा-भावना है, उसमें कोई कमी नहीं आई।

इस में से एक भी पारिमिता के महाबोधारथम में एक चल भी कभी विचरण करने को मिल गया तो अपने को महान् भाग्यशाली मानूँगा। ‘धर्मपद’ की इन बोधक गायाचों से मुक्ते जीवन की अंधेरी और उखानों हुए चिनों शांति मिलती है, इसे मैं ही जानता हूँ :

कोनु हासो किमानन्दो निरुचं पञ्जलिते सति;
अधकारेन ओनदा पदीय न गवेस्सथ।

संभी कुछ जल रहा है, और तुम्हें हँसी और आनन्द सूझता है !
अरे, अन्धकार से छिरे रहकर मी तुम प्रदीप को नहीं खोजते !

अनेक जाति संसारं संघा विसं अनिविसं ।

गहकारकं गवेसंतो दुक्खाजाति पुनप्पुनं ॥

गहकारक, दिठ्ठोसि पुनगेह न काहसि ।

सब्बा ते फासुका भग्ना गहकूटं विसंखित ॥

विसंखारं गतचित्तं तण्हानं खयमञ्चना ।

गृहकारक को खोजते हुए मैं अनेक जन्मोतक लगातार संसार में
दौड़ता रहा । गृहकारक ! अब तू दिखाइं दे गया । अब फिर तू घर
नहीं बना सकेगा । तेरी सारी कहियाँ हृष्ट गहे । गृह का शिखर बिखर
गया । चित्त संस्कारन-रहित हो गया । तृप्या का द्रव्य हो गया ।

सचमुच, उस खोजी के सुख की कुछ सीमा, जिसने 'गृहकारक' को
खोज लिया, -जिसके गृह का शिखर बिखर गया, जिसने तृप्या का
समूख चय कर दिया ! तृप्या की जहों को आयु-घट की एक-एक वृद्ध
से जिसने सीचा हो, राग की कोमङ्ग-कठोर कहियों के जोड़ने में ही जो
सदा अभ्यस्त और अस्त रहा हो, वह भी जब इस 'निर्वाण-स्थिति'
का ज्यान, चण्डमात्र को ही सही, करता है, तब दुःख के आत्मनितक
चय का उसे अद्भुत आनन्दानुभव होता है । फिर उस शुद्ध बोधिसत्त्व
का तो कहना ही क्या, जिसने अपने हाथों अपने गृह का शिखर बिखेर
दिया हो और गृहकारक को सारी कहियाँ हँसते-हँसते तोड़कर
फेंक दी हों ।

३३ :

एक प्रकाश-किरण

हरिजन-सेवक-संघ में आने के बाद, शायद १९३८ से, मैंने अन्त-
निरीक्षण की आदत ढाकना शुरू किया। जब कभी अपने आपको
धोखा देता, तो बाद को मन में कुछ-कुछ ग़जानि-सी होती थी। अब
यह विचार आने लगा कि धार्मिक जीवन-जैसी यदि कोई चीज़ है तो
उसका ढोंग नहीं करना चाहिए। किन्तु धर्म की स्पष्ट रूप-रेखा तो
फिर भी सामने नहीं आ रही थी, और मैं स्वीकार करूँगा कि वह
आज भी नहीं आई है। कारण शायद यही रहा हो कि सत्यमूलक धर्म
की प्रत्यक्ष सिद्धि होने पर ही मनुष्य को उसकी स्पष्टरूपता का सच्चा
ज्ञान हो सकता है। अनुभवियों का कहना है कि साधक का आनंद
स्फटिक के समान पारदर्शी हो जाता है। तब तो जो धर्म साधे वही
उसका व्याख्यान या निरूपण करे।

सन्त-वाणी के पठन-पाठन में अब पहले से भी अधिक आनंद
आने लगा। कवीर और दादू ने तो मुझे मानो मोहित कर दिया, पर
यह नहीं कह सकता कि-इस इसास्वादन का मेरे दैनिक जीवन के
आचरण पर भी कुछ प्रभाव पड़ा। किन्तु इतना तो स्पष्ट हो गया कि

यदि धर्म की साथना करनी है, तो आसत् के प्रति जो हमारा सहज मोह है उसे प्रतिशङ्ख छोण होना ही चाहिए । सत्य के प्रति, जो धर्म-तद का भूल है, आकर्षण तबतक हमारा बढ़ ही नहीं सकता । स्वरूप-दर्शन तबतक संभव ही नहीं—जो सारे धर्म और अध्यात्म का निचोद है; किन्तु 'स्वरूप-दर्शन' कितना कठिन है, और फिर भी कितना महज !

कह सकता हूँ कि सामने जो घोर अङ्गेरी-सी छागड़ ही वह आब जैसे कुछ-कुछ हटी । इसमें गांधीजी के जीवन-दीप ने भी सहारा दिया । गांधीजी के समीप तो मैं नहीं रह पाया, पर दूर-दूर रहकर ही उनके शांतिपूर्ण मानीष का कुछ-कुछ, अनुभव किया । गांधीजी ने अपने जीवन-दृष्टान्त से पेसे किन्तने ही लोगों को सचमुच साहम बैधाया है, जिन्हें कपर उठने के बल का पता भी नहीं था, और जो अज्ञातरूप से नीचे को ही फिपड़ने चले जा रहे थे । गांधीजी ने तर्कप्रधान 'बादों' का सहारा लेकर अर्थ बुद्धि-मेद पैदा नहीं किया । न पेसे आसमानी महजों पर चढ़ने के लिए ही कहा कि जहाँ से ज़रा-सा चूँके तो धड़ाम से नीचे गिरने का भय हो । निश्चित रूप से तो वह नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रत्येक कथन विकुल स्पष्ट और संगत रहा है । मगर मनुष्य अपनी बुद्धि को इस क़दर क्यों ताक पर रखदे कि वह किमी महापुरुष की बुद्धि को उधार लेकर चढ़ने का प्रयत्न करे, या बल्कि अपने पैरों से चले ही नहीं । 'सर्व-समर्पण' की महिमा तो मैंने बहुत सुनी है, पर उसे ठीक ठीक समझ नहीं पाया । और फिर वह 'समर्पण' भी अविवेक और अपौरुष का उपदेश कहाँ करता है ? गांधीजी के जीवन-दीप ने सहारा दिया इसका इतना ही अर्थ है कि आसत् का

मूल्य मैंने जाता या अनजान में जो आँख रखा था उसको, उनके जीवन-दण्डन्त से प्रेरणा पाकर, मुझे ग़ज़त मानना पड़ा। मेरी गांधीजी स्तोत्र में सबसे अधिक असर गांधीजी का सुपर पहला कि बहुत सूचम विवेचन में उपहार सत्य का जो रूप और उसका जितना भी अंश सहज सामने आ जाये उसके साथ आमैक्य करने का, बिना आत्म-विज्ञापन व अहंकार के, शक्तिभर प्रयत्न किया जाये। मैंने देखा कि गांधीजी ने वही किया, जो कहा और जो सत्य जैंचा; और वही कहा जो सहज भीतर से उठा। उनके आध्यात्मिक जीवन में मुझे कभी कुछ 'रहस्यात्मक' जैसा नहीं लगा, यद्यपि राजनीतिक आग्रहों और प्रयोगों के कारण उनका अध्यात्म कभी-कभी विचित्र-सा अवश्य दिखाई दिया। गांधीजी ने सबसे प्रेम किया, सबका हित किया। यह सत्यक रखा कि किसीका जी न दुखे। राम का सदा नाम लिया। अपनी श्रद्धा की दीप-शिखा को हरघड़ी ज्वलन्त रखा। हरदम उन्हें इस बात का ध्यान रहा कि जगत में सार वस्तु एक प्रेम ही है। धर्मतत्त्व का, अर्थात् अध्यात्म का क्या हृतने में सारा निचोड़ नहीं आ जाता है? इस जीवन-दर्शन को कौन कहेगा कि पूर्ण नहीं है? सन्तों की जीवनियों में और उनकी बाणियों में यही धर्म-सार तो सर्वत्र भरा पड़ा है।

गांधीजी की 'आत्म-कथा' के कुछ पर्नों पर, मैंने बहुत पहले सरसरी-सी नज़र ढाली थी, शायद १९२६ में। आबू से, १९२८ में, दो-तीन दिन के लिए मैं अहमदाबाद गया था। तभी साबरमती-आश्रम में पहले-पहल गांधीजी के दर्शन किये थे। दूसरों की देखा-देखी गांधी-जी के चित्र पर इस्ताचर लेने का मेरा भी मन हुआ। खास इसीलिए,

उनकी अंग्रेजी की 'आत्म-कथा' स्वरीदी कि उसमें दिये हुए चित्र पर उनका हस्ताक्षर करालूँ । गांधीजी का हस्ताक्षर पाकर मुझे वही लुशी हुई । पुस्तक में से चित्र को निकालकर चौखटे के अंदर जड़वा लिया और वही धब्बा से उसे पाँच-सात साल अपने पास रखा । बाद को चित्रों पर मेरा यह मोह नहीं रहा । आत्म-कथा जब १९३४ में ध्यान से पढ़ी तो मुझे पेसा लगा कि यह ग्रन्थ तो निश्चय ही जीवन को पलट देने की सामर्थ्य रखता है । सत्य के अनेक प्रयोगों से पूर्ण इस चमकारी ग्रन्थ की गणना क्यों न संसार के श्रेष्ठ ग्रन्थों में की जाये ? एक बार चस्का लग जाने पर गांधीजी का दूसरा साहित्य भी देखा । इस अनुशीलन के सहारे गांधीजी के जिस रूप को मैंने अपनी भोटी दृष्टि से देखा और समझने का थोड़ा-बहुत प्रयत्न किया, उससे मुझे कुछ प्रकाश मिला । प्रकाश वह कुछ परिचित-सा लगा । गांधीजी के जीवन-दर्शन के दूसरे कहं एक पहलू मेरी समझ में नहीं आये; समझने का प्रयत्न भी नहीं किया । राजनीतिक या अन्य पहलुओं पर नज़र नहीं टिकी । भारी पैमानों पर, विस्तृत सेत्रों में, उनके सत्य एवं अहिंसा के कहं प्रयोग भी कुछ अजीब-से लगे । राजनीति और अध्यात्म की एकसूत्रता भी चित्र पर ढीक जमी नहीं । यह कहना तो क्षेट्र में ह वही बात होगी कि पेसा करते हुए गांधीजीने जान-दूरकर संसार की त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ध्यान नहीं रखा । हाँ, यह हो सकता है कि अपनी साधु-दृष्टि से स्वभावतः सबको उन्होंने 'सत्त्वगुण-विशिष्ट' मान लिया हो, और पेसा मानकर ही त्रिगुणात्मिका समष्टि से वैसी ऊँची आशा रखी हो । कभी-कभी उनकी अतिशय कठोर आग्रह-दृष्टि भी शंका का विषय रही है । सूचम विवेचक न

होने के कारण भी शायद ऐसी-ऐसी शंकाएँ मेरे मन में उठती हों। फिर भी मेरी सामान्य बुद्धि ने यह माना है कि गांधीजी आज के युग के एक सबसे बड़े धर्म-शोधक है, और केवल धर्म-शोधक है। उनकी पारदर्शी अन्तर्दृष्टि पर मेरी पूरी अद्वा है।

किन्तु उनकी बाकाजत या तर्क-प्रणाली की ओर से उदासीन रहना अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में उनकी सफलता-असफलता मेरी इष्ट में वरावर है। और सत्य के भी किसी प्रयोग में वह असफल हो जायें, जो असंभव नहीं है, तब भी मेरी अद्वा को उससे कोई धक्का नहीं लगेगा। अद्वा को धक्का इसलिए भी नहीं लग सकता कि मैंने अपने आपको गांधीजी का केवल एक अद्वालु 'दर्शनार्थी' माना है, 'अनुयायी' कभी नहीं। अनुयायी बनना मुझे भयावह लगा। दर्शनार्थी बनने में मेरे जैसे असाधकों के लिए कोई खटका नहीं। अनुयायी तो किसी महापुरुष का वह बने, जिसमें स्वार्पण करने की पूर्ण जमता हो। मुझमें स्वभाव से ही यह चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं तो मात्र दर्शनार्थी रहा हूँ। उनके एक ही रूप का दर्शन किया है—और वह रूप है जाग्रत् 'भक्त' का। उनके जीवन की दूसरी सारी माँकियों से मुझे प्रयोजन नहीं। 'भक्त' शब्द को प्रचलित अथवा शास्त्रीय अर्थ में न केकर मैंने यहाँ 'व्यापक' और संपूर्ण अर्थ में लिया है—सत्य-शोधक और अद्विता के आराधक का। उसमें पूरा समावेश हो जाता है। गांधीजी को इस जीवन-भाँकी को मैं स्पष्ट और निःसंशय देखता हूँ। फिर भी मस्ति-पथ के वे अभीतक एक यात्री ही है—किंतु इस युग के महान्-से-महान् यात्री। इस विश्वास है कि वे इस महा-

खच्चतक अवश्य पहुँचेंगे । साथ ही, और भी कितने ही छोटे-मोटे आद्री उनकी जीवन-साधना से प्रेरणा पाकर पार जग जायेंगे । किसीको नाम जोड़ने का ही मोह हो, तो वह इसे 'गांधी-पथ' कह सकता है, कुछाकर 'गांधीवाद' न कहे । 'वाद' सुने कुछ इच्छका-सा जैचता है । यह पथ बिलकुल सीधा है; टेढ़ा बाँका तनिक भी नहीं । न कोई डक-झूल है, न कोई असंगति । प्रेम-पथ में डक्कफन कैसी ? सत्य के सम-मार्ग में विषमता का बया काम ? रास्ता सीधा व साफ़ है, अब तो उसपर चलना-हा-चलना है । मगर चलना अपने ही पैरों से है । अपना गुरु अपने आरको बनना है, किन्तु सारा 'आपा' खांकर । अद्वा के साथ कृतज्ञत-पूर्वक मैं यह स्वीकार करता हूँ कि पूज्य गांधीजी की इस जीवन-गाँई की से मुक्ते प्रक श-किरण मिली है । पर इसके साथ ही, यह भी कृबूल करूँगा कि हस प्रकाश से मैं पूरा जाम नहीं उठा सका । मेरे मित्रों को दो प्रकार का अम हुआ है, उमका भी यहाँ निराकरण करदूँ । कुछ मित्र मुक्ते 'गांधीवादी' या 'गांधी-अनुयायी' मान बैठे हैं और स्वभावतः यह आशा करते हैं कि मैं गांधीजी की प्रत्येक प्रवृत्ति का और उनके विचार का, सम्पूर्ण अर्थ में, समर्थक हूँ । और जब मैं गांधीजी की कुछ प्रवृत्तियों या विचारों की टोका कर बैठता हूँ तब कुछ मित्र शायद इस अम में पह जाते हैं कि मेरी अद्वा में फक्क आ गया है और इसीलिए मेरे विचार विरोधी बनते जा रहे हैं । इमां करें, यह दोनों ही धारणाएँ राजत हैं । माने हुए गांधीवाद का न मैं कभी अनु-यायी रहा, न गांधीजी के उस रूप पर, जो मेरी दृष्टि के सामने रहा मेरी अद्वा-भवित ही कभी मंद पड़ी । टीका मैंने दूसरों के 'गांधी' की

की है। सम्मेह नहीं कि मेरा अपना 'गांधी' तो सदा मेरा भक्षित-भाजन रहा है और रहेगा

अब ऐसे विचार इदं और इडतर बन जाने से उस बस्तु को 'धर्म-तत्त्व' मानने से मैं दून्कार करने लगा, जिसका बाकायदा संगठित रूप से 'विज्ञापन' तथा 'प्रचार' किया जाता है अर्थ और काम की सिद्धि के लिए—और इन्हीं साधनों के द्वारा धर्म का आराधन (?) होते देख पर स्वभावत खोभ पैदा होने लगा। धर्म का यह 'प्रचार' कैसा ? धर्म की जो सुगन्ध पहले फैलाते थे, वह सत्य और तप के द्वारा। आज तो धर्म-प्रचार का वह शुद्ध उडेशा भी नहीं रहा। उडेशा माना जा रहा है समाज या जाति का भौतिक संगठन और संवर्द्धन ! और यह संगठन-संवर्द्धन भी केवल नृपण-वृद्धि के लिए, रागद्वेषमूलक वासनाओं की अभिनृप्ति के लिए ! आश्चर्य और दुःख होता है, जब यह सुनता और देखता है कि स्वधर्म की यदि समय रहते रहा न की गई तो वह संकट में पड़ जायेगा ! और किर उसकी रहा। ऐसे-ऐसे साधनों से की जाती है, जिनसे वेर कूखता है, डेष और-और फजता है। युक्ति-बद्ध से, अनीति-बद्ध से धर्म-संस्थापन के नये-नये प्रयत्न किये जाते हैं। नवविधान और धर्म-संस्थापन के नाम पर कितने बड़े-बड़े शुद्ध लड़े गये, जिनमें ज्ञातों निर्दोषों का रक्त बहाया गया और धर्मचार्यों ने बड़ी शांति-मुद्रा के साथ देव-स्थानों में शत्रुओं के सर्वनाश की प्रार्थनाएँ कराईं ! स्वप्न ही आसुरी संपत्ति को दैवी संपत्ति का नाम दिया गया और दिया जा रहा है। बड़े-बड़े जननायक भी धर्मग्राहि की ऐसी-ऐसी निन्दित प्रवृत्तियों में क्यों योग देते हैं ! ऐसा जागता है कि धर्म के प्रचार और संगठन पर जो जातों

करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उससे तो परोद्ध गीति से अधर्म की ही जड़ हरी हुई है। धर्म को रुपये का सहारा देकर कैसे ऊँचा ढाया जा सकता है? रागद्वेष तो योंही काफी फूल-फल रहा है—उसके विष-भरे बीज विस्तरते रहने की क्या आवश्यकता है? ऐसे-ऐसे प्रश्नों ने मुझे बहुत परेशान किया।

मगर साथ ही, मन को समझा भी लेता हूँ कि जिस चीज़ के संस्थापन, संगठन और संग्रहण के कूठे-सच्चे प्रयत्न हो रहे हैं, उसे 'धर्म' कहा ही क्यों जाये? वह सब तो धर्म का आभासमात्र है, और उसीके लिए यह सारा उन्माद है। फिर क्यों कोइ उसके लिए चिन्तित या विकल हो? कभीर की वाणी ने इस प्रकार के विचारों पर पहुँचने में मुझे बढ़ा सहारा दिया। इष्टि को अन्तमुखी कर लिया जाये, तो यह सारा ही प्रयंच अटक हो जाये। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ऐसा हुआ नहीं, इष्टि अधिकतर वहिमुखी ही रही। प्रयत्न इस ओर अवश्य है। कह नहीं सकता कि अवतक के जीवन पर धर्म-संस्कारों की कुछ छाप पड़ी या नहीं, पर धर्म-साधना के प्रति आकर्षण मेरा अवश्य रहा है। यही, इतनी ही, मेरी धर्म-शोध की अरोचक-सी कहानी है।

: ३४ :

“संघं सरणं गच्छामि”

हरिजन-सेवक-संघ ने मैं १९३२ के दिसम्बर में आया——इसके दो महीने बाद ‘हरिजन-सेवक’ प्रकाशित हो सका। संघ का अन्तर तब विदता मिल के अन्दर था। हम लोग रहते भी शुरू-शुरू में मिल की कोठी में थे। ठक्कर बापा तब संघ का प्रांतीय संगठन करने के लिए मद्रास गये हुए थे। बापा का मैंने सिर्फ नाम ही सुना था। दर्शन करने का संयोग नहीं मिला था। भाईं रामनाथलाल ‘सुमन’ के अनुज श्यामलाल-जी मुझे यहाँ मिले, जो मुझसे पूछ-डेड महीने पहले संघ में आ गये थे। आचार्य नारायणदास मलकानी जेल से छूटने पर, वह महीने बाद, आये। तीन या चार कार्यकर्ता और हमारे साथ रहते थे।

मूल रखा था कि ठक्कर बापा का स्वभाव बड़ा कड़ा है और कुछ हदतक यह सही भी है। पर मैंने तो उनका स्वभाव सदा कोमल और सरक ही पाया। उनका स्नेह-भाज्जन बनते देर नहीं जगी। उनका अन्तर स्फटिक-सा पाया। यद्यपि बापा की दफतरी शुष्क-कमंगलता से—भले ही उनकी अपनी इटि में वह अति सरस हो—कभी-कभी ठब-सा जाना पड़ा, तथापि उनके अन्तर में निरन्तर जहर मारती हुई कहणा ने उनके प्रति हमारी अद्वा को सदा अदिग रखा। मैं

अपना अहोभाग्य समझता हूँ, जो आज हृतने वरसों से बापा के चरणों के निकट बैठने का शुभ अवसर मिल रहा है। उनसे सचमुच बहुत-कुछ सीखने को मिला। बापा जबतक दक्षिण भारत से दिल्ली बापस नहीं आये, तबतक मैं बिल्कुल ठाला बैठा रहा। आते ही उन्होंने मेरे उपयुक्त योगा काम ढूँढ़ निकाला। अखबारों में हरिजन-आनंदोलन-संग्रन्थी जो महस्त की खबरें प्रकाशित होती थीं, उनकी संचिस साप्ताहिक रिपोर्ट अंग्रेजी में तैयार करने का काम मुझे सौंपा गया। फिर भी मेरा काफ़ी समय बैकार जाता था। संघ का संगठन-कार्य खूब ज़ोर से चल रहा था। बापाने आश्चर्यजनक रीति से अल्पकाल में ही हरिजन-सेवक-संघ को सारे भारत में सुसंगठित कर दिया।

पहले संघ का नाम ‘एस्टी-अनटचेविलिटी जीग’ था। हिन्दी में हम उसे ‘अस्युश्यता-निवारक-मंडल’ कहा करते थे। मिल के कुछ मारवाड़ी मित्र हमें ‘अंटाचितवाले’ नाम से पुकारा करते थे। हरिजन-सेवक-संघ यह नामकरण तो संघ का उसके प्रथम वार्षिक आधिकारिक में हुआ। गांधीजी की विद्यमानता में यह अधिकारिक हुआ था। हरिजन-सेवकों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए गांधीजी ने बड़ा सुन्दर उद्घोषक प्रवचन किया था। प्रचलित अर्थ के प्रचार-कार्य को संघ में शुरू से ही स्थान नहीं दिया गया। बजट में एक छोटी-सी रकम प्रचार की मद में ठक्कर बापा ने रख दी थी। गांधीजी को वह भी सहन नहीं हुई। कहा—“इस प्रकार के प्रचार के लिए हमारे कार्यक्रम में जगह नहीं होती चाहिए। अच्छा हो कि ‘प्रोपेंडा’ को तो हम दफ़ना ही दें। एक पाई भी प्रचार-कार्य पर खर्च न करें। हमारे हरिजन-सेवक सच्चाई,

इदता और प्रायशिक्त की पुनीत भावना से सेवा-कार्य करेंगे, तो प्रचार का काम तो अपने आप हो जायेगा। बेतनभोगी उपदेशकों से न कभी प्रचार हुआ है, न होगा।” संघ ने इसीलिये ऐसे प्रचार-कार्य पर कभी पैसा खर्च नहीं किया। रचनात्मक कार्य पर ही संघ ने इमेशा ज़ोर दिया है। फिर भी प्रचार तो हो ही गया, जो स्वाभाविक था। गांधीजी का देशब्यापी हरिजन-प्रवास प्रचार का स्वरूप एक बहुत बड़ा साधन था। सनातनी कहेजानेवालों की ओर से, जहाँ-तहाँ से, जो विरोध की आवाज़ उठी, उसने भी हमारे कार्य का खासा प्रचार किया। प्रचार के इन प्रत्यक्ष या परोक्ष साधनों पर संघ ने कुछ खर्च नहीं किया। थोड़ा-बहुत यदि कही उसे खर्च करना पड़ा, तो केवल मलबार के मन्दिर-प्रवेश-आन्दोलन पर। किन्तु परिणाम-स्वरूप भारी जन-जाग्रति को देखते हुए प्रचार पर किया गया वह खर्च नगरण-सा था। मैंने देखा कि कोरे प्रचार के फलस्वरूप कुछ काम हुआ भी तो वह अधिक दिनोंतक टिका नहीं। जैसे, कितने ही कुएँ और मन्दिर-खुले, पर बाद को फिर बन्द हो गये।

इसी प्रकार संघ लांकशाही के वैधानिक चक्कर में भी नहीं फँसा। वार्षिक अधिवेशनों में कई प्रश्नों पर बाद-विवाद हुए, पर हमें कभी किसी वैधानिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। पूज्य गांधीजी ने प्रेरणा दो, संघ के अध्यक्ष ने ठक्कर बापा के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया—यह मानकर कि उनके हाथ से कोई अवैध काम होगा ही नहीं, और बापा ने कठोरतापूर्वक तथ्यों और अंकों को सबसे अधिक महसूब दिया। गांधीजी तथा ठक्कर बापा ने जो एक बार लकीर खींच दी उसी-पर हम धीरे-धीरे चलते रहे। मगर हमें यह स्वीकार करना चाहिए

कार्यवाही हिन्दी में ही चलानी है,” और उनका प्रारम्भिक भाषण हिन्दी में हुआ भी, पर सघ की गाड़ी अपने-आप खिलकर फिर उसी पुरानी लीक पर चलने लग गई। कोई हिन्दी में बोला भी, तो कार्य-विवरण में उनका अंग्रेजी भाषान्तर ही लगा। अंग्रेजी भाषा की इस निन्दनीय प्रभुता का परिणाम यह हुआ कि हमारी आवाज़ उन करोड़ों का स्पर्श नहीं कर पाई, जिनकी सेवा के लिए हमने इन सघों और संस्थाओं का निर्माण किया है। सचमुच यह हमारे लिए लज्जा और परिचाप की बात है।

यह सब हुआ, पर जहाँतक सघ की प्रामाणिकता का सम्बन्ध है, उम्मर कियीने डँगली नहीं उठाई। ठक्कर बापा ने आनंदिक दयवस्था में प्रामाणिकता को सघसे अधिक महत्व दिया। कार्यकर्त्ताओं का अप्रामाणिकता को उन्हाने कभी महत नहीं किया। उनके अकुश ने सदैव सघ की मान मयादा की रक्षा की।

ईश्वर का मैंने अनुग्रह माना और अपने को भाग्यशाली समझा कि हरिजन सेवक सघ मेरा सम्बन्ध जुड़ा। मैंन सघ में आकर खोया कुछ नहीं, पाया ही पाया।

३५ :

“हरिजन-सेवक”

लगभग दो मास में सब के दफ्तर में चेकार-सा ही बैठा रहा। नत्र के प्रकाशन की आज्ञा हमें बड़ो मुश्किल से १५ फरवरी, १९३३ को मिती। यो ही बैंड-बैठे १२०) मासिक वेतन लेना भारी मालूम पढ़ने लगा था। दिलजी आकर मैं लोभ में फँस गया। श्रीबनश्यामदामजी बिड़ला में मिलकर ढेरे पर लौटा, तो मेरे एक हितचितक मित्र ने मुझे यह नेक सलाह दी—‘भाई, यह दिलजी है। तुम्हारा यहाँ कम तरहवाह से गुज़ रा होने का नहीं। फिर हरिजन-सेवक-संघ के पास रुपया भी काफ़ी है। इस संस्था के अध्यक्ष, तुम जानते हो तो, बिड़लाजी है।’ १२०) मासिक वेतन मेरा तय हुआ। मेरी आवश्यकताओं से यह काफ़ी ज्यादा था। कोइ ढेर महीने बाद ३३) मासिक किराये का एक बड़िया मकान सबजीमंडी में लेकर रहने लगा। घर से माँ इत्यादि को भी चुका लिया। खर्चने के बाद रुपया फिर भी मेरे पास काफ़ी बच जाता था। पाँच-सात महीने तो १२०) मासिक वेतन संघ से लेता रहा, इसके बाद मन में कुछ गलानि-सी होने लगी। सोचने लगा, सार्वजनिक संस्था से इतना ज्यादा पैसा लेना उचित है क्या? जो सेवा-कार्य मुझे सौंपा गया है

बसे अर्थोंपार्जन का साधन बनाना ठोक नहीं । और अगर पैला ही कमाना है, तो फिर इसके लिए हरिजन-सेवक-संघ, का आश्रय लेना अनुचित है । अर्थ के लोभ में आजतक नहीं पढ़ा, तो अब क्यों पढ़ूँ ? इस प्रकार के विचार मन में रोज़ उठा करते । फलतः वेतन में से पहले २०) कम किये । फिर कुछ महीनोंतक ७५) लेता रहा । १६३८ के अक्टूबरतक कम करते-करते क्रमशः ४५) पर आ गया । १८) मासिक मेरे ममेरे भाई को हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस से मिलते थे । इस तरह ६३) से हम पाँच आदमियों का गुज़ारा तब अच्छी तरह हो जाता था । निर्वाह तो तब इससे भी कम में हो सकता था, और २००) या २४०) भी वेतन मिलने लगता, तो भी शायद वह पर्याप्त न होता ।

‘हरिजन-सेवक’—जैसे उत्तरदार्यित्वपूर्ण साप्ताहिक पत्र के सपादन का अनुभव मेरा तब नया ही था । पहले अंक का क्षेवर मैंने अधिक-तर कोरे साहित्यिक लेखों—अस्त भौमिक या अनावश्यक लेखों—से भर दिया । गांधीजी को यह चैर यमन्द नहीं आई । असंतोष प्रकट किया, और कुछ सुझाव भी यरवडा-जेल से भेजे । अंग्रेजी ‘हरिजन’ से अधिक-से-अधिक लेख लेने के लिए लिखा । अंग्रेजी में अनुवाद जल्दी और ठीक-ठीक करने का अभ्यास मेरा नहीं के जैसा था । लेख भी देरी से मिलते थे । शुरू-शुरू में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा । कई बार तो हिम्मत भी कूट गई । गांधीजी उन दिनों यरवडा-जेल से प्रति सप्ताह हिन्दी में भी अपने एक-दो मौलिक लेख भेजा करते थे । मगर आद को अंग्रेजी तथा गुजराती में लिखने का काम हतना अधिक बड़ा गया कि हिन्दी में लिखना उनके लिए कठिन हो गया । मेरी यह

दृष्टा ही थी कि अक्सर गोधीजी को उपालंभपूर्वक लिखता रहता था कि—“गुजराती में लिखने के लिए तो बापू, आप को समय मिल जाता है, पर हमारे दुर्भाग्य से हिन्दी में लिखने के लिए आप बहुत नहीं निकाल पाते !” आज मुझे अपने उन अविनयपूर्ण पत्रों की लिखावट पर खेद होता है। परन्तु पूज्य बापूजी ने तो सदा चमा ही किया। मेरी ब्रुटियों को भी निभाया। एक बार तो उन्होंने अमेझी में न लिखने का निश्चय-सा कर लिया था, और इसका कारण मेरा एक ऐसा ही पत्र था। स्व० महादेव भाई ने लिखकर मुझे लिखा था कि, “आपको बया हस्त बात का ध्यान नहीं है कि इससे बापू को कितनी कठिनाई होगी, और मेरा काम भी कितना ज्यादा बढ़ जायेगा ?”

‘हरिजन-सेवक’ के संपादन काल में एक-दो प्रयोग मैंने भाषा-संबंधी भी किये थे। राजस्थानी, गुजराती, बुन्देलखण्डी आदि प्रान्तीय बोलियों के भी कुछ शब्दों को चलाने का प्रयत्न किया था। मेरा विश्वास था, और अब भी है कि जनपदों की बोलियों में कितने ही ऐसे लोक-रचनित शब्द मौजूद हैं, जिनमें अभिव्यञ्जना की बहुत बड़ी शक्ति भरी पड़ी है। उन शब्दों को लेकर हिन्दी को हम सासा समृद्ध बना सकते हैं। साधारण जनों में ऐसे शब्दों का चलन होने के कारण हमारे संभान्त साहित्यकार शायद उनको हलकी श्रेणी के शब्द समझते हैं। ऐसे उपेंहित ‘हरिजन’ शब्दों को हमें अपनाना ही होगा, अन्यथा हमारी साहित्य-भाषा सदा दरिद्र ही बनी रहेगी। मेरे इस नये प्रयास के पश्च-विपक्ष में कुछ मित्रोंने चर्चा भी की थी।

अरबी-फारसी के कुछ अनकृते शब्दों को बीच-बीच में ढाककर

‘हिंजन-सेवक’ की भाषा को ‘हिन्दुस्तानी’ जामा पहनाने का भी मैंने प्रयास किया था। कहना चाहिए कि दूसरों की देखाई में भी उस बहाव में वह गशा था। पीछे कुछ भूल मालूम हुई। अनेक व्याख्याप सामने आईं, पर यह कमबक्त ‘हिन्दुस्तानी’ किसी भी व्याख्या पर ठीक ठीक न उतरी। न तो साहित्य-भाषा के ही जीवित तत्त्व उसमें अवतक दिखाई दिये और न लोक-भाषा के ही। कहा तो यह जाता है कि हिन्दुस्तानी वह भाषा है, जिसे आम लोग समझते व बोलते हैं— पर जब उसे लिखते हैं तब वह बिल्कुल बनावटी हो जाती है। हम उसे ‘चिंगारी हुई हिन्दी’ या ‘भड़ी उदू’ कह सकते हैं। जो लेखक हिन्दुस्तानी के हिमायती कहे जाते हैं, उनमें से बहुतों को उदू-फारसी की जानकारी नहीं, माथ ही, हिन्दी का भी उन्हे यथार्थ ज्ञान नहीं—या जो कल्पक उदू लिखते थे वे हिन्दी का सिर्फ नाम तो लेते हैं, पर परवी असल में उदू की ही करते हैं। हिन्दुस्तानी की हँडिया में एक विचित्र सी लिंगारी पकाई जाती है। हिन्दी उदू का समन्वय एक हृदतक तो मैं भी चाहता हूँ, पर उसका यह तरीका नहीं है, जिसका प्रचार आज ‘हिन्दुस्तानी’ के नाम से किया जाता है। भाषा तो मैं भी प्रायः बैसी ही लिखने लग गया था, जिसे ‘हिन्दुस्तानी’ का नया नाम दिया जा रहा है, पर ‘हिन्दुस्तानी’ यह अजीब-सा नाम पसन्द न आने के कारण मैं उसे ‘हिन्दी’ ही कहा करता था। अगर ‘हिन्दी’ नाम पर कोई सकीर्ण साम्प्रदायिकता का आरोप करने लग जाता, तो सकाई मैं इस तरह पेश किया करता था—“हिन्दुस्तानी यह तो बल्कि साम्प्रदायिक नाम है। वह यों कि हिन्दुओं का देश, और हिन्दु-

स्तान की भाषा का नाम हिन्दुस्तानी, जबकि ‘हिन्द’ एक पेसा नाम है, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अपना देश कह सकते हैं। इस मानी में हिन्द की भाषा हिन्दी ही राष्ट्रीय और असांप्रदायिक है।” और ‘हिन्दुस्तानी’ नाम देना ही है तो हिन्दी-उदूँ की लिचड़ी ही को क्यों? बैंगला, मराठी गुजराती, पंजाबी और तेलगु, तामिल, कन्नड़ आदि भाषाएँ क्या सौर हिन्दुस्तानी हैं? लेकिन हमारी इन दलीलों को तब कोई सुनने को तैयार नहीं था। मगर अब तो हमारे संहित देश का नाम भी बदल गया है। आज हिन्दुस्तान कहाँ है? इण्डिया का सीधा-सादा पर्याय हिन्द ही हो सकता है, और हिन्द की भाषा ‘हिन्दी’ और उसका निवासी भी ‘हिन्दी’ ही। जब भाषा को राजनीतिक हेतु से प्रेरित होकर नया रूप दिया जाता हो, उसे जबर्दस्ती काट-छाँटकर और जैसे-तैसे बेमेल मेल बिठाकर गढ़ा जा रहा हो, तब भाषा की मूल प्रकृति की ओर देखता ही कौन है? किन्तु प्रकृति को लाँचकर जा कौन सकता है? अतः स्पष्ट है कि ये सब प्रयास विफल ही जायेंगे। भाषा या तो स्वयं अपना रूप बना और सेवार लेती है, अथवा वह बाह्यीकि, तुलसी और कबीर जैसे समर्थ लोक-प्रतिनिधियों के आगे सिर मुकाबी है। मैं जानता हूँ कि मैं विषय से कुछ बाहर चला गया हूँ। हाँ, तो बनावटी भाषा लिखने के प्रवाह में उन दिनों मैं काफ़ी बहु गया था। मेरी भाषा में एक और भी दोष आ गया था। गुजराती लेखों का अनुवाद करते-करते कहीं-कहीं मेरी बाष्य-रचना में गुजरातीपन आने लगा था, पर ऐसा अनजान में ही होता था। मेरे कुछ मिश्र उसे दोष नहीं समझते थे, क्योंकि वे दो प्रयत्नपूर्वक बैसी भाषा लिखते और बोलते थे।

लगभग दस वर्षोंके अनुवाद का यह बोक्सिल काम जैसे-जैसे मैंने निवाहा सही, पर वह मेरी प्रकृति के बहुत अनुकूल नहीं पढ़ा। मैं यह भी स्वीकार करूँगा कि मेरी वैसी योग्यता भी नहीं थी। अनुवाद करना कोई आसान काम नहीं है। दोनों भाषाओं पर समान अधिकार नहोने से अनुवाद करना मुश्किल हो जाता है। यथार्थता और मूल की सुन्दरता विलें अनुवादक ही ला सकते हैं। यह हर किसीके बस का नहीं। मेरे लिए वह हानिकारक भी सिद्ध हुआ। स्वतन्त्र लिखने की जो थोड़ी-बहुत प्रतिभा थी, वह जैसे कुछ कुर्यात्-सी पड़ गई। अनुवाद करने के लिए गांधीजी के लेख होते थे यही, बष, एक लोभ था। लेख सेवाग्राम से अक्सर देर से आते थे। अनुवाद कभी-कभी बहुत जल्दी प्रेस में देना पड़ता था। कुछ लेखों का अनुवाद श्रीमहादेव भाई सेवाग्राम से भी कराके भेजते थे। उनके संशोधन की जिम्मेदारी लेते हुए डर लगता था। गांधीजी के मौलिक हिन्दी लेखों का संशोधन करना बल्कि इयादा आसान काम था। हाथ मेरे हमेशा जैसे बँधे-से रहते थे। फिर भी संपादन-कार्य से मुक्त हो जाने का मन नहीं होता था। ‘हरिजन-सेवक’ का सम्पादक होना, यह कोई छोटा-मोठा लोभ नहीं था।

यह भी हमेशा समस्या ही रही कि पत्र को स्वावलम्बी कैसे बनाया जाये। ग्राहकों का सदा टोटा ही रहा। हर साल ही घाटा रहता था। घाटे की पूर्ति कुछ मित्र कर दिया करते थे। ग्राहक-संख्या बढ़ाने की मैं काफ़ी कोशिश करता था। अंग्रेजी ‘हरिजन’ की ओर लोगों का अधिक आकर्षण था। गुजराती भाषा-भाषी जनता अक्षरता गुजराती

‘हरिजन-बन्धु’ पढ़ना पसंद करती थी। मगर हमारे हिन्दीवालों का तो ज्यादातर अंग्रेजी की तरफ ही मुकाब था। पत्र का बराबर घाटे पर चलना न तो गांधीजी को अच्छा लगता था, न हम संचालकों को ही। संपादन तथा अवस्था पर अपेक्षाकृत सर्व बहुत कम होता था। सर्व तो खपाई व काशी का ही असल में था। पत्र के स्वावलम्बी न बन सकने का दुःख मुझे अंततक रहा। यरन करता था, किर भी सकलता नहीं मिलती थी। हिन्दी-संवार की उदासीनता बहुत खलती थी। यह मैं जानता था कि सिवा एक ‘कल्याण’ के ग्राहक-संख्या प्रायः सभी हिन्दी पत्र पत्रिकाओं की असंतोषजनक-सी ही है, पर दुःख तो इस बात का था कि गांधीजी के पत्र को भी क्या दूसरे पत्रों की ही तरह ग्राहकों का सदा अकाल रहना चाहिए? मेरे कुछ मित्रों का कहना था कि यदि गांधीजी प्रति सप्ताह हिन्दी में कुछ लिखने का नियम बना लेते, तो ग्राहक-संख्या अवश्य बढ़ सकती थी। इस दबील में कुछ बह तो था, पर ग्राहक-संख्या न बढ़ने का यही एक कारण नहीं था। मेरी समझ में तो यह आता है कि ‘संभवतः हम हिन्दीवालों में अभी गम्भीर विचारपूर्ण साहित्य पढ़ने का रस पैदा ही नहीं हुआ। साथ-साथ, हमारी हीन भावना भी योग दे रही है। अंग्रेजी भाषा को जितनी अनुचित प्रतिष्ठा हिन्दीवालों ने दे रखी है उतनी किसी अन्य प्रान्तीय भाषाभाषियों ने नहीं। गांधी-सेवा-संघ के मुख्यपत्र ‘सर्वोदय’ को भी यथेष्ट ग्राहक न मिल सके। काशी के ‘स्वार्थ’ जैसे अत्युपयोगी पत्र को भी शायद इसी कारण सृत्यु का ग्रास बनना पड़ा था।

डॉगशाला के काम की अत्यधिक जिम्मेदारी बढ़ जाने के कारण

‘हरिजन-सेवक’ का सम्पादन-कार्य मेरे लिए अब भार-रूप-सा बनता आ रहा था। गांधीजी को एक-दो बार मैंने अपनी बढ़ती हुई कठिनाई के बारे में लिखा भी था। तीनो पत्र एक ही स्थान से निकले हैं सभी उन्हें भी सुविधा थी। मेरा यह भी ख्याल था कि स्थान-परिवर्तन से ‘हरिजन-सेवक’ के स्वास्थ्य में भी शायद कुछ सुधार हो आये। निदान, सीनों पत्रों के प्रकाशन की व्यवस्था पहले पूना में और फिर अहमदाबाद में हो गई। श्रीप्यारेलालजी के सम्पादकत्व में ‘हरिजन-सेवक’ का नव प्रकाशन १४ सितम्बर, १९४० को पूना से हुआ। सिर पर से एक भारी जवाबदेही का भार हट जाने पर भी, दिल्ली से ‘हरिजन-सेवक’ के चले जाने की मन में व्यया तो हुई ही। साढ़े आठ वर्ष की ममता को अनासंकेत-भाव से तोड़ देना मेरे लिए आसान नहीं था। गांधीजी ने एक पत्र में आश्वासन देने हुए सुने लिखा था:—

“मैं तो चाहता था कि पत्र कहीं से भी निकले, सम्पादक की जगह नाम तुम्हारा ही जाये। पर तुमने यह स्वीकार नहीं किया। बिना जिम्मेदारी के सम्पादक रहने में तुम नैतिक दोष मानते हो। तुम्हारे हाइविन्डु को मैं समझता हूँ। मेरे नज़दीक उसकी क्रीमत भी है। तो फिर तुम्हें सुनित दे देता हूँ।

“तुम्हारी अति कोमङ्ग भावा में भी तुम्हारा दुख तो प्रकट होता ही है। लेकिन धर्म तो यही है कि तुम्हें अपनी कृति का वियोग सहन कर लेना चाहिए। तुमको अब हरिजन-सेवा में ज्यादा ध्यानावस्थित होने का मौका मिला है।”

: ३६ :

अस्पृश्यता अभी कहाँ दूर हुई ?

संघ में आकर मैंने अपनो जीवन-यात्रा का मार्ग प्रयत्नपूर्वक मोड़ा
ऐसी बात नहीं है। मार्ग का मोड़ना यदि कहा हो जाये, तो वह मोड़
मुझे असहज-जैसी नहीं लगी। अस्पृश्यता-निवारण की मनोवृत्ति मेरी
बहुत पहले से थी, जिसका उल्लेख मैं अपने पक्षा-निवास के संस्मरणों
में कर चुका हूँ। संघ में मेरे उस अंकुर को बढ़ने की अनुकूलता मिली।
जो असहज था—मेरा आशय कथित साहित्य-विराणसे है—वह अपने-
आप छूट गया, और जो सहज था उसने समय आनेपर मुझे अपनी ओर
खींच लिया। यह बिना किसी विशेष प्रयत्न के हुआ। ऐसा लगता है
कि प्रयत्न-बल तो वहाँ लगाना पड़ता है, जहाँ प्रयोजनों में अंदर-अंदर
संघर्ष चलता है; वहीं जीवन का मार्ग बार-बार मोड़ना पड़ता है। बेतन
का मापदंड सामने रखकर यदि कोई सरकारी या गैरसरकारी कर्मचारी
एक महकमे से दूसरे महकमे में चला जाता है, तो ऐसा करना न वह
खुद तुरा समझता है और न दूसरे ही। लेकिन सेवा-लेन में जो असुक
अयोजनों से बेरित होकर आते हैं, वे निष्ठ ही आध-हित नहीं करते।
उनका अंतर सदा अतुप्त या अवान्त रहता है। राजनीति के लेन में

मनुष्य कितने ही मार्ग पक्षपाता रहता है, कारण कि उसे हमेशा प्रयोजन-सिद्धि सताती रहती है। किन्तु जन-पूजा के चेत्र में यह बात नहीं है।

हरिजन-सेवक-संघ से, संयोगवश, पार्थिव संबंध कभी टूट भी जाये, तब भी सहज आत्म-संबंध तो उससे मेरा सदा जु़बा ही रहेगा। संघ की आत्मा से, अर्थात् अस्पृश्यता-निवारण के धर्म के साथ तब भी मेरा आत्म-संबंध था, जब संघ की रचना भी नहीं हुई थी। फूटे-सच्चे वैष्णव संस्कार कहीं दबे पड़े होंगे, उन्हींका परिणाम मैं अस्पृश्यता-निवारण की ओर अपने मुकाब को मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि पुक वैष्णव अपने आपको ऊँच और दूसरों को नीच मान ही नहीं सकता। जिन लोगों ने इस आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति का विरोध किया उन्हे मैंने कभी वैष्णव नहीं माना। यही कारण है कि अस्पृश्यता-निवारण की प्रवृत्ति को न तो मैंने सामाजिक दण्ड से देखने का प्रयत्न किया है, न राजनीतिक दण्ड से। जो इस या उस दण्ड से उसे देखते हैं उनके साथ मेरा कोई विवाद नहीं। छनको दण्डीयाँ शक्त हैं यह भी नहीं कहूँगा। पर ही, मेरी अपनी दण्ड वैसी नहीं है। इन्दूसमाज के ऊपर उठने या देश के स्वतंत्र होने में इस प्रवृत्ति से कुछ बल या बेग मिलेगा। इस हेतु और इस विचार को मैंने कभी अपने मन में स्थान ही नहीं दिया। किसी तरह हमारे समाज से यह 'महापाप' दूर हो, किसी तरह धर्म पर बगा हुआ यह 'महाकलंक' बुल जाये—इतना ही मेरे लिए पर्याप्त था। राजनीतिक समझौतों की चर्चा में इस और मार्ग लेना तो राजनेताओं का कार्य ढहरा। हरिजन-सेवक-संघ इसीलिए मुझे अधिक अनुकूल था, कि येसे प्रश्नों या चर्चाओं से वह सदा अलग ही रहा है।

मगर अस्पृश्यता दूर करने की दिशा में स्वयं मैंने क्या किया ?
जिन मानव-प्राणियों को अज्ञान से या धृष्टता से 'अस्पृश्य' मान लिया
गया है, उनको कुछ सेवा भी प्रायश्चित्त-रूप से की या नहीं ? यह
प्रश्न इन शब्दों में भी पूछा जा सकता है कि मैंने अपनी खुद की शुद्धि
कहाँतक की है ? इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं । अभी तो इसना
ही कह सकता है कि अस्पृश्यता दूर करने का विनाश प्रयत्न मेरा जारी
है, और उसमें शायद थोड़ी-सी सफलता भी मिली है । जहाँतक अ-पृ-
श्यता का बाद्य रूप है, उसका अस्तित्व मेरे व्यवहार में नहीं रहा ।
किसी भी भेद-सूचक नाम से मुझे घृणा होने लगी है—इस अर्थ से
'हरिजन' शब्द भी मुझे अब बैसा प्रिय नहीं रहा । किन्तु अस्पृश्यता का
आतंरिकरूप मेरे अंतर से अब भी पूरा-पूरा नहीं निकल पाया । उसका
वह रूप है, किसीके भी साथ किसी भी प्रकार का ऊँच-नीच का भेद-
भाव मानना और बरतना । इस दुर्भावना के समूल नष्ट होने में न
जाने अभी कितना काल लग जायेगा । ऐसा लगता है कि वह मंजिल
अभी दूर है, बहुत दूर है । सबको 'आत्मवत्' समझना बड़ा ही कठिन
है । बल्कि अशक्य-सा है । मेरे अन्तराकाश में अभेद या अद्वैत की उस
मंगल उषा का उदय अभी कहाँ हुआ ।

पन्ना में खुलकर अस्पृश्यता-निवारण के जिस कार्यक्रम पर अमल
नहीं कर सका था, उसे व्यावहारिक रूप देने का यहाँ खूब मुश्त बाता-
बरण मिला । सबके साथ बैठकर काम किया । कभी-कभी अपने
पालने भी साक किये । मुझे ढर था कि मेरी छूटी माँ हमारे सहभोजों
में कदाचित् सहयोग न दें । मगर 'दलित' के हाथ का पानी बे पीती थी ।

१९८५ तक उनके सामने एकसाथ खाने का ऐसा कोई अवसर भी नहीं आया था । मगर जब हमलोग अपनी नई वस्ती में, हरिजन-निवास में, आकर रहने लगे, तब मुझे खटका हुआ । अगर मैं शामिल न हुईं, तब मेरे लिए तो यह क्लोश और लज्जा की बात होगी । या तो मुझे उस स्थिति में मौं से अपना बाल्य संबंध तोड़ना पड़ेगा, या किर मुझे ही हरिजन-निवास से हट जाना होगा । मेरे लिए यह प्रश्न धर्म-संकट का था । मैंने उनके ऊपर कभी कोई खास दबाव भी नहीं डाला था । मगर एक दिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब मैंने देखा कि हमारे बड़े रसोड़े में सबके साथ बैठकर वे रोटी खा रही हैं । उस दिन मेरे एक मित्र ने अपने पुत्र के विवाह के उपलच्छ में हमारे विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को प्रीति-भोज दिया था । देखकर मैं गदगद होगा । मैं यह मानता हूँ कि मेरे प्रति उनका जो स्नेह था, मूलतः उसीसे प्रेरित होकर मेरी मौं सहभोज में सम्मिलित हुई थी । कुछ भी हो, उन्होंने यह माहस का पग स्वयं ही उठाया था, और सुशी-सुशी । रुदिचुरत ब्राह्मण-घर में जिनका सारा जीवन बीता-हो, उनके लिए सचमुच यह बड़े साहस का काम था ।

लेकिन मैं स्वयं सूचमरूप के अर्थ में अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे करूँ ? गांधीजी कहते हैं कि यह तो शुद्ध सेवा द्वारा ही संभव है । किन्तु सेवा-धर्म को लीबता का मैं अबतक अनुभव नहीं कर पाया । दूसरे अले ही कहा करें कि मैं सेवा-कार्य में संलग्न रहा, पर मैं अपने-आपको सूठ-सूठ सुखावे में क्यों ढालूँ ? यदि मैंने सेवा-धर्म साधा होता तो उसका प्रत्यक्ष परिणाम आना ही चाहिए था—अर्थात् चित्त की

स्थिरता अथवा आध्यात्मिक जीवन की फँकी। सो अभीतक तो ऐसा अमृतानुभव हुआ नहीं। ऐसा करने का मन तो बहुत होता है, पर कर नहीं पाता। सेवा और सेवक इन शब्दों के जो रुद्र या प्रचलित अर्थ सुनने में आते हैं उनमें, मुझे लगता है, भूल हो रही है। जिस सेवा के द्वारा अहंकार का लक्ष्य न होकर उक्ते उसकी वृद्धि होती हो, वह सेवा कैसी? जो सेवा-साधना अर्थ-बल पर ही आधार रखती हो, वह सेवा भी भला कोइ सेवा है? ऐसी जन-सेवा के प्रति स्वभाव में मरो अहंचि ही रही है। मेंगा को पेशे के रूप में देखकर मुझे दुःख ही हुआ है। मुना था कि 'सेवाधर्म' तो योगियों के लिए भी अगम्य है। पर सेवा-धर्म का अनुसरण करनेवाले को फिर भी योगारुद्र तो होना ही चाहिए। उसका जीवन यथासाध्य संयमी, असंप्रही और तपःशील होना चाहिए। निश्चय ही राजनीति के कोश में जन-सेवा का यह अर्थ नहीं किया गया है। पर हमें उस कोश को देखने की आवश्यकता नहीं।

नकली चीज़ और के सामने पड़ी है, जो बड़ी लुभावनी है, पर छूने को जी नहीं करता। और जो असकी है वह इतनी उयादा और चाहूँ पर है कि वहाँतक हाथ नहीं पहुँचता! तब प्रह्ल उठता है कि हरिजन-निवास में सारे दिन जो दौड़-धूप करता रहा वह सब फिर क्या थी? वह और चाहे जो हो, पर सेवा-कार्य तो निश्चय ही नहीं। उसे मन-बहुआव का ही साधन माना। आसवित के बढ़ जाने से प्रसन्नता भी होती और खिनता भी। अहंकार के नित-नये अंतर भी फूटते रहते। पर गृनीमत रही कि वे बहुत बदने नहीं पाये। इतना तो ध्यान रहा है कि मैं अधिकांशतः जो कुछ करता वह सेवा-धर्म की साधना नहीं है,

क्योंकि उससे मेरी अंतःशुद्धि नहीं हो रही है । तथाकथित या पेशेवर अन सेवकों की अपेक्षा तो कुछ साधारण लोगों में सेवा की भावना कहीं अधिक देखने में आती है, और उसमें सच्चाई भी होती है । उनकी सेवा-भावना अपने सहज गुण 'इलिल' का त्याग नहीं करती । हृदय के ही अङ्गात कोने में वह दबी पक्की रहती है; कभी वह चाढ़ी या लेख में प्रकट नहीं होती । अनासक्त भाव से वे प्यासे को पानी पिला देते हैं, भूखे को रोटी खिला देते हैं, रोगी की कुछ सेवा कर देते हैं और करके सहज ही भूख जाते हैं । उसका लेखा-जोखा नहीं रखते । उनका उसमें कोई देतु भी नहीं रहता । किन्तु ऐसों की उपेक्षा और टीका भी की जाती है !

३७ :

हरिजन-निवास

हरिजन-सेवक-संघ को स्थापित हुए मुश्किल से एक साल हुआ होगा कि संघ के अध्यक्ष श्रीघनश्यामदासजी बिहला के मन में आया कि दिल्ली में क्यों न एक अच्छा-सा निःशुल्क हरिजन-छात्रावास स्थापित किया जाये। तब हमारे मन में उद्योग-शाला खोलने की कल्पना भी नहीं थी। तीन-चार स्थान हम लोगों ने जाकर देखे। अंत में पुरानी छावनी के पास, किंग्सवे सड़क पर, ढका गाँव के ज़मींदारों की २१ एकड़ ज़मीन तीस हज़ार हफ्ते में खरीद ली गई। ज़मीन की औमत श्री-बिहलाजी ने लुकाई। यह सन् १९३३ की बात है। जगह हमारे सद्भाग्य से बड़ी सुन्दर मिल गई। शहर से तीन मील के फासले पर; पक्कोस में ढका और दहीरपुर ये दो गाँव; जमना मुश्किल से दो मील; नगर का कहीं कोकाहल नहीं; बिल्कुल एकान्त। यह वही जगह है, जहाँ १९११ में सुप्रसिद्ध दिल्ली-दरबार हुआ था। किंग्सवे सड़क बिल्कुल बेमरम्मत पड़ी थी। रात को अँधेरा रहता था। बिहली के खंभे तो दो बरस बाद खरे। सामने छूट की बीमारियों का एक टूटा-फूटा अस्पताल था। तपेदिक का विशाल अस्पताल तो यह पीछे बना।

हमारे यहाँ आते ही हमारी हमदर्द पुलिस ने ढराना शुरू किया—“जगह आप लोगों ने यह बड़ी स्वराच तुनी है। यहाँ आप मकानात बनाने तो जा रहे हैं, पर ध्यान रखिए, इलाका यह स्तरनाक है। यहाँ आस-पास कंजब रहते हैं (हालाँकि कहाँ एक भी कंजब नहीं था)। हम ज़मीन को खरीदकर आप लोगों ने ग़ज़ती की। खबरदारी से रहिएगा।” केकिन पुलिस की यह चेतावनी निर्मल साबित हुई। गाँववालों ने हमें कोई खाम तकलीफ नहीं दी। शुरू-शुरू में वे हमसे दूर अवश्य रहे, पर बाद को उन्होंने हम लोगों से परहेज़ नहीं रखा। एक-दो घरों के साथ तो हमने खासा भाईचारा भी बढ़ा किया।

हरिजन-निवास के इस विस्तार की, इस विशाल रूप की तब हमारे मन मे कल्पना भी नहीं थी। आज तो यह दिल्ली मे एक अच्छा दर्शनीय स्थान बन गया है। सबसे पहले हमने गांधीजी के लिए बड़ी जलदी में—शायद बीस दिन के अन्दर—दो छोटे-छोटे कमरों का एक पक्का मकान खड़ा किया था। गांधीजी ने यहाँ आकर एक मास रहने की हच्छा प्रकट की थी। ज़मीन की ठीक तरह से सफाई भी नहीं हो पाई थी। सारी जगह बीहड़ पड़ी थी। जहाँ-तहाँ माड़-मांसाड़ लड़े थे। गांधीजी की कुटियातक जाने का रास्ता भी तैयार न हो पाया था। फिर भी उनके डस एक मास के निवास ने इस निर्जन स्थान को जना-कीर्ण और आकर्षक बना दिया। सौंक की प्रार्थना में हज़ारों की संख्या में लोग आते थे। संघ का दफ्तर अभी बिहला-मिल में ही था। हम लोग सबजीमंडी में, वहीं उसके आस-पास, रहते थे। गांधीजी के दर्शनाथ हम लोग भी सबकी भाँति सवेरे या सौंक को यहाँ पहुँच जाते थे।

गांधीजी के निवास-काल में निश्चय हुआ कि संघ का दफ्तर जलदी ही यहाँ लाया जाये, कार्यकर्ता भी सब यहाँ पर रहें और छात्रावासों के साथ एक उद्योग-भवन भी खोला जाये। गांधीजी ने अपने हाथ से, २ जनवरी १९३५ को, हरिजन-निवास की आधार शिला रखते हुए अपने भाषण में कहा—“जिस स्थान पर मैं आज यह शिलारोपण कर रहा हूँ, ईश्वर के, उसकी खूब उन्नति हो, और यह स्थान एक तीर्थ-केव बन जाये।” विज्ञानी ने भी पेंसी ही इच्छा उस मगज अवसर पर प्रकट की। कहा—“हम चाहते हैं कि जिस तरह सूर्य से सब लोग प्रकाश पाते हैं, उसी तरह यह स्थान सारे भारत को अपना प्रकाश-दान दे।” देखें, यह बड़ी-बड़ी कामनाएँ कब पूरी होती हैं।

एक बरस के भीतर ही कई छोटे-बड़े मकान मेरे मित्र आचार्य मल्कानीजी की देव-रेखमें तैयार होगये। १९३५ के अंत में हम जोग अपनी इस नई बस्ती में आकर बस गये। हमारे यहाँ आने के चार-पाँच महीने बाद छोटा-सा एक उद्योग-भवन और दो छात्रावास भी तैयार होगये। सात या आठ लड़कों को लेकर आचार्य मल्कानीजी ने १९३६ के मार्च में उद्योग-भवन खोल दिया। पहले इस संस्था का नाम ‘हरिजन इश्टस्ट्रूयल होम’ था, बाद को ‘हरिजन-उद्योगशाला’ नाम रख दिया गया।

अंग्रेजी अख्लाकारों में इस स्थान का शुरू-शुरू में ‘हरिजन कालोनी’ नाम निकल गया, और वह प्रसिद्ध भी पागया। गांधीजी ने ‘हरिजन-निवास’ नाम पसन्द किया और ताँगेवाले इसे ‘गांधी-आश्रम’ के नाम से पुकारने लगे। हरिजन-निवास का धीरे-धीरे कफी विस्तार

होने लगा है। उद्योगशाला, भोजनालय, नौ लाक्रावास, अतिथि-भवन, संघ का प्रधान कार्यालय तथा कस्टरबा-कुटीर तो हैं ही, पर दर्याओं की दृष्टि में अधिक आकर्षक प्रार्थना-मंदिर और धर्मस्तम्भ हैं। प्रार्थना पहले तुम्हे मैदान में हुआ करती थी। हमारे मित्र श्रीबजकृष्ण चौंदी-वाले ने अपनी पूज्य माता स्व० जानकीदेवी की पुरायस्तुति में हरिजन-निवास की भूमि पर एक स्मारक बनाने की सदिच्छा प्रकट की। मेरी सलाह और गांधीजी के अनुमोदन पर उन्होंने प्रार्थना-मंदिर का निर्माण कराया। शिलारोपण इस मंदिर का गांधीजीने किया और उद्घाटन भी उन्हींके हाथ से हुआ। तब से इसी मंदिर में दोनों समय सामूहिक प्रार्थना होती है।

और, धर्मस्तम्भ श्री सेठ जुगलकिशोर बिल्ला ने बनवाया। बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि हरिजन-निवास में अशोक-स्तम्भ की आकृति का एक ऊँचा पाषाण-स्तम्भ निर्माण कराया जाये और उसके ऊपर ऋषियों व महात्माओं की कुछ तुनी हुई सूक्षितयाँ लुढ़वाई जायें। गांधीजी ने यह समझकर कि उनके नाम से यह स्तम्भ खड़ा किया जारहा है, इस कल्पना को नापमन्द किया। पर हम लोग वास्तव में कोई 'गांधी-स्तम्भ' बनाने नहीं जारहे थे, यथापि जनसाधारण में अपने आप यह स्तम्भ 'गांधी की लाट' के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। स्तम्भ यह जाल पत्थर का है। ऊँचा ६३ फुट है। कला की दृष्टि से, लोग मानते हैं, स्तम्भ सुन्दर है। शिखर की आधार-चौकी की पूर्व दिशा में चत्ती, उत्तर में कमल, पश्चिम में धर्मचक्र और दक्षिण में गाय की मूर्ति अंकित की गई है। मूलस्थान पर, जो चौकोर है, अनेक धर्म-

सूक्षितयाँ सुदी हुई हैं। उपनिषदों के मंत्र, गोता के श्लोक, बुद्ध भगवान् की सूक्षितयाँ और गांधी सुबचन नीचे के चौकोर भागों पर, और खास स्तंभ के कुछ ऊपर के भाग पर भी वेद-मंत्र, महाभारत के श्लोक तथा महात्रीर तीर्थंडर की बाणी को खुदवाया गया है। धर्म-स्तंभ का चबूतरा भी खासा सुन्दर है, जहाँ गर्मियों में हमारी सामूहिक प्रार्थना हुआ करती है।

दो नये भवन और तैयार हो रहे हैं—एक तो 'विद्या-मन्दिर' और दूसरा "श्रीमहादेव देसाई-पुस्तकालय तथा संप्रहालय"

यह हुई हमारे हरिजन-निवास की बाह्य शोभा । मैं रह-रहकर यह सोचता रहा कि स्थान तो यह सचमुच खासा सुहावना बन गया है, किन्तु इसकी कुछ आंतरिक शोभा भी है या नहीं ? गांधीजी ने अपने पदार्पण द्वारा इस स्थान को कहं बार पुनीत किया, इस कारण भावुक भक्तों की दृष्टि में यह एक पुण्यस्थान हो सकता है। वर्ष में सात-आठ मास प्रवास में रहते हुए भी हमारे परिवाजक बापा ने भी हरिजन-निवास को अपना 'निज घर' माना, हमन्तर भी हम कार्यकर्ताओं के मन में इसके प्रति एक प्रकार का आकर्षण हो सकता है। उद्योगशाला को शोभा भी बाह्य ही है। किंतु हरिजन-निवास में ऐसा और क्या है, जिससे उसकी आंतरिक शोभा भी प्रकट होती हो ? त्याग, तप या सेवा की घोड़ी-सी भी भावना और साधना हम कार्यकर्ताओं के अन्दर हो, तो इस सुन्दर स्थान की आंतरिक आभा अपने आप प्रदीप हो डें। हमारा रहन-सहन निश्चय ही जोक-सेवकों के जैसा नहीं बन पाया। हमारे अन्दर धर्म-शासन के प्रति

आदर की भावना नहीं आहे। एक जगह बैठकर घडी-आध घडी हम कभी आत्म-चिन्तन या आत्म-निरोचण करते हैं? नियमित रूप से हम प्रार्थनातक में तो सम्मिलित होते नहीं। हमारा काकी समय अर्थ प्रमाद में चला जाता है। चित्त-त्रुतियों का शुकाव प्रायः शोभ और मोह की ओर रहता है। वैधे हुए दफतरी काम के अतिरिक्त शरीर से हम और क्या सेवा-कार्य करते हैं? हमारा यह सारा जीवन-क्रम हमें शोभा देनेवाला नहीं है। मेरे सामने हम हरिजन-निवास के निवासियों की अन्तःस्थिति का यह चिन्ह रहा। हमें अपनी इस स्थिति पर कभी झलानि भी नहीं हुई। उलटे, हम इस अहंकार को आश्रय दिये बैठे रहे कि हम खोग एक महारवपूर्ण सेवा-कार्य कर रहे हैं। तब केवल हैट-पत्थरों से प्रकट होनेवाली शोभा किसी जनस्थान को शाश्वत सौन्दर्य वैसे प्रदान कर सकती है?

गुनीमत है कि हमने अपने इस स्थान को 'आश्रम' का नाम नहीं दिया। किन्तु 'हरिजन-निवास' नाम भी कोई कम जिम्मेवारी का नहीं है। इस स्थान के निवासियों को हरिजन, अर्थात् भगवान् के जन या जनला-जनादेन के सेवक बनने का प्रयत्न करना ही चाहिए। तभी यह स्थान अपनी आंतरिक शोभा को, अपनी सद्ची सुन्दरता और सुर्गध को प्रस्फुटित कर सकेगा।

: ३८ :

दिल्ली के ये नरक

दिल्ली की हस हरिजन-बस्ती को देखने के लिए लोग अक्सर एक दूसरी ही कल्पना लेकर आते थे। वे समझ लेते थे कि वहाँ फूस या टीन के छप्पर की चंद मोपदियाँ होंगी, और उनमें हरिजनों के कुछ शरीर कुटुम्ब रहते होंगे। पर यहाँ आकर वे अपनी कल्पना से बिलकुल ही डरा पाते। इच्छा होते हुए भी हम यहाँ कर्जे घर न बना सके। यह जगह दिल्ली के पिंडिल लाइन के हजारे में आती है। यहाँ पर जागू होनेवाले नोटीफाइड प्रिया के क्रायडे-क्रान्ति जगभग ऐसे ही हैं, जैसे कि नई दिल्ली के। हसलिए वाध्यतः हमें यहाँ पक्के मकान बनाने पड़े, और कुछ हमारते हमने खासी शानदार भी बना डार्ही। हमारे येसा करने के पछ-विपछ में कासी दब्कीरें दी जातकरी हैं। मगर हरिजन-बस्ती का जो अर्थ आज लिया जाता है, उस अर्थ से संघ की यह बस्ती कोसों दूर है। हिन्दुस्तान के हर हिस्से में अलू-बस्तियों की आज जो बहुत बुरी हालत देखने में आती है, भारत की राजनानी दिल्ली भी उससे अलूती नहीं है। यहाँ भी आपको ऐसे ही अनेक बीमत्स रश्य देखने को मिलेंगे।

बहुत कोशिश करने पर दिल्ली की शाही घूमिसियैलिटी ने तीन-चार वस्तियों में कुछ थोड़ा-सा सुधार कर दिया है, पर अधिकांश की हालत आज भी बैसी ही बदतर है, जैसी कि पंद्रह साल पहले थी। 'हरिजन-सेवक' के संपादन-कार्य से जो थोड़ा-बहुत अवकाश मिलता था, उसका उपयोग मैं अधिकतर दिल्ली की हरिजन-वस्तियों देखने में करता था। मुझे लगा कि मनुष्य को ऊपर से देखकर ही हम उसके सुन्दर रूप की कल्पना कर लिया करते हैं। कौन देखता है कि उसके शरीर के भीतर क्या-क्या भरा पड़ा है। भीतर के भाग को झाँककर देखें तो शायद हम अपनी आँख और नाक बंद करलें, ऊपर का उसका मारा रूप-सौन्दर्य हमारी आँखों से ओमज्ज होजाये। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका बाध्य सौन्दर्य भीतर के कुदरूप यंत्रों पर ही निर्भर करता है। इसी तरह दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई-जैसे शहरों के भड़कीले भागों को ही हम देखते हैं; वहाँ की नरकतुल्य वस्तियों पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता। जिनपर इन शाही शहरों का सारा स्वास्थ्य, अर्थात् सौन्दर्य निर्भर करता है।

दिल्ली की जिन वस्तियों के संस्मरण मैं नीचे देरहा हूँ, उनका वह रूप आज देखने में नहीं आरहा, जो पंद्रह माल पहले मैंने देखा था।

सबसे पहले अद्वानन्द-बाजार की नहं बस्ती को लेता हूँ। यह क्षोटी-सी बस्ती शहर के एक समृद्ध भाग के ठीक बीच में है। १६३३ के साल में दिल्ली में बड़े झोर की बारिश हुई थी। पचासों कच्चे घर बह गये थे। आफ्रक जो दैसे सभी गारीबों पर आई थी, पर मेहतरों

का तो बहुत बुरा हाल था । औरों को किर भी खदे होने को तो जगह मिल गई थी, पर मेहतरों को तो किसीने अपनी छृत के नीचे खड़ा भी नहीं होने दिया था ।

महं वस्ती का बुरा हाल था । छोटी-छोटी कोठरियों में एक-एक, डेढ़-डेढ़ कुट पानी भरा हुआ था । छुतों से धार लग रही थी । पानी निकलने को कहीं जगह नहीं, और फर्श चिल्कुल करवा । कोठरियों के आगे बरामदा भी नहीं कि जहाँवे अपना सामान तो उठाकर रख लेते । वहीं पानी में पड़ा सब भीग रहा था । मैला उठाते, मोरियाँ साफ करते और कचरा ढोते-ढोते दिन तो यों मूसलाधार वर्षा में किसी तरह गुज़ार दिया, पर रात कैसे काटे ? कहाँ तो बेचारे अपना खाना पकायें, कहाँ खायें-पियें, और कहाँ सोये ?

उनकी छांटी-छोटी कोठरियाँ सार्वजनिक पाखाने के पास बनी हुई थीं । मैंने देखा कि बमपुलिस और कोठरियों के बीच के रास्ते पर एक जगह उन्होंने दो टुट्की चारपाईयाँ खड़ी कर रखी थीं । उपर उनके फटा कंबल और कुछ चीथड़े ढाल लिये थे । एक बूदा जमादार और आठ-दस बच्चे सर्दी से कौपते हुए उसीके नीचे सिकुड़े बैठे थे । खाना उनका उसी 'खाटघर' में पकाया गया था । सामने बमपुलिस की बदू, और कोठरियों के अन्दर से पानी और मिट्ठी की सबाईंद । कपड़े-जूते सारे भींगे पड़े थे, तिल रखने को भी कहीं जगह नहीं थी ।

दूसरे दिन ठक्कर बापा को भी ले जाकर मैंने यह वस्ती दिखाई । उन्होंने म्यूनिसिपालिटी पर पूरा झोर लाला, तब कहीं कमेटीवर्गों ने पाँच-सात बस्तियाँ लुढ़ जाकर देखीं । उनकी दर्जनाक हालत को देखकर

कमेटी का दिल कुछ पसीजा। फलतः तात्कालिक सुधार के लिए उसने बड़ी उदारता से शायद दो हजार रुपये की मंजूरी दी और उस रुपये से तीन-चार बस्तियों की मामूली सी मरम्मत करावी गई। हमने कहा—खैर, खाली समुन्दर में एक बूँद पड़ी तो ! बाद को हस बस्ती को नये सिरे से बना दिया गया।

‘सुईवाला’ बस्ती जबतक नहीं देखो थी, तबतक मैं नहीं बस्ती को ही दिल्ली शहर की सबसे गन्दी बस्ती समझता था। ‘सुईवाला’ को देखकर तो मैं दंग रह गया। इस बस्ती का तब यह चित्र था:—

एक छोटे-से आहाते के अन्दर दस कोठरियाँ, और उनके सामने मोहल्ले की आम टट्टियाँ बनी हुई थीं। कोठरियाँ ये कमेटी की थीं। इनमें सब मिलाकर ४२ मानव-प्राणी रहते थे। छतें पक्की थीं, पर बरसात में जगह-जगह से पानी टपकता था। दीवारें बिलकुल जीर्ण हो चुकी थीं। कोठरियों की बहुत ही बुरी दशा थी। ठीक सामने बमपुलिस; मैले की बालिट्याँ हमेशा भरी और खुल्की हुईं। बालिट्याँ खींचने के छेद कोठरियों के बिलकुल सामने, मुश्किल से १२ फुट के फासले पर। पेशाब और पाखाने का गंदा पानी दूसरी तरफ की कोठरियों के आगे से बहता था। उसी छोटे-से आहाते में, कोठरियों के बिलकुल पास, ‘डब्बाव’ था, जहाँ कचरे की तीन-चार गाड़ियाँ रखी रहती थीं। कचरा जलाते भी उसी जगह पर थे। खुएँ से बस्तीवालों का दम हरबड़ी छुटता रहता था।

मैं जब हस बस्ती को देखने गया, तब कुछ स्थिर्याँ बमपुलिस के सामने बैठी रोटी खा रही थीं। ठिककर मैं वहाँ जाड़ा हो गया, पूँछ-

ताकू करने की हिम्मत न हुई । मुझे देखकर एक चुनिया हैस पढ़ी, और थाली को आगे से सरकाती हुई बोली—

“नया खड़े-खड़े देखते हो बाबूजी ? मेहतरों की ही जाति ऐसी सूर-बीर है, जो बरमों से हस नरक में रह रही है । हमारी नाक के आगे मैला बदू मार रहा है, और हम लोग चार क़दम के फासले पर रोटी खा रहे हैं । है कोई ऐसी सूर-बीर जाति ?”

बस्ती देखने को आया हूँ, तो बाईर एक-दो प्रश्न पूछे वापस जाना ठाक नहीं लगा । मैंने उससे पूछा, “तुम्हारे बच्चे माईं, कहों किसा मदरमें में पढ़ने जाते हैं ?” एक बहन ने बड़े तपाक से जवाब दिया—“जो आते यही पूछते आते हैं । कोई बच्चों के पढ़ने की बात पूछता है, तो कोई कर्जे की बात । आते हैं और पूछ-ताकूकर चले जाते हैं । करते करते कोई कुछ नहीं । अजी, कुछ कर सको तो सबसे पहले हमें हम नरक कुँड से निकालो न, पीछे पढ़ने-लिखने की बात करना ।”

बुनिया का कहना बिल्कुल सच था । हमारी रंज-रोज़ की यह कोई पूछ-ताकू उनके किस काम की, अगर हम उनके लिए तुरन्त कुछ करा नहीं सकते ? अन्ये को तो आईं चाहिए । मुझे लगा कि मैंने ऐसा इयर्थ का प्रश्न पूछकर सचमुच भूल की ।

इन्हीं दिनों ठहर बापा के साथ अजमेरी दरबाज़े की बस्ती देखने का संयोग हुआ । पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली में प्रवेश करने का प्रमुख राजद्वार यही दरबाज़ा है । हस बस्ती की जो हालत तब थी, वही लगभग आज भी है । हसे दो बार गांधीजी भी देख आये हैं—एक बार तो १९३५ में और दूसरी बार, म्यारह वर्ष बाद, १९४६ में ।

बरसों से सुनते आ रहे कि यह नरक-जैसी वस्ती यहाँ से डाल दी जायेगी, पर हुआ कुछ भी नहीं।

इस वस्ती का चित्र आज भी मेरी आँखों में बैसे-का-बैसा मूल रहा है। वह यह है। अजमेरी दरवाजे की बाई और, शहूर-पनाह के नीचे और गन्दे नाले के ऊपर, मेहतरों की यह वस्ती वसी है। वस्ती की एक ओर बमपुलिस और वहाँ डलाव भी, जहाँ पौच-छह गांडियाँ मैले से भरी हमेशा खड़ी रहती हैं। कचरा यहाँ पढ़ा महता रहता है। गंदा नाला कोई छुट फुट गहरा है। गन्दे नाले का साफ़ किया हुआ कीचड़ डसी जगह पढ़ा रहता है, जबतक कि वह घृण में सूख नहीं जाता, या बरसात का पानी बहा नहीं ले जाता। किनारे पर कोई ऊँची आड़ न होने से बच्चे कभी-कभी नाले में गिर जाने हैं; एक तो उसमें गिरकर मर भी गया था। दुर्गन्ध के मारे खड़ा होना भी वहाँ मुश्किल है।

अंगूरी घटटेतक इस वस्ती में तब १० परिवार रहते थे। बाद को सो काङड़ी जन-संख्या बढ़ गई, और गन्दे नाले की दूसरी तरफ भी कई कच्ची झोपड़ियाँ ढाल ली गईं। ये मेहतर सभी दिलजी मूनिमिपालिंगी के मुलाज़िम हैं। पर केवल ८ परिवारों को कमेटी ने रहने को कोठरियाँ दी हैं। ये १० फुट चौड़ी और १८ फुट लंबी हैं। आगे ६ फुट का बरामदा। शहरपनाह की पुश्ती दीवार के सहारे बरसात का पानी कोठरियों में भर जाता। बाकी झोपड़ियाँ इन खोगों ने सुद खड़ी करतीं। छुतें टान के टुकड़ों, टाट के चीथड़ों और बिरकियों से ढाढ़ी हैं। इन खोगों को उन दिनों पीने के पानी का बहा कसाला था। बाद को एक मकान का बगा दिया गया। पानी तब मटके के एक ब्रह्मगाह से लाया करते

थे। जब वह सुना होता, तभी पानी वहाँ मिल सकता था, बरना नहीं। जानवरों के खेल से या पास के गम्बे राजाव से भी, जो अब पाट दिया गया है, ये लोग पानी लाते थे। रोशनी का कुछ भी इन्तज़ाम नहीं था। एक मैली-सी छाउटेन बमपुलिस के अन्दर टिमटिमाया करती थी, उसीका कुछ प्रकाश रास्ते पर पड़ जाता था।

मेहतरों के गुरुजी (गुरुजी) सातु गोपालदास यहाँ पर एक फोपड़ा डाककर रहा करते थे। उनके प्रभाव से बस्ती के कई लोगों ने शराब पोना बिलहुल लांड दिया था। रात्रि-पाठशाला भी कई महीनेतक कालेज के कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ चलाई थी, पर जगह का ढीक इन्तज़ाम न होने के कारण उनका उत्साह मंद पड़ गया, और वह पाठशाला बन्द होगई।

नीचे बस्ती हरफूलसिंह का बर्णन देकर इस नरक-प्रकरण को समाप्त करता हूँ।

जाई इविंस ने इस बस्ती को देखकर 'डेथट्रेप' (मौत का फंदा) कहा था। गांधीजी भी इसे देखकर बहुत व्यथित हुए थे। यह बस्ती अब वहाँ से डठा दी गई है। आज तो उस जगह आलीशान हमारते देखने में आती है। वहाँ के पहले के निचासियों को अब अन्यथा आच्छी जगह पर बसा दिया गया है।

उन दिनों, याने १९३४ में, बस्ती हरफूलसिंह की बहुत तुरी हालत थी। जगभग पाँच हज़ार की आबादी थी। ज़मीन का मालिक तो एक जाट था, पर मकान बस्तीवालों के अपने थे। उन्हे ज़मीन का किराया हर माह भरना रहता था। अपूर्णिपालिंदी हाउस ईस बस्ती

करती थी, और ज़मींदार साहब अपनी ज़मीन का भाड़ा। पह यह मोहल्ला दिल्ली का घोर नक्क था। छोटी-छोटी दैची-नीची यहाँ बीसियों गंदी गलियाँ थीं। नालियों का कहीं नाम भी नहीं था, कचरा और मल-मूत्र बरों के सामने पढ़ा सढ़ा करता था। एक-एक फुट गहरा कोकतार के जैसा काढ़ा-काढ़ा मल-मूत्र-मिश्रित गाहा पानी ऐसी बदू मारता था कि जी मिच्छाने छगता था। रात को उन गंदी गलियों से गुज़रना मुश्किल हो जाता था। कमेटी की तरफ से बस्ती में रोशनी का कुछ भी इन्तज़ाम नहीं था।

एक दिन इस बोगों ने 'मातृ-मन्दिर' की बहनों के साथ जाकर इस बस्ती के एक हिस्से की सफाई की। स्व० सत्यवतीदेवी तथा दूसरी बहनों ने एक गली का मल-मूत्र और गंदा पानी तस्कों में भर-भरकर फेंका। इससे मूलिसिपालिटी कुछ-कुछ कुज़मुज़ाई। फिर दूसरे दिन कमेटी ने अपने कुछ मेहतरों को बस्ती की सफाई करने के लिए बहाँ भेजा। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, अब वह बस्ती स्थानान्तरित करदी गई है। भारत की राजधानी दिल्ली के माध्ये पर खागी दूर है कलंक की कम-से-कम एक रेख तो पुँछ गई।

३६ :

कलकत्ते के वीभत्स दृश्य

मैं यह लिख चुका हूँ कि 'हरिजन-सेवक' -बाटे पर चक्रता था, और ग्राहक-संख्या बढ़ाने की सुन्मेहे हमेशा चिन्ता रहती थी। ग्राहक बढ़ाने के लिए एक-एक मास का अवकाश निकालकर मैं दो बार बाहर गया था। इस सिलसिले में मध्यप्रान्त और मध्यभारत के कुछ शहरों तथा कलकत्ते की हरिजन-बस्तियाँ देखने का अच्छा अवसर मिला था। एक पन्थ दो काज हो जाते थे। सबसे खराब बस्तियाँ बड़े-बड़े शहरों में ही मेरे देखने में आई थीं। छोटे शहरों व कस्बों की नई बस्तियाँ फिर भी अपेक्षाकृत अच्छी और साक्ष-सुधरी थीं। कलकत्ते की बस्तियों की तो कोई तुलना ही नहीं। हरिजन-उद्यान-समिति के परिषद्मी कार्यकर्ता नृसिंहदासजी के साथ मैंने कलकत्ते की कोई १५ बस्तियाँ सन् १९३४ में देखी थीं। वहाँ की हावत को देखकर एक बार पत्थर भी पसीज डाला, पर कलकत्ता-कारपोरेशन पर कुछ भी असर न पढ़ा। सचमुच कलकत्ते के नागरिकों के लिए, वहाँ के याही कारपोरेशन के लिए और बंगाल-सरकार के लिए भी यह बड़ी शर्म की बात है। हमारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघ भी कुछ न करा सका।

शुस्तुरु में संघ के कुछ प्रतिष्ठित सदस्य 'सेवा-भाव' से एक-दो बार बस्तियों का सिफं चक्कर लगा आये थे। बाद को शायद ही वे वहाँ कभी गये हों। ये लोग अपनी-अपनी मोटरों पर बस्तियों का निरीक्षण करने गये थे। एक डोम ने हमें बतलाया कि उन बड़े-बड़े बाबू लोगों ने तो ठीक तरह से बात भी नहीं की थी; जबतक खड़े रहे, नाक पर से रुमाल नहीं हटाया।

हाजरा डिपो, बीबी बागान और मेहदी बागान हन बस्तियों का ही बर्णन में यहाँ दूँगा।

हाजरा डिपो की बस्ती कारपोरेशन की अपनी बस्ती है। इसमें मेहतर, डोम और हादी रहते हैं। कारपोरेशन ने अपने आदमियों के लिए कृपाकर हाजरा डिपो में छोटी-छोटी कच्ची कोठरियाँ बनवा दी थीं। मुश्किल से एक कोठरी में दो आदमियों के लिए जगह थी, पर मैंने एक-एक कोठरी में पाँच-पाँच, छह-छह आदमियों को रहते हुए देखा। घार आने की आदमी जमीन-भाड़ा बसूल किया जाता था। बस्ती से बिलकुल सदा हुआ ढलाव था, जहाँ सारे दिन मैंले की गाड़ियों का जमघट लगा रहता था; और उसी जगह बमपुलिस भी थी। नालियों में भी मैंने गंदा सदा पानी ठिक्का हुआ देखा। कुछ कोपड़ियाँ ऐसी भी देखीं, जिनपर लूप्पर भी नहीं था। लूप्पर की जगह टाट के चीथड़े और कनस्तरों के टुकड़े ढाल रखे थे।

बीबी बागान की बस्ती को तो साक्षात् 'नरक-धाम' कहना चाहिए। बारहों मास वहाँ गंदा पानी भरा रहता। और घर क्या, कनस्तर की टीन के क्षुप्पर और टाट के चीथड़ों से मड़ी हुई बाँस की ढीचारे।

वहा बीभत्स दृश्य था वह मञ्जिरिया का खास अद्भुत।

पर जब मेहदी बागान की बस्ती जाकर देखी, तो मेरे आश्चर्य और व्यथा का पार न रहा। यह मोहल्ला तो रौरव था। दो-दो कलारों में तीन तरफ़ यह बस्ती बसी हुई थी। दोनों कलारों के बीच केवल छ पुट का कालका था। एक कोठरी को मैंने नापा तो वह द फुट खम्बी और ७ फुट चौड़ी निकली। और किराया ८) माहवार। खाना लोग उसी सैंकड़ी गंडी गल्ली में पकाते थे, पर बरसात के दिनों में तो उन्हें उस काल-कोठरी में दी गुज्जर करनी पड़ती थी। बस्ती के नज़दीक मैदान भी नहीं था कि जहाँ बेचारे बैसाख-जेठ की दमघोट ऊस में खटिया ढालकर तो सो जाते।

मेरे मित्र नृसिंहदासजी उसी दिन दो-तीन बस्तियाँ और दिल्लाना चाहते थे, पर देखने की तबायत नहीं हुई। हम दोनों वहाँ से बापस लौट आये। उन सब दर्शयों को देखकर मन में भासी बेदला हुई। सोचने लगा—यह सब क्या है? पन-कुबेरों की इस अक्कापुरी में ये धोर नारकीय जन-स्थान! एक ओर तो बड़ा बाज़ार और धर्मतल्ला, और दूसरी ओर ये बीभत्स बस्तियाँ! जिस कारपोरेशन की करोड़ों की आय हो, क्या वह दस-बीस लाख रुपया भी इन नरक-जैसी बस्तियों पर खर्च नहीं कर सकता? पर जाने दो कारपोरेशन को, उसे तो अपने रोज़मर्रा के आपसी जबाई-झगड़ों से ही फुर्सत नहीं—सैकड़ों लखपती और बीसियों करोड़पति कहाँ चढ़े गये, जो अविवेकपूर्ण दान-पुण्य पर हर साल लाखों रुपया पानी को तरह बहा देते हैं! फिर यह कोई दान की भी बात नहीं। जितना रुपया नहीं बस्तियों के बसाने पर

जगायेगे, वह धर्म-धर्मीरे मध्य-का-सब वसुल हो जायेगा। ऐसे-ऐसे नरक-स्थानों के रहते नहीं-नहीं धर्मशालाएँ, नये-नये मन्दिर और नये-नये बाग-बागीचे-बनवाना क्या। महामूर्खता और मानवता के प्रति और निर्दयता और कृतज्ञता नहीं है ?

उस दिन न जाने ऐसे कितने विचार मन में आये। सारे दिन बैचैनी-सी रही। रात को देरतक आँख नहीं लगी। वे बीभत्स दृश्य रह-रहकर आँखों के सामने आ जाते थे। बिस्तरे पर से डठ बैठा, और अस्पृश्यता-निवारण-कार्य के कुछ कागज-पत्र उलटने लगा। पानी के कष की किटनी ही रिपोर्ट पढ़ डालीं, जिससे तबीयत और भी बिगड़ी। पानी के देश सुद बंगाल की भी क्या दशा है, यह जानकर तो और भी अधिक मनोन्यथा हुई।

खादी-प्रतिष्ठान के कर्मठ संचालक श्री सतीश बाबू ने दूसरे दिन मुझे बताया—“कहने को तो हमारा यह प्रान्त नदियों और तालाबों का प्रदेश है, पर गर्भियों में तो यहाँ भी भूल उहती है। पानी का अकाल कहीं-कहीं पर तो माघ के महीने से ही शुरू हो जाता है। और पीने का अच्छा पानी तो चौमासे में भी ठीक तरह से नहीं मिलता। बाढ़े आती हैं, और खेतों व सड़कों को ढुबो देती हैं। पानी पूरे जोश के साथ आया, और लेकर कृदता चढ़ा गया। जब की यह प्रचुररता—यह भी शरीरों के हक में दुःखदायी—थोड़े दिनों ही रहती है। धीरे-धीरे बाढ़ों का पानी सूखने लगता है। दो-तीन महीनेतक गंदे पानी के पोखरे भरे रहते हैं। पर फर्वरी से लेकर अप्रैलतक तो बही ही बुरी हालत रहती है। हमारे देहालों में पानी का काफ़ी कष रहता है।

“परों के नीचे छोटे-बड़े हर आकार के आप जो खदूँद देखते हैं, उनसे किसी तरह काम चलता रहता है। ये खदूँद भी क्या हैं—मेडकों के घर, सड़े-गले पत्तों और कचरे के आश्रय-स्थान ! हरा हरा सहा पानी, दुर्गम्भ और गंदगी; मनुष्य भी वहाँ नहाते-धोते हैं, और वहीं जानवर भी। कीड़े पड़ जाते हैं, बदूँ आती हैं, फिर भी लोग वहीं का गौंदला पानी खा-जाकर पीते हैं ! गर्मियों में ये ‘डोबा’ भी सूख जाते हैं। तब बड़े आदमियों के तालाबों से पानी लेने लोग भीलों जाते हैं। पर वहाँ भी पानी गंदा ही मिलता है। जानवरों की तो और भी दुर्गति होती है। पानी न मिलने से कितने ही पशु बिना मौत के मर जाते हैं। पेचिश और हैंजे का भी बंगाल में इन दिनों खूब प्रकोप रहता है।”

“सुना है कि आपने कुछ गाँवों में पानी के संबंध में जाँच कराई है। जल-कष्ट आप वहाँ किम तरह दूर करेंगे ?” मैंने पूछा।

“पानी को ‘सर्वे’ करने के लिए हम लोग गाँवों में जाते हैं, तो लोग यह आशा बाँध लेते हैं कि उनका जल-कष्ट बस, अब दूर होने ही चाहता है ! उनकी यह आशा कैसे पूरी हो ? बंगाल के ज़िला-बोर्ड खग-भग सात लाख रुपया साक्षाता पानी पर खर्च करते हैं, पर हालत जैसी थी, आज भी प्रायः वैसी ही है। यह सारा रुपया मध्यम वर्ग के इलाकों और मोहल्लों पर खर्च होता है। बोर्ड में ग्रामीणों की सुध लेनेवाले कहाँ हैं ? उनका जल-कष्ट जैसा या वैसा ही बना हुआ है। प्रश्न यह एक-दो गाँवों का नहीं, हजारों गाँवों का है।”

दोपहर को खादी-प्रतिष्ठान से वापस आया। नृसिंहदासजी का आग्रह था कि कल्पकते की कम-से-कम दो बस्तियाँ और देखलूँ। पर मेरी

हिम्मत न पड़ी। हाजरा दियो के एक ढोम के ये शब्द अबतक मेरे कानों में गूँज रहे थे—“आप लोग करते-धरते तो कुछ हैं नहीं, रोज़-रोज़ हमें देखने आ जाते हैं। क्या हमारी वस्ती कोई अजायबघर है ? आखिर आप लोग यद्दीं दया देखने आते हैं ?”

कलकत्ते में मुझे अब कुछ नहीं देखना था। केवल स्व० पूर्णचन्द्र नाहर का संग्रहालय देखना था, जो दूर-दूरतक प्रसिद्ध था। उन्हें मैं चर्चन दे चुका था। पुरातत्त्व के शोधकों के काम की इस संग्रहालय में काफ़ी सामग्री थी। प्राचीन-से-प्राचीन प्रस्तर और धातु की मूर्तियों, सिक्कों, चित्रों और हस्तकलिखित तथा अपाप्य सुन्दर पुस्तकों का यह बहा सुन्दर संग्रहालय था। तीन घंटेतक नाहरजीने मुझे अपने संग्रहालय की एक-एक चीज़ बढ़े प्रेम से दिखाई। सूचमता से यदि कुछ देखता, तब तो शायद वहाँ कहाँ दिन जग जाते। मैंने तो सब बिहंगमटिट से ही देखा।

एक चीज़ इस संग्रहालय में मैंने बढ़े काम की देखी। वह ‘इयिड-यन माइक्रोफोन’ था। सन् १९२६ में मद्रास के जै० गैज़ एण्ड सन् ने इसे प्रकाशित किया था। इसमें कुछ तो बढ़े ही सुन्दर चित्र थे। चित्रों में रंग हाथ से भरे गये थे। कई सुन्दर चित्र देखने के बाद मेरी दृष्टि पनिहारिनों के एक चित्र पर पड़ी। यह २० नम्बर का प्लेट था। चित्र बहा मनोमोहक था। उसमें एक ग्राम का दश्य दिखाया गया था—सम्पन्न सबर्य स्त्रियों के हाथों में पीतल और ताँचे के घड़े थे, और गृहीब दरिद्र स्त्रियों के हाथों में मिट्टी के। कोई तो पानी खींच रही थी, और कोई भरकर ले जा रही थी। एक ही पनघट पर सबर्य और अबर्य पनि-

हारिने पानी भर रही थीं ।

आज से ११७ वर्ष पूर्व जल में स्पर्श-दोष नहीं खगता था । सब जलाशय तब सब के लिए एकसमान सुने हुए थे । उसी मद्रास में, तालाबों और कुओं पर अदृनों की छाया पढ़ना भी पाप समझा जाने लगा । नाहरजी ने चित्र दिखाते हुए कहा—“सौ बरस पहले महायमा गांधी मद्रास के गाँवों में तो कहने गये नहीं थे कि बाहरों और घृदों को एक ही कुएं पर पानी भरना चाहिए ।”

इस भव्य चित्र को देखकर मेरा अःतदाह कुछ-कुछ शान्त हुआ । पर आज यह हालत है कि गमियों में अदृतों को कुओं पर घंटों कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है । कोई दयावान् आ गया, और उनके घड़ों में दूर से पानी ढाक दिया तो ठीक, नहीं तो बेचारे घंटों धूप में खड़े मुलसा करें ।

यह दृश्य उम धर्मप्राण देश का है, जहाँ चींटियों को आटा और शक्कर चुनाते हैं, मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाते हैं, पर मनुष्यों को प्यासा मारते हैं ! गमियों में प्याऊ रखते हैं, तो वहाँ भी अदृतों के साथ भेद-भाव बरता जाता है; टीन की गन्दी टोटी से उन्हें पानी पिलाया जाता है !

मगर जो पाप के घड़ों को भरने में ही दिन-रात करे हुए है, उनके मन पर हमारी इस टीका का कोई असर होनेवाला नहीं । वे मानते ही नहीं कि उनके हाथ से कोई निर्दयता का काम हो रहा है । इन्दौर से एक श्री-सम्पन्न सनातनी सङ्जन ने मुझे एक पत्र में लिखा था—“कौन मूर्ख हम सनातनियों को ‘बठोर-हृदय’ कहता है ? हमारे ऊपरी

तुम सुधारकों को और से प्रायः यह भारोर किया जाता है कि इस लोग अद्वृतों को प्यासों मारते हैं। यह सोखहों आने असत्य है। मैं स्वयं श्रिकाल संभ्या करता हूँ। संभ्या करते समय तुम्हारे उन अद्वृतों को ही नहीं, जीवमात्र को ज़ज़ांज़िलि देता हूँ।”

कैसा अद्भुत तर्क है ! इसे मस्तिष्क-विकार ही कहना चाहिए न !

: ४० :

नरक के साथ स्वर्ग-दर्शन भी !

ये बसितियाँ, जो हतनी गन्दी और कुरुप जहाँ-तहाँ देखने में आती हैं, इसमें दोष किसका है ? बहुधा ग्रीष्म अङ्गूतों को ही दोषी ठहराया जाता है। कहा जाता है कि उनके गन्दे रहन-सहन का ही यह कुपरिणाम है। ऐसा कहना तो जलाकर नमक छिड़कना हुआ। अस्वच्छता उनकी या किसीकी भी जन्म-जात नहीं हुआ करती। कोई तो अपने प्रमाद या उपेक्षा के कारण अस्वच्छ बन जाता है, और कोई अमुक परिस्थितियों से। इन ग्रीष्म जातियों को निर्दयतापूर्वक ऐसी परिस्थितियों में फेंक दिया गया है कि जिनमें रहकर मनुष्य इससे बेहतर रहन-सहन रख नहीं सकता। सारा दोष तो समाज के उस तब्दि का है, जो अपने आपको आज बड़े दर्प और निर्लज्जता से ढंचा मान रहा है।

दिल्ली और कल्कत्ते की जिन नरकोपम बसितियों का मैंने पिछले प्रकरणों में वर्णन किया है, उनकी अस्वच्छता और वीभत्सता की जिम्मेदारी वहाँ के सभ्य कहलानेवाले नागरिकों पर आती है। दक्षित-जनों को उन छापधारी सभ्यों की उपेक्षा यदि आधी भी सुविधाएँ मिलें, तो वे उनसे भी अधिक स्वच्छता और भद्रता से रह सकते हैं। अपने उन

प्रवासों में भी ऐसी भी कहूँ बस्तियाँ देखीं, जहाँ पर्याप्त सुविधाएँ न होते हुए भी लोगों के घर कहीं अधिक स्वच्छ और सुन्दर मिले। साथ ही, उनसे कहीं गम्भीर कितने ही सवालों के देखने में आये। नीचे मैं ऐसी ही इच्छा साफ़-सुधरी बस्तियों का वर्णन करूँगा।

खंडवा से कोई १२ माल दूर पंधाना नाम का एक कस्बा है। आबादी इसकी तब चारेक हजार की थी। वहाँ की मेहनतों की बस्ती देखकर मुझे बहा आनन्द हुआ था। घर सारे ही साफ़-सुधरे थे। गली भी स्वच्छ थी। ये लोग मारवाड़ के रहनेवाले थे। ग्राम-कस्टी से इन्हें १) मासिक बेतन मिलता था। उनमें एक भी ऐसा नहीं था, जिसे मुदारमांस खाने या दाढ़ पीरे का व्यवसन हो। कोई बीड़ीतक नहीं पीता था। सभी सत्संगी थे। तान दूरे पर उनके भजि-भावपूर्ण भजन सुनकर इतना आनन्द आया कि कह नहीं सकता।

गयपुर ज़िले का गनियारी गाँव भी मुझे सदा याद रहेगा। रायपुर में यह २२ मील दूर है। मंध के मन्त्री श्रीलूबचन्द्र बडेल मुझे वहाँ को हरिजन-पाठशाला दिखाने ले गये थे। अधिकांश लड़के सतनामियों के थे। सतनामी अब सन्तमार्गी हैं। ये लोग न शराब पीते हैं, न मांस खाते हैं। लूब स्वच्छता से रहते हैं। गाँव की एक-एक गली, एक एक आँगन स्वच्छ मिला। कूड़े-कचरे का कहीं नाम नहीं था। पीली मिट्टी में पुनी कच्ची दीवारें और हरे-हरे गोबर से लिपे आँगन व चौंतरे देख कर चिन्त हरा होगा। एक सतनामी भाई का घर इतना साफ़-सुधरा था कि वहाँ से हटने को जो नहीं करता था।

झाँसी ज़िले के ताजबेड़ गाँव का मेहतर-बहती को, स्वच्छता की

इसी से, मैं आदर्श बस्ती कहूँगा। बुन्देलखण्ड का कुछ भाग हतना दरिद्र है कि उसकी तुलना कुछ अंशों में उड़ीसा से ही हो सकती है। पर यह प्रदेश हतना अधिक पिछड़ा हुआ है कि उसकी भव्यकर दरिद्रता का बाहर किसीको पता भी नहीं। किन्तु इस अभाव में भी यहाँ की सारी व्रतों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मेहतरों की स्वच्छ सोंपड़ियों को देखकर मैं पुलकित होगया। आदर्श स्वच्छता थी। दिवाली की सफाई भी छोटे-छोटे घरों के आगे फीकी लगती थी। हुई मिट्टी और गोबर से पुने-लिपे घर-आँगन में कूड़े-कचरे का कहीं नाम नहीं, कप्परों में मकड़िजालानक नहीं। सब चौका लगाकर इसोई बनाते और नहाएँकर रोटी खाते हैं।

हतनी स्वच्छता, पर पीने के पानी का उन्हे भी कष्ट था। पानी तालाब से लाकर पीते थे। एक कुआँ यत्न करने पर सुख तो गया था, पर जब मेहतरोंने उत्तर पानी भरना शुरू किया, तो चमारों ने उस कुएँ से पानी भरना बन्द कर दिया, और मेहतरों को रोज़ डराने-धमकाने भी लगे! बस्ती बमोरों की भी साक थी, पर उतनी साक नहीं, जितनी मेहतरों की।

हरदा, जिला होशंगाबाद, की भी वस्तियाँ स्वच्छ और सुन्दर मिलीं। घर, आँगन और गलियाँ खूब साक और रहन सहन भी अच्छा, स्वच्छ और इयवस्थित। अपने हरिजन-प्रबाल में यहाँ की सुख्यवस्था को देखकर गांधीजी ने भी कहा था—“यहाँ की वस्तियों की इयवस्था देखकर मुझे बड़ा सम्मोष हुआ है।”

सांचा ढाढ़ा

किन्तु परम स्वच्छता व पवित्रता, जो एक हरिजन-सेवी साधु पुरुष के घर में—उसके मिट्ठी के घर में, और उसके अन्तर के घर में भी—देखी, वैसी अन्यत्र कही भी देखने में नहीं आई। बिलासपुर का एक मधुर संस्मरण नीचे दे रहा हूँ।

बिलासपुर में थोड़ी ही दूर अरपा नदी के उस पार सरकंडा गाँव में एक जन-सेवी साधु के दर्शन से मैंने अपने को दोनों ही बार कृतार्थ किया था। उनका नाम सांचा था। पहले वह कोआपरेटिव बैंक के ऑफिचर थे। उन दिनों सरकार से उन्हें पेशन मिलती थी। पूर्वज मूल-निवासी आनन्द के थे। पर सैकड़ों बरसों से छृतीयगढ़ में रहते हुए ये लोग अपनी मातृभाषा तेलुगु बिल्कुल भूल गये हैं।

अरपा नदी का सारा घाट, अठारह-बीम वर्ष पहले, बड़ा गंदा रहता था। लोग चाहे जहाँ टट्टी फिर जाते थे। शिवालय के सामनेतक की यही दशा थी। लोगों को कितना ही समझाया, पर कोई माना नहीं। सांचा ने एक नवयुवक को साथ लेकर, १९३४ में खुद सफाई करने का काम आरंभ कर दिया। सैकड़ों आदमियों का पालना उठाना, कूदा-कचरा फेंकना, और घाट का झाड़ना-बुद्धाना उनका नियम हो गया। सरकंडा में कोई बमपुलिस तो था नहीं, इसलिए टट्टी लोग मैदान में ही जाते थे। सांचा ने वहाँ छाटे-छोटे गढ़े खोदना शुरू किया। जो लोग सबेरे-सर्क पालना फिरने जाते उनसे विनायपूर्वक कहते कि “गढ़े में ही कृपाकर आप टट्टी फिरें और बाद को उस गढ़े को मिट्टी से ढकदें।” उनके साथ जब मैं नदी का घाट देखने गया, तब

मुझे ऐसे पचासों गहडे उन्होंने दिखाये। फिर भी कुछ लोग गहड़ों को छोड़कर हथर-हथर ही टही कर दिया करते थे। किन्तु सांबा दादा थकने या दत्तात्रा होनेवाले जीव नहीं थे। उस का काम तो बैसा का बैसा ही जारी रहा। मैंने उनके हृस सेवा-कार्य की सराहना की, तो वहे सरल भाव से कहने लगे—“हृसमें ऐसी स्तुति की क्या बात है—मैं ठहरा-बुढ़ा आदमी, बैठे-बैठे रोटी पचेगी नहीं, हृसजिए सौंक-सवेरे साधा-रण-सा मेहनत का काम कर जेता हूँ; हृससे थोड़ा व्यायाम भी हो जाता है।”

उनके साथ आकर सरकड़ा की बस्ती और पाठशाला देखी। बस्ती की गलियाँ खूब साफ़ थीं; घर और आँगन मध्य स्वच्छ थे। यहाँ भी सांबा रोज़ झाड़ु देते थे। नित्य एक मित्र के घर पर ‘रामधुन’ कराया करते, जिसमें मोहल्ले के बहुत-से लोग शामिल हो जाते थे।

दूसरी बार जब मैं विज्ञासुर गया, उनकी शुद्ध ग्राम्य मनोवृत्ति ने मुझे और भी मोहित कर लिया। स्वच्छ ओसारे में एक और धान दखने की जकड़ी की चक्की; एक और धानी; आँगन में गाय; और घर के पिछवाड़े नीबू-सन्तरों के कुछ झाड़ और साग-सड़नी की हरी-हरी क्यारियाँ देखकर बदा आनन्द आया। सांबा दादा ने हमें आम-उद्योग की एक-एक चीज़ बड़े प्रेम से दिखाई। सोयाबीन की चाय और मूँग-फली के खल के लड्डुओं से हमारा आतिथ्य भी उन्होंने किया। उन दिनों वह सोयाबीन का दलिया, टमाटर और दही या हमली का पना लेते थे। स्वास्थ्य उनका मैंने खासा अच्छा पाया।

सवेरे तीन बजे उठकर गीता के अठारहों अध्यायों का पाठ करते,

दो मील की दौड़ लगाते और दो मील छूमते थे। उसके बाद गाँव की सफाई करते, नित्य आधा सेर अनाज पीसते और अपने पाखाने का विषिष्टर्वक खाद बनाते थे।

सांबा दादा को मैंने दीन-दुखियों का सच्चा सेवक पाया। गांधीजी के 'मंगल प्रभात' का पाठ करते हुए प्रेम-विद्वाल हो जाते थे। पाठ करते हुए एक-एक बत को अपने जीवन में डतारने का निरन्तर प्रयत्न किया। मुझे वहाँ मालूम हुआ कि अपनी स्वरूप आय का दसवाँ भाग वह हरिजनों के श्रीशर्थ प्रकृति मास देते हैं, जिसमें चार आने तो आटे को पिसाई के और ढेढ़ रूपया बर्तन मौजने के भी शामिल थे। पहले एक मञ्चूरिन बर्तन साफ़ करती थी। अब सांबा की पत्नी स्वयं मौजती थीं, और वह ढेढ़ रूपया वे धर्म-कोर में जमा कर देते थे। 'पानी-फंड' में भी उन्होंने अपनी बचत में से २५) दिये थे। एक बार एक दखिल भाई को सांबा ने गोदान भी बड़े अद्वा-भाव से दिया था। श्रीसांबा-जैसे मूकसेवकों की ही सेवा तथा साधना से हमारी इस धर्म-प्रवृत्ति को थोड़ा-बहुत बढ़ा मिला है, इसमें सन्देह नहीं। ऐसे निष्पृह निश्चल खोक-सेवक विरले ही कहीं देखने में आते हैं—

“लालों को नहिं बोरियाँ,
साधु न चलें जमात।”

: ४१ :

गढ़वाल में चार दिन

१९३६ के मई में पूज्य बापा के साथ गढ़वाल जाने का अवसर मिला था। गढ़वाल की यह मेरी पहली ही यात्रा थी। चार-पाँच दिन के कार्यक्रम में गढ़वाल के निचले हिस्से के ही कोई पाँच-सात स्थान हम देख सके। नीचे-ऊपर पूरा गढ़वाल देखने में तो हमारे कई सप्ताह लग जाते। पहाड़ी प्रदेश, चढ़ाव-ठाठार के आटपटे मार्ग, सवारी हत्थादि का कोई टीक साधन नहीं—ऐसी हाज़िर में और हृतने थोड़े समय में इससे अधिक स्थानों में जाना संभव न था। दोग़ुड़ा, डॉटियाल, डाढ़ा मंडी और हूँडेख देखकर ही हमें संतोष करना पड़ा।

गढ़वाल में 'विट' और 'हूँम' इन दो वर्गों के जोग रहते हैं। 'विट' या द्विजवर्ग में ब्राह्मण और राजपूत, और 'हूँम' या शिल्पकार वर्ग में यहाँ सारी ही दक्षिण जातियाँ ली जाती हैं। 'शिल्पकार' यह हमका आधुनिक नाम है। सरकारी कानाज़-पत्रों में भी अब यह नाम चढ़ा लिया गया है। जिन शिल्पकारों का आर्यसमाज के अन्दर संस्कार होनुका है वे अपने को अब 'आर्य' कहते हैं। परं ने आठ ज्ञात की जन-संख्या में आर्य देह-दो हज़ार से ऊपर नहीं है।

शिल्पकारों के यज्ञोपवीत धारणा करने पर यहाँ के सबसे हिन्दू बहुत चिढ़ते हैं। पर सबसे विकट प्रश्न तो गढ़वाल में 'डाढ़ा पालकी' का है, जो बारबार प्रयत्न करने पर भी अबतक दूरी तरह इल नहीं होसका है।

विट शिल्पकार के हाथ का पानी नहीं पीता, जहाँ पानी रखा होता है, वहाँ उसे आने नहीं देता; एक घाट -- उसे पानी नहीं भरने देता, और न शिल्पकार के बर-बूँ को डोला-पालकी पर चढ़ने देता है। एक और विचित्र बात है, वह यह कि कृत यहाँ गीते कपड़े की मानते हैं, सूखे की नहीं।

भयंकर गरीबी है। गढ़वाल में शारीर दूसरी जातियाँ भी हैं, पर शिल्पकारों की दशा सबसे बुरी है। पहाड़ में न कोई धंधा है, न रोज़गार। खेती में भी कोई तंत नहीं। मामली सेहमत-मज़ूरी करके किसी तरह पेट भरते हैं। यह बात नहीं कि वे उद्योगी नहीं हैं, पर असल में वहाँ कोई उद्योग दी नहीं। पेट का सवाल सचमुच वहाँ बढ़ा भयंकर है। 'भूखे भगति न होइ गोपाल' की मस्तक सामने आगई जब बौठ गाँव में हमारे इस प्रश्न के उत्तर में कि—“सनातन धर्म तुम्हारे लिए अच्छा है या आर्यसमाज ?” एक शिल्पकार ने कहा—“जिसमें पेट-भर रोटी मिले वही धर्म या समाज अच्छा है और वही हमें तारनेवाला है।” दूसरा भाई बोला—‘भूखे रहकर जनेक पहनने से हम परमपद योद्धे ही पा जायेंगे !’ मुझे कहा कि माना, रोटी ही धर्म नहीं है, पर भूखों के आगे, जिसका पेट भरा हुआ हो उसे धर्म की उपाख्या करने का कोई अधिकार नहीं।

गढवाल के हम शिल्पकारों को पीने का पानी भी सुख से नसीब नहीं होता। डॉटियाल महादेव के मेले में हमें मालूम हुआ कि कही भूप में शिल्पकारों को पानी की प्रतीक्षा में दो-दो घण्टे फरनों पर खड़ा रहना पड़ता है। पानी के इस कष्ट का डाढ़ामंडी में हमें भी प्रत्यह अनुभव हुआ। हम लोगों को हम समझकर वहाँ के विटों ने हमें बड़ा नहीं भरने दिया था। हमने देखा कि उसके हृदय पहाड़ के परथरों की तरह कठोर हैं; हिम के समान शुभ्र और फरनों के समान डदार नहीं।

देहात के गृहीब शिल्पकारों को अन्धविश्वास ने भी अपना शिकार बना रखा है। पलायन डॉटियाल में वहाँ के एक सज्जन ने अन्ध विश्वास की हमें एक दुःखद कहानी सुनाई। एक शिल्पकार स्त्री शिवजी के मन्दिर में, उसके लड़के पर विपत्ति पड़ने पर, दर्शन करने चली गई थी। उसको हस बे-अद्वीती पर भगवान् रुद्र का तीसरा नेत्र खुल गया। स्वप्न में पुजारी को छाँटते हुए कहा—“देख, मेरा मंदिर उस हृम स्त्री ने भट्ट कर दिया है। मेरे लिए तू उससे बकरे की बजि माँग और रुद्रों द्वा पाठ मन्दिर में करा; नहीं तो उस हृम-परिवार का जड़मूल से नाश कर दूँगा।” भगवान् की आङ्ग भजा कौन टाक सकता था? बकरा काटा गया, और पंडितों ने रुद्री-पाठ भी मन्दिर में वथाविधान किया। हस प्रायशिक्ष-विधान पर उस गृहीब शिल्पकार स्त्री के तेरह-चौदह रूपये खर्च हो गये। भगवान् शंकर भी बकरे या भैस की बजि लेते हैं, यह नहीं बात तो मैंने उस दिन पलायन डॉटियाल में ही सुनी।

पर हससे यह न समझा जाये कि सभी सर्वर्ण ऐसे ही थे। नहीं,

उनमें कुछ अच्छे समझदार दूरदर्शी और सेवा-भावी भी हमें मिले। दाढ़ामंडी की सभा में डोला-पालकी के प्रश्न पर चर्चा चल रही थी। कुछ लोग काफ़ी उत्तेजित हो गये थे। एक लड़े ठाकुर साहब ने उच्चता के मद में उम्मत आँखों और राजूतों को खलकारते हुए कहा—“रखा क्या है इन बेकार दबीलों में ? पता नहींआप लोगों को कि ज़माना आज कितना बदल चुका है ? हमारे ये शिल्पकार भाई जब हवाई जहाज पर बैठकर आसमान की सैर कर आये, तब इनका डोला-पालकी पर सबार होना तो कोई बात ही नहीं। मूठे अभिमान को छोड़कर इनका उचित और न्यायपूर्ण हक्क तो हन्दे देना ही चाहिए।” शिल्पकारों के पश्च लेने का दंड भी यह ठाकुर साहब भोग रहे थे। गाँव में लोगों ने इनका सामाजिक दहिपकार कर रखा था।

दोगढ़ा से टक्कर बापा दाढ़ामंडी पैदल ही गये थे और बापम भी पैदल ही आये थे। कोटड्डार की सभा में उनके यह उत्साहपूर्ण उद्गार सुनकर हम सब गदगद हो गये—“भगवान् ने चाहा, और यह शरीर बना रहा तो मैं तो बद्रीनारायण की पैदल यात्रा करना चाहता हूँ। भगवान् का दर्शन और हरिजनों की सेवा, मेरे दोनों ही काम बन जायेंगे।”

दोगढ़ा से उत्तरकर कोटड्डार से ठीक १२ बजे हम लोग नजीबाबाद पहुँचे। दिन बहुत गरम था। आग बरस रही थी। लुप्त खुब तेज अल रही थीं। बाहर निकलने को जी नहीं करता था। पर भंगियों की बस्तियाँ देखने का ठीक समय यही था। सबेरे ६ बजे से ११ बजेतक और शाम को ४ से ६ बजेतक उन्हे काम पर जाना पड़ता था। और शाम को

इ बजे की गाड़ी से उसी दिन उक्कर बापा को जाहौर रवाना हो जाना था। इसलिए हम एक बजे के लगभग नजीबाबाद की वस्तियाँ देखने के लिए स्टेशन से चल पड़े।

नजीबाबाद ज़िला बिजनौर का खासा बदा कस्बा है। जन-संख्या ३० हजार से ऊपर है। वस्तियाँ यहाँ सुख्य तीन हैं—सुकरवा, रामपुरा और जाहतांगन। सुकरवा और रामपुरा में भंगियों की आबादी अधिक है और जाहतांगन में जाटबों की। जाटब सब-के-सब शहर में मजूरी करते थे। दिनभर के काम के उन दिनों उन्हें दो आने मिलते थे। ज़मीदारों के जुलम से बड़े दुखी थे। कोई उनका दुःख सुननेवाला नहीं था। एक बड़े चमार ने अपने शरीर का काला चमड़ा दिखाते हुए रोष के सुर में बापा से कहा—“यह देखो, हमारा रंग काले झुंडे के जैसा होगा है। हमारा खूनतक जल-जलकर काला पड़ गया है। लाली तो आप बड़े आदिमियों के बदन पर दीखती है। हमें तो भरपेट कभी सूखी रोटी भी नसीब नहीं हुई। कभी-न-कभी हम ज़रूर इन जुलमों का बदला लेंगे।”

बूदा पदा-लिला तो एक अचर नहीं था, पर बातें ऐसी समझ और पते की करता था कि वहाँ से उठने को जी नहीं चाहता था। उसने लची आह खींचते हुए कहा, “वहाँ से तो सब एकसमान ही आये हैं। यह ऊँच-नीच का भेद-भाव तो आप लोगों ने सब यहाँ बना लिया है। शरीर चोरों तो खून ही निकलेगा। मुझ्हे उज्ज्वल शरीर से दूध तो निकलेगा नहीं!” सुने लगा, यह तो इस बूदे के मुँह से कबीर साहब के शब्द निकल रहे हैं—

'हम कत लोहू, तुम कत दूध ?
तुम कत बाल्मण, हम कत सूर ?'

पर अंत में वह कुछ निराशा और कुछ खीझ के सुर में आज्ञा--
"पर कोई लाल जलन को, हम पतप नहीं सकते । बड़े पेढ़ के भीचे
कहीं छोटा पेढ़ पतप सकता है ?"

फिर भी यह लोग अभी एकदम निराश नहीं हुए । उन्हें अब भी
अंतर के सच्चे सुख का कुछ-कुछ स्वाद मिल रहा है । बड़े को जवाब
देते हुए एक नवयुवक ने खड़े होकर कहा—“पर हमारे हन तीन सुखों
को कौन छीन सकता है, दादा ? कुदरत की हमें साफ हवा मिलती है;
चाहे जैसा खाना हजम होजाता है; कहीं मशरकत के बाद मीठी नीद
आती है । है हन बड़े आदमियों के नमीब में यह सुख ?” बापा उसकी
यह सूक्ष्म सुनकर सुन्ध होगये । मैंने भी मन में कहा—“यह है सच्चा
साहित्य । सच है, अमर साहित्य का निर्माण हन फोपड़ों में और हन
हाथ-पिजरों के ही अंदर से होता है । हनके मुँह से वेदान्त और साम्य-
वाद के जो उद्गार लिकले हैं यह हनकी आत्मा के सहज राष्ट्र है,
और यही सच्चा साहित्य है ।”

: ४२ :

उड़ीसा की पैदल यात्रा

ऐसी यात्राओं का यह अनिम प्रकरण है। १९३४ में गांधीजी ने उड़ीसा की जो पैदलयात्रा की थी, उसमें सात या आठ दिन उनके साथ रहकर मैंने भी योग्य-सा पुरुषार्जन किया था। यात्री-दल में सम्मिलित होने की मैंने पहले से विस्तृत आज्ञा मँगाई थी। वे सुंदर सात दिन मेरे जीवन में सदा स्मरण रहेंगे। भद्रक से विदा होकर जिस दिन कलकत्ता वापस आया, उस दिन ऐसा लगा कि क्या अच्छा होता यदि इस ऐतिहासिक पुरुष पवास में बापूजी के साथ दस-पाँच दिन और रह जेता। उक्कल के मित्रों की वह मंडली छोड़ी नहीं जाती थी। दरिद्र उक्कल गांधी महात्मा को अपने आँगन में पाकर अपना सारा अभाव भूल गया था। जहाँ-जहाँ इम गये, सर्वत्र उस्सव का ही मंगलमय दृश्य देखने में आया।

रात को कोई नौ बजे मैं हनुपुर ग्राम में पहुँचा था। उस रात गांधीजी का पवाव अंगोच्चीपुर में था। हनुपुर से यह स्थान ५ मील दूर था। रास्ता अच्छा नहीं था। चंद्रोदय होने में अभी कुछ देर थी। मगर भाग्य से एक खालटेन मिल गई। अंगोच्चीपुर का मार्ग दिखाने के

लिए एक आदमी भी साथ ले लिया । मेरी हतनी मदद हन्दुपुर के अध्यापक श्रीकृष्णचन्द्र दास ने की थी । हन्दुपुर से गांधीजी उसी शाम को गये थे । वह ग्राम-अध्यापक गांधीजी की पैद़क बात्रा का वर्णन बड़े प्रेम से हृटी-फृटी हिन्दी में सुनाने लगा—“हमारे हन्दुपुर में आज भारी उत्सव था । हमारे हस गाँव में हजारों आदमी महात्मा का दर्शन करने आया था । हम उत्कल का लोग कृतार्थ होगया । सत्य मानो, चैतन्य महाप्रभु का अवतार है गांधी महात्मा । बोलता है—‘डैंच-नीच का भेद-भाव भूल जाओ ।’ यही उपदेश तो हमारे महाप्रभु ने किया था । बड़ा जबर्दस्त है गांधी महात्मा ।” “जबर्दस्त कैसा ?” मैंने पूछा । “अरे, जबर्दस्त नहीं तो क्या ! हम उक्तीसा का लोग ‘राधे गोविन्द, राधे गोविन्द’ बोलता है । परन्तु हस महात्मा ने हम लोगों से प्रार्थना में ‘पतित पावन सीताराम’ बोलवाया,” कहते हुए अध्यापक कृष्णचन्द्र दास भवित-विह्वल होगये ।

उत्कल में सचमुच ही मानो चैतन्य-युग उत्तर आया था । उत्कल की भवित विह्वला ग्राम-नारियाँ गांधीजी का स्वागत ‘ऊलु’ ध्वनि से करती थीं । बारी गाँव में मृदंग-मंजीर के साथ ‘हरे कृष्ण, हरे राम’ की खुन मैंने सुनी तो गोप बाजु से पूछा कि ‘यहाँ किसी मन्दिर में आज उत्सव है क्या ?’ उन्होंने कहा—‘यह तो हमारा नित्य का भंगल-उत्सव है । बापू का स्वागत करने के लिए हमारे हरिजन भाई ग्रामों से कीर्तन करते हुए आरहे हैं ।’ कीर्तन-मंडकी का अनुपम उत्कास देखकर प्रेमाश्रु भर आये । नवद्वीप और बृन्दावन का दिव्य दश सामने आया । बीच-बीच में शंखध्वनि से आकाश गूँज उठता था ।

अटीरा ग्राम के एक बूढ़ा बाहुदा का भी भवित-भाव देखने ही चाह्या था। सभा के बाद की बात है। जोगों की भीष छृट गई थी। गांधीजी शायद आराम कर रहे थे। इतने में एक बाहुदा चन्दन और तुलसी-पत्र लेकर पहुँचा, और गांधीजी के पास जाने की जिव करने लगा। बहुत समझाया, पर माना नहीं। वहाँ अद्वकर बैठ गया। उसका प्रेमाघ्र सुनकर गांधीजी ने उसे अपने पास बुला लिया। काम तो उसे कुछ था नहीं। गांधीजी के माथे पर सारा चन्दन पोत दिया और तुलसी-पत्र देकर लगा स्तोत्र-पाठ करने। स्तोत्र समाप्त होने को नहीं आरहे थे। नेत्रों से उसके अशुधारा बहने लगी। बाहर निकला तब कण्ठ गद्गद था। उसे वहाँ ऐसी कौन-सी निष्ठि मिली होगी?

२ जून की रात को बारिश आगई। पड़ाव हमारा उस दिन एक क्षोटे-से गाँव में था। डेरा हमारा एक छप्पर के नीचे ढाला गया था। पर सबका वहाँ, उस छोटी कोठी में, सोना कठिन था। इसलिए जहाँ जिसे जगह मिली, बगल में अपना विस्तरा दबाकर रैन-बसेरा लेने चल दिया। एक शरीब किसान के घर में मैं और मलकानीजी हम दो आदमी सोये। घर सो छोटा-सा था, पर मन उस किसान का बढ़ा था। हमारे लिए उसने एक चटाई लाकर ढाक दी। सिरहाने टंडा पानी रख दिया, और बड़े ग्रेम से बात करने लगा। बोला—‘मैं जाति का बाहुदा हूँ, पर छृतछात नहीं मानता हूँ। गांधी महात्मा धर्म की बात बोलता है। अस्पृश्यता पाप है, यह मैं समझ गया हूँ। हमारा धर्म भाग्य, जो गांधी महात्मा हमारे गाँव में आज विश्वासित ले रहा है। मेरे बच्चे जब बढ़े होंगे, तब जोगों को सुनाया करेंगे कि हमारे गाँव

में एक रात्रि महामा गांधी ने विश्राम किया था ।”

उत्कल-वासियों की भवित-भावना के ऐसे अनेक प्रसंग हैं। गांधी-जी को इस पैदल यात्रा में सूख शारणि मिली थी। इस यात्रा के उपर्युक्त भूमि भी गोप बाबू ने तैयार कर दी थी। गोप बाबू, उनकी पत्नी श्रीरमादेवी एवं आचार्य हरिहरदास की सेवा-परायणता इस यात्रा में तथा गांधी-सेवा-पर्याय के देखांगवाले सम्मेलन के अवसर पर मुझे समीप से देखो को मिली। गोप बाबू को मैंने सच्चे अर्थ में बैप्पाव पाया। गोप बाबू को देखकर कौन कह सकता था कि यह मज़दूर-जैसा अव्यनंगा डिया किसी ज़माने में कटक का हिण्ठी कलेक्टर था। गोप बाबू का नाम उत्कल का बच्चा-बच्चा जानता है। कमर में मोटी खादी लपेटे, नंगे पैर, सफेद थैला छटकाये उत्कल के इस महान् लोक सेवक को देखकर मैं तो स्वतंत्र रह गया। स्वभाव में सरलता, चाल में गम्भीरता और कार्य में तत्परता उनकी देखते ही बनती थी। वैसे ही गोप बाबू का हिन्दी-प्रेम भी सराहनीय। नुलधीदास की विनय-पत्रिका पर बड़ा ही प्रेम। अपने पुत्र-पुत्रियों को भी उन्होंने हिन्दी का प्रेमी बनाया। और उनकी पत्नी रमादेवी भी साङ्कात् रमादेवी। उत्कल से विदा होते समय गांधीजी ने रमादेवी को इन सुन्दर शब्दों में स्तुति की थी—“रमादेवी के सेवा-कार्य पर तो मैं सुख होगा हूँ। मैंने इस बहन के कियी भी काम में कृतिमता नहीं देखी। कष्ट-सहन की महिमा यह अच्छी तरह जानती है। इसकी सादगी तो एक अनुकरण करने की बस्तु है। भारत की द्वारा बहिनों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है; मैंने उनका सेवा-कार्य भी देखा है। पर रमादेवी जिस

सहज सेवा-भावना से काम करती है वह अपूर्व है।”

इसमें सन्देह नहीं कि गांधीजी की इस ऐतिहासिक पैदल यात्रा का उत्कृष्ट की भक्षित-भावुक जनता पर आशातीत प्रभाव पड़ा था। गृहीय-से-गृहीय डिलिया ने हरिजन-कार्य के लिए पैसा भी दिया था। श्री-बनश्यामदास चिह्नका ने अपने संस्मरणों में ठीक ही लिखा है—‘प्रार्थना में हजारों मनुष्य आते हैं, और वहे जनता से तांचे के टुकड़े, पैसे, अधेले, पाईं गांधीजी के चरणों में रख जाते हैं। ‘भोजने यत्र सन्देहो धनाशा तत्र कीदृशी’ पर डिलिया भूखा हे, तो भी गांधीजी को देता है। बीस-बीस कोस से चलकर आनेवाले नर कंकाल का धोती की सात गाँठों में से सावधानीपूर्वक एक पैसा मिकालकर गांधीजी के चरणों में रख देने का दृश्य सचमुच ही रुकानेवाला होता है।”

फिर भी जगम्बनाधजी के बज्ज-कपाट न खुले, हर्झनो के लिए बन्द ही रहे ! जिस उत्कृष्ट प्रान्त को प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु ने अपने श्रीचरणों की रज से पवित्र किया हो उसको क्या यह मूढ़प्राह शोभा देता है ?

तुड़ंगा गाँव से गांधीजी एक ही मंजिल मे १२ मील तय करके सीधे भद्रक पहुँचे। यात्रा का यह अन्तिम मुकाम था। उस दिन वे बड़ी तेज चाल से चले थे। उन्हें पकड़ने के लिए साथवालों को कहीं-कहीं उनके पीछे-पीछे दौड़ना पड़ा था। बनश्यामदासजी ने, जो गांधीजी से आध बंटे बाद मोटर से पहुँचे थे, कहा कि—“जब मैंने हतनी फुरती के साथ गांधीजी को १२ मील की मंजिल तय करते देखा, तो मन-ही-मन मिम्नत की कि, भगवान् हमारे भले के लिए गांधीजी को

खम्बी उम्र हैं। इतना शारीरिक परिश्रम हस उम्र में अवश्य ही एक अद्भुत चीज़ है।^१

तुड़ंगा में अपनी शेष यात्रा को गांधीजी ने योंही नहीं छोड़ दिया था। वर्षा आनेवाली है इसकी हमें प्रकृति बार-बार चेतावनी देरही थी। तुड़ाघात में रात को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता, भगर गोप बादू ने मेह आने से आध घंटे पहले बचाव का कुछ प्रबंध कर लिया था। हम लोगों को प्रायः खुले आकाश के तले सोना पड़ता था। दूसरी रात को भी बारिश आई। गर्नीमत थी कि उस रात हमारा पक्काव एक बस्ती में पड़ा हुआ था। पक्की सड़कों पर चलने में कोई वाधा नहीं थी, पर अधिक वर्षा होने के बाद गाँवों की कच्ची सड़कों पर सामान से ज़दी बैज़-गाड़ियों का चलना मुश्किल होजाता। तुड़ंगा गाँव की सड़क तो खास तौर से खराब थी। बारिश उस दिन बन्द न होती, तो तुड़ंगा से हमारा आगे जाना कठिन हो जाता। सबसे समीप भद्रक ही एक ऐसी जगह थी, जहाँ पक्के दो दिन हम मेह-पानी की आफत से बचकर टिक सकते थे। इमलिए बीच में बिना कहीं रुके, सीधे, भद्रक जाना ही निश्चय हुआ। तुड़ंगा से भद्रक के 'गरदपुर-आश्रम' तक जाने में ठीक साढ़े तीन घंटे लगे।

गरदपुर में हमारा तीन दिन पक्काव रहा। यहाँ उड़ीसा के हरिजन-सेवको तथा बाद-निवारण समिति पूर्वं चर्खा-संघ के कार्यकर्ताओं को गांधीजी ने काफ़ी समय दिया। इस आश्रम को स्व० जीवराम भाई चलाते थे। श्री जीवराम कल्याणजी कच्छ के रहनेवाले थे। यह जख्पति ब्यापारी थे। जाखों सूपये छोड़कर सेवक बने थे। कुछियों

की सेवा-शुभ्रा करते हुए ही अन्त में अपने आपको हम्होंने उत्सर्ग किया ।

जीवराम सच्चे जन-सेवक थे । मोटा औंगोखा लपेटे, नंगे बदन, हाथ में काढ़ लिये ही हमने जीवराम भाई को बहाँ हर घड़ी देखा । आश्रम की सफ़ाई और व्यवस्था नमूने की थी । समझ में नहीं आरहा था कि, जीवराम भाई कव सोते हैं और कव सोते हैं । रात को दो-ढाई बजे मैं उठा तो देखता हूँ कि जीवराम भाई एक बड़े गड़े में टहियों की बालियों का भैंबा डंडेल रहे हैं और साथ-साथ गीता का पाठ भी चल रहा है ! हम कोग जब सोते थे, तब यह महापुरुष रात को अकेले ही डेढ़ सौ आदमियों का पालना साक करता था ।

‘धन-धन जननी तेनी रे ।’

तीन बजेतक पालना साक किया, फिर सूत काता, हतने में प्रार्थना का समय आगया । एक मिनिट को भी औल बन्द नहीं की । पारे दिन और सारी रात काम-ही-काम । जीवराम भाई तब फिर सोते कव थे ? कवीर की यह कही याद आयी—

‘आशिक होकर सोना क्या रे ?’

: ४३ :

स्मरणीय प्रसंग

इस प्रकरण में कुछ ऐसे मधुर पद्वं पुनीत प्रसंगों का डल्लेख कहूँगा, जो सचमुच चिरस्मरणीय हैं। 'हरिजन-सेवक' के सिलसिले में, १९३२ और १९३६ में, मैंने जो यात्राएँ की थीं, नीचे के ये सुन्दर प्रसंग उन्हींमें घटित हुए थे।

फरवरी, १९३२। रात की एक्सप्रेस से मैं दिल्ली से झौंसी जा रहा था। गाड़ियों में तब तीसरे दरजे में भी काफ़ी जगह रहती थी। ग्वालियर से गाड़ी छूट गई थी। कोई पॉच का समय था। पौँफटी आ रही थी, फिर भी कुछ अधेरा-सा था। जिस दिन्हे में मैं बैठा था, उसमें सामने की बैच पर दमे से पीड़ित एक अधेरा मुसलमान ने चार-खाने का फटा-सा टौलिया बिछुआकर नमाज़ पढ़ी, और फिर कहणा भरी धुन में रामायण की चौपाइयाँ गाने लगा। साथ-साथ अर्थ भी कहता जाता था। कभी 'या हलाही', कभी 'अय राम' उसकी दर्दभरी आवाज़ से निकल रहा था। जब उसने प्रभाती की धुन में 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई' मीरां का यह भजन गाया, तो प्रेम से बिछुत हो गया। फिर पागल की तरह बकम्बक करने लगा। हमारे

मौथ के मुसाफिर कुछ तो उसकी ओर आरचय से देख रहे थे और कुछ ज़ोर से हँस रहे थे। पर वह मस्त मौखा बरौर किसीकी पर्वा किये अपने कुमारी मन को खूब गालियाँ सुना रहा था—‘बदमाश, धोखेबाज कही का ! जहर का घडा लेकर मिलने चला है उस गिरधर गोपाल से ! शरम भी नहीं आती शैतान के बच्चे को !’

मन हुआ कि क्यों न इससे कुछ बात करें। उठकर मैं उसके पास उसी बैच पर बैठ गया। टीन का टोटोदार लोटा, रामायण का फटा-पुराना गुटका, एक लकड़ी और कंचल, वस यही उसका सारा सामान था। पाँच-सात मिनिट मुनौशर खां (यही उसका नाम था) से मेरी जो बात हुई उसका संचिप्त सार यह है :—

“मालिक का गुनहगार हूँ जनम-जनम का। रामजी के रहम का ही अब आपरा है। वह बड़ा रहीम है। मैयाजी, बुन्देलखण्ड का एक गारीब मुसलमान हूँ। एक रियासत से ६) माहवार मिलते हैं, उसीमे आपकी गिरस्ती चलती है। घर मे गऊमाता पाल रखी है। उसकी सेवा करता हूँ, और आपके बाल-गोपाल उसका दूध पीते हैं। गोश्त से दिली नफरत है। मूखी-रूखी रोटो खाकर तो इस शैतान शोहदे मन का यह हाल है, पुलाव कवाव इस हरामी को मिलने लग जाये, तो न जाने यद्य क्या करे ! चाकरों से जो बक्क बचता है, उसे मालिक की याद में लगाने का जतन करता रहता हूँ। तिवारी बाबा से रामायन का अर्थ पूछ लेता हूँ। उग्हे मैं अपने बाप के मानिन्द मानता हूँ। मैयाजी, मैं हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करता। मैंने देखा है कि मेरा ही इस हुनिया में सार है, और सब असार है !”

दस अज्ञात मुसलमान साथ का दर्शन कर मैंने अपने को कृत-कृत्य माना। चरबस मुनौथर खां से विदा लेनी पड़ी। फॉसी का स्टेशन आ गया था।

दूसरा प्रसंग मार्च, १९३६ का है। फॉसी से मैं खंडवा जा रहा था। दैखवारा स्टेशन पर मेरे डिव्हे में मुमोवन की मारी तीन बूढ़ी औरतें चढ़ आईं। रोजी की खाज में ये मालवा जा रही थीं। पाँच-पाँच, सात-सात सेर जंगली बेरों के सिवाय उनके पास और कुछ भी नहीं था। शरीर पर, बस, एक-एक 'फटा पुराना चीथड़ा लिपटा' था। उनमें एक अन्धी थी। उनके पास टिकट नहीं थे। डर की मारी बेचारी काँप रही थीं। गाड़ी चलाई, तब कहीं उनके जी में जी आया। एक अधेड़ मुसाफिर के पूछने पर अन्धी तुडिया अपनी चिपता तुन्देलखंडी बोली में सुनाने लगी—“मालिक, मनूसी कड़ै इनै लगत नैयाँ, आठ दिन से अन्न कौ मौं नहैं देखो, बेर कूट-कूटकै पेट भर रये हैं। घर मे न लारका है, न बाले। जौ पापी पेट मालिक ..” कहते-कहते उसका गदा भर आया। तीनों ही जात की चमार थीं।

तुन्देलखंड की भयंकर गारीबी का बहुत कम लोगों को पता होगा। गारीबी को देखते हुए इधर की रियासतें और दूसरा इलाका प्रायः एक-से ही है। फॉसी से बीनान इहर स्टेशन पर आपको इन दिनों बेकार स्त्री-पुरुषों के हजारों अस्थि-कंकाल दिखाई देंगे। औरतों के तन पर सौ-सौ छिद्रों के चीथड़े, सिर पर जंगली बेरों की पोटली, गोद में नंग-धड़ंग दुबले-सूखे बालक। ये लोग जगह-जगह जीविका की खोज में मालवा की तरफ बिना टिकट जाने का प्रयत्न करते हुए आपको

मिलेंगे। सत्तर-सत्तर साल की अंधी और लूली-जैंगड़ी बुदियाँ गाड़ी के डिव्वो में उसने की कोशिश करती हैं, मार खाती हैं और पेट की खातिर सभी तरह का अपमान सहन करती है।

उन तीनों की अत्यन्त दयनीय दशा देखकर भी हममें से किसीको उनपर कोई खास दया नहीं आहे। थोड़ी देर में तेरह-चौदह वर्ष का एक सुखलमान लड़का धीरे से उठा, अपने हमाल से आठ रोटियाँ खोलकर निकालीं, और सारी-की-सारी उन बुदियों के हाथ पर रखदीं। अपने जिए उसने एक टुकड़ा भी न रखा। गुरीब औरतें उसे बार-बार आशीष देंगी जागीं। उस दयालु बालक की भोली आँखों में रहम के आँमू भर आये। ‘भाई, तुम किसके लड़के हो, और कहाँ जा रहे हो?’ मैंने उस दयालु बालक से पूछा।

उस सुशील लड़के ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया—‘मेरा बाप बीना में एक बाबू के यहाँ नौकर है। ए) तनख्वाह उसे मिलती है। हम दो भाई और एक बहिन हैं। मैं अभी माँसी से अपने मामू के यहाँ से आ रहा हूँ। बीना जाऊँगा।’

उसके सिर पर हाथ रखकर मैंने कहा—‘तुम्हारी यह दशा देखकर बड़ी खुशी हुई बच्चा! मालिक तुम्हें खुश रखे।’

नम्रता से उसने सिर नीचा कर लिया।

तीसरा संस्मरण बुरहानपुर की आदिलशाही मसजिद का है। आज हस गिरावट के ज्ञाने में जब भाषा और संस्कृति के प्रश्नोंतक को राष्ट्र-विधातिनी सांप्रदायिकता ने अपनी काढ़ी चादर से ढक लिया है, हस ऐतिहासिक मसजिद का सुनहरा चित्र हमारी आँखों के सामने

आकर हमें एक पवित्र सन्देश सुना जाता है।

इस मसजिद को मैंने सन् १९३८ में देखा था। बुरहानपुर की हरिजन-वस्तियाँ देखने हम जोग जा रहे थे। मसजिद इमारे रास्ते में पहली थी। इसके मम्बन्ध में मैं पहले सुन चुका था। पैर घोकर हम जोग अन्दर दाखिल हुए। अन्दर एक शिला-लेख देखा, जिसपर फारसी के साथ-साथ संस्कृत में भी ईश्वर-स्तुति, निर्माता का नाम और रचना-काल खुदे हुए थे। संस्कृत में लिखा था :

“श्रीसृष्टिकर्त्रं नमः ।
 अव्यक्तं व्यापकं नित्यं
 गुणातीतं चिदात्मकम् ।
 व्यक्तस्य कारणं वन्दे
 व्यक्ताव्यक्तं तमीश्वरम् ॥

इसके नीचे तिथि, वार, नवत्र सहित मसजिद का रचना-काल दिया गया है—

“स्वस्ति श्री संवत् १९४६ वर्षे शाके १२११ विरोधि संवत्सरे पौष
 मासे शुक्ल पक्षे १० घटी २३ सहैकादश्या तिथी सोमे कृत्तिका घटी
 ३३ सह रोहिण्या शुभ घटी ४२ योगे विश्विजकरणे इस्मिन्दिने रात्रिगत
 घटी ११ समये कन्याकुमारे श्री मुखारकशाह सुत श्री एदज़राह राजा
 मसीतिरियं निर्मिता स्वधर्मपालनार्थम् ॥”

संस्कृत भाषा और नागरी लिपि ने तब ‘स्वधर्म-पालन’ के मार्ग में
 कोई वाधा उपस्थित नहीं की थी। पं० चन्द्रबली पांडे ने यह बिलकुल
 ढीक लिखा है कि “धर्म किसी भाषा एवं लिपि में लपेटकर कहीं लट-

काया तो जाता नहीं। वह तो मानव-हृदय में रमता और रोम-रोम से न जाने किस-किस भाषा में भाषण करता रहता है। नागरी और संस्कृत में भी उसका स्वर उसी प्रकार सुनाई देता है, जिस प्रकार आरबी-कारसी में।”

अकेले ऊपर के श्लोक में ही अल्लाह की बन्दना इस प्रकार नहीं की गई है, दमोह जिले के बटिहाड़िमपुर के दर्शनीय ‘गोमठ’ में भी ऐसा ही एक श्लोक खुदा हुआ है :—

“सर्वलोकस्य कर्त्तारमिल्लाशक्तिमनन्तकम् ।

अनादिनिधनं वन्दे गुणवर्णविवर्जितम् ॥

इस गोमठ का निर्माता कोई हिन्दू नहीं, किन्तु एक धार्मिक मुसलमान था। किन्तु देश के दुर्भाग्य से आज वह सुनहरा रंग उड़ गया है। आज सभी जगह हमारे दुर्भाग्य ने जैसे कालिख पोत दी है। अब तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक ‘श्री’ और ‘कमल’ भी मुसलमानों के दिलों में चिह्न पैदा करने के कारण बन गये और उन्हें मिटा देने में ही उन्होंने अपने दीन की रक्षा समझी। आज तो पार्थिक देश के ही नहीं, हमारे हृदयों के भी दुकड़े-दुकड़े हो गये हैं।

४४

उद्योगशाला

(१)

हमारे संघ के अध्यक्ष श्रीघनश्यामदासजी विडला की कल्पना के अनुसार आचार्य नारायणदाम मल्कानी ने सन् १९३६ के मार्च में हरिजन-उद्योगशाला का कार्य आरंभ कर दिया। शुरू में यिर्फ़ आठ विद्यार्थी आये। प्रारम्भ में केवल दो उद्योगों के सिखाने की स्थिति की गई, एक छात्रावास के एक कमरे में चमड़ा-विभाग और दूसरे में बदूँ-विभाग। उद्योगशाला का मुख्य भवन तब बन ही रहा था। छात्रावास शुरू में हमने तीन-तीन कमरों के दो ही बनाये थे, जो तीम-पैंटीस लड़कों के लिए पर्याप्त थे। पचास से ऊपर संख्या ले जाने का हमारा तब विचार भी नहीं था। पीछे तो छात्र-संख्या बढ़ते-बढ़ते १५० तक पहुँची, पर घनश्यामदासजी को तब भी सन्तोष नहीं हुआ। वे तो १०० लड़के उद्योगशाला में देखना चाहते थे। लेकिन मैं तो इतनी बड़ी संख्या की कल्पना से ही कौपने लगा।

गांधीजी की परमभक्त अमनुस्सलाम बहिन एक-दो महीने पहले से हरिजन-निवास में आकर रहने लगी थीं। दोनों समय प्रार्थना कराने

का सिद्धांशिका। उन्हींने शुरू कराया था। रसोई और भंडार की व्यवस्था भी उन्होंने अपने हाथ में लेकी। वही मेहनत व लगन से काम करती थीं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। स्व० डा० अन्सारी ने मना कर रखा था, फिर भी जेठ-बैसाख की कढ़ी गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर रसोइये को मदद देती थी। विद्यार्थियों के कपड़े भी वही सीती थीं। रसोई की व्यवस्था में अमनुस्सत्ताम बहिन ने मुझे भी सीती लिया, और मैं उनका हाथ बटाने लगा। मैंने उन्हें अपनी छोटी बहिन मान लिया। जिस गहरी धर्म-भावना से वे नमाज़ पढ़ती थीं, उसी भावना में आश्रम की प्रार्थना भी करती थीं। रोज़े रखतीं और कृष्ण-जन्माष्टमी का बत भी।

लड़कों को एक-दो घंटे मैं हिन्दी भी पढ़ाता था। कोई पाठ्यक्रम अभी तैयार नहीं हुआ था। लड़के कुछ तो बिलकुल निरक्षर आते थे, और कुछ उन्हें पढ़े हुए। मलकानीजी भी सप्ताह में तीन घंटे सफाई और व्यावहारिक सम्यता पर ज्याल्यान दिया करते थे। फिर भी पढ़ाई बिलकुल गौण थी। मुख्य ज्यान तो हमारा उद्योग-शिल्प पर था, और वह आज भी है। पर साहित्य-शिल्प तीन साल बाद एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार होने लगा।

उद्योगशाला का धीरे-धीरे खासा विकास और विस्तार हो गया। परन्तु आचार्य मलकानी ने शुरू में व्यवस्था और शिल्प का जो क्रम निश्चित किया था, उसमें कोई खास बदा परिवर्तन नहीं हुआ। मूलतः एक अच्छे शिल्प-शास्त्री और साहित्यकार होते हुए भी मलकानीजी ने व्यवस्था-कार्य भी खासा अच्छा किया। लड़कों के साथ खुद घास

छोलते थे, मिट्टी खोदते, और चकड़ी भी चलाते थे। लड़कों से वे बड़े प्रेम से काम लेते थे। अपने बिनोदी स्वभाव से आलसी लड़कों को भी काम में खींच लेते थे। लड़के भी अपने अन्द्रेय आचार्य को 'पिताजी' कहा करते थे।

किंतु मल्कानीजी अपने लगाये पाँदे को दो बर्ष ही सींच पाये। अपने एक मित्र के आग्रह से उन्हें हँगलैंड जाना पड़ा, और उद्योग-शाला को उनकी स्नेहपूर्ण सेवाओं से बंचित होना पड़ा। हम लोगों ने मल्कानीजी को हरिजन-निवास से ३१ मार्च, १९३८ को भीगी आँखों और भरे हुए गले से बिदा किया। दूसरे सुयोग्य व्यवस्थापक के अभाव में पूज्य बापा ने उद्योगशाला का व्यवस्था-कार्य मुझे ही सौंप दिया। अपनी अयोग्यता और कर्त्त्वे अनुभव की ओर देखते हुए इननी बड़ी जिम्मेदारी का काम मुझे बहुत भारी मालूम दिया। उसे सँभालने हुए मेरे निर्बल हाथ काँपने लगे। मल्कानीजी की जैसी व्यवस्था-कुशलता और व्यावहारिक तुदि कहाँ से लाँका, वे तो शाला के लिए धन-संग्रह भी करते थे, मुझे तो कोई एक पाई भी नहीं देगा, उनका बड़े-बड़े आदमियों से काफ़ी परिचय था, दो-चार मित्रों को छोड़कर दिल्ही में मैं किसीको जानता भी नहीं। फिर उद्योगों के विषय की भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। समय भी कम मिलता था। मुख्य तो 'हरिजन-सेवक' का संपादन-कार्य था; उसे छोड़ नहीं सकता था। यह सब होते हुए भी मल्कानीजी के प्रेमपूर्वक अनुरोध और बापा की अनुललंघनीय आज्ञा से उद्योगशाला की जिम्मेदारी मैंने अपने निर्बल कन्धों पर लेकी। पर वास्तविक व्यवस्थापक और संचालक तो मैंने सदा पूज्य बापा को

ही माना। वापा ने हरेक काम में मुझे प्रोत्साहन दिया, और मेरी त्रुटियों और भूलों को सदा जमा किया।

मलकानीजी जब विज्ञायत से वापस आये और उन्होंने अपनी प्यारी मंस्ता को देखा, तो नाराज़ नहीं हुए। अपने जगाये पौदे को देखकर उन्हे हर्ष ही हुआ, और मुझे बड़े प्रेम से प्रोत्साहित भी किया।

विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने पर चिह्नाती और वापाजी ज़ोर देते चले आ रहे थे। फलतः छात्र-संख्या बढ़ा दी गई। पर एक-एक लड़के पर जितना व्यक्तिगत ध्यान पहले दिया जा सकता था, संख्या बढ़ जाने पर उतना ध्यान देना अब कठिन होगया। साथ-साथ दूसरी भी कठिनाहस्याँ बढ़ी। अनेक प्रान्तों के विभिन्न भाषाभाषी और हर तरह के लड़के आने लगे। व्यवस्था में इससे नह-नह उक्कड़ने पैदा हुईं। जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। बहुत चाहा कि एक-एक विद्यार्थी के संपर्क में आने का यत्न करूँ, पर ऐसा करना शक्य-सा नहीं जागा। इसके लिए समय और व्यवस्थित चित्त चाहिए। जितना चाहा उतना मैं उन्हें समय नहीं दे पाया। और वे भी मुझे ठीक ठीक नहीं समझ पाये। न चाहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से जैसे कुछ दूर से रहने लगे। यह स्थिति मेरे लिए सदा नहीं हुई। पर इस अवाकृतीय स्थिति की ओर से मैंने कभी आँखे बन्द नहीं की। बदाबर प्रयत्न में रहा कि प्रत्येक बालक के संपर्क में आऊँ, और जहाँतक बन पड़े उसे संपूर्ण स्नेह देकर अपने आपको अधिक से-अधिक समझूँ। पर मैं स्वीकार करता हूँ कि इस प्रयत्न में मुझे कोई खास सफलता नहीं मिली। परिणाम यह

हुआ कि चित्त में स्वाभाविक उत्साह या प्रसन्नता नहीं पाई, फिर भी पूरा हवाश नहीं हुआ। निवृत्तिमार्गी होते हुए भी इस प्रवृत्ति को मैंने कभी भार-स्वरूप अनुभव नहीं किया।

बाद को हाथ-कागज-विभाग, बुनाइ-विभाग, लोहारगिरी-विभाग और छापाखानाये चार उद्योग-विभाग और धोरे-धीरे बढ़ाये गये। कलाइ सबके लिए अनिवार्य कर दी गई। साहित्यकशिष्यण का स्वतन्त्र पाठ्यक्रम तैयार किया गया। लिखितकला, मंगीत और माध्यमण्य अंग्रेजी, और बाद को अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत विषय भी रखे गये। प्रवेश-नियम भी बनाये गये। छात्र-संस्कृता बढ़ जाने पर मात्र छारवास और बनाने पड़े, और उद्योग-भवन भी बढ़ाया गया।

सन् १९३६ में गांधीजी की अध्यक्षता में उद्योगशाला का पहला दीक्षान्त-समारम्भ हुआ। आशांवादात्मक भाषण में गांधीजी ने कहा कि उद्योग-शिक्षा को स्वावलम्बी होना ही चाहिए और स्नातक होने के बाद विद्यार्थी को बेकार नहीं रहना चाहिए। स्नातकों को समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। दूसरे दीक्षान्त-समारम्भ पर गांधीजी ने अपने सन्देश में कहा कि, उद्योगशाला को इर साल कुछ-न-कुछ प्रगति करनी ही चाहिए। यह कामना भी प्रकट की गई कि ‘हरिजन-निवास से ऐसे लड़के तैयार होकर जायें, जो अस्पृश्यता का अद्भुत से नाश करदें।’

यह नहीं कहा जा सकता कि उद्योगशाला ने पिछले वर्षों में बस्तुतः क्या प्रगति की, और गांधीजी द्वारा व्यक्त हृच्छा या कामना की उम्मेद कहाँतक पूर्ति की या कर सकती है। छात्र-संस्कृता अथवा कार्य

के विमतार को देखते हुए यह कहने को जो नहीं करता कि उद्योगशाला ने कोई ऐसी प्रगति की, जिसका नम्रतापूर्वक बखान किया जा सके। केवल उद्योग-शिक्षण ७२ प्रतिशत और व्यवस्था-सहित समग्र शिक्षण मुश्किल से २० प्रतिशत स्वावलम्बी हो सका। लड़कों ने जो चीज़ें तैयार कीं, ग्राहकों की दृष्टि में वे तुरी साबित नहीं हुईं, और विक भी गईं। अधिकांश स्नातक बेकार भी नहीं रहे। कुछ ने तो अपने उद्योग द्वारा कुछ कमाया भी। रहन-सहन में भी कर्क पढ़ा। माथ ही, शहरी सभ्यता ने भी काफ़ी असर डाला, जो स्वाभाविक है।

किन्तु सच्ची प्रगति या सफलता की कसीटी तो दूसरी ही है। कुछ प्रश्न हैं, जिनके उत्तरों पर हमारी सफलता या असफलता निर्भर करती है। प्रश्न ये हैं : उद्योग-शिक्षण पर क्या हमारे विद्यार्थियों और स्नातकों की श्रद्धा स्थिर रही ? शरीर-श्रम को वे अपने जीवन में ज्ञान-पूर्वक ऊँचा स्थान देने के लिए तैयार हुए या नहीं ? उद्योगशाला में तीन वर्ष रहकर सविनय स्वाभिमान की भावना उनमें कहाँतक पैदा हुई ? संस्था के उद्देशों को हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वयं किस दृष्टि से देखा ? अस्पृश्यता-निवारण को उन्होंने अपने जीवन का एक ऊँचा घेय माना या नहीं ? जीवन का लचय उन्होंने किसे माना—भोग को या त्याग को ? अथवा, मंस्या में आने का उनका क्या हेतु रहा ?

विद्यार्थियों तथा स्नातकों के थोड़े-बहुत समर्पक में आकर सुनें जो अनुभव हुए उनके आधार पर मैं यह कहूँगा कि उद्योग-शिक्षण के प्रति अधिकांश की दृष्टि कुछ-कुछ शंका की ही रही। इसके कारण हैं। स्कूल-कालिजों की शिक्षा-प्रणाली को सार्वत्रिक रूप से सही या गलत जो

अत्यधिक महस्त्र मिला हुआ है, उसके मुकाबिले उद्योग-शिक्षण का मूल्य बहुत कम आँका जाता है। शिक्षा को ज्ञानोपार्जन का साधन न मानकर नौकरी का साधन मान लिया गया है। नौकरी को 'निकृष्ट' कहा गया था, पर आज हमारी दृष्टि में नौकरी ही खेड़ मानी जाती है। पढ़े-खिले वेकारों की संख्या हजारों-लाखों की देखने में आती है, फिर भी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के प्रति हमारा जो अतिमोह है, उसमें कोई कमो नहीं आ रहो। जहाँतक उद्योग-शिक्षा को उपयोगिता का प्रश्न है वह स्वयंसिद्ध है। पर वर्तमान परिस्थितियों में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के मुकाबिले यदि हमारे विद्यार्थियों को वह हलकी जँचती हो, तो उसमें उनका क्या दोष है? उद्योग-शिक्षा के प्रति उनमें या तो तब प्रेम उत्पन्न हो सकता है, जब हमारी सरकार उसे अपने शिक्षा-क्रम में प्रतिष्ठा का स्थान देदे, अथवा तुकर टी. वाशिंगटन के जैसा कोई कान्तिदर्शी शिक्षा-शास्त्री दलित समाज के उद्धार के लिए पैदा हो जाये, जो शिक्षा का सच्चा रूप और आश्र्य उनके सामने रखदे। हमारे विद्यार्थियों ने हम कार्यकर्ताओं को तो प्रायः शंका की ही दृष्टि से देखा। उन्हें यह समझने में हेरानी हुई कि जो छोग बुनियादी तालीम या उद्योग-शिक्षा का हतना अधिक गुण-गान करते हैं, वे सुदूर अपने बच्चों को क्यों इन विद्यालयों में दाखिल नहीं करते? मुझे एक प्रसंग याद आया है। कोई छह-सात साल की बात है। काका कालेजकर बुनियादी तालीम की कान्क्षेन्स के बारे में हमारे विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर रहे थे। एक विद्यार्थी ज़रा अविनय के साथ उनसे पूछ बैठा—“काका साहब, क्या आपका यह सारा उपदेश हमारे ही

किए हैं ? मैंने सुना है कि आपका जड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, और उसको पढ़ाई पर हजारों रुपये खर्च हो चुके हैं ? क्या यह सही है ? ” “यह मेरा दुर्भाग्य है ”, डत्तर मेरु उन्होंने इतना ही कहा ।

शरीर-ध्रम का तो उनके जीवन में स्थान रहा ही है । किन्तु ‘ज्ञानपूर्वक’ नहीं । यदि शरीर-ध्रम को यहाँ आकर वे हल्का समझने लग जायें, तो इसमें भी हमारा ही दोष है । हमारी देखा-देखी ही वे ऐसा करने लग जाते हैं । स्वभावतः हम गळत चीज़ का अनुकरण करते हैं । मैंने देखा कि शरीर-ध्रम के जिन कामों को वे अपने घरों में प्रसन्नता पूर्वक करते थे, उद्योगशाला में आकर उनसे जो चुराने लग गये । क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर उन्हीं लोगों का आश्र होती है, जो शारीरिक ध्रम के कामों से दूर रहते हैं । पर जब कोई शिक्षक उनके साथ काम करने वैठ जाता तो उस काम को वे हँसते-हँसते कर डालते; साथ ही, शरीर ध्रम का सच्चा महत्व भी उनकी समझ में आ जाता ।

यह सन्तोष की बात है कि उनके अन्दर स्वाभिमान जागा, यद्यपि कभी-कभी उसके साथ अविनय भी देखने में आया । पर जो वेचारे सदियों से दवे पड़े हैं, उनके स्वाभिमान में यदि योड़ा अविनय भी देखने में आये, तो उसपर विशेष आपत्ति नहीं हानी चाहिए । प्रेम से उन्हें उनकी भूल समझा दो जाये, तो वे समझ जाते हैं और उसे स्वीकार भी कर लेते हैं ।

अब रहे कायंकर्ताओं से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्न । उनके गुण-दोषों की आलोचना करना स्वयं अपनी आलोचना करना है । मैं अपने आप को उनसे अलग नहीं कर सकता । हमारे लिए इतना कहना ही पर्याप्त

है कि हमें आत्म प्रवंवन से सदा बचना चाहिए। यदि संस्था के उद्देशों पर हमारी हादिक भ्रष्टा नहीं, तो हमारे लिए संस्था में स्थान महीं हो सकता। हमारे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय अस्पृश्यता-निवारण ही है। यह निश्चय करके हो, मेरा ख्याल है, हम लोग हरिजन-सेवक संघ में आये हैं। यदि हमें अन्यथा हेतु ही तो स्पष्ट ही हमारे लिए वह आत्मधात के समान है। ऐहिक भोग भले ही दूसरों के जीवन का लक्ष्य हो, पर हम सवालों का नहीं हो सकता। भोग को हमें गौण स्थान देना होगा। त्याग की ओर चिन्चकर ही तो हमने धर्म को जीवन का लक्ष्य बनाया है। धर्म के महान् उद्देश्य से प्रेरणा पाकर ही हम इस पवित्र संस्था में आये हैं। यदि हमारा अतःकरण ऐसा नहीं मानता, तो फिर संस्था से अलग हो जाने मे ही हमारा गौरव है। त्याग का मार्ग बलात्कार से ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह तो स्वेच्छा से और विवेक से अपनाने का मार्ग है। यदि कोई लालों करोड़ों की तरह अपने लिए भोग का मार्ग चुनता है, तो उसमे कोई लज्जा की बात नहीं। पर ऐसा करने के लिए सावंजनिक संस्थाएँ उपयुक्त स्थान ही हैं।

ऊपर के इन प्रश्नों के उत्तर में ही हमारी सारी सफलता या असफलता समाई हुई है।

४५ :

उद्योगशाला

(२)

आठ वर्ष के उम्रानि उद्योगशाला में आमहपूर्वक मैंने जो दो चार प्रयोग किये उनके विषय में दस प्रकरण में अपने कच्चे-एक्सके अनुभवों को लिखना चाहता हूँ ।

मरम्मे पहले यह कहते कि मेरा एक भी प्रयोग नया नहीं था । जिन प्रयोगों या प्रयत्नों में दूसरों को सफलता बहुत कम, बल्कि नाम-मात्र को मिली और विफलता अधिक, उन्हींको बगैर ढीक तरह से समझें-वृक्षे मैंने भी हाथ में लिया और स्वभावत लगभग उन्हीं परिणामों पर पहुँचा, जिनपर दूसरे प्रयोगकर्ता पहुँचे थे । गांधीजी से चार-पाँच माह यहाँ मैंने सुबह की प्रार्थना के सम्बन्ध में पूछा था कि हमारे कितने ही विद्यार्थी प्रार्थना को धरणी सुनकर भी विस्तरे नहीं छोड़ते, उन्हें रोज़-रोज़ जगाना पड़ता है । और प्रार्थना-मन्दिर में आते हैं, तो रोनी-सां। मूरत लेकर बैठ जाते हैं, या किर कैंधते रहते हैं । ऐसो हालत में हमें क्या करना चाहिए ? गांधीजी ने जवाब में कहा, ‘जिस रास्ते पर तुमने अभी पैर रखा है उसपर मैं बहुत पहले चल

चुका हूँ सावरमती-आश्रम में कुछ दिनोंतक तो मैंने अपने साथियों को जगाने का खुद जिम्मा लिया था । पर कुछ को तो लंबा प्रयत्न करने के बाद 'मुक्ति-पत्र' ही देना पड़ा । लड़कों को 'मुक्ति-पत्र' देने की मैं तुम्हें सलाह नहीं देता । प्रयत्न तुम अपना जारी रखो । प्रार्थना में रस पैदा करो । यत्न करने पर भी जो लड़के न आये उनके लिए दुखी या चुध होना ठीक नहीं । पर तुम कार्यकर्ताओं को तो प्रार्थना में नियंत्र जाना ही चाहिए । लड़के तुम लोगों का ही तो मला या बुरा अनुकरण करेगे ।'

फिर भी मैंने लड़कों को हो सदा दोपी ठहराया । एक-दो बार प्रार्थना में अनुपमित रहनेवाले लड़कों का दूध भी बन्द कर दिया था । उन्हें डॉटा भी । पर हन उपायों ने काम नहीं दिया । मैं समझता हूँ कि प्रार्थना को भक्ति-भाव से करनेवाले तो बहुत धोड़े होते हैं । सामूहिक प्रार्थना में मंसा खुद का भी वैसा गहरा विश्वास नहीं है । सामूहिक प्रार्थना में मुख्य तो अनुशासन का शिक्षण है । पर यह हम भूल जाते हैं कि हमारे गार्दीय स्वभाव, और हिन्दू-समाज की प्रकृति में तो और भी अधिक अनुशासन को बहुत कमी है । हम स्वभाव से व्यक्तिवादी हैं । मानूम होता है कि सामूहिकता हमारी प्रकृति में ही नहीं है । सैनिक शासन को बात तुम्हा है । भय से न कि मन से, हमसे कुछ भी कराया जा सकता है । पर क्या प्रार्थना सैनिक शासन के बजे पर कराना उसके महत्व और रस को नष्ट कर देना है । प्रार्थना को फौजी कथायद नहीं बनाया

जा सकता । पर इसका यह अर्थ नहीं कि सबको स्वच्छन्दतापूर्वक मुक्ति-पत्र दे दिया जाये । प्रार्थना के लिए नित्य सबंधे उठाने का क्रम तो वैसा ही जारी रखा । समय-समय पर प्रार्थना का महत्व भी समझता रहा । पर वैसी सखती से काम लेना छोड़ दिया । कुछ लड़के तो आवश्य कर जाते, और कुछ ऐसा सोचते होंगे कि हमारे अनेक गुरुजन तथा संघ के अनेक कार्यकर्ता भी जब प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होते तब हमें ही क्यों बाध्य किया जाता है ? भले ही उनकी इस शिकायत में कुछ अविनय रही हो, पर वह अनुचित नहीं कही जा सकती ।

हमारे अधिकतर लड़के देहात से आते । शहरी लड़कों की संख्या भी बहुत कम होती । रहन सहन सबका सादा ही रहता । फिर भी कुछ-न-कुछ असर तो शहर के बातावरण का पढ़ना ही चाहिए । देहात से यहाँ आकर दूसरों की देखा-देखी लड़के और नहीं तो अंग्रेजी काट के बाल तो रख ही लेते हैं । फैशनवाले बालों से मुझे स्वभावतः कुछ चिन्दनी रही है । इस चीज़ को लेकर विद्यार्थियों के साथ मैंने बही ज्यादती की । समझाया, कितनी ही दलीले दीं, और कई बार तुरी तरह ढाँटा भी । मेरी आँखों के सामने तो विद्यार्थियों का वही प्राचीन काल का चित्र रहा । मैं उन्हें समझाया करता, “तुम्हारा यह बालों का बाहियात शौक तुम्हें धीरे-धीरे विज्ञास अर्थात् पतन की ओर ले जायेगा । विद्यार्थी-अवस्था में शरीर का यह झार अच्छा नहीं । यह ह्याज्य बस्तु है । तुम्हारे ब्रिधन-निर्माण में यह चीज़ बाधक बन जायेगी” इत्यादि । अंत में तेल देना भी बंद कर दिया गया । पर मैं जो चाहता था वह न हुआ । उन्होंने अब अपने दैसों से तेल खरीदना

रु कर दिया। सुगंधित तेल की शीशी भी किसी-किसीकी आलमरीशु में दिखाई देने लगी। शीशे और बड़िया कंवे भी कहयों के पास देखे गये। काफी प्रतिक्रिया हुई। मेरे प्रति अश्रद्धा भी बढ़ी। दस-पाँच ही ऐसे लड़के पाथे, जिन्हे बाल रखने का शांक नहीं लगा। मुझ खुशक ज्ञाहिद का साथ सिर्फ उन्होंने ही दिया। मुझे अपनी राजती बहुत बाद को मालूम दी। लेकिन यह बात नहीं कि मैंने अपना मत बदल दिया। लड़कों की यह फैशनपरस्ती मुझे सदा खटकती रही। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। राजती तो यहाँ मालूम हुई कि मुझे इस हदतक नहीं जाना चाहिए था। उन्हें समझाने और ढौंठने में भी मेरा स्नेह-भाव तो रहता ही था। पर ज्यादती मैंने ज़रूर की। बातावरण का भ्यान नहीं रखा। मैं भूल गया कि हम शहर के बातावरण में रह रहे हैं, जिसके विषये कीटाणु दौड़कर चिपटते हैं। जिसे मैं एक हौवा समझ रहा था वह तो बही मामूली चीज़ भी। बालों का यह फैशन तो आज़ मध्य विद्यार्थियों का एक सुलच्छा माना जाता है। लड़के हैं तो कि यह प्रतिबन्ध केवल उन्हीं पर बयों लगाया जाता है, या उन्हींको जबड़स्ती क्यों 'जंगली' बनाया जाता है, जब कि उनके कई शिक्षक और अन्य कार्यकर्ता भी अंग्रेजी काट के बाल रखते हैं। केवल एक ही संस्था ऐसी है, जहाँ विद्यार्थियों को ऐसे बाल रखने की आज्ञा नहीं, वह गुरुकुल के बह्यचारी भी जब स्नातक होकर वहाँ से मिलते हैं, तब उनमें भी खब प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया का होना मुझे स्वाभाविक-सा लगा। मैं समझ गया कि मेरे 'वचनों' पर लड़के क्यों इतना अधिक चिंदते हैं। फलतः जिस प्रतिबन्ध को

लड़के पहले ही लोह सुके ये उसे उठा लिया गया। लड़के अपनी जीत पर बड़े सुशा हुए, और मुझे भी अपनी इस हार पर नाशुशी नहीं हुई।

इसी तरह सिनेमा देखने का भी मैं एक ज्ञमाने से विरोध करता आ रहा हूँ। जीवन में केवल पौंच या छह बार मैंने सिनेमा देखा होगा, और वह भी तब के अनन्दोल चित्रपट। ११२५ से देखना छोड़ रखा है। तब यह 'बोल-चित्रपट' नहीं चले थे। लेकिन उनमें कितनी गंदगी भरी रहती है इसका पता मुझे या तो रेडियो में आनेवाले फिल्मी गानों से चला या ग्रामोफोन की किसी दृक्कान के सामने से गुज़रते हुए उनकी ओर वीभत्सता का अनुभव हुआ है। अधिकांश में ये फिल्मी गाने क्या हैं, दुर्गन्धपूर्ण वासनाओं को उगलनेवाले गन्दे नाले हैं। सिनेमा के पक्ष में जोग बड़ी-बड़ी दृक्कीलों देते हैं, पर मेरे गले तो एक भी दृक्कील नहीं उतरी। सिनेमा का शिशा तथा नीति-सम्बन्धी जो मूल्य बतलाया जाता है, वह असल में उसकी वीभत्सता को ढकने का काम करता है। मेरे कहूँ मित्र इस धारणा को मेरी निरी हिमाकल समझते हैं। अपनी इस हिमाकल का प्रयोग मैंने अपने विद्यार्थियों पर भी करवा चाहा। पर यहाँ भी मैं हारा। मेरे सिनेमा-विरोधी व्याख्यानों का कुछ भी असर न पढ़ा। मैंने यहाँतक कहा कि सिनेमा तो शराब से भी अधिक घातक और व्यापक विष है। सिनेमा-सम्बन्धी विज्ञापन और पत्रों में सामयिक साहित्य देखकर मेरी विरोधात्मक धारणा और भी दृढ़ होगई। लेकिन लड़के कहाँ माननेवाले थे? स्कूल-कालेजों के सभी विद्यार्थी सिनेमा देखते हैं, बड़े-बड़े विद्यालय और जोक-नेता तथा आभ्यन्तरी भी सिनेमा देखने जाते हैं। मेरे अपने लड़के और परिवार

के लोग भी साल में आठ-दस बार कोई न-कोई खेल देख आते हैं। सिनेमा के घातक परिणामों पर शायद उनका ध्यान नहीं आता। मैं सोचता रहता हूँ कि सिनेमा तो 'एटम बम' से भी अधिक नाशकारी आविष्कार है। एटम बम तो दस-पाँच पाठियं नगरों का ही नाश कर सकता है, पर इस आततार्या सिनेमा ने तो लाखों-करोड़ों 'मानस-नगरों' का विध्वंस किया है; उनका पुनर्निर्माण असम्भव है। पर मेरे इस अरण्यरोदन को कौन सुनता है? तब बेचारे लहको पर ही यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया जाये? चोरी से तो वे देखते ही थे। छुट्टी के दिन उन्हें बाँधकर तो रखा नहीं जा सकता था। यद्यपि अपने पास पैमा रखने का नियम नहीं था, फिर भी सिनेमा देखने के लिए उन्हें कहीं-न-कहीं से पैसा मिल ही जाता था। जिम्म वस्तु को मैं त्याज्य समझता हूँ, उमेर दूसरे भी मेरी ही तरह त्याज्य समझे इस आप्रह-वृत्ति मे सुने कुछ भूल मानम रुह। मैंने देखा कि अमर्त्य-भाषण और चोरी को मैं परोच गोति से ग्रोसाहन दे रहा हूँ। अतः अपने आप्रह को मैंने हाला कर दिया। दो शर्तों पर उन्हें सिनेमा देखने की छुट्टी देंदी—दफ्तर से, अपने निज़ी खाने से, टिकट का पैसा लेकर जायें, और जो खेल आपेहारून उछ अच्छा या कम हानिकारक समझा जाता हो केवल उसीको देखें। इस तरह इस ज़हर का ग़ाली को, हार मानकर, निगलना पड़ा। मुझे इन शर्तों के पालन होने में सन्देह रहा। मगर सिनेमा के प्रति मेरी जो अपनी इष्टि है उसमें इस छूट से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरों पर अपने चाहे जिस विचार को लादने का मैंने कवला आप्रहभर छोड़ा।

विदेशी खेलों के बारे में भी कहूँ बरसोतक मेरा पुंसा ही भिन्न मत रहा, और वह आज भी बना हुआ है। भरसक जड़कों को मैंने कुटबाब या वालीबाल सेलने का प्रोत्साहन नहीं दिया। हाकी या क्रिकेट तो बेचारे कभी खेले ही नहीं। खेलों के मैंने तीन विभाग कर रखे हैं, जिन्हे क्रम से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट मानता हूँ; अर्थात्, उत्पादक, अनुत्पादक और अर्थनाशक। उत्पादक, जैसे बाजावानी। इसमें मेहनत भी बड़ी अच्छी हो जाती है, और साथ-साथ मनोरंजन भी होता है। बालकों से लेकर बुड़ेतक इस सुन्दर साचिक सेल में हिस्सा ले सकते हैं। अनुत्पादक तो पचासों देशी खेल हैं। कबड्डी ऐसे खेलों में बहा अच्छा सेल है। इन खेलों पर एक पार्ह भाँ खर्च नहीं होती, और कसरत भी बहुत अच्छी हो जाती है। इनके लिए साधन-समग्री की भी कोई आवश्यकता नहीं। हाकी, क्रिकेट, कुटबाल आदि विदेशी खेल सारे ही अर्थनाशक हैं। इन खेलों पर हमारे दर्शन देश का लाखों रुपया दूरसाल खर्च होना है। इन खेलों के साथ और भी कई फिजूल शौक लग जाते हैं। इन खेलों के बारे में स्व० आचार्य प्रफुल्चन्द्र राय का मत जब मैंने एक दैनिक पत्र में पढ़ा, तब से मेरा विरोध और भी इच्छा हो गया। मैंने अपने विद्यार्थियों को इन विदेशी खेलों से अलग रखना चाहा। पर मैं अपने मत का अकेला ही था। पूर्ज्य बापातक से मुझे समर्थन न मिल सका। जड़के तो रुष्ट रहते ही थे। मुझे भी लगता था कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ। प्रकृति और काल के प्रवाह के विरुद्ध मैं नहीं जा सका। अपनी हाह स्वीकार करलो। असन्तुष्ट जड़कों को कुटबाब और वालीबाब सेलने की छुट्टी देदा।

इन अर्थमाशक खेलों के पीलयर्थं बजट में हर साल अब एक नियत रकम भी रखी जाने लगी।

इन सारे प्रयोगों व आप्रहाँ को मेरे विद्यार्थियों और अनेक कार्यकर्ताओं ने कभी कुछ बहुत अद्वितीय नहीं समझा। किस भी अपने रोष या असन्तोष को उन्होंने बहुत कुछ मंथत रखा, और मेरी आप्रह-वृत्ति को सहन भी काफ़ी किया। मेरे असामयिक विचारों को कुछेक विद्यार्थियों ने स्वेच्छा से अपनाया भी।

ऐसे कितने ही प्रसंग आये, जब व्यवस्थापक के नाते ऐसा व्यवहार भी करना पड़ा, जिसे मैं करना नहीं चाहता था। अनुशासन रखने के लिए कभी-रभा काफ़ी मङ्गत होना पड़ा। शारीरती और उद्यग लड़कों को दृष्ट देने के पश्च में मेरे कुछ महकारियों ने कितना ही लुभावनी दबाले दो पर मैं कभी उनकी इस बात पर ग़ज़ा नहीं हुआ कि लड़कों को शारीरिक दृष्ट दिया जाये। शिष्टकों को कठिनाहयों को अनुभव करते हुए भी मैं उनके लाभ सहमत न दो सका। पर मैं खुद कहं बार चूका और तुरी तरह चूका। किसी शारीरती लड़के की कोई गम्भीर शिकायत सामने आई तो उसे मैंने माझ नहीं किया – उसे काफ़ी ढाँटा, और एक-दो थप्पड़ भी लगा दिये। पर मन ने इस चीज़ का कभी समर्पन नहीं किया। बाद को पछताया भी, राया भी। किन्तु कोध में भी अपराधी के प्रति स्नेह-भाव मेरा कम नहीं हुआ।

कुछ लड़कों ने समझा कि मैं सधृत हूँ, और कुछ ने मान लिया कि नरम हूँ। मेरे सहकारियों का भी छायाज रहा कि लड़कों पर मैंने कड़ी नज़र नहीं रखी और यही कारण है कि उन्होंने प्रायः अनुशासन को

नहीं माना। किसीके भी संबन्ध में एकमत होना बड़ा कठिन है, आवश्यक भी नहीं। सखत रहा या नरम इस प्रश्न के निर्णय में न पहकर मैंने सदा यह देखा और प्रयत्न भी किया कि लड़कों का पिन्नस्थान मैं कहाँतक ले सका हूँ। इस बात की कसौटी यह नहीं। होगी कि उनको मेरे ऊपर अदा रही या अबदा, बल्कि यह होगी कि सहज स्नेह से मैं कहाँतक उनका हितचिन्तन कर सका। मानता हूँ कि यह कसौटी बड़ा कड़ी है। प्रयत्न भी महा कठिन है। यह निरा दिवास्वम भी ही सकता है। मुझे खाम सफलता भी नहीं मिली। पर मेरा ठथोरगशाला से सम्बन्ध जोड़ने का एकमात्र उद्देश यही रहा।

अन्त में, दो शब्द अपने स्नातकों के विषय में भी। आधे से ऊपर स्नातकों ने अपने उद्योगों द्वारा जीविका चलाई है। कई स्नातकों में खासी मंस्कारिता और राष्ट्रीय भावना भी पाई। जो बेकार बढ़े रहे, वे सारे ही आखमी या निरम्मे नहीं थे। परिस्थितियाँ उन्होंने अपने अनुकूल नहीं पाईं; औंजार और नूमरे साधन वे जुटा नहीं सके। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने उनको कुछ सदद नहीं की। हम लोग रचनात्मक कार्यक्रम में केवल मालिक या लिखित विश्वास प्रकट करना जानते हैं; इससे आगे नहीं जाते। देहातों में जाकर हमारे लड़कों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कइयों की आर्थिक अवस्था इतनी खराब रही कि वे ज़रूरी औंजारतक नहीं खराद सके। फिर पुरूतैनी कारीगरों का भी उन्हें सुकाबद्ध करना पड़ता है। उनकी प्रगति में छूआँचूत भी बाधक बनता है। हमारे लोक-संवेद बद्द नहीं लगाते कि वे कुछ आगे बढ़े। ऐसी हाज़त में अपने ही पैरों पर वे खड़े हुए और अपने ही बद्द से आगे बढ़े।

: ४६ :

चौबीस वरस बाद

छतरपुर का—अपने प्रिय जन्मस्थान का पुनर्दर्शन मैंने १९४४ के अन्त में, लगभग चौबीस वरस बाद, किया ! पन्ना में छतरपुर यथापि ४२ मील के ही अन्तर पर है, तो भी पन्ना-निवास के उन छह-सात सालों के बीच छतरपुर जाने का कभी संयोग नहीं आया । पूज्य धर्म-माता के स्वर्गवास के पश्चात् स्वेच्छा में मैंने निर्वासन-मा स्वीकार कर लिया था । पन्ना से नौगांव या फोसो जाते-आते छतरपुर यथापि रास्ते में पहता था, तोभी कभी वहाँ उतरा नहीं । बचपन के उस स्वर्गकर्त्त्व जन्मस्थान ने मेरे शुष्क हृदय को फिर स्वीचा नहीं !

वहाँ, पूरे दो युगों के बाद, फिर एक बार जाने का प्रसंग तो यों आया । पाँच-छह साल के बाद माँतथा दूसरे कुटुंबों डेढ़ महीने के लिए ‘देश’ गये हुए थे । मेरा बड़ा लड़का चि० भगवद्गत भी मेरी माँ के साथ गया था । बुन्देलखण्ड के सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों के चित्ता-कर्षण वर्णन उसने अनेक बार मुझसे सुने थे । उसने कवि का हृदय पाया है, अतः वहाँ के मनोरम दृश्य देखने के लिए अधीर-सा हो रहा था । बाद को, कोई पन्द्रह दिन बाद, छोटे लड़के चि० मोतीलाल को

भी मैंने अपने ममेरे भाई के साथ मेज दिया । छुतरपुर वह भी देखना चाहता था । ये दोनों लड़के, भगवत् और मोती, मेरे स्वीकृत पुत्र हैं ।

मामा का विशेष अनुरोध और आग्रह था, और मेरा भी कुछ-कुछ मन हुआ कि क्यों न एक बार छुतरपुर हो आऊँ । जाने का निश्चय कर लिया । पर ठहर पाया वहाँ के बजाए पाँच ही दिन । 'अतिथि' के रूप में अपने घर पहुँच गया । हतने बरसों बाद अपना सुन्दर नगर देखा, पर न जाने क्यों, चित्त वैसा भक्ति-भाव से प्रफुल्लित नहीं हुआ । बाज़ार और दूसरे भाग तो वैसे ही बलिक कुछ उन्नत थे, पर हमारा मोहल्ला सारा ऊज़द-सा दिखाई दिया । सर्वत्र सूनापन । अपने अध्ययन के जिस कोठे को मैंने 'प्रेम-निकेतन' का सुन्दर नाम दे रखा था, उसे भयावने खंडहर के रूप में पाया । रहने का हमारा वह कच्चा घर भी जराजीर्ण हो चुका था; जैसे रोज़-रोज़ के अभाव को बेचारा सँभाल नहीं पारहा था । और यही दशा मेरे पकोस के अनेक घरों की भी थी । सामने के खारे कुएँ पर पनिहारिनों की वह पहले की चख-चख नज़र नहीं आई । न हमारे शिवाले पर जल तथा विल्वपत्र चढ़ानेवाले भक्तों की वह भीड़ ही दिखाई दी । लगा कि मैं आज कहाँ आ गया ! सबका सब वह क्या हुआ ! जहाँ भी दृष्टि दौड़ता हूँ, वहों सूनापन और अभाव दिखाई देता है । काल के प्रखर प्रवाह ने यह क्या-से-क्या कर डाला !

दो-तीन दिनोंके अन्दर ही मैं सब-कुछ देख लेना चाहता था । सोई हुई मेरी एक-एक स्मृति जागने लगी । उन जागृत स्मृतियों ने जैसे मेरे मन को झकझोर डाला । देखा, यह वही मोपदा है, वही यह अँगम है, वही यह चौतरा है, जहाँ मैं खेलता-कूदता था, पड़ता-बिलता

या, और उठता-बैठता था। गोसाइंयो की वह गदी धराशायी हो चुकी थी, पर उसके सामने का बीरान बगीचा रह-रहकर पुरानी याद दिला रहा था कि दिन में तो लड़कों के साथ तुम यहाँ खेलने चले आते थे, पर रात को मारे डर के इधर कभी मौकते भी नहीं थे। मन्दिर के पिछवाड़े हमली के ऊँचे-ऊँचे दरखत उसी तरह आज भी खड़े हुए थे। फिर नाना और नानी के जाह-प्यार को कितनी ही मधुर स्मृतियाँ आँखों के सामने नाच उठीं। छतरपुर छोड़ने के बाद मामी को तो फिर चौबीस बरसों में कभी नहीं देखा। कई बरस पहले वह चल चसी थी। हमारे पड़ोसी माधव गोसाई और नाना के बाच पृक्ष बार कुछ मगढ़ा हो गया था। बरसों दोनों का बोलचालक बन्द रहा, पर हृदय से प्रेम-भाव नहीं गया। कई बरस बाद जब दोनों पड़ोसी गले मिले उस दिन का वह स्नेह-करण दृश्य भला कभी भूल सकता है? वैसा सरल प्रभभाव आज बहुत कम दीखता है। जाका चिताहरण कापियाँ बनाने के बादामी कासाज हो नहीं दिया करते थे, मेरी तब की तुकबन्दियों पर दाद भी खूब देते थे। तीस-पैंतीस साल पहले का उनका वह 'महिमनसोन्त्र' का मधुर पाठ भी कानों में गूँज उठा। मेरे महादय मित्र स्व। कुकोलाकाजो भी खूब याद आये। उनके घर पर हमारी साहित्यिक बेटक जमा करती थी! अहा! हमारा भोइला तब कैसा हरा भरा था, कैसी चहल-पहल रहती थी। जन्माष्टमी का मौका के जल-विहार का मेला भा याद आये। रामलीला और दीवाली-

होली के उत्सव भी मुझे बचपन की डस खुँधली-सी छाया की और अच्छे ले गये। गवाही देनेवाले, बस, हतने ही तो कुछ चंचे थे—वह स्तरा कुर्ची, वह शिव-मंदिर, वे डॉ-चे-डॉ-चे पेड़ और कुछ बीराम और कुछ आवाद घर। किन्तु 'शृणकवाद' का आश्रय लेलूँ, तब तो यह कहना भी कठिन होगा कि मेरे स्मृति-चित्रों की गवाही देनेवाले ये सब वे ही थे या परिवर्तित रूप में कोई दूसरे। तब तो, तब का मन भी यह नहीं, और मेरा तन भी यह नहीं। काल के अनंत प्रवाह के लेखे में किसे तो अतीत कहा जाये और किसे वर्तमान! भविष्य की तो चर्चा ही क्या? फिर भी अविभाज्य असीम काल को हम बुद्धिमानों ने तीन भागों में विभक्त और सीमित कर रखा है, और सर्वत्र कलना-ही कल्पना से काम ले रहे हैं। उठती-गिरती कलनाओं का यह मोह कितना सुन्दर और कितना वीभत्त है! इस मोह के आगे मनुष्य कितना दीन-हीन बन गया है। औरों की मैं नहीं कहता पर स्वयं अपनी कहता हूँ कि शान्तिप्रद 'शून्यत्व' का मैं ज्ञानमात्र भी अनुभव नहीं कर पाता।

पर मैं यह सब क्या-क्या कह गया? हाँ, तो उस चलदलधर्मा स्मृति-प्रवाह ने मुझे अस्ति-न्यस्ति-सा कर दिया। फिर भी वैसा ब्याकुल या ब्याधित नहीं हुआ। सामान्य प्रवासी की भाँति लृतरपुर मेरे लिए आज दूरा हुआ 'वतन' नहीं था। और मेरा भावुक कवि तो, मेरी खुशनसाबी में, मुझसे पहले ही विदा ले चुका था। कुछ हजार तूफान-सा हृदय-तत्त्व पर एक बार उठा और अपने आप वहाँ-का-वहाँ बैठ भी गया।

उस दिन, जब मैं पहुँचा, शाम को ताज़िये निकलनेवाले थे।

छतरपुर के ताजिये उधर दूर-दूरतक मशहूर हैं। ऊदलसिंह का अबरक का ताजिया तो कारीगरी में अपनी सानी नहीं रखता था। पर अब वह बात नहीं थी। फिर भी दिल्ली के ताजियों के मुकाबिले छतरपुर के ताजिये काफ़ी सुन्दर थे। मुख्यमानों के साथ हिन्दू भी उमंग और प्रेम से ताजियों के जुलूस में हमेशा की तरह उस साल भी शरीक हुए थे। मैं भी देखने चला गया। जुलूस हमारे मोहल्ले में से ही गुज़रता है। रात को पुराने मिलने-जुलनेवालों से वहाँ अनायास हो भट्ट-मुकाकात हो गई। मेरे कुछ मित्र और तुज़ुर्ग तो बड़े ही प्रेम व स्नेह में मिले।

जितने दिन वहाँ रहा, मिलनेवालों का तीतासा लगा रहा। कोई काव्य चर्चा करने आते थे, और कोई दिल्ली की बातें या लडाई की खबरें पूछते। एक दो मज़ज़नों ने धर्म और अध्यात्म के भी प्रसंग चेहरा दिये। पर मेरे मुँह से अस्पृश्यता-निवारण की बात सुनकर उनके मन को जैसे टेस पहुंचा, फिर भी प्रकट में कुछ न कहा। मेरी साहित्यिक रुचाई और धर्म-भ्रष्टता देखकर कही मित्रों को निराशा ही हुई। मैं तो उनसे राज्य की अमली हालत जानना चाहता था। पर मेरे पूछने पर राज्य को उचित आलोचना भी किसीने नहों की। राजनीतिक जागृति बहुत कम देखी। दूसरी रियासतों की तरह छतरपुर की भी प्रजा को मैंने दुखी और दुर्बल पाया। मगर किसोको मुँह खोलने की हिम्मत नहा होती थी; कुछ तो अधिकारियों के दबाव व डर से, और कुछ आठतन 'संतोषी' बन जाने के कारण। जीवन की ज़रूरी चीज़ें भी मिलने में भारी कठिनाई आरही थीं, जैसे कोई रथवस्था ही न हो। किन्तु मेरे

जैसा चार दिन का मेहमान, सिवा मन मसोसकर रह जाने के, कर ही क्या सकता था ? मेरा सारा समय मिलने-जुलने में ही चला गया। लोगों ने मेरे ऊपर अपना सारा संचित स्नेह ढँडेक दिया।

एक दिन नगर-प्रदक्षिणा भी कर डाली। तीस-चालीस साल पहले के कितने ही धुँधले-से दृश्य स्मृति-पटक पर फिर एक-एक करके उतरने लगे। टोरिया पर स्थित हनुमानजी का वह मन्दिर भी देखा, जहाँ से उतरते हुए मैं तीस साल पहले बुरी तरह गिरा था। मेरे पुराने परिचित महंतजी बड़े प्रेम से मिले। सिवाहो नदी का वह घाट भी देखने चला गया, जिसे जोतिषी बाबा ने अकेले ही बड़े-बड़े शिलाखंड ढो-ढो-कर तैयार किया था। फिर अपने पिछवाड़े के गरीब काढ़ियों की झोंप-झियाँ बाहर से देखीं। नद्ये बरस का मुण्डा काढ़ी जो गोद में मुझे लेकर खिलाया करता था, सुनकर ढौँडा आया। बेचारा अंधा हो गया था। देवी और भूत-प्रेतों का यह पहुँचा हुआ भगत था। औरते उससे बहुत डरा गरती थीं साठिये कुओं में ढुबको मारकर कलसा और लोटा ही नहीं, चांदी की चृदियाँ तक ढूँढ़कर ले आने में मुण्डा काढ़ी एक ही था। अब बड़ा दुखी था। उसकी दीनदशा देखकर गला भर आया। इसी तरह रामायणी बाबा भी लाठी टेकते हुए जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मुझे मिलने आये थे। इनके पिता और यह राज-मन्दिर में नित्य नियम से रामायण की कथा कहा करते थे। पाठ तथा अर्थ करने का उनका बड़ा रोचक हंग था। बाल्यकाल में नाना के साथ भी कभी-कभी रामायण सुनने जाया करता था। मुझे देखकर रामायणी बाबा का हृदय बारस्वयस्नेह से उमड़ आया। मुझे भी कथा-अवश्य

के वे पुराने दिन याद आ गये ।

मेरे अध्यापक श्रीयून्दाबनजी, जिनके घर परं मैं पढ़ने जाया करता था, कई बरस पहले स्वर्णस्थ होचुके थे । अध्यापकों में अब केवल मास्टर दिल्हीपत थे, जिनसे मिलने की बड़ी दृश्या थी । दिन छिपने से कुछ पहले उनके घर पर मैं आचानक ही पहुँचा । जाकर अद्वैपुर्वक मास्टर दिल्हीपत को प्रणाम किया । अपने पुराने विद्यार्थी मे वे बढ़े स्नेह से मिले । घर खूब स्वच्छ था । चटाई पर बैठे थे । हाथ में तुलसी की माला थी और इरि-भजन कर रहे थे । इतने बरसों के बाद भी मैंने अपने आपको मास्टर साहब के सामने एक विनम्र 'विद्यार्थी' ही अनुभव किया । अध्ययन-काल में गुरुजनों से जो सहजशाल की दीक्षा पाई थी उस अनमोल निधि को क्यों हाथ से जाने दूँ ? मेरे जीवन मे वह सचमुच एक पवित्र घट्ठी थी । आचार्य से मिलकर बहुत आनन्द-लाभ हुआ ।

इसमे पहले राज्य के दीवान साहब से उसके दंगड़े पर मिलने गया था । मुझे उन्होंने याद किया था । पहले का मेरा उनसे परिचय नहीं था, फिर भी बहुत अच्छी तरह मिले । साधारणतया हृषर-ठघर की कुछ बातें हुईं । अपनी समझ से उन्होंने राज्य मे जो सुधार (?) किये थे, उनको भी कुछ चर्चा की । कुल मिलाकर मुझे वे एक मिलन-सार व चतुर दाकिम मालूम-दिये, साथ ही अंग्रेज सरकार के अच्छे बफादार भी । रियासती राजनीति की गहराई में नहीं उतरे; मुझसे ज्ञान बच-बचकर बातें कीं । मगर मुझसे क्या छिपा था ! दीवान साहब को तो रियासत में आये मुश्किल मे तीन या चार साल हुए थे, जब

कि मेरा वहाँ जन्म हुआ था, वहीं बड़ा हुआ था, और रियासती राग के 'स्वर-ताळ' से भी पूर्णतया परिचित था।

मेरी इस मुलाकात का पेशकार व दूसरे अहलकारों पर काफ़ी असर पड़ा। उनकी इटि में मैं कितना बड़ा भाग्यशाली था, जो हुजूर दीवान साहब कमरे से निकलकर मुझे बरामदेतक खुद भेजने आये थे ! और बगधी के कोचवान ने, जब मैं डतरने लगा, मुझसे बख्शीश माँगी—यह समझकर कि दीवान साहब ने शायद मुझे किसी बड़े ओहदे पर नियुक्त कर दिया है !

: ४७ :

खजुराहे के मन्दिर

अब, बस, खजुराहे के भारत-प्रसिद्ध मन्दिर ही देखने, अथवा मोती को एक बार दिखाने थे। भगवत् देखकर लौटा ही था, और उसने-अपने छोटे भाई की उत्करणा को और भी तीव्र कर दिया था। बुन्देल-खण्ड का कौन ऐसा अभागा यात्री होगा, जो वहाँ जाकर इन अनूटे मन्दिरों के देखने की इच्छा प्रकट न करेगा ? खजुराहे की अद्भुत शिल्प-कला की प्रशंसा तो मुक्ककण से विदेशी यात्रियों और प्रख्यात पुरातत्त्व-शास्त्रियों ने भी की है।

छतरपुर से यह जगभग ३० मील दूर है। बचपन में तो मैं यहाँ नामा के साथ प्रायः हर साल ही आया करता था। यहाँ का शिवरात्रि का मेला सारे बुन्देल-खण्ड में प्रसिद्ध था, और शायद अब भी है। मेला यहाँ एक या ढेढ़ महीनेतक खूब भरा रहता था। दूर दूर से हर प्रकार के दूकानदार आते थे। मधुरा के पेढ़ों की तरह यहाँ का 'सिंघाड़पाग' (सिंघाड़े व मावे के मीठे सेव) मशहूर था। मत्तंगेश्वर (मृत्युञ्जय) महादेव पर जल चढ़ाने कई हजार तीर्थ-यात्री यहाँ शिवरात्रि पर आते हैं। इस विशाल शिवकिंग की महिमा पुराण-प्रसिद्ध 'ज्योतिंदिंगो' की

जैसी ही है। रेल से ४५ मील दूर होने के कारण दूर-दूर के पासी यहाँ पहुँच नहीं पाते, नहीं तो वह खजुराहा भी आज एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान बन गया होता।

हम जोग तब महाराजा प्रतापसिंह के 'मुकरवे' में ('मकबरे') का अपना शा—असल में समाधि मन्दिर) ठहरा करते थे। इसके पास ही एक छोटा सा राज-भवन है। वहीं 'शिवसागर' लालाव है। इस सारे स्थान को, जहाँ मन्दिर-ही-मन्दिर हैं, 'पुरी' कहते हैं। खजुराहा गाँव यहाँ से कोई सवा-डेंड मील है। हम जोग तब पुरी में ही मेले के दिनों में, रहते थे। अपना तब का हंडे देखकर बचपन के वे सुनहरे दिन बढ़-बढ़ याद आ गये। इसी मेले में रामायण का एक सुन्दर गुटका मैले चिढ़ करके खरीदा था और एक छोटी सी सतारी भी ली थी। इन लिखौनों को लेकर मुझे उस दिन कितनी लुशी हुई थी! तब मैं आठ या नौ बरस का था। एक-दो साथियों की झुँघकी सी सूत भी ध्यान में आई, पर डनके नाम याद नहीं आरहे थे। शायद मेरे एक हेती (मित्र या साथी) का नाम रम्माधार था। हम दोनों यहाँ लूट खेला-कूदा करते थे। जहाँतक याद है, आपस में कभी मार-पीट नहीं की थी। हम लोग होले भी यहाँ खेलते थे। बसन्ती रंग टेसू के फूलों का सुन्दर बना लेते थे। रंग बिरंगे गुलाल से भरे कुमकुमे (चपड़े की गेंदें) एक दूसरे के सुँहपर ताककर मारते थे। गाँव के जोग रात-रात भर गला फाद-फादकर फाँगे गाते थे। उधर राज-भवन में फागोत्सव की रात-लीला अलग हुआ करती थी। मेरे नाना दप पर बज के बमार गाया करते थे। उन्हें सन्तानों कई निरुच बमार भी याद है। रंग-पंचमीतक भारी

रंग और उत्सव रहता था। इसके बाद हम लोग राजनगर चले जाते और वहाँ भी सीमा-चार सहाह रहते थे। सचमुच वे मेरे बाबूजन के सुनहरे दिन थे। हाईस्कूल में नाम लिखाने के बाद फिर खजुराहा और राजनगर आया लूटा-सो-लूटा। पछा से, अलबत्ता, दो बार खजुराहा देखने गया था; एक बार तो अद्वास्पद स्वरूप दिल गौरीशंकर हीराकन्द और को साथ लेकर और दूसरी बार शावद राज-परिवार के साथ। पर राजनगर को तो मैंने पूरे ३० साल बाद फिर से देखा।

खतरपुर से हम लोग पहले सीधे राजनगर ही गये थे। खजुराहे से राजनगर ढाई-लीन मील है। यहाँ तहसील का सदर मुकाम है। खासा अच्छा कस्बा है। बाजार और मिडिल स्कूल के अलावा एक अस्पताल भी है। यहाँ पर योही जन-जागरिति भी पाई। कुङ्ग आर्यसमाज का भी प्रभाव देखने में आया। यहाँ के छाकबाबू श्रीरामप्रसाप ने बड़े प्रेम से हमारा आतिथ्य किया। परिचय हनसे मेरा केवल पश्च-व्यवहार का था। गरीब होते हुए भी आतिथ्य इस प्रदेश के लोग हृदय से करते हैं। मेरा नाम सुनकर कहे लोग मिलने आये, यूथपि पहचानता मैं केवल एक-दो सज्जनों को ही था। उस साँझ को हम लोग गाँवके बाहर काफ़ी दूरतक घूमने लिकड़ गये। चारों ओर हरे-हरे लेत देखकर चित्त प्रफुल्लित हो गया। एक रुपैं पर, जहाँ छकड़ी व मिठी की घडियों का रहेंट चल रहा था, हाथ-पैर छोये। जोहे के कीमती रहेंट से गाँव का यह रहेंट इधर काफ़ी अच्छा और सहता होता है। गाँव का बड़है मेंढ पर के किसी पेड़ को काटकर रहेंट लैयार कर देता है। कुम्हार घडियाँ बना देता है। किसान सुद रस्सी बटकर घडियों को बाँध लेता है। न

कोई कब्ज़ा-पुर्झा, न कुछ कंफट। सेव के खुदहे काली ने बुन्देलखण्डी बोली में हमारी आव-भगत की, मेंह के पेह से तोह-तोहकर खट-भीडे और लिङ्गाये और वही प्रसन्नता प्रकट की। दूसरे दिन सबेरे हम छोगों से एक स्वच्छ कुइयाँ पर नहाया। उसके पाप एक दाखान भी था। राज-भगर के एक सेवा भावी बृद्ध सुनार ने हस सुरभ्य स्थान को बनाया है। रोज सबेरे जाकर अपने हाथ से वह खुद मादू लगाता, और सारी जगह साफ रखता था। सबमुव नहाने-धोने के लिए यह बहा सुन्दर स्थान है।

राधा-माघव और जानको-रमण के मन्दिरों की मुके कुछ-कुछ खुँधकी-सी थाद थी। मन्दिरों की ओर वह श्री-शोभा नहीं रही थी। गढ़ी को बाहर से देखते हुए हम खजुराहे के मन्दिर देखने के लिए राजनगर से पैदल ही चल पड़े। वहाँ के एक सउजन भी हमारे साथ हो लिये।

समय बहुत कम था। उसी रात को हमें बत्रपुर वापस जाना था। चार घटे में ही शिव-पुरी के तथा खजुराहे गाँव के जैन-मन्दिरों को हमने जल्दी-जल्दी देखा। सबसे ऊँचा और सुविशाल मन्दिर वहाँ खंडारिया (कंदरीय) महादेव का है। यह ०३ हाथ लम्बा, ४६ हाथ चौड़ा और लगभग ०८ हाथ ऊँचा है। मन्दिर के पाँच भाग हैं—सबसे पहले अर्द्धमरणप, उसके बाद मरणप, उसके आगे महामरणप, उसके बाद अन्तराक और किर गर्भगृह। स्थापत्य और मूर्तिकला इस की विशेष सुन्दर है। किन्तु इससे भी ऊँचा शिल्प नेपुरव लकड़ीजी के मन्दिर का है, जो खंडारिया मन्दिर के उत्तर में स्थित है। यह

मन्दिर भी विशाल है। सम्मवतः पहले यह विष्णु-मन्दिर रहा हो, क्यों-कि इसके गर्भगृह के द्वार पर मध्य में विष्णु तथा दोनों पाहवों में शिव और लक्षा की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। विश्वनाथ का मन्दिर भी शिव-कला की दृष्टि से ख सा सुन्दर है। इसके शिला-लेखों में १०५६ और १०५८ ये दो संवत् खुदे हुए हैं। एक लेख में चंदेलवंशी राजा धंग और उसके पुत्र गंडदेव के नामों का उल्लेख मिलता है। पर इससे भी प्राचीन ‘चतुर्भुज, का मन्दिर है। आकार में यह विश्वनाथ के मन्दिर के जैसा ही है। किन्तु मूर्तियाँ इसकी अत्यन्त सुन्दर हैं। इस मन्दिर को चंदेलवंशी राजा यशोवर्मन और उसके पुत्र धंगदेव ने संवत् १०११ में बनवाया था। मन्दिर के शिला-लेख में चंदेल राजाओं की चंशावली भी खुदी हुई है। चतुर्भुज-मन्दिर के पूर्व में वाराह-मन्दिर है। वाराह को सुन्दर विशाल मूर्ति दर्शनीय है। इसके हारीर पर अगणित मानव-मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। चतुर्भुज-मन्दिर से दक्षिण दिशा में मतंगेश्वर (मृत्युञ्जय) महादेव का मन्दिर है। यह मन्दिर प्राचीन नहीं है, यद्यपि मतंगेश्वर की प्रतिमा प्राचीन मालूम देवी है। इस मन्दिर में ऐसा कोई विशेष शिल्प-नैपुण्य भी नहीं है। सूर्य-मन्दिर के उत्तर की ओर हमने एक भग्न स्तूप देखा। आसपास और भी कहे हूटे-फूटे स्तूप यहाँ दिखते हैं। सम्मवतः ये बौद्ध मठों के भग्नावशेष हों, जिनका वर्णन चीन के प्रसिद्ध यात्री यूग्मन चुयांग ने किया है।

बहुत सी भग्न मूर्तियाँ और अवशेषों का राज्य ने एक संग्रहालय बना दिया है। उसे भी हमने सरकारी नज़र से देखा। खुदाई और शोध का काम यहाँ कम ही हुआ है। मन्दिरों की मरम्मत का काम

भा अधिक सम्मोचनतक नहीं हुआ। नथा काम पुराने से मेल नहीं खा सका, साक अप्पग दिखता है। विन्ध्य प्रदेश को तथा भारत-सरकार के पुरातत्व-विभाग को इस उपेक्षित ऐतिहासिक स्थान के पुनरुत्थान का पूरा प्रश्न और आयोजन करना चाहिए।

पुरी से हम लोग खंडुराहा गाँव गये। यहाँ कहे जैन-मन्दिर हैं। पाश्वनाथ स्थामी की मूर्ति बड़ी भव्य है। छठी-सातवीं शताब्दियों के बौद्ध भग्नावशेष भी यहाँ मिले हैं। मालूम होता है कि एक बौद्ध मन्दिर पर शापद बाद को जैनों ने अधिकार कर लिया था। आदिबाथ का मन्दिर बाहर से ही देखा। पुजारीजी ताला बन्द करके कहीं घूमने चले गये थे।

खंडुराहो में बौद्ध, जैन तथा बाह्यण धर्म के मन्दिर पास-पास बने हुए हैं। इससे हमें इन धर्मों की पारस्परिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। महापत्रापी चंदेल राजाओं ने जेजाकभुक्ति के इस प्राचीन लगात को सचमुच उच्चति के शिखर पर पहुँचा दिया था। ये कितने दैर्घ्ये कलाप्रिय रहे होंगे, इसकी साड़ी आज भी ये अनेक प्राचीन मन्दिर दे रहे हैं।

वित्त जहाँ यह सब स्थापत्य और मूर्ति-कला देखकर हरित हुआ, वहाँ एक दृश्य देखकर कुछ लिख भी हुआ। कलिपत्र मन्दिरों में, जास्तकर खंडारिया महादेव के मन्दिर में, प्रस्तर-खंडों पर सुदै हुए कुछ चित्रों को देखकर लोम हुआ। ये रत्नकला विष्व के अस्तीति चित्र थे। उक्तीसर के प्रसिद्ध मन्दिरों पर भी इस भ्रष्टता का प्रदर्शन देखने में आका है। यथार्थवादियों ने मनोविज्ञान का सहारा लेकर इस अस्तीति कला के बह का अद्भुत उक्तों से समर्थन भी किया है। यह मैं तो ऐसे

कला प्रदर्शन को, वह कितना ही सुन्दर हो, 'नारकीय' ही कहूँगा। हमारी अनुपम तिल्पकला की उत्तमता कीर्ति पर निश्चय ही यह एक कलांक रेखा है। ऐसे तमाम वीभत्स चित्रों को तोकर उनके स्थान पर सुन्दर शील-पम्पल चित्र रखो न खुदवा दिये जावें।

बूमरे दिन, जिस दिन मैं छतरपुर से विही के लिए रवाना होने-वाला था, कुछ मित्रों ने छतरपुर के जैन पुस्तकालय में मेरा स्वागत-साकार किया। जाग्रत जैनवन्धुओं को यह एक खासी अच्छी संस्था है। जैनधर्म पर मैंने वहाँ एक भाषण भी किया।

पर, वहाँ सामने, 'सरस्वती सदन' पुस्तकालय की दुर्गति देखकर ब्यथा भी हुई। प्रसिद्ध पाहित्य मर्मज्ञ स्व० जाला भगवानदीनजी की प्रेरणा से यह पुस्तकालय स्थापित हुआ था। यहाँ के लकड़ीग माहित्य-सेकियों का यह प्रिय स्थान था। देखा कि न तो स कार का इसे सहारा मिल रहा है, न जनता का। पुस्तकें दूधर दूधर अस्त ब्यस्त पही थीं और उन्हें दीमक खारही थीं। मकान भी बेमरम्मत पड़ा था। देखकर बोला हुआ।

यही चौबीस वरसों के बाद की मेरी जन्मभूमि की आकस्मिक यात्रा थी। अनेक चलात्वर्णों के बीच आखिर पौंछ दिन का यह भी एक स्वप्न-दर्शन ही था। देखकर सुख भी हुआ, दुःख भी हुआ, और सुख-दुःख दोनों आये, और बायु वेग से दोनों गुहार भी गये। घर के लोगों ने सन्तोष प्रकट करते हुए कहा—'अच्छा किया जो इतने 'वरसों बाद तुम एक बार 'देश' हो आये।'" मैंने भग्न में कहा—'पर मैं 'परदेश' में क्या था? जहाँ कहाँ भी रहा, देश में ही तो रहा।'

मुझे तो सभी भूमियों ने जन्मभूमि की ही भाँति स्नेह से अपने चंक में
रखा। 'कथ्यप' जातक की एक गाथा याद आ गई है—

गामे वा यदि वा रघ्जे सुखं यत्राधिगच्छति ।
तं जनित्तं च भवित्तं पुरिसस्त पजानतो ॥

अर्थात्, प्राम या वन में जहाँ भी मनुष्य को सुख मिले, वहाँ उस-
की जन्मभूमि है, वहाँ उसके पालन की जगह है।

अतः मैं तो सदा से वतन में ही रहा हूँ। मगर फिर भी न जाने
क्यों कभी-कभी अपने आपसे कह बैठता हूँ—“असल वतन क्यों
छोड़ दिया ?”

सम्मेलन ने फिर खींच लिया

१६४६ के अन्त में ऐसा ही एक और आकस्मिक प्रसंग प्राप्तया । सहदय हिन्दी-संसार ने सुके, मेरी पुरानी नगदय सेवाओं की ओर देखकर, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर चिठ्ठाने का निर्णय कर लाला । सुके इसका पता ज्ञालियर की टेनरी (चर्माकाय) में चला, जहाँ मैं मुद्रार चमबा देखने व खरीदने के लिए गया था । दिल्ली के दैनिक 'हिन्दुस्तान' में यह खबर छुपी थी । सुके इर्द नहीं, किन्तु आशचर्य सा हुआ । सिर पर जैसे एक भारी बोझ आ पड़ा । पर निर्णय होनुका था । ऐह-दो महीने पहले मेरे एक-दो सम्मान्य मित्रों ने नाम बापस न लेने के विषय में सुके अनुरोधपूर्वक लिखा था । उसके बाद जुनाव के संबंध में फिर सुके कुछ पता नहीं चला । अब गुरजनों तथा मित्रों की आज्ञा शिरोधार्य करना ही मेरा परमधर्म था ।

चित्त उन दिनों, कुछ कारणों से, काफी अस्थिर था । ड्यौगशाखा के द्यवस्था-कार्य से मन उचट-सा गया था । कुछ भी निश्चय न कर सका । भाषण लैयार करना आवश्यक था, पर सूझ नहीं रहा था कि लिखूँ यो क्वा लिखूँ । फिर भी अधिकैशन आरम्भ होने से दस-बारह

दिन पहले बेमन से जैसे-तैसे कुछ तो स्वयं लिका और कुछ बोलकर लिखाया। भाषा और साहित्य के विषय में मेरे जो इतने बयों के हूटे-फूटे संचित चिचार थे उन्हें, जिस तरह बना, तीन-चार दिन के अन्दर लिका दिया और उससे मुझे संतोष भी हुआ।

इस बीच में, और बाद को भी, मेरे पास कुछ ऐसे पत्र आये, जिनके लेखकों का न्यूनाधिक संबंध दलबनिदयों से था। स्वभावतः मैं ऐसे प्रश्नों में रस नहीं लिया करता। मेरी मोटी दुक्ति उक्तमी हुई बातों को समझ भी नहीं पाती। मेरा सही या गलत कुछ ऐसा मत बन गया है कि अधिकांश टीका-टिप्पणी प्रायः ऐसे ही लोग किया करते हैं, जो अमरसाध्य रचनात्मक कार्यों से अलग रहते हैं। दुर्भाग्य से हमें साहित्य और संस्कृति के पुण्य लेखों में भी या तो राजनीतिक 'सौचि' में ढके, या किर हलके फुलके 'टाइप' के लोग अधिकतर दिखाई देते हैं। स्थिर स्त्रायों ने जैसे हन पवित्र लेखों में भी प्रवेश पा लिया है। परिणामत जहाँ-तहाँ परस्पर की टीका-टिप्पणी प्रायः सुनाई देती है। किन्तु अपेक्षाकृत मुझे तो स्वरुप बातावरण ही सर्वत्र मिला। दलबंदी, उत्तर में आश्रय न पाकर, स्वयं निष्पाण होजाती है। मुझे तो सचमुच सभी ने सदा स्नेह-रस से ही अभियक्ष किया।

मेरे बहुत-से मित्रों ने आरा प्रकट की कि मैं अपना अधिक-से-अधिक समय सम्मेलन के सेवा-कार्य में दूँगा। उन्हें मैं संतोषकारक उत्तर नहीं दे सका। जिस संस्था में मैं इतने बयों से बैठा हूँ उसे, जब-तक कि जीवन-रस विलक्ष सूख नहीं गया, कैसे 'बोदू' ? साथ ही, अपनी शक्तिभर सम्मेलन का भी काम करता रहूँगा, इतना ही विश्वस

मैं करा सका। काम लो सम्मेलन के आगे इतना विलाल पढ़ा है कि उसमें सैकड़ो अनन्य निष्ठावाले सेवक लग सकते हैं। पर सभी लब काम कहाँ कर सकते हैं? अंग ही हमारे हिस्से में आता है। जो अंग मेरे भाग में आयेगा उसे मैं अद्वा-भक्ति से कहूँगा, यही मैंने विनश्च संकल्प किया।

२३ दिसम्बर की रात को मैं कराची के लिए रवाना हुआ। रेल की इस लम्बी यात्रा में भारी कष्ट अनुभव किया। निचले दरजे की मुसाफिरी आजकल कितनी कष्टकर हो गई है, इसका मुक्ते इसी यात्रा में पूरा अनुभव हुआ। दस घंटेतक तो मैं पेशावरक नहीं कर सका, वहाँतक जाना असंभव हो गया। जागरण तो सारी रात हुआ ही। साथ मे मेरे अपने दोनों लड़के तथा उच्चोगशाला के उत्साही कार्यकर्ता आनन्द-निवासी श्री चोला विष्णु भी गये थे। दिल्ली और खगहौर के भी कहाँ साहित्यकार मित्र उसी हिक्के में कराचीतक गये। उनके विलोदी स्वभाव ने मेरी सारी धक्कान दूर करदी। अधिवेशन के बाद सिंघ का दौरा करने का मज़कानीजी ने मुझे हैदराबाद से वहाँ गाड़ी में निमंत्रण दे दिया। उनके प्रेमपूर्ण आग्रह को कैसे टाक सकता था?

पूछ टड़नजी को कराची के सुप्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी श्रीकाल्पनि मेहरोत्रा क वहाँ छहराया गया, और मुझे वहाँ मेहरोत्राजी के मकान के सामने श्रीकाल्पनि कुम्ह लगा के घर पर। लगाजी की पत्नी शान्ति देवी ने विस नश्वर स्नेह से हमारा आविष्य किया वह भुलाया नहीं जा सकता। शान्ति दो-तीन दिन में ही मेरी छोटी बहिन बन गई। बहुत अपनायन दिखाया। शान्ति बहिन के ही सुसंस्कृत

विवाहों को जानकर वही प्रसन्नता हुई।

मैं वहाँ सम्मेलन के अधिकारी का आवश्यक वयंग करने वहाँ बैठा हूँ। पर दो-तीन संस्मरणों का उल्लेख अवश्य करेंगा।

भारतवर्ष के ही वहाँ, पश्चिया के सुविश्वात् भाषाशास्त्री श्रीमान् सुनीतिकुमार चाटुर्या से मिलकर बढ़ा आनन्द-ज्ञान हुआ। इतने भारी विद्वान् को अवश्य बनाकर राष्ट्रभाषा-परिषद् ने इस वर्ष वास्तव में अपने को शोभानित किया। सुनीति चाटुर्या की विनवदीज्ञता और मिळनसारी देखफर में सुख और आश्चर्यचकित रह गया। उनके भाषण में अगाध पालिङ्गत्व भरा हुआ था। भाषण में प्रकारामत्र से रोमन-लिपि का समर्थन-सा किया-गया था। केवल उसी चंश पर मुके आश्चर्य हुआ, पर वहाँ भी मेरा अद्वा का ही भाव था। मेरे मन में हुआ कि इम लोग कैसे ज्ञापवाह हैं, जो न तो इस अमरकीर्ति महापविद्वत् से यथार्थ ज्ञानसञ्चय ही कर रहे हैं, और न इसे यथेष्ट अद्वाद्वान् ही दे रहे हैं! यह सामान्य सत्कार भी इस उद्भव विद्वान् को बहुत पीछे मिला।

इतिहास-समिति ने सूक्ष्मी-समाजम तथा सिन्ध की गान-बाद्य-कला के प्रदर्शन का भी आयोजन किया था, जिसमें हिन्दू-मुसलमान दोनों ने ही भाग लिया था। राहगतीक की चोजों को सुन-सुनकर लोग खूब सुनते थे। यह मंहान् सूक्ष्मी सन्त आज भी सिन्धियों के हृदय पर अधिकार किये हुए हैं। सिन्ध के राष्ट्र-कवि दुखाश्च ने भी अपनी कविताएँ संजड़ी पर गाएँ। यह कोरे कवि ही वहाँ, राजनामक कार्य भी करते थे। सिन्ध में दुखाश्च को मैंने लूँ लोकप्रिय पाया। फिर

वाय-प्रदर्शन हुआ। एक गुणी मियां ने सिन्धी बोल बजाकर सबको मन्त्र-मुग्ध-सा कर दिया। रात के बारह बजेतक यह कला-प्रदर्शन होता रहा। मैंने देखा कि भट्टी के मुँह पर खड़ा हुआ भी सिन्ध प्रदेश अरनी ललित कलाओं और भारतीय संस्कृति को बहुत-कुछ बताये हुए है। प्रेम के हसी करवे धारे ने सिन्ध के हिन्दू-मुसलमानों को सदियों से बाँध रखा था। पर अफसोस, वह प्यारा धारा आज भुरी तरह से तोड़ दिया गया। पाकिस्तानी नेताओं और 'प्रयेताओं' ने वहाँ के प्रेम-सिन्धु के अन्दर हलाहल घोल ही दिया।

कला-प्रिय गुजराती-समाज ने एक दिन प्रसादजी का 'आजातशत्रु' नाटक खेला था, और एक दिन नृथ्यकला का प्रदर्शन रखा था। सिनेमा तो मैं कभी देखता ही नहीं, इधर बरसों से नाटक देखने का भी अवसर नहीं आया था। कभी मन हो नहीं होता। पर कराची में उन जोगों का अनुरोध टाज़ नहीं सका। नाटक भी देखा और नृथ्यकला का प्रदर्शन भी। छोटे-छोटे बच्चों का नृथ्य मुझे प्यारा लगा। पर वही लड़कियों का नाच देखना मेरे लिए कठिन होगया। वह सब अच्छा नहीं लगा। दर्शकों की हँस-मूचक आवाजों का सुनना असह-सा होगया। पर वहाँ से उठ भी नहीं सकता था। जबतक बैठने का यस्ता किया। किन्तु इदं-गिरं बैठे हुए कई साहित्य-रसिक नृथ्य करनेवाली लड़कियों के कजात्मक मूरू अनिनय पर मुग्ध होरहे थे। मैं मान लेता हूँ कि नृथ्य निर्दोष था, किन्तु चारबार मन में यह भाव तो उठता ही था कि मनो-रंजन के अधिक निर्दोष साधन सुखम नहीं हो सकते हैं क्या? और पेसे-पेसे प्रदर्शन साहित्य और संस्कृति के क्षया बस्तुतः अभिज्ञ भर्ग हैं?

मैं जानता हूँ कि अनेक साहित्यशास्त्री मेरे हस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में ही देंगे। फिर भी वे मुझ 'खुशक ज्ञाहिद' को क्रायत नहीं कर सकेंगे। नींद छुत्ताने का यत्न करता था, पर आती नहीं थी। भीचों आँख किये अध्यमनस्क-सा बैठा रहा। शायद ठंडनजो मेरी मनोदशा को भाँप गये थे। सैंवेरे के नृत्य के समय उन्होंने मेरी तामसी समाजि को भंग कर दिया। मेरे भी सुँह से निकल पड़ा—‘हाँ, यह मूक अभिनय अच्छा रहा।’ पर समाप्ति पर उठा मैं रंगशाला के सामने से विषाद समेट कर ही।

कला-प्रदर्शन के बाद तुरन्त ही कवि-सम्मेलन होनेवाला था, यथापि रात के बारह बज चुके थे। कवि-सम्मेलनों में भी जाना मुझे पसन्द नहीं। इन सम्मेलनों के विषय में मैं काफी सुन चुका था। पर यह कवि-सम्मेलन सबा-इह घंटे के अन्दर ही भद्रन्त आनंदजी की अध्यष्ठता या शासन में सानन्द समाप्त हो गया। कविता-पाठ में शील-मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। मैंने अपने भाष्य को सराहा।

फैसा तो मैं बहुत बुरी तरह मधुरा में था—माहित्य-वाचरपति सेड कम्हैयाल्जी पांहार के जयन्ती-समारोह के अवसर पर मेरे मधापतित्र में उस दिन बसंतेस्व भनाया गया था। कार्यक्रम में आयोजकों ने 'पदन्त' भी रखदी थी। मैंने स्वयं 'पदन्त' का अर्थ ढीक-ढीक नहीं समझा था। स्थानीय कवि-समाज ने स्वरचित तथा प्राचीन कवियों का कविता-पाठ शुरू किया। गणेश और सरस्वती की बन्दना के पश्चात् जटुराज के रसीले कवितों का पाठ प्रारम्भ हुआ। फिर संबोग शुभार के कविता पढ़े जाने लगे। निर्बाध रूप से वदते ही

चले जाते थे । पहले का यह प्रथम प्रवाह रुकने का नाम वहीं थे रहा था । मैं तो बधा गया ।

इस प्रकरण से यह न समझा जाये कि ऐसी कविताएँ शीतिकाल्प्य के रसिक ही पढ़ते या सुनाते हैं । ऐसी बात नहीं है । आधुनिक युग के भी कई कवियों की ऐसी ही बल्कि इनसे भी अधिक कुरुद्विषोषक कविताएँ कवि-सम्मेलनों में पढ़ी जाती हैं, और उन्हें खूब दाद भी दी जाती है । इस शीखनातक कुमडृति का अन्त होना ही चाहिए ।

: ४६ :

मेरा अभिभाषण

कराची-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से राष्ट्र-भाषा और साहित्य के संबंध में मैंने जो विचार अयुक्त किये थे उनके मुख्य-मुख्य अंशों को, संक्षिप्त रूप में, इस प्रकरण में देता हूँ।

राष्ट्र-भाषा के स्वरूप के संबंध में मेरा मत सम्मेलन के मत से कभी भिन्न नहीं रहा। मैं हिन्दी को उसके प्रचलित रूप में ही राष्ट्र-भाषा और नामदी किपि को राष्ट्र-किपि मानता हूँ। इसमें मेरा सदा ही शुद्ध राष्ट्रीय इटिकोण रहा है। उसकी एक शैली उदौँ भी है, जिसका वज्रन कुछ विशिष्ट जनों में पाया जाता है, और उसे मैं आदर की दृष्टि से देखता हूँ। सदा से भारत राष्ट्र की व्यापक भावनाओं को अयुक्त करने की उमता रखनेवाली संस्कृत और ग्राहुत-मूलक भाषाएँ ही रही हैं। और हिन्दी ने इस दिशा में सबसे अधिक काम किया है। राष्ट्रीय चेतना को जगाने और फैलाने में वह सबसे अधिक समर्थ भाषा सिद्ध हुई है।

भाषा के प्रवाह को मैंने सदा सहज या 'अचल-साधित' भाषा है। साथ ही, भाषा और शैली दोनों विषय विशेष का अनुसरण

करती हैं। विषय की बधेण अभिभ्यंजना लेखक वा वक्ता के यथार्थ ज्ञान पर निर्भर करती है। कवीर की भाँति गांधीजी की भी हिन्दी स्वभाव सरल होती थी। मगर उनके 'हरिजन सेवक' को हिन्दुस्तानी भाषा में यह बात नहीं रही। उसमें हिन्दी-उदूँ का बेमेल गठ बन्धन भौड़ेपन से किया गया। यह भदा परिहास मुके खला। समन्वयीकरण में भाषा की मूल प्रकृति का ध्यान न रखने से समन्वय कोई अर्थ नहीं रखता। समन्वय वैसा, जैसा कि राग में भिन्न भिन्न स्वरों का। प्रत्येक राग का, उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार, बैधा हुआ स-र-ग म' होता है। इस स्वर को यहाँ इतना स्थान मिला है, तो उस या उन स्वरों को भी उतना ही मिलना चाहिए, अथवा यह स्वर मध्यम लगाया नया है तो वह भी मध्यम ही लगाना चाहिए — इस स्थाय-नीति को लेकर हम स र ग म की पुनर्रचना करने बैठेंगे तो उससे कौन-सा राग बनेगा? इस नीति से कभी सामंजस्य सिद्ध होने का नहीं। इससे तो भाषा की प्रकृति का अंग भंग ही होगा, वह असुन्दर वा विरूप ही बनेगी। असली सिर काटकर उसकी जगह बकरे का सिर चिपका देने से वृष प्रजापति की जो शक्ति बनो थी उसे देखकर तो भगवान् रुद्र भी खिलखिलाकर हँस पड़े थे। उस विचित्र आकृति को नर और अन्न का समन्वय कहने के लिये क्या आप तैयार हैं?

इसलिए, मैंने कहा मेरी राय में हिन्दी और उदूँ को अपने अपने रास्ते बढ़ने और फैलने दिया जाये। राष्ट्र के विचारों व भाषों को बद्धत करने की जिसमें जितनी अधिक सामर्थ्य होगी वह उतने ही बहे जनसमूह को सवयं अपनो और खोंच लेगी। उदान में हम

सभी फूलों को अपने-अपने रस में महकने वें, एक पेड़ का फूल तोकर दूसरे पेड़ की ढाली पर न लोसते फिरे'। अमर किन फूलों पर आकर बैठते हैं और किनपर नहों, इस व्यवहार को चिन्ता में न पढ़ें—इस पसंदगी को तो आज रसग्राही अमरों पर ही छोड़दें। प्रहृत इसिकों के आगे फूपया गिने-खुने फूलों के गुबदस्ते सजा-सजाकर न रखें।

मैंने यह भी कहा कि राजनीतिक और साम्बद्धाविक प्रश्न हमारी भाषा पर प्रभाव और दबाव नहीं ढाल सकते। उसपर राज-शासन भीह चल सकता, उस्टे राष्ट्र-भाषा के अन्दर राज्य को जमाने और उलट देने की शक्ति विद्यमान है। राष्ट्र की भाषनाओं को जगाने और एक लोर से दूसरे छोरतक फैलाने में हिन्दी का सबसे अधिक हाथ रहा है। हिन्दी को किसी खास सम्प्रदाय की भाषा कहने का आज कौन हुँसाहस कर सकता है?

हिन्दी की जिस संस्कृतनिष्ठता पर आज आरेप किया जाता है वही तो उसकी लोक-व्यापकता का मूल कारण है। हिन्दी को संस्कृत-निष्ठ कहना ही शब्दत है। हिन्दी तो हिन्दी है।

अपने भाषण में 'हिन्दुस्तानी' की बर्तमान प्रवृत्ति पर भी मैंने स्पष्टहृतः अपका भवमेद प्रकट किया। मैंने कहा कि हिन्दी की विशिष्ट हैली डूँ को जो सीखना चाहें शौक से सीखें। उदूँ के जहाजहे बाहा से इस जग्हे लुहालूहार फूल खुन सकते हैं। यदि हमसे चने, तो कारसी साहित्य का भी झाम-जाम कर सकते हैं। किन्तु संस्कृतशूलक या संस्कृतयुक्त भाषा-भावितों पर उदूँ को और हिन्दुस्तानी के नाम हीसे परिचित उस कौमी ज्ञान को, जो उदूँ का ही एक भावा कर है—हम्मूर्ख कादा

और योपा नहीं जा सकता ।

राष्ट्र-भाषा के संबंध में मैंने इसी प्रकार के विचार अपने अभिभावण में प्रकट किये । मेरे कई मित्रों को आश्चर्य हुआ और कुछ ने तो शिकायत भी की—“साक ही तुम्हारे ये विचार गांधीजी के भाषा-विषयक विचारों के विरुद्ध जाते हैं । तुम्हें तो हम आजतक गांधीवादी मानते था रहे थे । गांधीजी के प्रति तुम्हारी क्या यही अद्वा-भक्ति है ? अद्वल तो सम्मेलन की अव्यक्तता तुम्हे स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए थी, जबकि गांधीजी सम्मेलन का परिस्थापन कर चुके हैं ।”

वे छोग नहीं जानते थे कि गांधीजी के त्यागपत्र का अर्थ सम्मेलन का परिस्थापन नहीं था । वे तो, उन्हींके शब्दों में ‘सम्मेलन अर्थात् हिन्दी की ज्यादा मेवा करने के लिए सम्मेलन से निकले थे ।’ फिर मैंने अपने आपको कभी गांधीवादी कहा भी नहीं । गांधीजी के प्रति मेरी अद्वा-भावना अवश्य रही है । उनकी बहुत-सी बातों को सच्चाहृ से ग्रहण करने का अस्त भी किया है । पर उनकी या किसीकी भी हरेक बात को बिना सोचे-समझे, औंख मूँदकर, मानने को मेरी आदत नहीं रही । गांधीजी ने हमें ऐसा सिखाया भी नहीं । राष्ट्र-भाषा के संबंध में उनसे अपना भिन्न भूत रखकर भी मैं उनका एक विनाश भक्त बना रह सका । उनके प्रति जिसने अंत में मेरी अद्वा-भक्ति रही उसे तो स्वयं गांधीजी भी नहीं छीन सके ।

एक दो सज्जनों ने तो यद्दृष्टक कह डाका था कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को उसके बर्तमान स्वरूपमें विद्युद राष्ट्रीय संस्था कैसे कहा जा सकता है ! इस अज्ञानपूर्ण आरोप का मैंने ऐपपूर्वक उत्तर दिया, और

दोष था जाना स्वामारिक था। वह उत्तर कि, जिस संस्था के प्रबोध कर्त्तव्यार, उसके अन्म-काल से ही नल से शिखतक राष्ट्रीय-ही-राष्ट्रीय भ्रीटिशब्रिटी अचलक रहे हों, उसे अराष्ट्रीय कहने का दुःसाहस करना सरल नहीं। हाँ, वह कर्णधार, जिसने एक बार यद्धातक कहा था कि “यदि मैं देखूँगा कि सम्मेलन राष्ट्र के विशद जा रहा है, तो उसमें अपने हाथ से आग लगा दूँगा।” राष्ट्रीयता की परिभाषा स्थिर है और रहेगी। वह पग पग पर पकड़नेवाली चीज़ नहीं है। उसके मूल तत्त्वों पर जो स्थिर हैं, राजनीतिक दावपेंचों के बज पर होनेवाले सौदों का असर नहीं पड़ना चाहिए।

साहित्य के कड़ा पक्के की सूखम गति विधियों का अचलन शान म होते हुए भी उसपर मैंने अपने कुछ हृदे कूदे विचार व्यक्त किये। मेरी हाल कवीर, तुलसी, सूर तथा जायसी पर ही स्वभावतः पड़ी। देखता हूँ कि हन अमरकोर्ति कवियों के कारण हमारा साहित्य हिमालय की ऊँचाई और सागर की गहराई से होड़ लगा सकता है। हनकी शुभ वाणी ने विश्व-मानव को वह असृत-सन्देश दिया है जिसके बज पर वह दुर्जित आत्मुरी से यह पर आज भी विजय प्राप्त कर सकता है।

क्षेत्र-वाणी को मैंने ‘अवश्य’ माना है। उसका सब कुछ शैत-ही-शैत है, जो निर्मला का विशुद्ध प्रतीक है। भाषा इस निर्मला अवश्यक में अपने को भूल जाती है। व्याख्यात और आवृद्धवाद और सभी प्रकार के बाद इस रसायनक में विकीर्ण हो जाते हैं। वह इसे उस निर्मल अवश्यिक में, अपने लग्जे चरों पर

चिकित्सक, उड़ा के आती है, जहाँ हम अपने रस-मानस का निखरा-ही निखरा सक पाते हैं। पर आज हम अपने आसपास इस शुभ्ररस को पा नहीं रहे हैं। हमारी अध्ययन-चिंतन की वह परम्परा मानों भवक हो गई है। हमने पश्चिम से 'शब-परीक्षा' करना सीख लिया है। 'शिव-दर्शन' हमें नहीं मिल रहा। न हम उतनी ऊँचाई पर डढ़के हैं, और न उतने गहरे ही उतरते हैं। धीरे धीरे हमने जैसे साधना की ओर से दृष्टि फेरली है, और वैज्ञानिक शब्दजाल में उड़ान-से गये हैं। राजनीतिक क्षाया ने भी हमारी दृष्टि को झुँझला-सा कर दिया है।

आगे चलकर मैंने इसपर भी आश्चर्य और क्लेश व्यक्त किया कि शीलधातक रीतिकाल की ही मौति हमारे कुछ आधुनिक सुकृति भी यथार्थवादिता एवं प्रगतिशीलता की ओट मे प्रकारान्तर से उदास बासना को लालणिक रचनाओं द्वारा अनुचित ढत्तेजन दे रहे हैं। पेसी रचनाओं से उपलब्ध रस व्यक्ति और उन्मादक ही होता है। सच्चा आनन्द-रस तो उच्छ्वस्त चित्तवृत्तियों के निरोध से ही उपलब्ध होता है। 'फिलम' को हम सहज दृश्य क्यों कहें? प्रगति तो हमारी ऊँचे चढ़ने में है। प्रियतम की सहज सेज तो 'गगन-मंडल' में अथवा तो 'सूखी' के ऊपर है—किसी गढ़े में वह सरजन अपनी सेज लगाने नहीं गया। गढ़े में तो कर्दम-ही-कर्दम है। उत्पत्ति कमक की कर्दम से भक्ते ही हुई हो, पर आनन्द-विकसित तो वह 'अपह दी' 'ऊँचे पर' ही हुआ है न? यथार्थ सहज अस्त्र में क्या वस्तु है? मेरी दृष्टि मे आत्मा का सहज विकास ही यथार्थ है। मनुष्य के उदास भावों को, उसके उत्तरांशों को, जिससे व्यहि और समर्पि

दोनों का उदय और अन्युदय होता हो, अनुभूति को भावा द्वारा हृष्ट ह चित्रित करना हो यथार्थ कलात्मक अभिभवजना है। समाज से जैसा पाये जैसे-का-बैसा उसे लौटा देने में कलाकार की कोई विशेष कुशलता नहीं। संखिये को यथा-का-यथा न देकर शुद्ध करके ही देते हैं। मानव में पशु की अचर्चना करने में यथार्थ कला नहीं; कलाकार का धर्म तो मानव को उसके अपने रूप में, जो निश्चय ही पशु से ऊपर अथवा 'पशुपति' है और असीम सुन्दर है, उसों-का-स्यों चित्रित करना ही है।

कविता में विभिन्न बादों के प्रवेश पर भी मैंने मनोवेदना प्रकट की। मैंने कहा कि कवि बेबारे को निःशक्त समझकर जैसे हूँ विभिन्न बादों ने अपने नागपाश में जकड़ रखा है। इसी प्रकार लाहौरिक अभिभवजना को अति ने भी कविता की आत्मा को कुँड़ येसा ढक लिया है कि वह गूँ-से-गूँ बनतो जा रही है। इस उसमें तरल रूप में नहीं रहा, बल्कि जम-सा गया है। आन्तरिक भावों की रहस्यात्मक कर्त्तव्यता तीन-चार हो अमरकीर्ति कवि कर सके हैं। उसका महा अनु-करण बहुत अधिक किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सेवा भी बहुत हरा-भरा नहीं दिख रहा है। मैथिलीशरण यथा एक-दो सुकवि ही अपवादरूप हैं। हमारे राष्ट्र के कवियों की भावनाओं को किवाहीजता से ज्वलांत मेरणा नहीं मिला, तो किरणे राष्ट्र की चेतना और अचेतना के साथ एकाकार हों तो कैसे? समाज के विभिन्न स्तर के साथ एकाकार हुए चिना वे युग की बायी के सब्दे प्रवरका हो नहीं सकते।

कहानी, उपन्यास, नाटक, इन अगों पर मैंने अधिक नहीं कहा। कविता की आज्ञोचना के अन्तर्गत खलिल-पढ़ के इन अगों का भी लगभग समावेश हो जाता है। केवल हतना ही कहा कि हमारे कलाकार कृपया यूरोप-अमेरिका के साथ हम लेखों में फिलहाल प्रतिस्पर्धी न कर। उन्हे प्रतिभा और लेखनी को अब अन्य दिशाओं में मोड़ना चाहिए। साहित्य-शारीर के ये अग कुछ फूल-से गये हैं, वैसे स्वस्थ नहीं बन पाए। ग्रष्ट कहानियों की भड़कीली पत्रिकाओं और समाज के शोल पवन पौरुष को नष्ट करनेवाले निरंकुश चित्रपटों पर भी मैंने अनता और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। हस विरेके बातावरण में ऊंचे दरजे की कहानियाँ, उपन्यास और नाटक कैसे बढ़ या पनप सकते हैं? मुझे भय लगता है कि हमारे ऊंचे कलाकारों की कृतियों का यह दिन-दिन फैलता हुआ शैवाल-जाल कहीं बिलकुल ढक न दे।

अन्त में, वैज्ञानिक साहित्य-निर्माण, लोक-साहित्य-संरक्षण तथा ऊंचे अनुवादों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सास्कृतिक आदान-प्रदान की आवश्यकता की ओर राष्ट्र-भाषा-प्रेमियों का ध्यान खींचा। पत्रकारों और अपने लेखक बन्धुओं से भी ढो-दो शब्द कहे। और उपसंहार हन शब्दों में किया—

“सम्मेलन का मार्ग लोकसेवा का मार्ग है। भारत राष्ट्र की सेवा उमने बिना किसी भेद-भाव के की है। जैसे राष्ट्र, वैसे भाषा भी सबकी। सम्मेलन का किसी भी भाषा से बैर या विरोध नहीं है,— भाषा के रूप में अंग्रेजी से भी नहीं। विरोध तो उसकी डस दूष्या से है, जिससे उमने हमारे मानस को तुरी तरह बोहित या आक्रान्त कर

रखा है। हमारे राजकाज में, हमारे आपसी अवहार में, हमारी सार्वजनिक संस्थाओं में अंग्रेजी क्यों दखल दे ? अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजी को भी हमें पदच्युत करना है, यह हमारी प्रतिज्ञा है।'

अभिभावक पर तरह-तरह की सम्पत्तियाँ आईं, पर संतोष तो सुने अपने एक विचारशील मित्र की इस सम्पत्ति से हुआ—‘यह दूसरी बात है कि तुम्हारे विचारों से कोई सहमत हो या असहमत, पर हतना मैं अवश्य कहूँगा कि भाषा और साहित्य के विषय में तुमने स्पष्टता और इमानदारी से अपने विचार व्यक्त किये हैं।’

सिन्धु-प्रवास

अधिवेशन के बाद राष्ट्रभाषा-प्रचार के उद्देश से सिन्ध के चाह-पाँच स्थानों में चूमलेने का बचन में अपने मित्र आचार्य मळकानी को दे चुका था। तदनुसार सम्मेलन के प्रधानमन्त्री पं० मौखिकन्द्र शर्मा तथा भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन के साथ में सबसे पहले हैदराबाद गया। मळकानीजी हैदराबाद के निवासी हैं। वहाँ उनकी पत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी से आठ साल बाद मिलकर वही प्रसन्नता हुई। राष्ट्रभाषा-प्रेमी भाई प्रताप दिवाजदास के मकान पर हमें डाइरेक्ट गया। इनका परिष्कृत कला-प्रेम देखकर मैं सुख होगया। अत्यन्त मनोरम चित्रों और फारसी की पुश्ती हस्त-लिखित पुस्तकों का इनका सुन्दर संग्रह सबसुख देखनेयाक था। मळकानीजी ने हमें हैदराबाद के कई मठहूर मकबरे तथा शहर के अनेक प्रसिद्ध स्थान दिखाये। शाम को राष्ट्रभाषा के कार्यकर्ताओं तथा हिन्दी-प्रेमियों की एक सभा हुई, जिसमें भद्रन्तजी ने अपने भाषण में राष्ट्रभाषा हिन्दी की बड़े अच्छे रींग से हिमायत की।

उसी रात हमलोग खरकाना के लिए चल दिये। रास्ते में टैक्सी की तथा अन्य कई मित्र साथ हो लिये। खरकाना से मोटरों दहो जाके

‘का हम खोगों ने कार्यक्रम कराया था।’ इस प्राचीनतम भारत-स्थान को देखकर हमने उस दिन अपनी सिन्धु प्रदेश की यात्रा को सफल माला।

एवं वहाँ बोम्ब ‘गाहूः’ का आवाद बहुत छटका। एक सुसन्ध-भाषण गाहूः ने हमें वहाँ को एक-एक चोज़ दिखाई। सबसे पहले वह हमें एक बौद्धस्तूप दिखाने से गया और हम नासमझों को समझाने लगा—“यह स्तूप है, तुम भरम के फ़ौर खोग वहाँ पर लुहा की हवाएँ किया करते थे!” हमारे भद्रतजी इसपर हँस पड़े—“मेरे भत्ते, तुम भरम के फ़ौर तो लुहा तो क्या रुह पर भी यकीन नहीं जाते हैं, किर हवादत वे किसकी करेंगे!” पर हमारा विद्वान् गाहूः तो बारबार अपनी खोजपूर्वी बात को गले उतारने का बरत कररहा था।

पाँच-छह हजार बर्षे पुरानी स्थापत्य-कला देखकर हम सब आश्चर्य-चकित रह गये। इन भवनावशेषों को देखने से पहला चक्रता है कि मोण्डलो इसी नगर में सफाई का जैसा सुन्दर प्रबन्ध था, गंदगी बहाने के लिए जैसी अच्छो वाकियाँ बनी हुई थीं, जैसी दक्षिण मेसोपोटामिया के सुप्रसिद्ध नगर उर में भी नहीं थीं। यिस आंह देवियोगिया की सम्बन्ध-तार्दे दुनिया में बहुत प्राचीन भानो जाती हैं, पर उनके साथ वहाँ की तुष्टा करने पर मालूम होता है कि भारतवर्ष में उनकी अपेक्षा और भी सुख-सुविधाओं का कहीं अधिक अच्छा प्रबन्ध था। वहाँ के गेहूँ के दाले भी हमने देखे, जो आश्रक्त के यंजाबी गेहूँ के से ही थे। बहुल-से भकानों में चर्खे की रिंडखियाँ भी मिली हैं, जिनसे पहला चक्रता है कि घर-घर में चर्खों चक्रता था और बहुत महीन कम्फे तुमे जाते थे।

दो-दोहे बयटे में हमने सरसरी बङ्गर से चूम-फिरकर सब देख दाका। हमारी दोहे सामान्य यात्रा की ही थी। पुरातत्व के ज्ञाता की दृष्टि से देखने में एक नहीं दो-या तीन दिन भी लग सकते थे। काफी हमारे मित्र डा० वासुदेवशरण अव्याकृत अथवा काका काकेकर हमारे साथ उस दिन वहाँ बोते।

मोपन्जो दोहो से दिन के तीसरे पहर हमलोग खरकाला बापस आये। वहाँ से टंडनजी समखर चले गये और मेरे दोनों जानके दिल्ही। शाम को हिन्दी-प्रेमियों की सभा हुई, जिसमें महकानीजी धाराप्रवाह सिंधी में बोले और हम तीनों सरल हिली में। दूसरे दिन भी तीन शिल्प-संस्थाओं में हमारे भाषणों का आयोजन किया गया। शमाजी के भाषणों का अध्यापकों और विद्यार्थियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

खरकाला की एक चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। जिस बाग में हम-लोग ढहरे थे, वहाँ बगल की सदक से सामूहिक गायन की जैसी आवाज़ रात को और सबेरे भी जब कहूँ बार मेरे कानों में पड़ी, तब मैंने मख-कानीजी से पूछा, ‘क्या आजकल वहाँ कोई त्यौहार मनाया जा रहा है? गाने की जैसी आवाज़ आती बो नज़्दीक से ही है, पर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा। यह चें-में चें-में आलिर है क्या?’ विनोद-प्रिय मखकानीजी ने तुरन्त हमारी जिशासा का उत्तर देते हुए कहा—“ये सिंच की बैडगांवियाँ हैं, जो मोपन्जो दोहों के ज़माने के गीत गा रही हैं, या किर स्वर के साथ रो रही हैं।” लार-बार बैड-बैड बैडगांवियाँ जब एकसाथ चलती हैं, तब उनके पंहुँयों से एक आवाज़ निकलती है। इस बगेर में, देहाल के लोग इसने अधिक पुराणीमिय है कि

बैद्यगांधियों में कुछ भी सुधर नहीं करना चाहते। उनकी यह भावना या रसीके दोषन की विचित्र ध्वनि आव भी मेरे कानों में गूँज रही है।

जरकन्ना ये हमलोग सक्षर गये, और वहाँ से शिकारपुर। यहाँ भी वही, बैद्या ही कार्यक्रम—कार्यकर्ताओं की तथा सार्वजनिक सभाएँ; हमारे भाषणों में वही प्रचाराल्पक विष्टपेषण; वही करतल-ध्वनि, और सर्वत्र फूँडामालाओं द्वे वहो स्वागत-सत्कार। मैं तो इन दस-बारह सभाओं से ही चबरा गया। और एक दे है, जो तुमाव के दिनों में हफ्तों दोज दस-दस बारह-बारह सभाओं में गरज-गरजकर बोलते चले जाते हैं, और थकने या ऊने का नाम भी नहीं लेते। हमारे शर्माजी सक्षर की सार्वजनिक सभा में पौने दो घंटे बोले और ऐसा बोले कि थोड़ाओं को मुख कर दिया। मैं तो पाँच मिनिट ही बोलकर बैठ गया। कुछ सूक्ष्म ही नहीं रहा था कि और क्या बोलूँ !

सक्षर-शिकारपुर की एक मनेहार बठना का उल्लेख अवश्य करेंगा। हमारी इस भाषा में हैदराबाद की जापनी (जाप्पानी) नाम की एक सिंधी जाकी भी थी। उसको भी तूमने की हच्छा थी, इसलिए मलका-नीजी उसे अपने साथ ले जाये थे। सरक स्वभाववाली हच्छा सिंधी जाकी की हिन्दी-निष्ठा और जादी-भक्ति देखकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सक्षर की सभा में वह मेरे पास बैठी हुई थी। एक साथ कई जोगों को वहाँ ऐसा कहा कि यह वियोगी हरि को जाकी है। सभास्थल से उठने पर रास्ते में जाप्पानी ने मुझसे कहा—‘आजसे भाष मेर चर्मिला हुए। जो बाट हो-तीन दिव से मेरे मन मे चक्कर बाट रही था, उसे इन जोगों ने भाल कह दिया। हमारा यह भाषक्सिक संवेदन क्या वृद्धिसंकेत

नहीं है ? आज से अब मुझे अपनी पुत्री मानोगे न ?” बिचा किसी हिचकचाहट के मैंने ‘हाँ’ कह दिया । न जाने कहाँ से मेरे हृदय में स्नेह उमड़ आया । लच्छो डसी चल मेरी छातको हो गई; जैसे कोई खोई हुई छातकी अकस्मात् मिल गई हो । मैंने मन में कहा — “तू मोह-ममता से दूर-दूर भानता था, पर तेरा पवित्र परिवार, देख, बदता ही आ रहा है । अभीतक तेरी एकमात्र वास्तव्य-भाजन पुत्री दमधन्ती (चि० भगवत की पत्नी) है, जिसे तू स्नेह से ‘बिट्या’ कहा करता है । अब यह लच्छो भी तेरी पुत्री बन गई है । तेरा ‘अग्निकेत’ गृह अभी और भी अरेण, परिवार और भी बढ़ेगा । प्रसु की जैसी हच्छा ।” मैं आहा करता हूँ कि मेरा यह स्वोकृत परिवार मेरे बंधन का कारण न बनकर निर्धिष्टता की हो और मुझे ले जायेगा । पर आज मैं निरचयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता । सब ‘हरि के हाथ निवाह’ है ।

बाहौद के लोक-सेवक-मंडल के सदस्य श्री सेवकरामजी मुझे रात को नींबजे अपने कुछ मिठाओं के साथ छुमाते हुए सक्खर की हरिजन-बस्ती दिखाने ले गये । मेरे लिए तो यह सक्खर के साथुदेश तीर्थ के जैसा ही पवित्र स्थल था । बस्ती में पैर रखते ही येला जागा, जैसे अपने पर में आगया । मन मेरा आच डढ़ा । भाँगी भाइयों की बह आसी अच्छी बहती थी । सब पलाव और राजस्थान के मूळ निवासी थे । पर अच्छे स्वच्छ थे । वहीं स्कूल था, द्वाराजाना था और उनका अपना कौटा-सा कोआपोटिक थैंक थी । अब मैं पहुँचा, वे खोग भजन गारहे थे । सेवकरामजी ने सक्खर के कार्य का संकेत में परिचय दिया और ‘कार-पौंच मुखियों ने अपने-अपने भोजस्त्रों की शिकायतें सुनाईं । और

शिकायत कहुसंख्यक आति हुआ डलकी औरतों पर होनेवाले अत्याचारों की थी। जबाब में मैंने कहा है और इता के साथ अत्याचारों का सामना करने के लिए कहा, और साथ ही अपने परम सेवकों की उपेशा करनेवाले उपरिषद नागरिकों को भी कुछ चिकारा। बस्ती से चलते समय मैंने अपने हृदय में जैसे पवित्रता के संचार का अनुभव किया।

शिकायतुर की बस्ती देखकर तो और भी अधिक आनन्द हुआ। शिकायतुर के हरिजन कार्यकर्ता ढाँकिशन चन्द्र को मैंने घन्यवाद दिया, जो ऐसा सुन्दर स्थान दिखाने मुकेहे गये थे। वह बस्ती हरिजन सेवक-संघ की हृति थी। स्वच्छ और सुन्दर बस्ती थी।^१ स्वच्छ की इमारत भी बानढार देखी। और सक्षमता की तरह यहाँ भी कोआपरेटिव बैंक था। हम बस्तियों में जाकर मैंने अपनी सिन्धु-यात्रा को सचमुच सफ़ल माना। संतोष हुआ कि पूर्य ब्रापा के लिए भी सिन्धु से कुछ ले जा रहा हूँ।

सिन्धु-प्रवास के सभी भाषणों में हम लोगों ने प्रायः एक ही बात पर झोर दिया। सिन्धु में बेवनागरी लिपि के प्रचार की सब से बड़ी आवश्यकता अनुभव की। अन्य अनेक भारतीय भाषाओं की भाँति सिन्धु भी प्रकृति से संस्कृत-प्राकृतमूलक है। सिन्धु के बिहान् लेखक श्री कमलमल नाहमल ने अपने सिन्धु भाषा के व्याकरण में, लिखा है, “सिन्धी में कुछ १८४२ में सिन्धु-सरकार ने प्रकाशित कराया था, लिखा है, “सिन्धी में कुछ १०,००० शब्द हैं, जिनमें १२०० संस्कृत के लक्ष्य हैं, १२०० देशी हैं, २००० भारती के और २५०० अरबी के लक्ष्य हैं। १२०० देशी शब्दों में भी बहुत-से संस्कृतमूलक शब्द हैं। लिखाईं, सर्वभास, संक्षयावाक, लिशेषण और अन्य सब संस्कृतमूलक ही हैं।”

लिपि के संबंध में लिखी के विद्वान् परिचय ने, १८६७ में प्रकाशित अपने सिन्धी भाषा के व्याकरण में, लिखा है— “संस्कृत वर्णभाषा ही सिन्धी वर्णभाषा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है; क्योंकि सिन्धी भाषा संस्कृत-प्राकृत की सब्जी पुष्टी है। अरबी लिपि में प्राकृत भाषा के लिखने में भारी कठनाई होती है।” डा० द्रव्य का मत हृष्ट एवं वैज्ञानिक है। जब संस्कृत और प्राकृतमूलक अन्य प्रांतीय भाषाएँ देवनागरी अथवा दससे भिन्नती-जुखती लिपि में लिखी जाती हैं, तो केवल सिन्धी भाषा को ही परिवर्द्धित अरबी लिपि में लिखने का कोई कारण नहीं। इस लिपि को १८६३ में हृष्टहंडिया कंपनी के द्वायरेक्टरों ने प्रयोग के रूप में घर्ही चलाया था। मैंने अपने भाषणों में जगह-जगह यही अनुरोध किया कि सिन्ध के सब राष्ट्र-प्रेमियों को इस ओर दृढ़ अवैज्ञानिक लिपि का मोह छोड़ देना चाहिए, और दसके स्थान पर राष्ट्र-लिपि देवनागरी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सिन्धी साहित्य की सर्वांगीय उन्नति देवनागरी लिपि के द्वारा ही हो सकती है। देवनागरी लिपि के स्वीकार से ही सिन्ध अपना साहित्यिक संबंध राष्ट्रभाषा हिन्दी से स्थापित और दृढ़ कर सकेगा।

यह देखकर मुझे सन्तोष हुआ कि सिन्ध का विद्वत्-समाज इस सत्य को अनुभव कररहा था, किन्तु सिन्ध संकट की विषय विषय परिचित-लिखों में से गुजर रहा था तब्बे देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता था कि अविष्य में क्या होने चाहा है। हाल में, छोड़तंज्राद को पैटोंडे के कुचलकर पृष्ठ वर्ष के भीतर ही जो कुछ हुआ वह तो उस को विद्वित

है ही। जिस तरीके और जिस नीथत से वहाँ 'सिन्धु-यूनिवर्सिटी' बिल पास हुआ उसे देखकर तो सिन्धु देश की संस्कृति और सिन्धी भाषा का अविद्य अभी तो घोर अन्धकारमय ही दीखता है। फिर भी हम, आशा के विरुद्ध भी, आशावान हैं कि अट्ट कोक यहकि अपनी व्यापक संस्कृति की, जो शेष भारत से अविच्छिन्न है, रक्षा कर ही ले गी। राज-वायाप की जड़ों के मुकाबिले खोक-संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी और इन होती हैं।

—(८)—

: ५१ :

मेरा परिवार

विक्रमे प्रकरणों में प्रसंगानुसार परिवार के कई परिजनों का मैंने उल्लेख किया है। इस प्रकरण में—जिसे मैं कुछ संकोच या पश्चोपेश के साथ लिख रहा हूँ—अपने कुटुंबियों के संबंध में कुछ अधिक लिखना चाहता हूँ। पश्चोपेश यह रहा कि पाठकों को घरेलू या खानगी बातों में क्यों बेकार ढलमार्दँ; पर साथ ही, यह भी सोचा कि सब-कुछ मैंने पाठकों को ही ध्यान में रखकर थोड़ा ही लिखा है। किसीके भी जीवन-प्रवाह ने दूसरों की राजी या नाराजी पर बहुत ध्यान का दिया। परिजनों की चर्चा करने या न करने से कृतज्ञता या कृत-ज्ञता का प्रश्न नहीं उठता, पर यह अवश्य है कि चित्र यह अधूरा-सा रह जायेगा, और मुझे, और शायद सबंयं मेरी कहानी को भी, पूरा संतोष नहीं होगा। किर मेरा यह सारा चित्र ऐहिक ही तो है। सांसारिक संबंध तो सब ज्यों-के-त्यों काम ही हैं। यह सोचकर, इसकिए, जहाँ मेरा जन्म हुआ उस घर के कलिपक संबंधियों की, उसा बात को स्वभावतः हीकारने से जो विशिष्ट परिवार मेरा आज बन गया है उसकी भी योद्धी विस्तृत चर्चा इस प्रकरण में कर लेना चाहता हूँ।

आरभ इस कथा का मेरे पूज्य नाना और नानी के पुण्य स्मरण से हुआ था, सो उनके विषय में अब और अधिक नहीं लिखना। अपनी भर्तमाता पर भी एक अलग प्रकरण लिख चुका हूँ। अन्मदाओं माँ के विषय में ही मैं अबतक छापरा मौन सा रहा हूँ। माँ सदा मेरे साथ रही, फिर भी मैं उनसे कुछ अलग अलग-सा ही रहा। इताहासाद तथा पन्ना में मैं उनपे एक एक, दो दो भील के फासले पर रहता था, विल्हेम में एक ही जगह रहा—सात आठ साल तो एक ही घर में, और अब इरिजन निवास में ज़रा हटकर दूसरे मकान में। बोला भी हमेशा उनसे बहुत कम। उनके हाथ का परोसा खाना भी कभी-कदास ही खाया होगा। घर में सदा अपने हाथ से ही परोसकर खाने की मेरी आदत रही। सबोपन भी सामने माँ या किसी अन्य शख्स से नहीं किया। गरज़ यह कि जैसा चाहिए था वैसा सपर्क नहीं रहा। विवाह न कराकर माँ को मानसिक बलेश भी बहुत दिया। मेरे ममेरे भाइयों व उनके बच्चों के छालन-पालन में अपने दुख का उन्होंने एक तरह से भुला दिया सही, पर जीवन तबसे उनका कुछ नीरस सा ही बन गया। पर मेरे प्रति उनके सद्ग स्वाभाविक स्नेह में कोई कमी नहीं आई। रुदिग्रस्त ब्राह्मणकुल की कई परपराओं को व्यापकर मेरी खातिर सुधारों को भी उन्होंने बहुत-कुछ अपना लिया। देह जर्जित, फिर भी गिरस्ती के किसी काम-काज में आलस नहीं, थकान नहीं। भोजन में सदा दाढ़ रोटी। न दूध से मतखब, न धी से, दूध तो कभी बीमारी में भी नहीं, जबाब यह कि दूध तो बच्चों के लिए है, इतना महँगा दूध मैं भला पिऊँगी। पहनने को मोटी खादी की धोती, यद्यपि

कृदावस्था में मोटा कपड़ा वैसे पधता नहीं। पर महीन स्वादी पर पैसा कैसे खर्च किया जाये, और फिर हतना पैसा आये भी कहाँ से ? मुझसे कभी कोई बहा सुख नहीं मिला। स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने भीतर वह ढैंची भक्ति-भावना नहीं पाता, जो माता के प्रति स्वभावतः होनी चाहिए। हमका कारण ? प्रकृति ही मेरी कुछ ऐसी बन गई है। पर जान-मानकर मैंने उनकी कभी उपेक्षा नहीं की, अविनय की तो बात ही नहीं। हम प्रकार की मनोवृत्ति को विरक्ति भी नहीं कहूँगा, पर जैसी होनी चाहिए वैष्णी भक्ति-भावना मैंने अपने हृदय में देखी नहीं। फिर भी मैं ने मेरी हम उदाधीनता की किसोंसे कभी शिकायत नहीं की। उनके स्नेह की याह मैं पा नहीं सका, यथपि वह स्नेह सीमित-सा ही रहा, बहुत व्यापक नहीं बन सका।

मेरे मामा भगवान्दामजी भी जीवन-भर जैसे रोते हो रहे, औँम् बहाने में कभी मितव्यविता से काम नहीं लिया। कोशी रोते हुए भी हृदय उनका बड़ा कोमल रहा। अकर्मण्यता और दुर्भाग्य ने आत्मावन उनका पीछा नहीं छोड़ा। लड़कों को भी अधिक पढ़ा-लिखा नहीं सके। तीन लड़कों में से केवल एक लदमय हो कुछ बन गया। वह लुप्तन से हमारे साथ रहा। गिरस्ती का छुट्टा डसोने चलाया। सबसे बड़े लड़के रामप्यारे ने जीवन का सुख नहीं पाया। उसका विवाह नहीं हो सका। बेचारा कहीं वही एक गाँव से दूसरे गाँव में सारी ज़िन्दगी मारा-मारा भटकता फिरा। मैंने उसके जीवन में दयनीय गरीबी और सरलता देखी। और छोटा लड़का भी जीवन-लेत्र में पैर नहीं जमा सका। मामी का देहान्त हुए भी कहीं साक्ष होगये। मामा को घर की

मोह-माया फिर भी तुरी तरह थेरे रही। बाय-गुणी होते हुए भी अपने दुखी दरिद्र घर को कभी ख्याल नहीं। उधर, उस तरफ़, जोग प्रायः फाई-मस्त और फटेहाल रहना पसंद करते हैं, और बाप-दादों के घर में हर हाज़िर में चिपटे रहते हैं। मुक्कपर मामा का सदा निश्छल मकरण स्नेह रहा। मैं उनकी कोई खास मदद नहीं कर पाया और लड़कों से भी उन्हें जैसा चाहिए वैसा सहारा नहीं मिला।

जैसाकि ऊपर कहा है, जबमया मेरे, बलिक ज्यादा सही तो यह है कि अपनी तुशा के साथ रहा, फिर भी एक ही जगह रहते हुए भी मुझमे उपका मिळना-जुँड़ना हमेशा। बहुत कम हुआ। अपने काम से काम रखा। मैं बोला तभी जवाब दिया। मुझमे हमेशा ढरा। इसे पुराने दरों की शीख-मर्यादा ही कहनी चाहिए। कई बच्चों का बाप होते हुए भी कभी मेरे पामने अपनी स्त्री से नहीं बोला। पहले 'हिन्दुस्तान राहम्य' प्रेस में था, बाद को बिड़ला मिल में नौकरी करली। एक बार किसी गलती पर मुअत्तिल कर दिया गया था। चुपचाप घर में बैठ गया, पर मम्मे सिफारिश करने के लिए नहीं कहा। मैंने सुना तो बलिक उसे ऊपर से और ढाँटा।

और शानित—जबमया की पत्नी—भी गुरीब स्वभाव की ही मिली। मरे दिन चुपचाप काम करती रही। कभी किसी बात पर खीक आगई तो कोने में बैठकर चार औसू ढार लिये, और फिर वसे ही काम में लग गई। किसी बस्तु की हड्डी प्रकट नहीं की। मेरी माँ के शासन को अद्वापूर्वक स्वीकार कर लिया। जिस रुदिप्रस्त बातावरण में वह पैदा हुई और वही हुई उसे भुजाकर यहाँ शहर के

अपरिचित बातावरण को संयत रूप से अपनाने में इसे कोई खास कठिनाई नहीं हुई। यहाँ आकर अपने-आप थोड़ा अचर-ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। पढ़ी लिखी प्रगतिशील महिलाओं की दृष्टि में शान्ति जैसी गृहिणी का भले ही अधिक मूल्य न हो पर इस पिछड़ी हुई ऐशी की हमारी कुल-वधुएँ ही भारत की शीखमूलक आर्य परम्परा को थोड़ा बहुत साधे हुए हैं और सद्भाव्य से आज भी उनकी बहुत बड़ी संख्या है। कौन उनकी अज्ञात कथाएँ लिखने जाता है ? किम महिला परिषद् ने उनका प्रतिनिधित्व किया है ?

मैं अपनी स्वीकृत बहिन की चर्चा पिछले एक प्रकरण में कर चुका हूँ। घटना चक्र से उनके जीवन के कितने मारे वर्ष मानविक क्लेश में बाते, फिर भी मेरे लिए उनके चिन्ता नजरित अतर में आनुसनेह ज्यों का-स्यों बना रहा। उनके पवित्र स्मरण ने हड्डावत मेरे हृदय में सदा शीतलता और सार्चिकता का सचार किया।

विवाह न करने से अमल में जिसे 'गृहस्थी' कहते हैं उसके सुख-दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव मैंने स्वयं नहीं किया। दूर से ही कुत्तूल की दृष्टि से देखता रहा कि किस प्रकार विवाह वधन में पहले देखते देखते मनुष्य का रूपान्तर हो जाता है। नर और मारी दोनों एक नवा ही ससार बसा लेते हैं, पुराने ससार को बरबस भूलने से लग जाते हैं। यह नहीं कहता कि यह रूपान्तर या अभिनव सूत्रन बुरा है। शायद अच्छा भी हो, शायद कुछ अशों में तुरा भी हो, हसका पता तो शायद समय पर अभिनव के उन पात्रों को भी न लगता हो। तथापि अपनी बाँधी हुई नई सीमाओं के अन्दर स्वरूपन्द यूमना उन्हें सुखद ही

मालूम देता होगा । उन सीमाओं को उद्बोधपूर्वक कितनों ने लोड़ा ? वह अद्भुत पुरुषार्थ कभी-कभी ही कहीं देखने में आया । यों किन्तु जालों-करोंहों हुए, पर उनमें से कुछ कितने बन पाये ? यह बसानेवालों की कृत्रिमता उनके जीवन में स्वाभाविक-सी बन जाती है, तो इसमें आश्चर्य क्या ! बाहर से देखनेवालों को भले ही ऐसा लगता हो कि वे आग की लपटों के बीचों-बीच जल-मुल रहे हैं, पर कौन जाने कि उन्हें वे लपटे भी शीतल प्रतीक होती हों ! क्या पता कि रोते-कराहते हुए भी वे अपने रचे ज्ञाह-जाल के भीतर पढ़े-पढ़े मधुर-मदिर स्वप्न देखा करते हों । तटस्थों को भले ही उनकी विवशता पर तरस आता हो, पर उन गृह-सृष्टाओं को तो शायद अपने दस मोहक रोदन में भी जीवन-संगीत सुनाई देता होगा । उन की अपनी आँखों से बाहर-बाहर से देखनेवालों ने उनके चिर-सेवित स्वप्नों को कब देखा है ?

मैंने 'गृहस्थी' को बिना ही प्रयास के जिस जगह से ३२ वर्ष पहले खड़े होकर देखा था, वहाँ से तो मुझे उसका कटुता-भरे संघर्ष का हारावना पहलू ही दिखाई दिया था । प्रेम के लेन्ड्र में उसे मैंने 'जोहक' नहीं, किन्तु 'लोहक' माना था । मैं घबरा गया था । प्रकृति से मन में भावातिरेक जो था; वा फिर मैं बिल्कुल दुर्बल था । उस संघर्ष-दर्शन से अभिभूत हो गया । भागकर फिर अपने आपसे जो सतत संघर्ष किया वह क्लेशकर और भीषण रहा । अनेक अतृप्त वृत्तियों पर काबू नहीं पा सका । मानसिक पतन तो हुआ ही । छहते-मिछते हृतना कुछ भास्य, काल की सहायता से, काट पाया हूँ; किन्तु जिस

आश्रम को अज्ञानपूर्वक उस दिन अस्तोकार किया था, और जिसे कुतूहलपूर्ण अतृप्त हृषि मे देखता रहा, उसके एक रस ने, जो मधुर है किन्तु मादक नहीं, मुझ जर्जित यात्रों को, जीवन-यात्रा के उत्तराह्द में, अपनी ओर खींच लिया। मेरा आशय 'वात्सल्य' रस से है। मैंने स्वयं अपनी धर्म-माता को गोद मे असोम वात्सल्य पाया था। आदान का दान में परिणय होना प्राकृतिक था। प्रतीक्षा केवल समय की थी। संस्कार अन्दर देखे पढ़े रहे। भंयोग हो कहूँगा कि वह दबी पड़ी वात्सल्य-भावना समय पाका उपर उठ आई—फलतः भगवत् और मोती को पुत्ररूप में स्वीकार कर लिया अथवा इन लड़कों ने ही पहले मुझे पितृरूप में स्वीकार किया। यह पितृ-पुत्र-समन्वय विना किसी जावते के सद्बुद्ध भाव से हुआ।

इनका परिचय क्या है? दोनों उद्योगशाला के स्नातक हैं, और मेरे बच्चे हैं। भगवत् बड़ा है, मोती छोटा। यों तो कहूँ वर्षों से किन्तु आत्मजों के जसा सपके इनका मेरे साथ आठ-ना वर्षों से है। दोनों मेरे मैंने साहित्यिक अभिरुचि का पाया; हिन्दी-माहित्य के कुछ ग्रन्थ भी पढ़ाये। भगवत् कविता भी लिखने लगा, और कुछ-कुछ पंक्तियाँ उसकी सरस भी देखीं। उपनाम अपना उसने 'शिशु' रखा, जो उसकी प्रकृति को देखते हुए शायद थोड़ा सार्थक भी लगा। मैंने उसे कविता लिखने का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन नहीं दिया, पर उसकी उस अभिरुचि को देखा भी नहीं। साधारणतया अंकुश हतना ही रखा कि कविता के शील-विरोधी प्रवाह में कहीं वह बह न जाये। मोती ने भी खासी साहित्यिक योग्यता प्राप्त करकी। सम्मेलन ३। वह

'साहित्यन्दन' भी हो गया। अपने विचारों को उसने स्वतंत्रता के साथ प्रकट किया, किन्तु शील-मर्यादा का ध्यान रखा।

मैंने महज भाव से इन दोनों पर अपना संचित वास्तव्य ढँडेला। फिर भी कभी-कभी ये मेरे साथ छिठाई और योद्धी छखाई का भी ब्यवहार कर बैठे। इनके आपसी मनमुटाव से कई बार मुझे मनोव्यवहा भी हुई। अस्तु, इनके विषय में और अधिक क्या किलूँ। इनके क्षिण में अबतक कुछ कर नहीं पाया। अपने अपरिपक्व सद्विचार ही कभी-कभी इनके सामने रखे। हृदय से सदा चाहा कि इन दोनों में दिन-दिन मदबुआद और शील का विकास होता रहे, दोनों में आत्माव फूलता-फलता रहे, सांसारिक सुखों को स्वाभाविकतया ये भले भोगे, पर उन्हें पहला स्थान न दं बैठें, और अपनी जीवन-टहि का चरम लक्षण अभी से ही परमार्थ को बनालें। मैं सो इतना ही संकेत दे सकता हूँ कि द्वेष की भाँति राग भी एक आग का ही मोहक रूप है, जबाते दोनों ही हैं—इसक्षिण भरसक इस आकर्षक आग से वे दूर ही रहें। यही मेरी आशा है और यही आकांक्षा है। यों कौन किसका जीवन-निर्माण करता है ? हमारी तो केवल कल्याण-कामना ही हो सकती है। प्रथेक का निर्माण वास्तव में बातावरण और बाह्य कारणों को अपेक्षा अपने-अपने स्वभावसिद्ध संस्कारों पर ही अधिक निर्भर करता है। कामना में ममता-जनित सूचम अहंकार तो निहित रहता ही है, जो उसकी उड़ावक आणा को भी महिन कर देता है। पेसा एकांगी प्रेम में नहीं होता। पर एकांगी प्रेम कहाँ देखने में आता है ? आशा उसमें कितनी कुछ वाला डालती है ! सच्चा कल्याणकामी तो परमपिता परमात्मा ही

हो सकता है, और उसीकी हच्छार्द पूरी होती है।

अपनी पुत्रवधू, भगवत की पत्नी सौ० दमर्यस्ती को मैं अपनी पुत्री—बिटिया के रूप में मानता हूँ। वह सुप्रसिद्ध स्व० यद्वित भीम-सेन शर्मा की पौत्री है। वह विवाह मेरे मित्र श्री पं० हरिभाऊ उवाल्याय के प्रस्ताव से हुआ। लड़की सरज और सुशील दिखी। मेरे प्रति उसका चैसा ही पूज्यभाव बन गया जैसा कि पिता के प्रति किमी पुत्री का होता है।

और एक वर्ष बाद चिं० मोती का भी विवाह हो गया। उसकी पत्नी सौ० इन्दुमली भी मेरी पुत्रवधू अथवा छोटी पुत्री बन गई। मुझसे बोलती बहुत ही कम है, इसलिए मैंने उसका 'गृंगी लड़की' यह नाम रख लिया है। देहरादून के प्रख्यात समाज-सेवी स्व० चौधरी विहारीलालजी तथा श्री गिरधारीलालजी की यह भानजी है।

यह हुआ मेरा स्वीकृत परिवार। भगवत और मोती पर जो मेरा विशेष स्नेह-भाव हो गया उसे कभी-कभी मेरा अति पक्षरात भी कहा गया। इसे अस्वीकार नहीं करता, कर नहीं सकता। मैंने कभी निष्पक्ष होने का दावा नहीं किया। नहीं जानता कि इस जीवन में निष्पक्ष कभी बन भी सकूँगा। न नितान्त निष्पक्ष अभीतक कोई मेरे देखने में आया है। यो दयोगशाला के सभी विद्यार्थी एवं स्नातक मेरे बच्चे-जैसे हैं और मुझे प्रिय हैं, पर इस तथ्य को स्वीकार करने में मुझे तकियी भी संकोच नहीं होता कि ये दोनों लड़के मुझे विशेष प्रिय हैं, क्योंकि ये मेरे स्वीकृत पुत्र हैं। पर यह विशेषत्व सामान्यत्व का विरोधी नहीं है। अन्त दोनों में मात्र अपेक्षा का है। पक्षपात उतना ही, जितना

उचित और स्वामानिक है। और फिर मैं भी हूँ तो सबको तरह सांसारिक बन ही। संसार से ऊपर मैं कहाँ डढ़ा हूँ ? वह अवस्था तो निर्धिष्टता या अनासंकेत से ही प्राप्त होती है। वह अवस्था अभी कहाँ ? सामने उसका अस्तरण-सा केवल कल्पना-चित्र है। मगर 'मन-मोदकों' से किसीकी भूल शान्त हुई है ? सचमुच जिसने साधना के पथ पर पैर भी न रखा हो उसके सामने ऐसे-ऐसे विचारों का मूल्य कल्पना-चित्रों से अधिक नहीं। फिर भी हरि-कृष्ण से सब कुछ साध्य है। वहाँ अवशित भी बठित हो जाता है। प्रेमपूर्ण पञ्चपात मनुष्य को किसी दिन निष्पक्ष भी बना लेता है। अध्यक्षत की भावना अध्यक्ष की उपासना से ही तो सिद्ध होती है।

अन्त में प्रार्थना है कि वेरे ये बन्धन ही मेरी मुक्ति के कारण बन जायें; मेरा यह सीमित प्रेम ही सीमाओं को तोड़दे। जिस बन्धन के द्वारा से मुक्ति पाने की आशा हो, जिस प्रेम के आश्रय से अपील को आजिगम देने की आकांक्षा हो, उस बन्धन और उस प्रेम पर मैं क्यों न नम्रतापूर्वक सात्त्विक गर्व करूँ ! उसके लिए अपने आरोपियों की भी शुभ कामना चाहता हूँ।

४२

महा परिनिर्वाण

राजनीति से यद्यपि मैंने कभी काई सोधा सबंध नहीं रखा, तो भी स्वदेश-प्रेम का मेरे हृदय में एकांत अभाव नहीं रहा। यो राजनीति हरेक के लिए आवश्यक और उपयुक्त भी नहीं। जब मैं छुतरपुर में था, तब भी, उस अंधेरे कूर के अन्दर भी, देश-प्रेम की सुरक्षा कुछ कुछ इवा करा चुकी थी। बुन्देलखण्ड की रियासतें उन दिनों सभी टटियों से बहुत पिछड़ी हुई थीं। देश-भक्ति की मामूली चर्चा करना भी वहाँ भारी राजदौद समझा जाता था। एक तो लोगों में अखबार मेंगाने और पढ़ने का भी शौक नहीं था, दूसरे, जो हधर-उधर से ले-देकर पढ़ते थे उनपर पुलिस कही निगाह रखती थी। अखबारों में कभी-कभी बंगाल के कान्तिकारियों की और स्वदेशी-आनंदाजन की भी खबरें छपती रहती थीं। ऐसी खबरों को मैं ज़रूर पढ़ता था। सुरक्षा याद है कि कुवैर कुन्हैयाजू को छुत्रपाल की जोवनी 'बुन्देलखण्ड-केशरी' जैसी निर्दोष पुस्तक लिखने पर मुकदमा चलाये गए और ही कैद में ढाक दिया गया था। अँग्रेझी राज के प्रति प्रजा में पूरी बकादारी थी। अँग्रेझ तब परमात्मा द्वारा भेजे हुए भारत के लास उदासक और आता

समके जाते थे।

देश-भक्तों में ज्ञोकमान्य तिळक, माजवीयनी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और अद्विन्द्र घोष यही चार-र्षच नाम हम कोगे ने सुन रखे थे। इन राष्ट्र नेताओं के लिए मन में भक्ति-भाव पैदा हो गया था। सोचता था कि क्या कभी इन बड़े-बड़े नेताओं के दर्शन कर सकूँगा। दो तीन महापुरुषों की मामूली जीवनियाँ भी पढ़ी थीं। कुछ बाद को उस समय को प्रसिद्ध पुस्तक 'देश की बात' भी शायद पढ़ी थी।

इजाहाबाद आया तब राजनीतिक आनंदोलनों को प्रत्यक्ष देखा। अनेक बड़े-बड़े नेताओं के दर्शन किये और उनके भाषण भी सुने। यह गांधी-युग का उदय-काल था। इस ऐतिहासिक युग का आरम्भ बड़े प्रचंड वेग से हुआ। मैं उन दिनों टड़नजी के घर में रहता था। वे जिस त्याग और निर्भीकता से असहयोग-आनंदोलन में छढ़े वह सब मैंने अपनी आँखों से देखा। उनकी पहली गिरफ्तारी का दृश्य हजारों को रोमांचित कर देनेवाला था।

इस असहयोग-आनंदोलन में सुझसे और कुछ योग तो देते बना नहीं; हाँ, तनपर मोटी खादी अवश्य धारण करती। खादी तभी से मेरे शरीर का अंग बनो हुई है। देश-प्रेम से प्रेरित होकर असहयोग संबंधी तीन-चार क्लोटी-क्लोटी किताबें भी उन्हीं दिनों लिखीं।

जब सन् ३० का सत्याग्रह-आनंदोलन किया तब मैं पक्षा में था। आनंदोलन की हवा देशी रियासतों में भी पहुँची थी। छतरपुर राज्य में तो चरणगढ़ का स्थान पर गोली भी चली, जिससे कितने ही निर्देश आदमी मारे गये। पकड़-धकड़ भी काफी हुई। गढ़वाली बेखकर एक-दो जगह

दाकुओं ने भी सिर डाला। संगठन तो था नहीं, इसलिए आनंदोक्तन को उधर कोई खास सफलता नहीं मिली। कई बार मन में आया कि हजारावाह आकर मैं भी सत्याग्रह-आनंदोक्तन में भाग लूँ। पर संकल्प दुर्बल होने के कारण मेरी भावना किया का रूप न ले सकी। राजसी चालावरण में रहते रहते साहस जैसे पंगु-सा हो गया था। फिर भी मेरे स्वदेश प्रेम में कमी नहीं आई। वहाँ अंग्रेजों की दुर्दान्त प्रभु-सत्ता देखकर उनके तथा उनके दामानुदास राजाओं के खिलाफ मेरी विद्रोह-भावना और अधिक बढ़ गई। फिर भी कुछ कर नहीं पाता था।

दिल्ली में आकर सब कुछ अनुकूल पाया। पर राजनीतिक हजारों से यहाँ भी अलग ही रहा। सन् १९४२ की देशभ्यापी राज-क्रान्ति को भी एक तटस्थ दर्शक की तरह दूर से ही खड़े-खड़े देखता रहा। कूदने को जी चाहा, पर पूज्य बापा का दड़ आदेश था कि संस्था को छलाना ही है, किसी भी हालत में उसे बंद नहीं करना है; हाँ, सरकार हमें उठाकर बाहर फेंकदे तो बात दूसरी है। कांग्रेसी मिलों में से कुछ ने तो हमारी तटस्थता को अच्छा कहा, और कुछ ने हमें खिकारा भी। देश की स्वाधीनता का यह अन्तिम युद्ध था। पछलावा ज़रूर रहा कि इस महायज्ञ से भी मैं आहुति न ढाल सका। घाटे में भी रहा। मेरे पास आज जेल-यात्रा का एक भी 'सर्टीफिकेट' नहीं है। फिर भी देशानुराग की आग तुम्हीं नहीं। मेरे लिए इतना ही बहुत था।

आदतन खादीघारी होते हुए भी चर्चा तो नियमित नहीं कात सका, पर नियमित रूप से अखबार पढ़ने का शौक ज़रूर लगगया।

इस स्यसन ने मेरी राजनीतिक जानकारी को बड़ा दिया। राजनीतिक विषयों पर उटपटांग बहस भी कभी-कभी कर बैठता है, हालांकि यह चीज़ मेरे स्वभाव में नहीं है। इधर दो-तीन साल के अन्दर घटना-चक इतनी तेज़ी से चला कि राजनीति के चित्र-पट को दूर से मूक बनकर देखते रहना मुश्किल हो गया। इस घटना-चक ने चुम्बक की तरह हर किसीको, किसी-न-किसी रूप में, अपनी तरफ खींच लिया। कांग्रेस का इसमें सबसे प्रमुख भाग रहा। यद्यपि मैं कभी कांग्रेस का चबनी का भी सदस्य नहीं बना, उसकी आजोचना भी की, किर भी उसकी जिन्दा महन नहीं कर सका। अनेक भूलों के बावजूद कांग्रेस के प्रति मेरे मन में सदा, बिना किसी छोभ वा आशा के, स्वभावतः अपनेपन की भावना रही है।

गांधीजी ने अंग्रेज शासकों पर, १९४२ में, 'भारत छोड़ो' नामक अनितम अख्ल चलाया। वे इस ब्रह्मदयड में बच नहीं सके। पाँच बरस बाद उन्हें हमारी भारत-भूमि को बाख्य होकर छोड़ ही देना पड़ा। कोई नहीं जानता था कि इतनी जलदी स्वतन्त्रता का स्वर्ण-रथ हमारे प्रांगण में उतर पड़ेगा—जलदी-जलदी में पथ पर हमादो-चार फूँक भी नहीं बिलेर पाये।

मगर स्वर्ण-रथ के उत्तरने से पहले ही हमारी हरी-भरी स्वर्ण-भूमि पर रक्त-वर्षा शुरू हो गई थी। असन्तुष्ट मुस्लिम-लीग को बहुत मनाया, पर वह न मानी। देश का अंग-भंग करने पर तुझ गई। कांग्रेस जितनी ही मुक्की, उतनी ही वह अकड़ती गई। लीग के बेहद घृणा-प्रचार से देश के कई भागों में नृशंस रक्त-काषड़ हुए। जहाँ तहाँ

बदले-पर-बदले लिये आने लगे। खुन से हँगे परदे पर कभी कलकत्ता दिल्ली हैं दिया तो कभी नोआखाली; कभी बिहार सामने आया तो कभी रावलपिंडी। गांधीजी की छाती इन पृथिव घटनाओं को सुन-सुन-कर धार्य-धार्य जब उठी। उन्होंने देश के अनेक भागों में फैली हुई आग को तुमाने का यत्न किया। खुद जब-जब रहे थे, किर भी रग-रग से अहिंसा की मधुर झनकार निकल रही थी। आग के बोचों-बीच खड़े प्रेम का शीतल छिड़काव कर रहे थे।

प्रश्न था—“आनेवाली कहूं पीड़ियोतक पशाधीनता को जारी रखना, या स्वाधीनता का स्वातिर देश के दो टुकडे कर देना? कोपेय और लीग का मिल-जुलकर शामन चलाना उसमेव हो गया। फलतः बिटिश शास्त्रको को नेक सलाह में देश को खयिल कर दिया गया। पंजाब के भी दो टुकडे किये गये, और बंगाल के भी। आरा चलाकर भारत की दोनों भूजाएँ काठ ढाली गईं। गांधीजी को भी ज़हर की घूँट पीका हम पातक योजना का समर्थन करना पड़ा। बेचारे एक टण्डनने ही विरोध की आवाज उठाई, पर वह सुनी-अनसुनी करदी गई। उपर में देखने में नहीं आये, पर अनंदर-अनंदर गांधीजी के कलेजे के टुकडे टुकडे हो गये। देश का अंगाढ़ेद हो जाने पर भी शान्ति न हुई—आग और भी भड़क उठी। जिस दिन भारत खयिल हुआ, उसी दिन युग-युग के लिए अशान्ति के विष-बीज थोड़े दिये गये।

१५ अगस्त, १९४७ का नेतिहासिक दिन। सन्ध्या को दिल्ली में स्वातन्त्र्य-महोत्सव मनाया जा रहा था। विद्युत की दीप-मालिकाओं से सारे राज-रथ जगमता रहे थे। हर छोटे-बड़े भवन पर चक्राक्षित राष्ट्र-

ध्वज कहरा रहे थे । उधर जाहौर में तथा पंजाब के कहूं नगरों और प्रामों में निर्दोषों के रक्त के पनाले वह रहे थे । जहाँ-तहाँ हाहाकार मचा हुआ था । जाखों घरों के दिये तुकड़े चुके थे ।

फिर इधर इन हिस्सों में भी बदले लिये गये । 'प्रतिहिंसा' का नप्र नृत्य हुआ । कुछ लुट-पुट शर्माक घटनाएँ यहाँ भी घटीं । देवता बनने का चाच रखनेवाला मनुष्य देखते-देखते पशु हो गया ।

कोई पचास जाख आदमी पाकिस्तान से और लगभग हतने ही हिन्दुस्तान से चन्द दिनों में अदल-बदल हुए । रास्ते में बैंकों-हजारों क्रांत कर दिये गये । जवान छियाँ भगाई गईं, सहीत्व नष्ट किया गया । धर्म ज्ञवरन बदला गया । जाखों का धर-द्वार कूटा । हजारों-जाखों लुटानेवाले दाने-दाने के मोहताज हो गये । शरणार्थियों से दोनों स्वतन्त्र देश खचाखच भर गये ।

इनकी आपकीती कहानियाँ सुनने के लिए पत्थर का कचेजा चाहिए । जो मारे गये थे वे पार हो गये, जो ज़िदा बचकर आये उनका अदृत तुरा दाढ़ हुआ । आजादी को कामत अवज्ञ में इन्हीं दुखियों ने चुकाई । पाकिस्तान की मैं नहीं जानता, पर हमारे हिन्दुस्तान में उन्हें किसे बमाने का पूरा-अधूरा द्वयोग करने पर भी हालत उनकी प्रायः बैठी ही रही । मरदास पटेल की नरक में कपड़े बाँटने के लिए मैं कितनी ही जगह गया, और वहाँ अनेक शरणार्थी कैम्प अपनी आँखों देखे । उनकी आपार विपदा को देखा, उनका असन्तोष और उनका होष देखा । पेसे भी देखे, जिन्होंने हम भारी विपत्ति को हँसवार की अपरम्पार लीजा । समझकर लुकी-लुकी भेजा ।

इन लाखों दुखियों ने क्लॉटे-क्लॉटे तमुओं, घास-कूस के मोपड़ों और सुके मैदानों में पूस-माह की रातें काटीं, और बैसाख-जेठ के दिन काटे। वेचारों को हस तरह विकल्पित हुए देखा, जैसे लाखों की संख्या में एक-दूसरे पर छढ़े हुए बरसाती कीड़े। अपने हिंजन-निवास के पश्चोत्तर का सब से बड़ा कैम्प आग और गांधी की जपटों में जब धार्य-धार्य जब्ता, उस दिन का वह हृदय-विदारक भयक्षर दृश्य क्या कभी भूल सकता है ? स्वतन्त्रता लो आई, पर साथ में यह क्या-क्या विषदा आई ! उत्सव का यह कैसा दीपक, कैसा उजेका !

'घर में चिराग क्या जला, घर को जला गया !'

गांधीजी का हृदय टुकड़े-टुकड़े ही खुका था। उनकी ल्लाती पर अङ्गार दहक रहे थे। हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति के मुख पर वे किसी भी तरह कलिक नहीं लगने देना चाहते थे। रक्त को एक-एक दूँद होम-कर वे बर्बरता और प्रतिहिंसा को बदने और फैलने से रोक रहे थे। उधर शासन शक्त के अनुभव-शून्य अश्वों की लगाम भी अपने जीर्ण-रीर्ण हाथों से खोचे चले जा रहे थे।

गांधीजी की धर्म-लीला से हिन्दू जाति का एक नगरण-सा भाग बेतरह जुब्ब और डत्तस हो डढ़ा। फलतः एक हत्युक्ति हिन्दू युवक ने ३० जनवरी की शाम को ६। बजे योक्तियाँ दासाकर महात्मा का वध कर दाका। अथवा, अपनी ही जाति—हिन्दू जाति की गर्दन पर, बलिक मानव जाति को गर्दन पर पागल होकर उसने कुलहाता मारा। भारत के लम्बे इतिहास में हस प्रकार की यह पहचानी ही घटना है, जो कितनी कल्पित और कितनी ज्ञानक है ! उस सन्ध्या को, खोरों ने कहा,

साथ-साथ दो-दो सूर्य हूँचे ।

मैं उस दिन पिछानी में था । दूसरे दिन दोपहर को जब दिल्ही पहुँचा तब पूज्य बापू का विमान चिक्का-भवन से रखाना हो जुका था । मार्ग में दूर से उनके शब का दर्शन किया । महानिर्वाण-यात्रा का वह दृश्य कंपा अपूर्व था ! सचमुच मैं वह शमशान-यात्रा नहीं थी । जाखों औंकों से आँसू बह रहे थे, चारों ओर प्रेम-ही-प्रेम डमड रहा था, और मानवरूप में देवगण पुष्प-वर्षा कर रहे थे ।

उस बेचारे नादान हृत्यारे पर कहाँ किसका ध्यान जाता । प्रेम के महासागर में हैथ की उस वूँद का कहीं पता भी नहीं चलता था । मुझे तो प्रेसा लगा कि उस संघर्ष को प्रार्थना-स्थल पर स्वेच्छा से स्वयं बापू ने ही जीवन-सखा मृत्यु को प्रेमालिंगन देने के लिए वह सब कीला रखा होगी । 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे' इस महामंत्र का सान्नात्कार करनेवाले महात्मा का शस्त्र द्वारा कैसा तो घास और कैसा मरण !

मुझे यह भी उस समय लगा कि गांधीजी मानो उसी सहज, शान्त शुद्धा में लेटे हुए अंतरिक्ष से हमें अपने हाथ के संकेत से सावधान कर रहे हैं, और रह-रहकर उनकी मीठी धीमी आवाज़ हमारे कानों में गूँज रही है—यह-कि, "सावधान ! कोध में अन्धे न हो जाना । दण्ड देना असल में भगवान् का कार्य है या फिर न्यायी शासन का । पागल होकर मेरे जीवनभर के उपदेशों पर पानी न केर देना । विष का नाश विष से नहीं होगा, आग आग से नहीं ढुकेगी ।"

अंतिम अनशन शुरू किया उससे कोई पाँच-छह दिन पहले की

बात है। ठक्कर बापा ने सिन्ध से आये हुए हरिजनों के लिए कच्छ में शरणार्थी-शिविर खोलने के विचार से वहाँ जाने का निश्चय किया और बापू की सलाह और आशीर्वाद लेने वे चिह्नाभवन पहुँचे। बापू का मत था कि कच्छ जाने की अपेक्षा तो दिल्ली में बैठकर कहाँ अधिक काम हो सकता है। पर बापा तो निश्चय कर चुके थे। बापू ने कहा—‘ठीक है, तब भले जाओ। जा सको तो कराओ भी जाना। जो बेचारे हरिजन वहाँ से निकल नहीं सकते उन्हें निकाज लाने का यत्न करना। ऐसा करते हुए वहाँ अगर तुम मारे भी जाओ, तो मैं तो उसे ‘मंगल मरण’ कहूँगा, और तुम्हारा मरण सुनकर नाच उड़ूँगा।’ ठक्कर बापा र फरवरी को सवेरे फूल उठाते समय सीधे चिलास्थान पर पहुँचे, और उन्हें बापू का उस दिन का एक-एक शब्द वहाँ याद आ गया। बापू तो पहले ही नाचते हुए भगवान् के मंगल-मन्दिर में चले गये थे। मैं रामदास भाई के साथ अस्थियाँ तुन रहा था, मस्म इकट्ठी कर रहा था, उधर ठक्कर बापा स्तम्भ बैठे बापू के घ्यान में मग्न थे।

चैत्य आज दिल्ली का एक तीर्थ-स्थान बन गया है। हिन्दू, सिख, मुसलमान, पारसी, हिंसाई, सभी वहाँ पहुँचते हैं, भद्रा-भक्ति से फूल चढ़ाते हैं, दो लंद और सूटपकाते हैं, और मस्तक मुकाते व टेकते हैं। वहाँ बैठकर किसीको भान भी नहीं होता कि यह श्मशान-भूमि है।

स्वभावतः तुरन्त ही गांधीजी के पुण्यस्मारक बनाने का प्रश्न देश के सामने आया। पूजा-उपासना व्यक्त की ही जगत् में देखी

गई है, यद्यपि भार हमेशा अध्यक्ष गुणों की उपासना पर दिया नया है। दूसरे महापुरुषों की भाँति गांधीजी भी अपने विचारों और आदर्शों की उपासना और साधना पर बल दिया करते थे। वह भी होगी, साथ-साथ व्यक्त की उपासना भी होगी। धन-संप्रदाह होना; स्मारक निर्माण होंगे; मन्दिर बनेंगे; मूर्तियाँ स्थापित होंगी; स्तंभ स्तंभ होंगे; गान्धीवाद पर चर्चाएँ और च्वालयान हुआ करेंगे; मांधी-साहित्य विविध भाषाओं में प्रकाशित होगा, इसी प्रकार और भी अनेक आयोजन होते रहेंगे। राजसत्ता भी अपने ढंग के गांधीजी के स्मारक बनायेगी, और उनकी रक्षा करेगी। रचनात्मक संघ गांधीजी डारा जलाई गई झोलि को भरसक तुमने नहीं देंगे। उनके प्रवचनों के नये-नये भाषणकार भी पैदा होंगे। शायद गहिराँ भी स्थापित हो जायें। साहित्यकार और कलाकार अपनी-अपनी कृतियों से गांधी-जी के अमरत्व को युग-युगतक सिद्ध और प्रसिद्ध करते रहेंगे। वे सभी अपने-अपने प्रकार के, अपने-अपने ढंग के 'गांधी-स्मारक' होंगे।

प्रश्न है कि क्या गांधीजी के अनेक अनुयायी और उनके उपासक उनकी अपनी कल्पना का 'रामराज्य' भी स्थापित कर सकेंगे? वह राज्य, जिसमें प्रेम ही राजा हो और प्रेम ही प्रजा; जहाँ कर्तव्य के आगे अधिकार को आदर न दिया जाये; जहाँ भय से सिर न झुके; जहाँ खोभ को आश्रय न मिले; और जहाँ धर्म के दर्शक को राज के दर्शक से ऊँचा स्थान दिया जाये। ऐसा स्मारक क्या बड़े-बड़े राजनेता ही चिरांग कर सकते हैं? उसके संबंध में क्या हमारे भूकम्भ विचारक ही सोच सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। नेता और विचारक

आपने-आपने दंग से अले ही उसमें योग-दान दें, पर उसका निर्माण को जनसम्मान के हाथों से ही होगा। बाहु की आत्मा को तभी संतोष होगा, जब ऊँचे स्वर से उमका जय-जयकार बोलनेवाले हम सब खोग आपनी ही विवेक बुद्धि से सत्य को पहचानेगे, प्रेम को हृदय में स्थान देंगे, अन्धानुकरण न कर उनके सुझाये मार्ग पर सचाई से चढ़ने का निष्ठापूर्वक प्रयत्न करेंगे।

गांधीजी स्थूल शरीर से चले गये, सूक्ष्म शरीर छोड़ गये। उनके महान् जीवन से जिनसे जितना लेते बना उतना लिया, और आगे भी लेते रहेंगे। शोक और भक्ति-भाव का वह उफान भी एक-दो मास के बाद धीरे-धीरे आपने आप शान्त होने लगा। फिर सबका सब वैसा ही चलने लगा। राष्ट्र का शासन-शक्ति भी आगे लिसका, उसके अश्वों और सारथी को किसीने आशीर्वाद दिया और किसीने अभिशाप।

नये राज-मन्त्रियों को शुरू से ही दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। विभाजन से राष्ट्र की छाती में जो गहरा घाव हो गया उसकी असहा पीड़ा का अनुभव उन्होंने पीछे किया। साथ-साथ अनेक छोटी-बड़ी समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। दूर तट पर खड़े-खड़े में देखता रहा कि राज-स्थवरस्था ठोक-ठीक आँखिर बयो नहीं जम रही। चौरबाजार और भी गरम हो गया। घूसखोरी भी कितनी बढ़ गई। अनुभवशून्य अधिकारी आ-आकर कुर्सियों पर बैठ गये। पदों की याजी पर लोलुप जन-सेवक अकाल-पीड़ितों की तरह टूट पड़े। लन्त्र की गति मन्द पहने लगी। साथारण जमतातक साक्षभर बाद भी स्वराज्य का प्रकाश नहीं पहुँचा। हाँ, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान बड़ा, बड़ों-बड़ों योजनाएँ बनों, पर इस सबसे

उसे क्या लेना-देना । पेटभर दाढ़-रोटी मिले, तन ढकने के लिए कच्चा हो, रहने को ठीक बर हो, बच्चों के लिए थोड़ा दूध हो, बीमारों के लिए दवा-दारु का हन्तजाम हो—साधारण जनता २० शुरू में हतना मिल गया तो उसकी समझ में आ जायेगा कि देश में स्वराज्य आ गया ।

अखबारों में कितनी ही भड़कीली योजनाएँ प्रकाशित हुईं, पर अमल उनपर बहुत कम हुआ या हुआ ही नहीं । गोली बन्दूक से पहले छूटती है, आवाज़ पीछे होती है । पर इससे ठीक उछाटा देखने में आया । भाषणों और वक्तव्यों पर संघर्ष नहीं रखा गया । अंग्रेज अधिकतर अंतर्राष्ट्रीयता और पश्चिया के नेतृत्व पर रहा । हर बात में कभी तो सोचियत रूस का और कभी अमेरिका का मुँह ताका गया, और अपनी हीन भावना को प्रश्न दिया गया । कुछ अनावश्यक बातें भी बार-बार दीहार्ह गईं, और बहुसूख्यको को न्यर्थ चिह्नाया गया । अति न्याय के फेर में पहकर कभी-कभी सामान्य न्याय की भी उपेक्षा की गई । स्वस्थ और मौके की आज्ञोचना भी सरकार को अच्छी नहीं लगी । बहुतों ने लोध से और कुछेक ने भय से अपना सज्जा मह ब्रक्ट नहीं किया । कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यों ही टाक दिया गया । जैसे, हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राजलिपि मान लेने में प्रायः हिचकिचाहट दिखाई गई । शुद्ध वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रश्न को दक्ष ज्ञान से साम्प्रदायिकतक कहा गया । सांस्कृतिक प्रश्न वैज्ञानिकों पर न छोड़कर राज-नेताओं पर छोड़ दिये गये । किसी भी शासन-सम्बन्ध के हित में, खासकर उसके आरम्भ-काल में, ये लक्षण अशुभ हैं ।

फिर प्रजा ने भी करा उत्तावची और कुछ अविवेक से काम

किया। इसने साज़-बुद्ध महीने के अन्दर ही सब कुछ करा लेना चाहा। खोन आने पैरों पर खड़े नहीं हुए। पंगु बनकर सरकारी बैंसाखियों पर लाता भार रखकर चढ़ने का चेष्टा की। चोरबाज़ारी और वृत्सन्नोरी जो इसी अधिक बड़ी और कैची इसमें पड़ा भी दोषी रही और सरकार से भी बही अधिक।

स्वयं हन बारह महीनों में जो-जो मैंने देखा, और लोगों के मुँह से भर्हा-तर्हा जो कुछ सुना उसी सबके आधार पर यह किला गया है। गहराहै में उत्तरकर राज-शासन की नीति से अलग-सलग रहने-वाला मुक्त जैसा मामूली आदमी इससे अधिक और समझ ही क्या सकता था? फिर भी राजप्रकरण ऐसा जटिल और गुह्य विषय नहीं है, जो जनसाधारण की पहुँच से पृकदम बाहर हो, और जिसपर कहने वा राय बनाने का किसी सामान्य व्यक्ति को अधिकार ही न हो। अस्थान नरेन्द्रदेव और जयप्रकाश बानू से लेकर हमारे हरिजन-निवास के मस्तकम जगू, मझदूरतक सभी अपबा-अपना मत प्रकट कर सकते हैं। राजनीति की ऊँची-ऊँची बातें तो देहात का जगू भला क्या जाने, वर इतना लो वह भी जानता है, कि “जवाहरलाल नेहरू गांधी महात्मा के भजन के प्रताप से राज कर रहा है; पर अभी सतत्जुग नहीं आया, लोग सुखी नहीं हैं।” और एक दिन कहने लगा, “सिक्खों और लोटों पर तो जब भी वही अंग्रेज का पुतला बैठा दुआ है!”

५३ :

सिंहावलोकन

इस प्रकरण में—चढ़ाई, या कहिए डतार की, २३ वीं सीढ़ी पर
खड़े-खड़े एक बार ज़रा पीछे की ओर मुड़कर देख लेना चाहता हैं ।
जीवन की वे कई उँधलो और कई निखरी झड़के सुखद न सही,
आकर्षक तो मुझे लगती ही हैं ।

जीवन के सुनहरे प्रभात की कितनी ही मधुर स्मृतियाँ एक-एक करके
सामने आ रही हैं । शैशव का वह अनजानपन कितना सरब, कितना
निर्दोष था, और आज का मेरा यह सारा जानपन कितना ऐचोदा, कितना
सदोष बन गया है ! तब तो जैसे प्रतिवण जिज्ञासा और तुम्हि दोनों साथ-
साथ मेरे नन्हे-से छाँगन में खेला रहती थीं । और, आज का यह
अनपका या अधपका 'ज्ञान' दिन-दिन अतुसि की ओर खोंचे ले जा रहा
है ! मैं रोना रोने नहीं बैठा हूँ—यह तो एक तथ्य की बात सुना रहा
है । मेरा रुपहरा बाल चिन्तन तब कमल के पत्ते पर जल-विन्दु की
नाहैं' कौपता रहता था—यह कितना मुन्दर और कितना सुखद प्रतीत
होता था ! आज इस प्रीइता की चट्टान पर पैर जमाये हुए खड़ा हूँ, किर
भी चारों ओर जैसे संशय और विश्वाद को बटोर रखा है ।

खूब याद है, तब मैं पौच्छ बरस का था। भात के साथ लिल्के-सहित आलू की तरकारी खाने से एक दिन उल्टाई होगई थी। ऐसा ढरा कि फिर तीन-चार सालतक वैसी तरकारी कभी जीभ पर नहीं रखी। इधर अब इस उत्तरती उल्ट्रा में पता चला कि लिल्कों में तो 'विटामिन' होता है। पर तब की उस अज्ञान-जनित अरुचि ने 'पोषण' में कुछ कमी की थी क्या? चटनी और नमक-मिर्च या पौच्छ-सात बताशे उस ढरावनी तरकारी को सामने नहीं फटकारे देते थे।

ध्यान फिर जा रहा है उन अनेक त्यौहारों, उत्सवों और नाना खेलों पर। कितने दिनों पहले से मैं बाट जांहा करता था कि अब कन्डैया-आटे आ रही है, अब दसहरा, अब दोबाली और अब होली। उसमें दो-उसमें। मथ्यनारायण की कथा का पंचामृत जितना स्वादिष्ट होता ना। उतना ही अरोचक वह लीलावती-कलावती की कहानी लगा करती थी। उससे कहीं सुन्दर तो वे राजा-रानी की कहानियाँ होती थीं, जिन्हें मेरी नानी और मौं सुनाया करती थीं।

एक बारात को भी नहीं भूला हूँ। तब मुश्किल से मैं आठ, साढ़े आठ बरस का था। मामा के साथ एक सेठ के लड़के की बारात में गया था। उस गाँव का नाम शायद दरगढ़ी था। तीन या चार दिन में बैलग, कियाँ वहाँ पहुँची थीं। जेठ का महीना था वह। दोपहर की लुकों में घने पेड़ों की ढाँहतके जहाँ हमारा पड़ाव पड़ता वहाँ कितना सुदावना लगता था! इर पड़ाव पर रोज़-रोज़ वही सेव-खुरमे खाने को और पीने को पानी की जगह खाँड़ का ठंडा शर्बत। कब्जे आम भी हम सब बच्चे मोह़ के देते थे। बारात में जितने बालक गए थे, सबके-

मन, मिथा एक मेरे, चौंदी-सोने के गहनों से लदे हुए गे, पर कपड़े-जत्ते सबके बैसे ही मैले-कुचले थे। आखी रात को जब बहाँ आगोनी (आतिशावाजी) छूटी और कागज की रंगविरंगी फुलबाड़ियाँ लुटीं, तब कितनी खुशी हुई थी हम सब बच्चों को ! बारात आठ नौ दिन ठहरी थी उम छोटे-से गाँव में। लौटते हुए रास्ते में जब एक बड़ा बाला मिला, तब उसमें से हमने बहुत-से जाल और सफेद रंग के गोल-गोल सुन्दर अथर बीनकर ढक्के किये थे।

खेलों में आँख-मिचौनी और दीढ़-पद्मीढ़ के सारे ही खेल मैं बचपन में खेलता था। दिमाझी खेलों की तरफ कभी रुचि नहीं होती थी। आज भी मैं ऐसे खेलों को डार-जीत नहीं समझ पाता। बाल-साधियों में सबसे समीपी, पड़ोस के, रामचन्द्र गुसाईं और मातादीन सरांक थे। उषा (असहयोग) भी हम लोगों में जलदी ही जाती, और मेल भी जलदी। सथाना या समझवाला होना कितना चुरा है कि बैर की गाँठ ऐसी पक्की बैठ जाती है कि फिर खोजे नहीं खुलती ! काश जीवनभर मनुष्य बालक ही बना रहता ! हम तीनों ही शारीर घरों के थे—शील-न्यवहार में सब समान। हम तीनों धूलि-धूसरित मित्र फटे-पुराने कपड़े पहनते, सूखी-सूखी रोटी खाते, और खेल-कूद में मस्त रहते थे। हमारा पुनर्मिलाप, छतरपुर छूटा उससे २५ बरस बाद, १९४४ में हुआ। हरियाली वह सारी सूख चुकी थी। वे गये-बीते सुहावने दिन फिर जाँटाने पर भी नहीं जाँटे। चेष्टा न्यर्थ थी।

पदाई के दिनों या प्रसंगों पर नज़र नहीं दौड़ाना चाहता। जितना आवश्यक था वह लिख चुका हूँ। फिर ऐसा पदा-पदाया ही क्या ?

अध्ययन का छेत्र मेरा बहुत संकुचित रहा। न तो वैसे अनुशूल साधन मिले, न अधिक पढ़ने का मन ही दुष्टा। पर इसका मुझे पछताचा नहीं। जितना कुछ पढ़ा उसीको नहीं पचा सका। अतः अहपशिचित रहने में भी सन्तोष ही रहा।

मेरी विद्यार्थी-अवस्था समाप्त हुई कि बेकारी ने घर दबाया। अनिश्चितता और विमूद्दता के दबावल में जा फँसा। सस्ती भाव-लाओं ने थपकिर्दी-दे-देकर मेरे डावौं-डाव मन को सुखाने का यत्न किया, पर वह तो अनिद्रा रोग से ग्रस्त हो चुका था। उम समय की मनःस्थिति को याद नहीं करूँगा। उम दिनों, और बाद को भी, हर्द-गिर्द के जोग मुझ अस्थिरचित नवयुवक को कुछ-का-कुछ समझने लग गये थे। मेरा मन खुद भी मुझे बहका रहा था।

यौवन आया। फिर भी कुशल रही कि यौवन-उत्तर बहुत ऊँचा नहीं गया। हाँ, हज़का-हज़का तापमान रहने लगा। पर वह नित्य का हज़का तापमान तो और भी बुरा था। यह तो मानसिक राजयुद्धमा का खाल्य दुष्टा।

फिर मिध्याकवि के रंग-विरंगे पंख चिपकाकर कल्पना के आकाश में बहुत कालतक हथर-उधर फ़हफ़हाता रहा। मित्रों ने मेरे इस स्वर्ण भरने पर शादी की और शायद मैं उनके बहकावे में आ भी गया। अब मैं कवि था, और शायद दार्शनिक भी था, और म जाने क्या-क्या था। मैं अपनी असबोधत को भूल चैठा था।

विवाह-बन्धन में नहीं पढ़ा यही सन्तोष था। वह लुभावना फ़ंदा शब्द में हस दर से भी नहीं ढाला था कि जिन स्वर्गनों से हरना अधिक

हमेह-दान पाया वे कहीं छूट न जायें। भय था कि मया संसार बस आने पर मेरा पुराना संसार, जो मुझे प्रिय था, कहीं उजड़ न जायें। आँखों के आगे ऐसा होते मैंने देखा भी था। पर जो ढर था वह को होकर ही रहा। पुराना संसार एकदम तो नहीं उजड़ा, पर उसकी कहियाँ एक-एक करके टूटने-बिल्हरने लगीं। एकाघ बार मन में आया भी कि सावारण रोति-नीति का अनुसरण न कर मैंने शायद कोई भारी भूल कर डाको। पर पुस्तक प्रकाश में आ चुकी थी। पूक-संशोधन के लिए गुंजाहश अब नहीं रही थी। और फिर, बाद को तो अपनी कुछ भूलों पर मुझे मनता भी हो जई।

फिर कितने ही वर्षोंतक अध्यात्म-रस के लोभ से शब्दारण्य में मुँह उठाये भटकता फिरा, मगर हाथ कुछ भी न आया। न तो आत्मा का रूप चित्त पर उतरा, न अनात्मा का ही। जितने भी चित्र खीचे—सब पानो पर। अन्दर-अन्दर संशयों और प्रश्नों के साथ अधकचरे अध्ययन का कुछ-कुछ बेद्धा ही संघर्ष चलता रहा, जैसा शतरंज के भोदरों का। किताबी दस्तीखों से मात देता और मात काता रहा। भावावेष में जो कभी-कभी योका उणिक आनन्द-ज्ञान होता था उस लोभ से इस अन्धी शोध को छोड़ते भी नहीं बनता था। यथार्थ में अनात्मदर्शी भी हो गया होता, तो मन की उस अशानित का तब भी कुछ-न-कुछ उच्छेद हो जाता। पर अनात्म-दर्शन भी ऐसा सुखभ कहाँ? कैसी विचित्रता है कि न तो सामान्यजन-सुखभ सरब अदा मेरे आग्य में आई, न तत्त्व-साधक की भर्म-निष्ठा हाथ छागी, और न भौतिक विज्ञानी का बौद्धिक सहारा ही मिला!

मेरी धर्म-माता ने मेरे डगमगाते पैरों को भक्ति की आधार-शिला पर जमाने का बहुत प्रयत्न किया, पर निस्सत्त्व पैरों में उतना भी बल नहीं रह गया था। किर भी उस महान् उपकार को भूलूँगा नहीं। उसके स्नेह-भेरे संकेत से कौपते-कौपते तुलसी की 'विनय-पत्रिका' का एक बार किर सहारा लिया, और उससे कुछ-कुछ ढावस बैंधा।

किर कहूँ वरस बाद गोवीजी का प्रकाश-पुज्ज जीवन सामने आया। देखते-देखते वह एक पुण्यतीर्थ बन गया। सहस्रों यात्री उस तीर्थधाम में पहुँचे। देखा-देखी में भी कहड़खड़ाता हुआ कुछ दूरतक गया, पर और आगे नहीं बढ़ सका। उस निर्मल निर्मल से, सुनने में आया कि, कितने ही माधकों ने जाकर अपने-अपने जीवन-घट भर लिये। पर जिसके घडे में छेद-ही-छेद हों, वह वहाँतक पहुँच भी जाता तो क्या भरकर जाता?

स्वीकार करता हूँ कि मैं किसी भी महापुरुष का सचा अनुयायी न बन सका, और वैसा भक्त भी नहीं। किमीके भी दीपक से अपने अन्तर का अन्धकार दूर न कर सका। सुना कि दीपक का उज्जेला तो उसी थर में पहुँचता है, जो उसे अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। 'स्वार्पण' की वह भक्ति-भावना स्वभाव से मुझमें नहीं रही। भगवान् बुद्ध ने अपने ही दीपक से अपने आपको आङ्गोकित करने का उपदेश किया था—'अत्तसरणा भवथ अत्तदीपा।' पर इसके लिए भी सम्यक् साधना चाहिए। किर भी बुद्ध के इस अगुलि-निर्देश से बहुत अधिक आश्वासन मिलता है।

आध्यात्मिक प्रश्न और उसके उत्तर अब पहले की तरह आकृष्ट नहीं करते। न कुछ प्रश्न करने को जी करता है, न उत्तर सुनने को। रोङ-

मर्मा के साधारण विषयों पर बात करना विलिक अधिक अच्छा जागता है। उस मात्रे अगर कुछ रुचिकर जागता भी है, तो वैराग्य की ओर कभी-कभी चित्त भटक जाता है। पर वह विद्वाम-स्थली हतनी अधिक ऊँचाई पर है कि वहाँतक हाथ नहीं पहुँच पाता। उस अधर लटकते निवेद-रस को चख लेने का लोभ सन्त-वाणी ने बड़ा दिया—यद्यपि राग की जपटो से बुरी तरह झुकस गया है।

फिर अपने साहित्यिक जीवन पर इष्टि ढाकता हूँ तो वह भी देखने में सुन्दर नहीं जागता। अधिकांश जो कुछ मैंने लिखा उसमें अनुभूति तो क्या अध्ययन भी बहुत कम रहा। ऐसा खोखला साहित्य असुन्दर तो होना ही चाहिए। ऐसे साहित्य का रचयिता कोर्गों को प्रायः अम में ढाक देता है। उसकी रचनाओं का रंगीन चशमा चढ़ाकर वे उसका अवधार्य रूप देखने लग जाते हैं। मेरे बारे में भी बहुत-कुछ ऐसा ही हुआ। रुखाई और कभी-कभी अविनय के साथ मैंने कहै मिलने-जुलने-वालों के अम को दूर करने का यत्न किया; और सफलता मिलने पर सन्तोष भी हुआ। पर मेरी मूढ़ता को तो देखिए कि हतना होते हुए भी मैं ‘मसि-जीवन’ से पहला नहीं छुड़ा सका। माना कि ज्यादातर पेट के लिए ही मैंने लिखा, और अब भी लिखता हूँ, पर कुछ हवलक यह लेखन एक व्यसन भी बन गया है। कुछ मित्र जब-तब यह भी सज्जाह देते रहते हैं कि मुझे और सब काम छोड़-छाड़कर अपने समय का अधिकांश साहित्य-रचना को ही देना चाहिए। शायद वे हस्त मेरा कुछ ज्ञान देखते हों। उनके इष्टिकोय पर मैं वयों सन्देह करूँ? पर उनकी नेक सज्जाह पर मैं अबतक चल नहीं सका, और आगे

भी शायद उनके सुझाये पथ पर नहीं चल सक़ूँगा । साहित्यकार बनने की यदि सुझमें कुछ पात्रता होती, तो अवश्यक बन गया होता ।

१९१८ से १९२८ तक प्रयाग में रहा, और फिर १९३२ के अंत-तक पश्चा में । ये तेरह-चौदह साल हमेसा याद रहेंगे । दोनों जगह मेरा जीवन-प्रबाह बालू को छूता और पश्चरों से टकराता हुआ प्रबाहित हुआ । प्रयाग में ठशडनजी को पाकर मानों पुण्य को भेटा; और सम्मेलन से सम्बन्ध जोड़कर कुतार्थ हुआ । वे दिन बड़े अच्छे बीते । छतरपुर के, अपने जन्म-स्थान के, बालाबरण में जो दम बुटा जा रहा था उससे यहाँ राहत मिली । बेकारी भी जाती रही और जो जड़ता ने जड़कर रखा था वह स्थिति भी दूर हुई । न वैसी ऊँची उड़ानें भरने का मन हुआ, न अधिक आकंक्षाओं ने ही देरा । अभाव भी वैसे यहाँ नुमे नहीं । काफ़ी मस्त रहता था ।

पश्चा में यह बात नहीं रही । वहाँ जीवन ने पछटा खाया । राज्य का बालाबरण मोड़क था, पर शान्त और सुखद नहीं । अर्थ-संकट वहाँ भी बना रहा, पर उसे में ढकने का प्रयत्न करने लगा । इससे दिल्लामे को आधय मिला । वहाँ जाकर जैसे सुनहरे जाल में कैम गया । शिक्षा-विभाग के कार्य को यदि हाथ में न ले किया होता, और मान लीजिए, चार-पाँच बरस राज-भवन का अतिथि ही बना रहता, या तूसरों की तरह हाँ-मैं-हाँ मिलानेवाला बन जाता, तो मेरी क्या दशा हुई होती । मैं चिल्कुल निकम्मा हो गया होता और मुझे पता भी न चलता । कुशक रही कि मैं ऐसा नहीं हो पाया ।

फिर भी पन्ना को मैं भूल नहीं सका । विष्णु प्रदेश के उन मनो-

रम दश्यों को कैसे भुजादूँ ? उन हरी-भरी घाटियों को, काढ़ी-भूती चहानों के साथ अठखेलियाँ करती हुई उस केन नदी और उसके प्रपातों को, पूस-माह और यैसाख-ज्ञेष के अपने उन साकाना दौरों को, शिकार के उन हाँकों और मच्चानों को भला कभी भूल सकता हूँ ? पन्ना-महाराज के छोटे भाई नन्हे राजा का प्रेम-व्यवहार एवं उनकी पत्नी—मेरी धर्म-भगिनी का निश्चल स्नेह भी सदा याद रहेंगे ।

अब दिल्ली । यहाँ रहते आज सोलह साल होने को आये—सन् १९३२ से १९४८ तक । यहाँ पूज्य बाप् से संपर्क बढ़ा; ठक्कर बापा का पुण्य स्नेह मिला; हरिजन-निवास को बसते हुए देखा; दो बालकों को पुत्ररूप में स्वीकार किया; और जीवन के बहाव को ममताभरी दृष्टि से देखा ।

लोगों ने यहाँ माना कि मैं सेवा के लेत्र में काम कर रहा हूँ, और साहित्यिक संन्यास ले लिया है । पर मैंने ऐसा नहीं माना । जन-सेवा की जो परिभाषा सुनी, उससे मैं बहुत-बहुत दूर हूँ । यह कोरी नम्रता की बात नहीं है । एक शिखण्ड-संस्था के साधारण-से व्यवस्था-कार्य को लोक-सेवा का नाम कैसे दूँ ? सेवा करते-करते तो मन निर्मल और स्थिर हो जाता है, हृदय अधिक-अधिक विकसित होता है, और अहंकार का पद्धा हट जाने से ‘स्वरूप’ स्वयं ही सामने आजाता है । अबतक तो ऐसा कुछ अनुभव दृश्या नहीं । लोक-सेवक को, हाथ में विवेक का दीपक लेकर, साधना के कठिन पथ पर चलना पड़ता है । मैंने तो उस पथ पर पैर भी नहीं रखा । हज़ारों आदमी दफ्तरों और कारखानों में मुझसे कहीं अधिक परिश्रम का काम करते हैं । फिर भी उनके दिनभर

कलम छिसने और पत्तीना बहाने को कोई मेवा-कार्य नहीं कहता। मैं दूसरों की बही जानता, पर मेरे साथ जब लोक-सेवा का हालत अर्थ जोड़ा जाता है तब लक्ष्य व गतानि-सी होती है।

हाँ, दिल्ली में मेरा जन-परिचय का तंत्र अवश्य बद गया। कितने ही साहित्यकारों, समाज-सेवकों और कई राष्ट्र-नेताओं से यहाँ जान-पहचान हुई। कुछ असमान व्यक्तियों के साथ भी मित्रता का सम्बन्ध जुड़ा। पर असल में सम्पूर्णतया कौन नो किसके समान है और कौन असमान? समान और असमान आंशिक रूप में ही तो अर्थ को बहन करते हैं। अस्तु; ऐसे असमान कहे जानेवाले अमनों में मुख्य श्री घनश्यामदास बिल्ला हैं। यों तो वे शुरू से ही इमारे हरिजन-सेवक-संघ के अध्यक्ष रहे। पर स्वतंत्र रूप से भी मेरा उनके साथ एक मित्र के जैसा बाता बन गया। इसपर यदा-कदा मेरी टीका-टिप्पणी भी खूब हुई। चूँकि घनश्यामदासजी श्रीमन्त हैं, इसीलिए उनसे दूर-दूर रहने की मुझे, मेरी हित-चितना की इष्ट से, मजाह दी गई—इस भय से कि कहीं मैं उनकी हाँ-मे-हाँ मिलानेवाला न बढ़ जाऊँ। पर अनुचित रूप में 'जी हाँ-बादी' तो मैं किसीका भी नहीं बना; न किसा श्रीमन्त का, न किसी लोक-नेता का। अपने आप पर मेरा इतना भरोसा तो रहा ही। मुझसे प्रायः पूछा गया—एक पूँजीपति के साथ तुम्हारी यह मैत्री कैसी? प्रत्येक पूँजीपति मानो अस्पृश्य है, और उसके साथ इमारी अमैत्री ही होनी चाहिए! जो विचार-तुला मानव को भुलाकर केवज उसके उपरी आवरणों को ही तोला करती ही उसके परिणामों की यथार्थता पर कैसे विश्वास करें? मानव-मानव के

सम्बन्ध में ये विचित्र वर्ग और वाद क्यों दफ्तर दें ? घनश्यामदासजी वह से मेरे मित्र हैं, फिर वे चाहे कुछ भी हों। उनमें कुछ बुटियाँ भी हैं, जैसी कि आकार-प्रकार-भेद से हर किसी मनुष्य में होती हैं। मुझमें ही कितनी सारी अपूर्णताएँ भरी पड़ी हैं। फिर किसीका भी सच्चा निष्पक्ष टीकाकार या निर्णायक कौन हो सकता है ? आखोचक और आलोच्य के बीच न्यूनाधिक रूप में सापेच्य सम्बन्ध ही तो होता है। मैं तो घनश्यामदासजी के कठिपय सद्गुणों का आदर करता हूँ। कितनी ही बातों में उनसे मेरा मत नहीं मिला, और यह आवश्यक भी नहीं। औरों की तरह उनके भी कुछ कथवे-पक्के विचार हैं। उन्होंने जल्दी मे प्रायः अनुकूल या प्रतिकूल मत बना लिया, यह भी कभी-कभी मुझे अच्छा नहीं लगा, पर वहाँ भी मैंने उनमें सचाई और सरलता ही देखी। प्रतिपक्षी के प्रति कभी-कभी कहुता तो प्रकट की, फिर भी उसका बुरा नहीं चाहा। वैज्ञानिक की जैसी सूचम बुद्धि पाकर भी हृदय अतिशय मावनाशील रहा, जिससे बहुत बार उन्हें चोट भी लगी। मिन्न मत रखते हुए भी वहों के प्रति अद्वा और छोटों के प्रति स्नेह-भाव में भरसक कभी नहीं आने दी। माता-पिता एवं गांधीजी तथा सबसे ज्येष्ठ आता के प्रति उनमें आदर्श अद्वा-भाव देखा। मेरो मिश्रता का एक मुख्य काहण यह भी हुआ कि घनश्यामदासजी ने कभी कुलशील का परिस्थाग नहीं किया। और कुलशील ही तो मनुष्य के चारित्य की आधार-शिक्षा है।

मगर उनकी व्यापार-नीति ? बहुधा पूछा गया कि क्या वह सर्वथा दृष्टि की खुली रही ? मैं गदराई में नहीं गया, न जाना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस मनुष्य का अरित्र स्वप्न रहा

हो उसका-कुछ-न-कुछ प्रभाव उसके जीवन के प्रत्येक लेवर पर पड़ना ही चाहिए। ऐसे मनुष्य की जीति दूध की खुली न सही, पानी की खुली तो होनी ही चाहिए। वह गन्दगी को सुशी-सुशी अपना नहीं सकता।

फिर मैं यह कव कहता हूँ कि जिस इष्टि से मैं अपने मित्रों को देखता हूँ उसी इष्टि से दूसरे भी ठन्डे देखें। इस बात को अवश्य मानता हूँ कि जिस किसीके साथ मेरा मैत्री-सम्बन्ध जुड़ जाता है, उसके घर की हरेक चीज़ को मैं खिड़कियों व फरोखों से झाँक-झाँककर नहीं देखा करता। सुकिया पुलिस का काम मुझसे नहीं हो सकता; यह स्वभाव के विपरीत है।

घनश्यामदासजी को मैंने समीप से देखा, और उनके सुसंस्कृत अवित्तन और चरित्र ने मुझे खींच लिया। उन्होंने भी मुझपर विश्वास किया। मित्रता का यही तो एकमात्र आधार है। मुझे अपने मैत्री-सम्बन्ध को किसी सभा या न्यायालय में सिद्ध करने नहीं जाना। घनश्यामदासजी के कारण उनके परिवार के सभी छोटों-बड़ों के प्रति स्नेहभाव हो गया। कब्ज़कर्ते के श्रीभानीरथमन्द कानोदिया के साथ भी मेरा ऐसा ही मैत्री-सम्बन्ध है। संयोग से उनकी भी गणना पूँजीपतियों में होती है। पर मेरे तो कितने ही जाना मत रखनेवाले स्नेही मित्र हैं। उनमें धनी भी हैं, दरिद्र भी हैं; सुधारवादी भी हैं, रूढ़िवादी भी हैं; और प्रगतिशील तथा प्रतिगामी भी हैं। उनके नामों की लम्बी सूची देना अनावश्यक है। ऊपर ये एक-दो नाम तो वाध्य होकर देने पड़े।

परिवार की चर्चा पिछले एक प्रकरण में विस्तार के साथ कर चुका

हैं, यथापि मोह-ममनावश फिर उभी और इयान जा रहा है। कुट्टने को चाहा भी, पर उस्के उखाफता गया। सोचता हूँ कि यदि कहीं मुझे अपने प्रति श्रद्धा-भक्ति का प्रतिदान मिला होता, तो शायद इस सुनहरे जाल में और अधिक उखाफ गया होता। अच्छा ही हुआ कि उत्तर में मैंने प्रायः कुछ उपेक्षा ही पाई। फलतः श्रद्धा-भावन बनने की आर्थिका अपने आप तुरंत पह गई। फिर भी स्नेह-भाव भीतर-भीतर उमड़ता ही रहा, जो निश्चय ही मेरी जीवन-यात्रा में एक शुभ और स्वच्छ चिह्न है।

कभी-कभी अपने आस-पास वैर-भाव पनपते देखा और उससे मैं स्वयंसित हो गया। प्रेम के प्रयोग-पर-प्रयोग सुमारे और किये, पर प्रयत्न अधिक सफल नहीं हुए। तो भी विश्वास दिन-दिन बढ़ता ही गया कि यदि प्रेम में मोह की मिलावट न हो, तो अन्त में वह वैर पर अवश्य विजय पाता है। प्रेम के अद्भुत चमकार को देखने के लिए मैं सदैव ब्याकुल रहा। अपने परिवार में हो या कहीं भी जब-जब जहाँ वैर-विरोध के विषेश पाँडे को पनपते देखा, तब-तब उसकी जड़े काटने को ब्याकुल हो उठा—यह देखते हुए भी कि उसके मूलोच्छेद करने की शक्ति मेरे निर्वल हाथों में नहीं है। आश्चर्य होता है कि हम विष-वेजि को अहंकार का पानी दे-देकर पनपने ही क्यों दिया जाता है। अपने आसपास उसे देखकर या उसकी तीव्र गत्य पाकर ही भेरा तो दम घुटने लगता है, जैसे आग के बीचो-बीच सहायेद के साथ-साथ जल-भुज रहा है। मैं नहीं जानता कि ऐसा अंतर में क्षिप्री अहिंसा की भावना से होता है या किससे।

और हरिजन-निवास पर अधिक क्या लिखूँ। वह तो प्रतिष्ठा

आँखो के आगे रहा है। पूज्य बापू का वह साकाह आशीर्वाद है; अब ये बापा के तप का मधुर फल है। यह बात दूसरी है कि मैं उस पुण्यस्थल से कोई लाभ नहीं उठा पाया। गंगा के तट पर बैठा रहा, फिर भी प्यासा-का-प्यासा !

यह है अबतक का, यहाँतक का मेरा अपना जीवन-प्रवाह। मैं स्वयं भी या कोई दूसरा इस प्रवाह के बारे में कुछ भी राय बनाले, वह तो अपने रस में ऐसा ही बहता आया है, और कौन जाने, कबतक इसी तरह बहता रहेगा।

सूने-बिहूने किन्तु सुहावने घाट पर बहा है, और देख रहा है प्रवाह पर पल-पल पड़नेवाली अगणित अनित्य संस्कारों की फिलमिल छाया। यह, आज तो इतना ही—बन पड़ा तो फिर कभी आगे आँर।

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न०

१८२

लेखक

१८८५) १।
हाई ब्राह्मि

शीषक

मर्या जीवन सग्रह

खण्ड

क्रम मर्या

४२६८